दशम माला, खण्ड 33, अंक 8

बुधवार, 3 अगस्त 1994
12, श्रावण 1916 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

ग्यारहवां - सत्र

(दसवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

(खंड 33 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

5 अगस्त, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के
हिन्दी संस्करण का शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
(i)	2	नवां-सत्र	ग्यारहवां-सत्र
10	नीचे से 14	श्री मोहम्मद अयूब खां	श्री अयूब खां
11	नीचे से 10	श्री पीटर जी० मखनिआंग	श्री पीटर जी० मरबनिआंग
16	नीचे से 11	श्री पी०वी०नरसिम्हा राव	श्री पी०वी० नरसिंह राव
23	15	श्री एन०जे० राव्वा	श्री एन०जे० राठवा
147	6	श्री एन के राठवा	श्री एन•जे• राठवा
29	13	"विवरण" शब्द का लोप कीजिए ।	
32	3	(श्री गिरिधर गोमांगो):	(श्री गिरिधर गोमांगो):(क)से(घ)
101	नीचे से 11	श्री धर्मण्णा मोंड्य्या साटुल	श्री धर्मण्णा मोंड्य्या सादुल
115, 116		"हडको"	हुडको
146	6	श्री वी• निवास प्रसाद	श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद
150	12	(श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा)	(श्रीमती मारग्रेट आल्वा)
196	6		
150	नीचे से 2	अशरफ	अशरफ
166	8	श्री शंकर सिंह बघेला	श्री शंकर सिंह वाघेला
183	6	श्री नीतिश कुमार	श्री नीतीश कुमार
220	5	श्री ओंकार फर्नान्डीज (उदुपी)	श्री ओस्कर फर्नान्डीज (उदीपी)
255	नीचे से 2	बना	बने
266	नीचे से 7	श्री बी०एस० विजयराघवन	श्री वी०एस० विजयराघवन

विषय सूची

दशम माला, खंड 33, नवां सत्र, 1994/1916 (शक)

अंक 8, बुधवार, 3 अगस्त, 1994/12 श्रावण, 1916 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		
* तारांकित प्रश्न संख्या	144 और 145	1-17
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
*तारांकित प्रश्न संख्या	141--143 और 146--160	17-41
अतारांकित प्रश्न संख्या	1453--1590 और 1592--1617	41-201
सभा पटल पर रखे गए पत्र		210-213
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति		213
तैंतीसवां और चौतीसवां प्रतिवेदन – **प्रस्तुत**		
कार्य मंत्रणा समिति		213
बयालीसवां प्रतिवेदन – **स्वीकृत**		

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

नियम 377 के अधीन मामले 214-215

(एक) राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में जलाशयों के निर्माण की लागत के रूप में किसानों को दिए गए ऋणों को माफ किए जाने की आवश्यकता 214

श्री बीरबल

(दो) केरल में एम. सी. रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा केरल सरकार के कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता 214

श्री पी. सी. चाक्को

(तीन) मुम्बई में रेलवे भूमि पर झुग्गी निवासियों को कोई पूर्व शर्त लगाए बिना मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता 214

श्री शरद दिघे

(चार) महाराष्ट्र में नागपुर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 7 पर कन्हन नदी पर एक नए पुल के निर्माण की आवश्यकता 215

श्री तेजसिंह राव भोंसले

(पांच) केरल के मालापुरम जिले में आकाशवाणी की एक "फ्रीक्वेन्सी माडूलेशन" केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता 15

श्री ई० अहमद

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक विचार के लिए प्रस्ताव 216-255

श्री कोडीकुन्नील सुरेश 216

श्री विजय एन. पाटील 217

श्री ओस्कार फर्नान्डीज 220

श्री पी. सी. चाक्को 222

श्री श्रवण कुमार पटेल 225

श्री याइमा सिंह युमनाम 228

श्री के. मुरलीधरन 230

श्री राजगोपाल नायडू रामास्वामी	232
श्री रमेश चेन्नित्तला	233
श्री पी. सी. थामस	237
श्री अयूब खां	240
श्री चन्दूलाल चन्द्राकर	241
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	242
श्री के. एच. मुनियप्पा	243
श्री गुलाम नबी आजाद	244

खंड 2 से 46 और 1

यथा संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव	255-260
श्री गुलाम नबी आजाद	

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण हुई जान-माल की भारी हानि	260-281
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	260
श्री दत्ता मेघे	265
श्री वी. एस. विजयराघवन	266
श्री बालिन कुली	269
श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ	271
श्री शरत पटनायक	274
श्री ए. चार्ल्स	275
डा० कार्तिकेश्वर पात्र	277
श्री रमेश चेन्नित्तला	280

लोक़ सभा

बुधवार, 3 अगस्त 1994/12 श्रावण, 1916 (शक)

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(व्यवधान)

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा (क्योंझर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता है।

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : महोदय, आज अधिक प्रश्न नहीं है .... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : सभा के एक वरिष्ठ और विद्वान सदस्य होने के नाते आप जानते हैं कि प्रश्न–काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता है।

श्री गोविन्द चन्द्र मुन्डा : मैं आदिवासी लोगों के बारे में कहना चाहता हूं। आपने आदिवासी लोगों के बारे में क्या निर्णय लिया है? .... **(व्यवधान)**

11.02 म०पू०

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न–काल में व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता। कृपया बैठ जाइए।

प्रश्न संख्या 141	– श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे	–	अनुपस्थित
प्रश्न संख्या 142	– श्री नीतीश कुमार	–	अनुपस्थित
प्रश्न संख्या 143	– श्री सत्य नारायण जटिया	–	अनुपस्थित
	श्री रामपाल सिंह	–	अनुपस्थित
प्रश्न संख्या 144	– श्री शान्ताराम पोटदुखे		

[अनुवाद]

राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारिता संघ

144. श्री शांताराम पोतदुखे : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारिता संघ के अंतर्गत वृक्ष उत्पादक सहकारी समितियां गठित करने तथा उन्हें प्रोत्साहित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन–किन राज्यों में यह परियोजना चलायी जा रही है; और

(घ) कुल कितने क्षेत्र में यह परियोजना चल रही है?

ग्रमीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): (क) व (ख) राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड (रा.ब.भू.वि.बो.) आत्म–निर्भर ग्राम सहकारिताएं स्थापित करने हेतु वृक्ष उत्पादकों की सहकारिताओं को बनने में प्रोत्साहन देता रहा है, जो कम उपजाऊ और अनुपजाऊ अवक्रमित भूमि के सुधार तथा ईंधन लकड़ी और चारा देने वाले वृक्षों के रोपण का कार्य करेगी। राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारी संघ (एन.टी.जी.सी.एफ.) ने ग्रामवासियों की आवश्यकताओं चारा और ईंधन लकड़ी की मुख्य जरूरतों को पूरा करने के लिए अवक्रमित बंजर भूमि पर बायोमास को स्थापित करने के लिए वृक्ष उत्पादकों की सहकारिताओं का एक आत्म–निर्भर और सक्ष्म सहकारी ढांचे के अनुरूप स्थापित करने के प्रयासों को प्रोत्साहन दिया है। स्वास्थ्यकर पौधों का रोपण, धुआं रहित चूल्हों तथा बायोगैस प्लांटों की स्थापना, मर्यावरणात्मक शिक्षा तथा विस्तार शिक्षा द्वारा औरतों की भागीदारी में वृद्धि करना समर्थक कार्यक्रम है।

(ग) वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना निम्नलिखित 6 राज्यों में चालू है :

1. आंध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. कर्नाटक
4. उड़ीसा
5. राजस्थान
6. उत्तर प्रदेश

(घ) 31 मार्च, 1994 तक इस परियोजना के अंतर्गत कवर किया गया कुल क्षेत्र 3,896 हैक्टेयर है।

श्री शान्ताराम पोतदुखे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में कहा है कि वृक्ष उत्पादक सहकारी परियोजना छह राज्यों – आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस सहकारी परियोजना के तहत अन्य राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र को कब शामिल किया जाएगा।

कर्नल राव राम सिंह : बंजर भूमि को पुनः हरा–भरा बनाने के कार्य में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से ये सहकारी परियोजनाएं शुरू की गई थी।

प्रारंभ में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से राष्ट्रीय वृक्ष उत्पादक सहकारी परिसंघ शुरू किया गया था और इसे एक शीर्ष संस्था के रूप में गठित किया गया था। प्रारंभिक चरण में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने 5 करोड़ रूपये का कोष सृजित किया और फिर यह कार्य शुरू किया गया। बाद मे स्वीडन और कनाडा की सरकारों ने कुछ सहायता दी। स्वीडन सरकार ने लगभग 24.4 करोड़ तथा कनाडा सरकार ने लगभग 46.00 करोड़ का योगदान किया। एक संयुक्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए और इन छह राज्यों को इस दृष्टिकोण से चुना गया कि वहां पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने सहकारी समितियों के रूप में सुदृढ़ आधारभूत सुविधा स्थापित कर रखी थी, वहां पर दुग्ध एकत्र करने वाले केन्द्र थे और बंजर भूमि बहुत अधिक थी। वहां पर कार्य चल रहा हैं जैसे ही हम और अधिक कोष का प्रबंध कर लेगें तो इस कार्यक्रम के तहत निश्चित रूप से महाराष्ट्र को शामिल किया जाएगा, मैं ऐसा आश्वासन माननीय सदस्य को देता हूं।

श्री शांताराम पोतदुखे : यह कार्यक्रम ग्राम सहकारिताओं को आत्म–निर्भर बनाने में मदद करने के लिए लाया गया है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि औषध पौधों के तहत शामिल क्षेत्र कितना है और कितने धुआं रहित चूल्हें दिए गए है और इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली महिलाओं की प्रतिशतता कितनी है।

अध्यक्ष महोदय : जहां तक आंकड़ों का संबंध है। मंत्री महोदय बाद में दे सकते हैं।

कर्नल राव राम सिंह : मैं कुल क्षेत्र बता सकता हूं जिसमें पौधे लगाए गए है। कितने क्षेत्र में औषध पौधे तथा अन्य पौधे लगाए गए हैं यह अलग–अलग जानकारी मैं माननीय सदस्य को लिखकर सूचित कर दूंगा।

जहां तक चूल्हों का संबंध है। अभी तक 5138 चूल्हे लगाए गए हैं। जहां तक बायोगैस का संबंध है। 678 बायोगैस संयंत्र लगाए गए है। ये संयंत्र परिवारों के हैं सामुदायिक संयंत्र नहीं है ये 6 से 7 सदस्यों के परिवारों के लिए है।

अध्यक्ष महोदय : इस कार्यक्रम में कितनी महिलाएं भाग ले रही है।

कर्नल राव राम सिंह : कुल 141 महिला जागरूकता शिविर लगाए गए है। इन शिविरों में प्रशिक्षित महिलाओं की संख्या 4,295 है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि कुछ राज्यों विशेषकर राजस्थान में इन सहकारिताओं में महिलाओं का कार्य बहुत प्रशंसनीय है।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : मुझे यह उल्लेख करते हुए अफसोस हो रहा है लेकिन माननीय मंत्री ने परिवार कल्याण का उल्लेख किया है। कितनी जनसंख्या शामिल की गई है? वह मुझे बताएं कि उड़ीसा में कल्याण कार्य संबंधी उपलब्धि बताएं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि परिवार कल्याण का क्या कार्य किया जा रहा है। **(व्यवधान)**

कर्नल राव राम सिंह : इसके लिए अलग नोटिस की जरूरत होगी।

श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा : यह अलग मुद्दा है। उन्होनें परिवार कल्याण का उल्लेख किया था।

[हिन्दी]

कर्नल राव राम सिंह : मुंडा साहब आप मेरे से मिल लेना, मैं आपको पूरी पिक्चर बता दूंगा।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नित्तला : महोदय माननीय ने ठीक कहा है कि इस कार्यक्रम को अन्य देशों से पर्याप्त संसाधन प्राप्त हो रहे है और सरकार ने पहले ही कनाडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अतः मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्रालय इस कार्यक्रम की उचित निगरानी कर रहा हूं या नहीं। इस कार्यक्रम के बारे में कुछ शिकायतें आई है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय शीघ्र ही इस पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करेगा या नहीं।

कर्नल राव राम सिंह : निगरानी और मूल्यांकन की उचित प्रणाली स्थापित कर दी गई है। मैंने स्वयं दो राज्यों – राजस्थान और गुजरात में इस कार्यक्रम के स्थानों का दौरा किया है। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि सहकारी समिति बनाना इतनी कठिन नहीं है। लेकिन ऐसी सहकारी समिति के लिए राज्य सरकार से भूमि लेना बहुत मुश्किल कार्य है और मैं समझता हूं कि राजस्व भूमि अथवा अन्य भूमि जिस पर यह सहकारी समिति कार्य कर सके उसे प्राप्त करने के लिए 27 चैनलों से गुजरना पड़ता है। स्वीडन की परियोजना के तहत प्रारंभ में यह कार्यक्रम पांच वर्षो तथा कनाडा की परियोजना के तहत छह वर्षो के लिए है। लेकिन मुझे आशंका है कि उपयोग मेरी अपेक्षानुसार नहीं हुआ है। इसलिए, संभवतः हमें अवधि बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा राज्य सरकारें अपने कार्य में तेजी ला रही है। मैं इस कार्यक्रम में शामिल सभी राज्यों की बैठक बुला रहा हूं ताकि जमीन उपलब्ध कराई जा सके। इसके तहत दूसरा राज्य तमिलनाडू शामिल किया जाना है। लेकिन तमिलनाडू में दुर्भाग्य से ऐसे सहकारी कानून है कि अभी तक एक भी सहकारिता की स्थापना नहीं हुई है।

श्री याइमा सिंह युमनाम : महोदय माननीय मंत्री ने अभी–अभी कहा कि सहकारी समिति गठित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यह सच है कि मणिपुर में भी समिति स्थापित करना मुश्किल है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या ये सुविधाएं उन संघों यूनियन और अन्य संगठनों को उपलब्ध कराई जा सकती है जो सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है।

कर्नल राव राम सिंह : विभाग के पास बंजर भूमि विकास की अनेक योजनाएं है जिन्हें समितियों अपना सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि इस कार्यक्रम के तहत ही हो। लेकिन यदि एक पंजीकृत समिति है और भूमि उपलब्ध है तो समिति परियोजना बनाकर विभाग को भेज सकती है। इस योजना के तहत बंजरभूमि के विकास हेतु शत–प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध है।

श्री ए. चार्ल्स : महोदय, माननीय मंत्री ने स्वीकार किया है कि उपरोक्त परियोजना लागू करने के लिए पर्याप्त जमीन प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। केरल जैसे राज्य में भूमि बहुत कम है और भूमि प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। फिर भी, इस योजना के तहत औषध पौधों के रोपण की परियोजना को लागू किया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या औषध पौधों के रोपण के लिए विशेष परियोजनाएं स्वयंसेवी एजेंसियों और निजी

क्षेत्र द्वारा दी जाती है? इन योजनाओं को स्वीकार कर लिया जाएगा और एक विशेष मामले के रूप में इन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पूरी वित्तीय सहायता दी जाएगी।

कर्नल राव राम सिंह : महोदय, केरल बंजर भूमि विकास के मामले में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। हाल ही में मैंने केरल में काजू रोपण का विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। उन्होंने इसे बहुत अच्छी तरह लागू किया है। मैं औषध पौधों के लिए विशेष परियोजना शुरू कर रहा हूं। यह एक विशेष परियोजना होगी और केरल अथवा किसी अन्य राज्य से कोई विशेष परियोजना निश्चित रूप से आ सकती है और हम औषध पौधों के रोपण के लिए पूरा समर्थन देंगे। इसके लिए कोई भी समिति आ सकती है। इसके लिए सहकारी समिति होना आवश्यक है।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने जवाब में सहकारी संस्थाओं का जिक्र किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि सहकारी संस्थाओं के अलावा क्या राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कुछ स्वैच्छिक संस्थाओं, विशेषकर महिलाओं की संस्थाओं को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने की कोई योजना है।

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी ऐसी सहकारी संस्थाएं है जो आपकी इस योजना का लाभ उठा रही है?

कर्नल राव राम सिंह : केवल यही स्कीम नहीं, ग्रांट इन एड जो दूसरी स्कीम्स है जैसे महिला संगठन हो, यूथ क्लब हो और कोई ऐसी सोसाइटी हो जो राज्य सरकार के साथ, रजिस्टर्ड हो, अगर वे बंजर भूमि का इंतजाम कर सकती है तो वे इसके लिए अप्लाई कर सकती है। उनको शत–प्रतिशत ग्रांट दी जायेगी। जहां तक उत्तर प्रदेश में कितनी सोसाईटीज काम कर रही है, यह जो प्रश्न आपने पूछा है तो इसका मैं आपको अलग से जवाब दूंगा। क्योंकि यह मूल प्रश्न सम्बद्ध नहीं है।

[अनुवाद]

श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि देश में कितनी ऐसी बंजर भूमि उपलब्ध है जो कि वृक्षारोपण के कार्य में लगी सहकारी इकाईयों के लिए उपयुक्त है। यदि हां, तो इस संदर्भ में गोवा की क्या स्थिति है तथा यदि इस समस्त भूमि का सरकार वृक्षारोपण के लिए उपयोग करना चाहती है तो उसके लिए कितनी राशि की आवश्यकता होगी?

कर्नल राव राम सिंह : महोदय, मेरे विचार में माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि गोवा में कितनी बंजर भूमि है।

जहां तक सारे देश का संबंध है देश में ऐसी लगभग 3300 लाख हैक्टेयर भूमि उपलब्ध है। बंजर भूमि विकास विभाग ने सर्वेक्षण का कार्य 'नैशनल रिमोट सैन्सिंग एजेंसी' को सौंपा है तथा उन्होंने मेरे विचार में पहले ही इस संबंध में 237 जिलों का मानचित्र तैयार कर लिया है परंतु उन्होंने अपनी अंतिम रिर्पोट अभी नहीं दी है। तथापि, कुछ आकलनों के अनुसार इस प्रकार की 3300 लाख हैक्टेयर भूमि में से 1300 लाख हैक्टेयर भूमि ऐसी है जिसे निम्न स्तर की माना जाता

है अथवा यह ऐसी भूमि है जिसमें आशा के अनुरूप उत्पादन नहीं होता है। इस 1300 लाख हैक्टयेर भूमि में से 350 लाख हैक्टेयर वन–बंजर–भूमि तथा 950 लाख हैक्टेयर गैर–वन भूमि है। वन बंजर भूमि पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अंतर्गत आती है तथा गैर–वन बंजर भूमि, बंजर भूमि विकास विभाग के अंतर्गत आती है।

डा० आर. मल्लू : महोदय, वृक्षारोपण से जुड़ी सहकारी इकाईयों के लिए विदेशी सहायता योजना में आंध्र प्रदेश को सम्मिलित करने के लिए मंत्री महोदय का धन्यवाद करते हुए मैं उनसे जानना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में कितनी सहकारी समितियां कार्य कर रही है तथा क्या वे ठीक प्रकार से कार्य कर रही है। यदि ये ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है तो मंत्रालय द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे है?

कर्नल राव राम सिंह : महोदय, आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा कुड्डापाह जिलों में वृक्षारोपण में लगे लोगों की 35 सहकारी समितियां पूरी तरह कार्य में लगी हुई है तथा 27 और समितियों का पंजीकरण हुआ है। इन 35 समितियों में पुरूष सदस्यों की संख्या 1432 है ...... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या ये समितियां अच्छी तरह से कार्य कर रही है तथा यदि नहीं, तो इस संबंध में कौन–कौन से कदम उठाये जा रहे है।

कर्नल राव राम सिंह : महोदय, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो इनके प्रश्न के दो भाग थे – एक यह कि आंध्र प्रदेश में कितनी समितियां कार्य कर रही है तथा, दूसरा यह कि क्या वे अच्छी तरह से कार्य कर रही है? इसलिए, पहले भाग का उत्तर यह है कि 35 ऐसी समितियां है जो संगठित तथा इनमें 1432 पुरूष सदस्य है तथा 490 महिला सदस्य हैं।

जहां तक इन समितियों के कार्यकरण का संबंध है, उसके बारे में एक लम्बी रिपोर्ट है। कुछ बहुत अच्छा कार्य कर रही है, कुछ थोड़ा ठीक काम कर रही है, कुछ ठीक से काम नहीं कर रही है। मैं इन 35 समितियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट माननीय सदस्य को भेज दूंगा। मैं उन्हें विस्तृत रिपोर्ट भेज दूंगा।

श्री विजयराम राजू सत्रुचार्ला : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश के श्री काकुलम तथा विजयनगरम जिलों में रहने वाले जनजातीय लोगों में "पौदू" की खेती करने का प्रचलन है जिसके परिणामस्वरूप वे जंगलों का विनाश कर रहे हैं। इसके कारण वर्षा में कमी हो रही है। इस काम से उन्हें हटाने के लिए, क्या माननीय मंत्री महोदय आंध्र प्रदेश सरकार का निर्देश देगें कि वे इन जनजातीय लोगों को ऐसी समितियां बनाने में शामिल करें तथा ऐसी समितियां बनाकर फलदार वृक्ष लगाने में उनकी सहायता करें।

कर्नल राव राम सिंह : मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि वनों का बड़े पैमाने पर विनाश हो रहा है। मेरे विचार में पर्यावरण तथा वन मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय दोनों ही इस बड़े पैमाने पर हो रहे जंगलों के विनाश को रोकने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र में भी हम खेती की प्रणाली को समाप्त करने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। जहां तक इस विशिष्ट योजना का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश में, इस समय यह योजना केवल चित्तूर तथ कुडप्पा जिलों तक सीमित है। तथा

जिन तटीय जिलों का माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है। इन जिलों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। मैं 'नैशनल ट्री ग्रोवरज कोआपरेटिव सोसाइटी' को निर्देश दूंगा कि वह उन जिलों में समितियां स्थापित करने पर विचार करे, जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत उक्त क्षेत्र में कोई भी सहकारी समिति कार्य नहीं कर रही है।

श्री पी. सी. थामस : महोदय, जिन वृक्षों से कागजों की लुगदी तैयार की जाती है, उनके लगाने में केरल सरकार द्वारा व्यापक प्रोत्साहन दिया जा रहा है। परंतु इस संबंध में दिए जा रहे प्रोत्साहन का मुख्यतः सरकारी एजेसिंयों द्वारा ही उपयोग किया जा रहा है। अगर हम और अधिक संख्या में वृक्ष उगाते है और अगर ये वृक्ष सस्ती दर पर उपलब्ध होते हैं तो मुझे विश्वास है कि हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन की मुख्य इकाईयां जोकि घाटे में चल रही है लाभ कमा सकती हैं।

मैं यह जानना चाहूंगा कि केरल राज्य में, जहां कि इस तरह के वृक्षों को बड़े पैमाने पर उगाया जा रहा है वहां ऐसी सहकारी इकाईयों को प्रोत्साहन दिया जा सकता है तथा क्या आप केरल राज्य को भी इस कार्यक्रम में शामिल करेंगे।

कर्नल राव राम सिंह : महोदय, जहां तक कागज की लुगदी का प्रश्न है मैं माननीय सदस्य की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे देश में इसका स्तर बहुत ही निम्न कोटि का है तथा विभाग ने इस उद्देश्य से निवेश प्रोत्साहन योजना नामक एक विशिष्ट योजना तैयार की है जो कि निगमित क्षेत्र तथा निगमित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली उन इकाईयों के लिये है जोकि वन उत्पाद को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करती है। उदाहरण के लिये कागज का उत्पादन करने वाले कारखानों को लुगदी की आवश्यकता होती है। माचिस तथा पेन्सिल बनाने वाले कारखानों इत्यादि के मामले में भी यही बात है। इस योजना का उद्देश्य इस योजना के अंतर्गत इन इकाईयों को कच्चे माल के मामले में अगली 25-30-40 वर्षों के लिए उनकी आवश्यकता के अनुसार आत्म–निर्भर बनाना है। यहां पर भी मुख्य रूकावट राज्य सरकारों से भूमि की उपलब्धता में आने वाली मुश्किलें हैं। इस बारे में महाराष्ट्र ने पहल की है तथा इन योजनाओं के लिये अधिकतम सीमा में छूट दी है। निगमित क्षेत्र में विभाग 25 प्रतिशत सहायता राशि देता है। जबकि अन्य मामलों में, जहां समितियों का संबंध है, 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है। परंतु इस मामले में केवल 25 प्रतिशत सहायता, 50 प्रतिशत ऋण तथा 25 प्रतिशत आरंभिक पूंजी निगमित क्षेत्र द्वारा दी जाती है।

लेकिन पुनः जैसे कि मैंने कहा है, इस संबंध में मुख्य रूकावट राज्य सरकारों से दीर्घ अवधि के लिए भूमि की उपलब्धता है जिसके लिए मैंने राज्य सरकारों तथा निगमित क्षेत्र के प्रति–निधियों से अनेक बैठकें की हैं।

मेरे विचार में हम यह आशा करते हैं कि ये निगमित क्षेत्र की इकाईयां अपने उपयोग के लिये रक्षित वृक्षारोपण करेंगी तथा उन्हें अपने उपयोग के लिये जंगलों को नहीं काटना पड़ेगा।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुलतानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सरकारी

वनों पर वृक्ष लगाने के लिए सोसाइटी के जरिए मदद कराने जा रहे हैं? दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा वृक्ष कटने की वजह से काफी जमीन उजाड़ पड़ी है और इसी तरह से गढ़वाल और अरूणाचल प्रदेश में भी है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कोई स्कीम बना रहे हैं ताकि वहां पर जो उजाड़ भूमि है उसको जरखेज करने का उपाय हो सके? क्या आप राज्य सरकार को आदेश करेंगे कि वह जो भूमि है जहां पेड़ लग सकते हैं, उस सिलसिले में कार्रवाई करें?

कर्नल राव राम सिंह : राज्य सरकार को कोई आदेश नहीं दिये जा सकते कि वह भूमि को अलौट करे। राज्य सरकार की जमीन स्टेट का सबजेक्ट है। राज्य सरकार भी उसकी डैवलमेंट में इंटरस्टेड है। वह भी चाहते है कि उसका डैवलप करें। अब जो नया कंसेप्ट वेस्टलैण्ड डेवलमेंट का बना है वह वॉटर शेड कंसेप्ट है। पहले छोटे छोटे टुकड़ों में जमीन डेवलप की जा रही थी तो ऊपर से बरसात में सिल्ट बहकर आती थी और वह बरबाद हो जाता था। अब नये कंसेप्ट में पहाड़ी ऐरिया में वेली ट्रीटमेंट किया जाएगा। ऊपर दरख्त लगाए जाएंगे, फिर नीचे तक उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा। यह नया कंसेप्ट है। अगर हिमाचल में कोई इलाका है जहां आप यह काम शुरू करवाना चाहे तो आप बड़ी खुशी से कोई प्रोजेक्ट बनाएं अपने डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से बोलकर या किसी प्राइवेट सोसाइटी से वह प्रोजेक्ट बनवाकर भेजे। हिमाचल प्रदेश को सबसे पहले महत्व दिया जाएगा और वह काम कराया जाएगा।

[अनुवाद]

प्रो० पी. जे. कुरियन : अध्यक्ष महोदय, देश में कुछ कागज उत्पादन इकाईयों कच्चे माल के लिये जंगलों पर निर्भर है। इस संबंध में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हमें इन कागज इकाईयों को रक्षित वृक्षारोपण करने की अनुमति देनी चाहिए। रक्षित वृक्षारोपण के संबंध में सरकार की क्या नीति है। मेरी जानकारी के अनुसार रक्षित वृक्षारोपण के लिए कुछ आवेदन–पत्र सरकार के पास लम्बित है जब हमारे पास बंजर भूमि है तथा ऐसी वन भूमि है जिस पर कोई वृक्ष ही नहीं है, तो ऐसे में रक्षित वृक्षारोपण की अनुमति देने में क्या हानि है, विशेष कर केरल में सफेदा वृक्ष के लिए, ताकि वनों पर निर्भरता कम की जा सके।

कर्नल राव राम सिंह : महोदय, वास्तव में मैं पहले ही माननीय मंत्री के प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। हम उन निगमित क्षेत्र के एककों को रक्षित पौधारोपण के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं जो अपने वन उत्पाद को कच्चे माल के रूप में रखते हैं। कागज एक मुख्य उद्योग है और न केवल कुछ कागज विनिर्माण एकक बल्कि सभी कागज विनिर्माण एकक अपनी लुगदी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरक्षित वनों और अन्य वनों को काट कर रहे हैं। हम रक्षित पौधारोपण को प्रोत्साहित कर रहे हैं ताकि अगले 50 वर्षों की उनकी आवश्यकता पूरी हो सके, लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कि इस सयम राज्य सरकारों से भूमि प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। इस समय भूमि परिसीमन की समस्या है। यदि एक विनिर्माण एकक पोपप्लर, यूकेलिप्टस या अन्य लुगदी उत्पादन वृक्ष लगाता है तो उन्हें कम से कम 500 एकड़ भूमि चाहिए ताकि अगले 50 वर्ष की उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। इससे परिसीमन का मुद्दा शुरू होता है। वृक्षों के पूर्ण रूप से बड़े होने के लिए यह एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें 10 से 20 वर्ष लग सकते हैं। निगमित क्षेत्र

25 या 50 वर्ष का पट्टा चाहता है लेकिन राज्य सरकार कम अवधि का पट्टा चाहती हैं। ये दो मुख्य कठिनाइयां हैं। मैं माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे अपने राज्यों के साथ इस मामले को उठाएं। यदि हम इसके लिए सहायता देते हैं और प्रोत्साहन देते हैं तो मेरे विचार से किसानों को बहुत लाभ होगा जैसा कि आंध्र प्रदेश में हुआ है जहां भारतीय तम्बाकू कंपनी ने तंबाकू के किसानों के साथ पुनः खरीद समझौता किया है। वे सभी निवेश उपलब्ध कराते है।

माननीय प्रधानमंत्री ने अब इच्छा व्यक्त की है कि तंबाकू की खेती में कमी करनी चाहिए।

लेकिन अभी तक यह हो रहा है कि कतिपय निगमित क्षेत्र तकनीकी ज्ञान, वित्त तथा पुनः खरीद समझौते की सुविधा प्रदान कर तंबाकू उत्पादकों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। इसी प्रकार यदि किसानों के साथ पुनः खरीद का समझौता किया जाता है तो ये कागज एकक यूकेलिप्टस के पेड़ या अन्य लुगदी उत्पादक पेड़ लगा सकते हैं और उनके साथ पुनः खरीद का समझौता किया जा सकता है। वेस्टर्न इंडिया माचिस कंपनी ने उत्तर प्रदेश में कतिपय किसानों के साथ यह समझौता किया है और वे वहां पोपप्लर के वृक्ष लगा रहे है और उन्होने अपनी माचिस फैक्ट्रियों के लिए किसानों के साथ पुनः खरीद समझौता किया है। हम सभी संकल्पना को प्रोत्साहन दे रहे है।

डा० बी. जी. जावाली : माननीय मंत्री ने कहा है कि वन रोपण कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। वन मंत्रालय ने भी इसी प्रकार की कठिनाइयां बतायी है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि भूमि की अनुपलब्धता के क्या कारण हैं। जैसा कि मुझे पता है कर्नाटक राज्य में सरकारी भूमि तथा वन्य भूमि पर अनधिकृत उत्पादन होता रहा है और बाद में सरकार ने उसे वैध घोषित कर दिया तथा उन्हें स्वामित्व अधिकार दे दिए। केवल इतना ही नहीं है बल्कि उन्होंने छोटी पहाड़ियों तथा पर्वतों पर भी उत्पादन शुरू कर दिया जहां थोड़ी सी भी घास पैदा नहीं होती है। वास्तव में ऐसा करना लोगों को वहां जाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा अनधिकृत उत्पादन को बढ़ावा देना है। क्या इसी कारण भूमि उपलब्ध नहीं हैं? यदि हां, क्या सरकार की गैर–कानूनी खेती को रोकने के लिए कोई योजना है?

कर्नल राव राम सिंह : वास्तव में भूमि की कोई कमी नहीं है। बंजर भूमि बड़े पैमाने पर उपलब्ध है। इस समस्या को सुलझाना है। 95 मिलियन हैक्टेयर गैर–वन बंजर भूमि में से 60 से 65 प्रतिशत भूमि निजी हाथों में है और केवल 35 से 40 प्रतिशत ही सामुदायिक पंचायत की भूमि या राजस्व विभाग की भूमि है। जिन निजी भू–स्वामियों के पास दो या तीन एकड़ बंजर भूमि है उन्हें एकत्रित करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेगे। हमने स्वैच्छिक संगठनों, राज्य सरकार, शीर्ष एजेसिंयों, निगमित क्षेत्र के साथ अनेक बैठकें की है ताकि बेकार पड़ी भूमि के उपयोग के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके और उसे क्रियान्वयन एजेंसियों को दिया जा सके। यह प्रक्रियाएं अपनाई जा रही है।

डा० बी. जी. जावाली : प्रश्न अनधिकृत खेती तथा उसे नियमित करने के बारे में था।

कर्नल राव राम सिंह : अनधिकृत खेती क्या है?

डा० बी. जी. जावाली : सरकारी भूमि पर आम आदमी या किसी कृषक द्वारा खेती की जा रही है और उसे नियमित किया जा रहा है।

कर्नल राव राम सिंह : यदि यह कृषि योग्य भूमि है तो यह कृषि मंत्रालय से संबंधित प्रश्न हैं यदि यह पहले से कृषि योग्य भूमि है, उत्पादक भूमि है तो यह देखना राज्य सरकार का कार्य है कि क्या इस पर अवैध कब्जा किया गया है।

डा० वसंत पवार : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड स्व–अधिकार प्राप्त ग्राम सहकारिताओं के गठन को प्रोत्साहित कर रहा है। माननीय मंत्री ने यह कहा है कि राज्य सरकारों से बंजर भूमि प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। यदि कोई ग्राम सैन्य बंजर भूमि के पास स्थित है तो क्या माननीय मंत्री इस और ध्यान देंगे कि उस भूमि को विकास कार्य के लिए दे दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर रक्षा मंत्री देगें। चाहे उनकी रक्षा संबंधी पृष्ठभूमि हो तो भी वह इसका उत्तर देने के लिए प्राधिकृत नहीं है।

.... **(व्यवधान)** ....

डा० वसंत पवार : उनकी एक परियोजना है।

कर्नल राव राम सिंह : उनके निर्वाचन क्षेत्र में हमारी एक परियोजना है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आप रक्षा भूमि देने के लिए प्राधिकृत है।

कर्नल राव राम सिंह : रक्षा भूमि विकास के लिए गैर – सरकारी संगठनों को दी जा रही है। भूमि सेना के ही पास रहेगी। हम भूमि नहीं ले सकते हैं लेकिन इसे विकसित किया जा रहा है।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अयूब खां : सदरे मोहतरम, आप जानते है कि राजस्थान का बहुत बड़ा भूभाग रेगिस्तानी इलाका है और वहां वेस्टलैंड की कोई कमी नहीं है। मंत्री महोदय बता सकते हैं कि इस स्कीम के तहत राजस्थान में कितनी एजेंसियां काम कर रही है और कितनी धनराशि से कितने एरिया को आप कवर करने जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में उन्हें लिख कर भेज देना।

[अनुवाद]

ये विशिष्ट प्रश्न है। आप इसे लिखित रूप में भी भेज सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरचन्द सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने बताया है कि जंगलात की जमीन कोआपरेटिव सोसायटियों को दी जाती है। क्या हरियाणा में जो हरिजन कोआपरेटिव सोसायटियां बनी है, उनमें किसी को जमीन दी गई है?

कर्नल राव राम सिंह : जंगलात की जमीन कोआपरेटिव सोसायटियों को हमारा डिपार्टमेंट एलॉट नहीं कर रहा है, चाहे वह हरिजन सोसायटी हो या नॉन हरिजन सोसायटी हो। फॉरेस्ट ऐक्ट के तहत जो लैंड है, उसको एलॉट करने के लिए पूरा कानून बदली करना पड़ता है।

[अनुवाद]

श्री एम. कृष्ण स्वामी : माननीय मंत्री ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत तमिलनाडु में कोई समिति नहीं है और तमिलनाडु सहकारी सोसायटी अधिनियम समिति गठित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई है कि वह सहकारी सोसायटी अधिनियम में उपयुक्त संशोधन करे ताकि इस कार्यक्रम के अंतर्गत समितियों का गठन किया जा सके।

कर्नल राव राम सिंह : विभाग अपना कार्य कर रहा है। हम तमिलनाडु सरकार से सहकारी अधिनियमों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए अनुरोध करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे खेद है कि हमें अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन हम प्रयास करते रहेगें। इसी दौरान एस आई डी ए इस ओर ध्यान दे रही है क्योंकि वह इस परियोजना के लिए धन दे रही है। उनका कहना है कि 'यदि ऐसा नहीं होगा तो वे अन्य राज्यों को धन दे देगें'। मैं तमिलनाडु के सदस्यों से अपील करता हूं कि वे इस अधिनियम में संशोधन कराएं अन्यथा इसके उद्देश्य हेतु निर्धारित धन अन्य राज्यों को दे दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश को इस योजना में शामिल नहीं किया गया है। क्या आप मध्य प्रदेश को इस योजना में शामिल करेंगे? दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि इन 6 राज्यों में 3896 हैक्टेयर जमीन इस योजना के अंतर्गत ली गई है जबकि मध्य प्रदेश के केवल एक जिले राजगढ़ में लगभग हजार एकड़ जमीन वेस्टलैंड है। क्या मध्य प्रदेश को इस योजना में शामिल करेंगे और विशेषकर राजगढ़।

[अनुवाद]

कर्नल राव राम सिंह : महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बंजर भूमि काफी मात्रा में है इसलिए जब भी कहीं से धन प्राप्त होगा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को इस कार्यक्रम में शामिल कर लिया जाएगा।

श्री पीटर जी. मखनिआंग : हमने देखा है कि प्रश्न 'ग' के उत्तर में छह राज्यों को प्रमुखतः सूचीबद्ध किया गया है। हम जानते है कि सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक क्षेत्रों की बंजर भूमि क्षेत्रों के रूप में पहचान की है जिसे राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड उपयोग में ला सकता है।

क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में राज्य सरकारों को इस योजना की प्रमुख विशेषताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि.............

[अनुवाद]

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस योजना की किसी भी सुविधा को पूर्वोत्तर राज्यों को न दिये जाने के क्या कारण है।

कर्नल राव राम सिंह : विभाग जिन बहुत सी योजनाओं को कार्यान्वित कर रहा है, यह केवल उनमें से एक है। हालांकि इस योजना में पूर्वोत्तर राज्यों को शामिल नहीं किया गया है तथापि

पूर्वोत्तर राज्यों में हमारे रबड़ उगाने तथा गैर परंपरागत चाय उगाने वाले क्षेत्रों में चाय उगाने के विशेष कार्यक्रम तथा अनेक चालू परियोजनायें हैं। अगर शिलांग या अन्यत्र कोई विशेष क्षेत्र है, जिसकी परती भूमि के विकास के लिए माननीय मंत्री महोदय प्रस्ताव पेश करना चाहें तो हम उसका स्वागत करेंगे और मैं आश्वासन देता हूं कि उस परियोजना को यथा शीघ्र शुरू किया जायेगा।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रम

+

*145. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

श्री रामेश्वर पाटीदार :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उन विभिन्न रूग्ण उपक्रमों को, जिनके मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लम्बित है, अर्थक्षम बनाए जाने संबंधी रिपोर्टों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या यदि इन उपक्रमों को समुचित सहायता दी जाये, तो उनमें सुधार की काफी गुंजाइश है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के रूग्ण उपक्रमों को औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन मंडल में पंजीकृत कर दिया गया है। औद्योगिक एवं वित्तीय बोर्ड मंडल ने इन पंजीकृत उपक्रमों के लिये पुनरूद्धार/पुनर्स्थापन संबंधी योजनाएं बनाने हेतु प्रचालन अभिकरण नियुक्त कर दिए हैं। इण्डियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि० तथा नेशनल बाइसाइकिल कॉरपो. ऑफ इण्डिया लि० के संबंध मे सरकार अपने विचारों से अवगत करा चुकी है। पुनरूद्धार की योजनाएं बनाते समय प्रचालन अभिकरण उद्यमों की संभाव्यता को ध्यान में रखता है।

[अनुवाद]

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : सरकारी क्षेत्र के ऐसे पचास उद्यम हैं, जिनके पुनर्गठन संबंधी मामले औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के पास लंबित पड़े है। उनमें से चार मेरे अपने राज्य, कर्नाटक में है, जिनके नाम हैं, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, विगनान इंडस्ट्रीज लिमिटेड, नेशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन लिमिटेड तथा माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड। यह स्पष्ट है कि औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड इन मामलों पर विचार करने में देरी कर रहा है जिससे और अधिक नुकसान हो रहा है और अंततः उद्योग बंद हो रहा है। इसके भंयकर परिणाम होंगे जैसे रोजगार में कमी और इन क्षेत्रों में सामाजिक असंतोष। अतः, मैं माननीय मंत्री महोदय से

इन पुनर्गठन संबंधी मामलों को निपटाने में बी आई एफ आर द्वारा किये गये विलम्ब और बी आई एफ आर के सामने आई बाधाओं के कारण जानना चाहता हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन मामलों को निपटाने के लिए औद्योगिक एवं वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड के पास पर्याप्त संख्या में सदस्य हैं या नहीं।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, बी आई एफ आर एक क्वासी जूडिशियल बोडी है। बी आई एफ आर के द्वारा बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिये जाते हैं। बी आई एफ आर के द्वारा रूग्णता के सभी कारणों पर विचार किया जाता है, चाहे वह पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स हो या कोई अन्य यूनिट हो। बी आई एफ आर द्वारा सभी संबंधित वित्तीय संस्थाओं, श्रमिकों और अन्य संबंधित पक्षों से वार्ता करने के बाद ही पैकेज तैयार किया जाता है। इसमें कुछ समय लगना तो स्वाभाविक ही है।

सिका एक्ट में पहले जो संशोधन हुआ था, वह 1985 में हुआ था। उसके बाद 1991 में जब परिभाषा में संशोधन किया गया तो पहली बार पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को इसकी परिधि में रखा गया। सिका संशोधन के बाद मात्र दो वर्ष पूर्व ही सैण्ट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के मामले को उन्हें प्रेषित किया गया। अब तक बी आई एफ आर ने 11 मामलों में अपना मंतव्य करीब–करीब कायम कर लिया है, 10 में वाइंडिंग अप के लिए और एक केस में रिवाइवल पैकेज को एप्रूव करने के लिए। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि विलम्ब क्यों होता है, यह तो मैंने उनको बताया है।

दूसरा प्रश्न यह है कि इसमें लास ऑफ एम्पलायमेंट होगा। इस लिए तब तक कोई भी यूनिट बंद नहीं किया जाता है, जब तक कि वहां काम चलता रहता है और श्रमिक काम करते रहते हैं। तीसरा प्रश्न यह है कि बॉटल नैक्स क्या है, सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि रूग्ण इकाईयों को जीवित करने की सरकार ने नीति बनाई है। यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में बी. आई. एफ. आर के द्वारा रिवाइवल प्लान्ट स्वीकृत होने के बाद सरकार पी. एस. यू. को रिवाइव करने की कार्यवाही करती है। जैसा कि मैंने कहा, इसमें सभी पक्षों की सुनवाई होती है और यह कन्सैंस के आधार पर होता है।

अध्यक्ष महोदय : मैडम, उन्होंने दो प्रश्न पूछे हैं, एक– क्या देरी होती है? अगर होती है, तो क्यों होती है? दूसरा–क्या इसमें मैम्बर की संख्या कम होती है?

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, एक्ट के अनुसार 14 मैम्बर का प्रावधान है और एक अध्यक्ष को मिला कर वर्तमान में 9 सदस्य हैं। इन्होंने कर्नाटक के बारे में जानना चाहा है, कर्नाटक में चार पब्लिक सैक्टर के यूनिट्स हैं। इन चार यूनिट्स में एक भारत कोल माइन्स की है और इसमें 43 करोड़ रूपए का नुकसान हुआ है। आठ हजार के ऊपर आदमी काम करते हैं। जहां तक बी. आई. एफ. आर. के स्टेटस की बात है, उन्होंने कहा है कि 52 केसेज को भेजा गया था, दो को रजिस्टर नहीं किया और 50 को किया। जब एन. टी. सी. को भेजा गया, तो सिकनैस

की परिभाषा के अनुसार स्वीकार नहीं किया गया । दूसरे इन्होंने मांडिया पेपर मिल्स के बारे में कहा है, तो उनको वाइंडिग–अप–नोटिस सर्व कर दिया गया है। भारत कोल माइन्स और विगमैन इंडस्ट्रियल लिमिटेड के लिए फाइल स्टेज पर इनकी एन्क्वायरी है। रिवाइवल पैकेज एक्सैप्ट करने के इनके आसार हैं और अंतिम निर्णय हो गया है।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : इस सम्बन्ध में मैं यह और कहना चाहता हूं कि वह विशेष प्रश्नों के विशेष उत्तर पहले ही दे चुकी हैं। लेकिन, सामान्य रूप से, मैं इस बात से सहमत हूं कि काम के बोझ और औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की उपलब्ध एजेंसी में तालमेल नहीं है। अब हम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की सदस्य संख्या को बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं ताकि और अधिक मामलों पर साथ–साथ विचार किया जा सके। यह अपेक्षाकृत अधिक जटिल मामला है। जब कोई उद्योग बीमार होता है, तो उसके बीमार होने के अनेक कारण होते हैं और उसे पुनः चलाना एक बहुत मुश्किल काम है। आप इसे आसानी से बन्द कर सकते हैं; लेकिन अगर आप बन्द करते हैं, तो उससे मानवीय समस्यायें उत्पन्न होंगी। अतः, इन सभी पहलुओं की अत्यधिक जांच–पड़ताल करनी पड़ती है और इसलिए इसमें समय लगता है। लेकिन जैसा कि मैनें अभी कहा, महोदय, हम औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड का विस्तार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि और अधिक काम किया जा सके। फिर अभी प्रत्येक मामले पर बड़ी सावधानी पूर्वक विचार करना होगा क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक समस्या से दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाये।

श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद : मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्निर्माण के लिए क्या सरकार ने किसी बजटीय प्रावधान तथा अन्य अतिरिक्त आदानों पर विचार किया है; यदि हां, तो अब कितना प्रावधान करने का विचार किया है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, विगत दो वर्षो में बजट से पब्लिक सैक्टर यूनिट्स को सहायता योजना और गैर योजना मद में दी गई है। यह बात दीगर है कि जो हमारे पास सीमित संसाधन हैं, उनके अनुरूप जो उनकी मांग होती है, उसको नहीं दे पाते हैं। 1992-93 में 5512 करोड़ रूपए, 1993-94 में 7,003 करोड़ रूपए और 1994-95 में 737.07 करोड़ रूप दिए गए। राष्ट्र के पास जो सीमित संसाधन हैं, उसको ध्यान में रखते हुए, जो उनको अपेक्षा है, उसको नहीं दे पाते हैं, लेकिन उदारीकरण की नीति के तहत औद्योगीकरण को प्रोत्साहन दिया जाता है, फिर भी पब्लिक सैक्टर यूनिट्स के द्वारा महत्वपूर्ण और सृजनात्मक भूमिका जिनके द्वारा निभायी जाती है। उनको हम जरूर मदद देते हैं और कमर्शियल वायबिलिटी कम्पीटीटिवनेस में उनको लाना चाहते हैं। इसलिये स्पून फिडिंग नहीं करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं ताकि वे ग्लोबल कम्पीटीशन में आ सकें। इन्होंने दूसरे इनपूट्स की बात की है तो दूसरे इनपूट्स में हम उनको URS के अंतर्गत राशि उपलब्ध कराते हैं और वर्षवार उनको राशि उपलब्ध कराई है।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, यही तो हमारी नीति है कि हम उनको पूर्ण अटोनोमी देना चाहते हैं और इसी नीति के तहत हम लोगों ने रिजर्व बैंक से स्टडी कराया था कि कौन–कौन से कारण है जिनके कारण हम सिक यूनिट्स को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि रूग्णता को तो कोई रोक नहीं सकता हैं लेकिन व्यवस्था में सुधार के लिए प्रबंध किया जाता है। इसके लिए सरकार सचेष्ट है और समय–समय पर इंटरेक्शन कर रही है। राज्य सरकारों के साथ भी जो बोटननेक्स है उसको हटाया जाता है और जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है तो एक–एक पब्लिक सैक्टर के बारे में वेरीफिकेशंस आएंगे तब हम उनको अलग से बता सकते हैं।.........(**व्यवधान**)......

[अनुवाद]

श्री सुधीर सावन्त : महोदय, यह एक आम धारणा है कि सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के असफल रहने का मुख्य कारण इसके प्रबन्ध में खामियों का होना है प्रबन्ध में खामियां स्वयं में प्रबन्धन की क्षमता के कारण नहीं बल्कि अत्यधिक नियंत्रणों के कारण हैं, जो, प्रबन्धन के दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए असगंत हैं। उदाहरण के लिए पहली बार सीमेन्ट कॉरपोरेशन आफ इंडिया ने संचलनात्मक लाभ दिखाया। वर्ष 1992 में यह सबसे अधिक नुकसान कमाने वाली दस कंपनियों में से एक थी। लेकिन गत वर्ष दक्षिणी राज्यों में विद्युत की आपूर्ति नहीं की गई है। अतः, वहां विद्युत नहीं मिली। प्रबन्धन ने डी. जी. सेटों की मांग की। लेकिन इसकी अनुमति नहीं दी गई उसका परिणाम यह हुआ कि अब सीमेन्ट कॉरपोरेशन आफ इंडिया की छह इकाइयों की बिक्री का प्रस्ताव आया है।

मेरा यह निवेदन है और दावा भी कि अगर निजी क्षेत्र को उपलब्ध सभी प्रबन्ध उपकरण सरकारी क्षेत्र को भी दिये जाये और वे वैसी ही परिस्थितियों में संचालित हों तो वे अत्यधिक हो सकते हैं।

अतः, उदारीकृत अर्थव्यवस्था की वर्तमान परिस्थितियों के अन्तर्गत सभी सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबन्धकों को आवश्यक स्वायत्तता देना सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री शरद दिघे : अध्यक्ष महोदय, विलम्ब के बारे में मुख्य समस्या, निस्संदेह, अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई है। एक अन्य समस्या यह है कि अनेक माननीय सदस्य सभा की कार्यवाहियों तक में भाग नहीं लेते हैं। अतः विलम्ब होता है। उदाहरणार्थ, बम्बई से नेशनल बाइसिकॅल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड से सम्बन्धित मामला अनेक महीनों से बल्कि मैं कहूंगा कि वर्षों से लम्बित है। जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि इस नेशनल बाइसिकॅल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बारे में सरकार के विचार सम्प्रेषित कर दिए गए है, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या नेशनल बाइसिकॅल कॉरपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड के मामले में कार्यरत एजेंसी ने कोई पुनरूद्वार अथवा पुनर्वास योजनाओं की सिफारिश की है। दूसरे, सरकार के कौन से विचार हैं जो इस विशेष मामले में सम्प्रेषित किए गए है।

अध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास सूचना है तो दीजिए। अन्यथा, आप इसे लिखित में भेज सकते हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : मुझे केवल एक सूचना मिली है जिसे मैं माननीय सदस्य को देना चाहूंगा। नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में उसे बन्द करने के आदेश संबंधित तन्त्र को जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

श्री सूर्य नारायण यादव : अध्यक्ष महोदय, बिहार औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ राज्य है और भारत सरकार ने उसको पिछड़ा हुआ राज्य घोषित भी किया हुआ है। हमारे यहां जूट मिल कटिहार और अशोक पेपर मिल समस्तीपुर पिछले 10 वर्षों से रून्न अवस्था में हैं। क्या मंत्री महोदय इन मिलों को पुनः चलवाने की व्यवस्था करेंगे? इसी तरह से एचईसी रांची अभी रूग्ण तो नहीं हुई है, लेकिन रून्न होने की स्थिति में आ गई है। मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या एचईसी को वित्तीय सहायता प्रदान कर उसको इस स्थिति से उबारने की व्यवस्था की जाएगी, ताकि राज्य के लोगों का भला हो सके।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, जहां तक अशोक पेपर मिल आदि की बात की गई है तो उनके बारे में तो मुख्य मंत्री लालू यादव ही कुछ कर सकते हैं। जहां तक एचईसी का सवाल है, तो इसके बारे में इन्कवारी चल रही है और हम लोग सचेष्ट हैं कि एचईसी रूगन न होने पाए। इस बारे में हमारे निरंतर प्रयास चल रहे हैं और जहां तक संभव होगा, एचईसी को इस स्थिति से उबारने की चेष्टा की जाएगी।

डा० के. वी. आर. चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सरकारी क्षेत्र की अधिकांश इकाईयों भारी घाटे में चल रही हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इन इकाइयों को औद्योगिक और वित्तीय पुननिर्माण बोर्ड को सोंपने से पहले इनमें हो रही हानि की रोकथाम के लिए कोई कदम उठा रही है। यदि हां, तो बेराजगारी तथा अन्य संबंधित समस्याओं के बारे में क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या आप कोई निवारक कार्यवाही कर रहे हैं?

श्रीमती कृष्णा साही : हम कर रहे हैं?

श्री पी. वी. नरसिम्हा राव : मैं सभा को अनेक बार विनती कर चुका हूं कि जब भी रूग्णता का पहला संकेत दिखाई देता हैं तो इसके बाद हमें रूग्णता का निवारण करना होता है। लेकिन, यह बात कहना आसान है। लेकिन सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र की सभी इकाइयों के कार्यकरण की निगरानी करना और रूग्णता के प्रथम संकेत पर उन्हें बचाने में समर्थ होना आसान काम नहीं है। यह भी एक जटिल मामला है। हम प्रक्रिया को यथासम्भव कारगर बनाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन मैं यह नही कह सकता कि इस मामले में हम पूर्णतय सफल रहे हैं। हम कोशिश जारी रखेंगे। यही सरकार की नीति है जिसकी घोषणा अनेक बार की गई है। इकाइयों के रून्न होने के बाद इन्हें अपने अधिकार में लेते समय, क्योंकि इन्हें अधिकार में लेना होता है और पुनः इनकी स्थिति सुधारनी होती है या इन्हें बन्द करना होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य रूग्णता का निवारण करना है। इसलिए, यह कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया जा रहा है और मैं आशा करता हूं कि आगामी वर्षों में हम इससे बड़ी सफलता प्राप्त करने में सफल होंगे।

श्री अंकुशराव टोपे : अध्यक्ष महोदय, औद्योगिक, वित्त और पुनर्निर्माण बोर्ड को सौंपने का प्रश्न केवल सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र की इकाइयों के मामले में लागू होता है। सरकारी औरक गैर सरकारी क्षेत्र की रूग्ण इकाइयां औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अन्तर्गत आती है लेकिन केवल वे रूग्न इकाइयां जो सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं, छोड़ दी गई हैं। अतः प्रधानमंत्री जी मैं, आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा कि जो रूग्न इकाइयां सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आती है, क्या उन्हें औद्योगिक, और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत भी लाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा साही : कुल 20 यूनिट्स रूग्न हैं, जो इस क्षेत्र में नहीं आते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या को–आपरेटिव भी बी. आई. एफ. आर. के प्रवियू में आती है?

श्रीमती कृष्णा साही : वह नहीं आती है।

श्री नाथूराम मिर्धा : राजस्थान में भी एक कम्पनी इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड है जिसकी दो–दो शाखायें कोटा और जयपुर में हैं। इसके बनाये हुए उपकरण डिफेंस और टेलीकम्यूनिकेशन विभाग में प्रयोग होते हैं। यह कम्पनी भी घाटे में जा रही है। अगर विभाग इसके उपकरण खरीदें तो इस कम्पनी को बचाया जा सकता है। इस सम्बन्ध में आपकी क्या योजना है?

अध्यक्ष महोदय : लिखित में भेज देना।

श्रीमती कृष्णा साही : ठीक है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

प्रशासनिक सुधार

***141. श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : क्या प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सुधार तथा उदारीकरण में प्रक्रिया में मदद हेतु आवश्यक प्रशासनिक सुधार नहीं किए गए हैं; और

(ख) केन्द्र और राज्य सरकार स्तर पर प्रशासनिक सुधार लाने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) जी, नहीं। आवश्यक कदम पहले ही उठा लिये गये हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक एकक

[हिन्दी]

***142. श्री नीतीश कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक एककों का आधुनिकीकरण करने और इन्हें लाभोन्मुखी बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रत्येक एकक ने प्रतिवर्ष कितना लाभ अर्जित किया और कितनी हानि उठाई;

(घ) प्रत्येक एकक में कुल कितना पूंजी निवेश किया गया; और

(ड़) इन एककों के आधुनिकीकरण के लिए कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) से (ड़) : सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों की मुख्य आधुनिकीकरण योजनाओं तथा उनकी अनुमानित लागत के ब्यौरे संलग्न विवरण दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : सार्वजनिक क्षेत्र की उर्वरक कम्पनियों की प्रदत्त पूंजी तथा लाभ/हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं : (रू० करोड़)

क्रमांक	कम्पनी का नाम	31.3.94 को प्रदत्त पूंजी	लाभ (+) 1991-92	हानि (-) 1992-93	1993-94 (अंतिम)
1.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०	490.57	(+) 83.61	(+) 111.47	(+) 389.1
2.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	551.69	(+) 18.78	(-) 26.58*	(+) 31.2
3.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	346.77	(+) 29.00	(+) 2.85	(+) 12.4
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०	104.99	(+) 16.36	(+) 12.13	(-) 58.4
5.	पारादीप फास्फेट्स लि०	327.65	(+) 13.12	(-) 80.94	(+) 47.3
6.	पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	74.67	(+) 0.24	(-) 8.29	(-) 15.5
7.	फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	641.39	(-) 225.41	(-) 225.98	(-) 268.8
8.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि०	689.76	(-) 330.53	(-) 349.44	(-) 372.9

* इस स्थिति में परिवर्तन होगा क्योंकि भारत सरकार कुवैती दीनार ऋण पर विनिमय दर के उतार–चढ़ाव के कारण होने वाली 150.18 करोड़ रूपए तक की हानि के लिए कम्पनी को क्षतिपूर्ति करने के लिए सहमत हो गयी है।

विवरण

क्रमांक	कंपनी का नाम		सरकार द्वारा अनुमोदित आधुनिकीकरण/ पुनरूद्वार प्रस्ताव	अनुमानित लागत (रू० करोड़)
1.	मैसर्स नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	(i)	भटिंडा और पानीपत में कन्वर्टर रेट्रोफिट	7.83
		(ii)	पानीपत में यूरिया रिएक्टर	10.75
2.	मैसर्स राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि०	(i)	ट्राम्बे में पर्ग गैस और ओरगेन रिकवरी	45.00
		(ii)	थल अमोनिया संयंत्र के लिए ऊर्जा बचत योजना	19.85
		(iii)	थल अमोनिया रेट्रोफिट परियोजना	317.00
3.	मैसर्स फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लि.	(i)	अमोनिया रेट्रोफिट स्कीम (कोचीन)	12.15
		(ii)	अमोनिया प्रतिस्थापन परियोजना	618.43
4.	मैसर्स मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.		मनाली (मद्रास) स्थित संयंत्रों का पुनरूद्वार	487.47

विकास निधि

***143. श्री सत्य नारायण जाटिया :**

श्री राम पाल सिंह :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने प्रधान मंत्री की घोषणा के अनुसार 1994-95 के दौरान संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अतंर्गत प्रत्येक राज्य को धनराशि आवंटित की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और यह धनराशि कब तक उपलब्ध कराई जायेगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में यह व्यवस्था है कि प्रत्येक संसद सदस्य प्रत्येक वर्ष अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में किए जाने वाले 1.00 करोड़ रूपये की लागत तक के कार्यो का जिला कलेक्टर को सुझाव दे सकता है जिसमें से किसी भी कार्य की लागत 10 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। एक बार संसद सदस्यों द्वारा कार्यों के चयन की कार्यवाही पूरी हो जाने के बाद उन पर योजना की मार्गदर्शिकाओं

के आलोक में विचार किया जायेगा और जिले की अलग–अलग योजनाओं तथा जिले में चल रही केन्द्रीय प्रायोजित तथा केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं में शामिल किया जायेगा। कलेक्टर भी अपने राज्य के योजना विभाग की मार्फत विभिन्न एजेंसियों/विभागों में बाटें गए कार्यों और संबंधित लेखा शीर्षों के अंतर्गत किए गए खर्च के ब्यौरे भारत सरकार को सूचित करेगा। इस मंत्रालय ने इस योजना के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट करते हुए राज्यों को बार–बार लिखा है और उनसे इस योजना को कार्यान्वित करने का अनुरोध किया है।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों पर खर्च को जिला योजना से संबंधित कार्यक्रम लेखा शीर्षों और जिला स्तर पर चल रही केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं से पूरा किया जायेगा। सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना में किसी अलग आवंटन अथवा प्रत्येक संसद सदस्य के हिसाब से 1.00 करोड़ रूपये की निधियों के आवंटन की कोई व्यवस्था नहीं है।

चूंकि यह योजना वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व फरवरी, 1994 में ही शुरू की गई थी इसलिए 1993-94 में प्रति संसद सदस्य 5 लाख रूपये की राशि रिलीज की गई थी ताकि योजना को जिला योजनाओं और जिला स्तर पर चल रहे केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय क्षेत्र के कार्यक्रमों के दायरे में तत्काल शुरू किया जा सके।

1994-95 के बजट में इस योजना के लिए कोई अलग आवंटन नहीं किया गया है। इसलिए चालू वर्ष में अलग से कोई निधियों रिलीज नहीं की गई है। योजना के अंतर्गत खर्च को जिला योजना में आने वाले अलग–अलग कार्यक्रम शीर्षों और जिला स्तर पर चल रही केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय योजनाओं में से पूरा किया जाना है। जहां तक ग्रामीण विकास मंत्रालय की केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों का संबंध है, 1994-95 के लिए 7010 करोड़ रूपये के योजना बजट प्रावधान में से राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 2568 करोड़ रूपये पहले ही रिलीज किए जा चुके हैं। जिसमें से अधिकांश राशि इन कार्यक्रमों की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार विभिन्न विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए जिले में उपलब्ध है।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास

***146. श्री अन्ना जोशी** : क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए विश्व–बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्था से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कुल कितनी वित्तीय सहायता मांगी गयी है; और

(घ) इस सहायता से विकास के कौन–कौन से कार्य आरंभ किये जायेंगे?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी हां।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी एस टी) तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग ने अपने कुछ कार्यक्रमों के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है।

(ख) से (घ) : विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने विश्व बैंक से सहायता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम तैयार किये है :

1. प्रायद्वीपीय शील्ड में भूकम्पीय यंत्रीकरण के उन्नयन तथा भू भौतिकी से सम्बद्ध अध्ययनों का प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के तहत निम्नलिखित के लिए योजना बनायी गयी है :

(i) भारत मौसम विभाग के राष्ट्रीय नेटवर्क की 20 मौजूदा भूकम्मी वेधशालाओं का उन्नयन।

(ii) कोयना–वारना, लातूर तथा सोन–नर्मदा लाइनमेन्ट के आस–पास 3 टेलीमीटर युक्त भूकम्मी क्लस्टरों की स्थापना।

(iii) 10 नए आंकिक (डिजिटल) भूकम्पीय वेधशालाओं की स्थापना।

(iv) पश्चात् झटकों की गतिविधियों की मानीटरिंग करने के लिए यंत्रों के एक मोबाइल क्लस्टर की स्थापना।

(v) नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय आंकडा केन्द्र तथा हैदराबाद एवं भोपाल में एक–एक क्षेत्रीय आंकडे केन्द्रो की स्थापना।

(vi) आंकडे/सूचनाओं के त्वरित प्रसारण के लिए उपयुक्त दूर–संचार सुविधाओं की व्यवस्था

(vii) विदेशी विशेषज्ञों के साथ मिलकर जन–शक्ति का विकास।

(viii) संपार्श्विक भू–भौतिकीय अध्ययनों का आयोजन।

प्रस्ताव को कई राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूहों की सिफारिशों तथा विचार–विमर्श के आधार पर तैयार किया गया है। विश्व बैंक ने करीब 8 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण देने का संकेत दिया है। आवर्ती/परिचालन संबंधी खर्चे भारत सरकार द्वारा पूरे किये जाने हैं। परियोजना की अवधि 3 वर्ष है।

2. इलैक्ट्रानिकी विभाग के पास विश्व बैंक से सहायता के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम है :– इलैक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटर में जन–शक्ति के विकास के लिए "इम्पैक्ट" नामक पायलट प्रोजैक्ट। इसका उद्देश्य इलैक्ट्रानिकी तथा कम्प्यूटरों के क्षेत्र में अंडरग्रेजुएट शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना है। इस परियोजना को संयुक्त रूप से विश्व बैंक (8 मिलियन अमरीकी डालर), स्विस डैवल्पमैंट कारपोरेशन (16.2 मिलियन अमरीकी डालर) तथा भारत सरकार (4 करोड़ रूपए) के द्वारा धन दिया गया है। इस परियोजना में 32 संस्थान भाग ले रहे हैं। इस परियोजना मे सिविल कार्यो पर अब तक 25 करोड़ रूपये खर्च किए जा चुके हैं जिसमें भारत सरकार का योगदान 4 करोड़ रूपये का है। इस परियोजना की 1994 की अंतिम तिमाही में मध्य अवधि समीक्षा की जानी है।

भोपाल गैस त्रासदी

***147. श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य :**

श्री हन्नान मोल्लाह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल में एम०आई०सी० रिसाव त्रासदी के संबंध में अन्तर्राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग की टिप्पणियों पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने एम०आई०सी० प्रभावित लोगों की आवश्यकताओं का आक्लन करने हेतु भोपाल गैस त्रासदी के संबंध में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् और अन्य संगठनों द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ों की समीक्षा करने हेतु कोई कदम उठाए हैं, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) और (ख) सरकार को आयोग से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) : भोपाल में चल रही परियोजनाओं के मूल्यांकन करने और भावी मार्गदर्शन के लिए मश्विरा देने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् (आई.सी.एम.आर.) ने एक पुनरीक्षण समिति गठित की है। पुनरीक्षा समिति ने निर्णय किया है कि पहले से एकत्र किए गए विस्तृत आंकड़ों का विश्लेषण किया जाना चाहिए और जो अनुसंधान परिणाम निकलेंगे उन पर भावी अध्ययनों के लिए विचार किया जा सकता है। इस बीच इसने निर्णय किया कि निम्नलिखित दो परियोजनाएं शुरू की जाएं :–

(i) सामुदायिक स्वास्थ्य चिकित्सालयों के माध्यम से विषैली गैस का स्वास्थ्य पर प्रभाव से संबंधित दीर्घकालिक एपिडेमिओलाजिक्ल अध्ययन दिसंबर, 1994 तक जारी रखा जाए ताकि अनुवर्ती कार्यवाही करने के 10 वर्ष पूरे हो जाएं और आंकड़ा–विश्लेषण के लिए एक वर्ष अर्थात् 1995 तक जारी रखा जाए।

(ii) दीर्घकालीन अनुवर्ती कार्रवाई के लिए जनसंख्या पर आधारित कैन्सर रजिस्ट्री परिषद की राष्ट्रीय कैन्सर रजिस्ट्री प्रोग्राम को स्थानान्तरित किए जाने की सम्भावना है।

कृषि क्षेत्र

***148. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : क्या **योजना और कार्यक्रम** कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में राज्यवार कितनी धनराशि का निवेश किया गया;

(ख) कुल निवेश का कितने प्रतिशत भाग इस क्षेत्र में निवेश किया गया है; और

(ग) सरकार ने कृषि क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1991-92 में चालू कीमतों पर कृषि सेक्टर में सकल पूंजी निर्माण 13338 करोड़ रूपये था और 1992-93 में बढ़कर यह 15633 करोड़ रूपये हो गया। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के पास केवल राष्ट्रीय स्तर की सूचना है क्योंकि राज्यवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) कुल सकल पूंजी निर्माण में कृषि सेक्टर का अंश 1991-92 और 1992-93 में क्रमशः 10.0 प्रतिशत और 9.9 प्रतिशत था।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एक महत्वपूर्ण परिवर्तन कृषि और सम्बद्ध सेक्टर में बागवानी, मत्स्य पालन, वर्षा सिंचित कृषि, लघु सिंचाई के लिए आधारभूत संरचना के सृजन, फसल के बाद प्रबंध आदि जैसे बल दिए जाने वाले क्षेत्रों की ओर करने का प्रस्ताव है। कृषि एवं सम्बद्ध गतिविधियों, ग्रामीण विकास, विशेष क्षेत्र कार्यक्रम और सिंचाई तथा बाढ नियत्रंण सहित कृषि एवं संबंधित सेक्टरों के लिए योजना परिव्यय 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः 15360.85 करोड़ रूपये और 18855.69 करोड़ रूपये था।

[हिन्दी]

गुजरात में बेरोजगारी

***149. श्री एन. जे. राव्वा** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों विशेष रूप से गुजरात में बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण करने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन के लिए धन आबंटित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) राज्य में रोजगार का स्तर राज्य में विकास की गति और पैटर्न पर निर्भर करता है। तथापि, गुजरात राज्य सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी की समस्या पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कई कदम उठाए गये हैं। गुजरात राज्य सहित देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार अवसरों में वृद्धि करने के लिए क्रियान्वित किए जा रहे तीन प्रमुख केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम है : जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी)। जेआईवाई और ईएएस दिहाड़ी रोजगार कार्यक्रम हैं जबकि आइ आर डी पी एक स्व–रोजगार कार्यक्रम है। देश के 120 पिछड़े जिलों में, जहां बेरोजगारी और अर्ध बेरोजगारी संकेन्द्रित थी, 1993-94 में सघन जेआईवाई अथवा जेआरवाई की दूसरी धारा आरम्भ की गई गुजरात के छह जिलों को जेआरवाई की दूसरी धारा के अंतर्गत शामिल किया गया है। रोजगार आश्वासन स्कीम देश के 261 जिलों में 1778 ब्लॉकों में कार्यान्वित की जा रही हैं, जिसमें से 97 ब्लॉक गुजरात में हैं।

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान देश में तथा विशेषतया गुजरात राज्य में जेआरवाई, ईएएस तथा आईआरडीपी के तहत आवंटित कुल निधियों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है :—

विवरण

(करोड़ रू०)

क्र.सं.	कार्यक्रम	1992-93		1993-94		1994-95	
		अखिल भारत	गुजरात	अखिल भारत	गुजरात	अखिल भारत	गुजरात
1.	आईआरडीपी	662.22	20.10	1093.43	30.90	1098.21	30.63
2.	जेआरवाई						
	प्रथम धारा	3169.05	96.12	3181.22	90.38	3498.72	99.47
	द्वितीय धारा	-	-	878.20	38.87	878.20	38.87
3.	ईएएस	-	-	548.77*	6.06*	1500.00	**

* जारी की गई

** ईएएस के तहत कोई राज्यवार आवंटन नहीं किया जाता। प्रारम्भ में राज्यों को कुछ निधियां संबंधित ब्लाकों के लिए जारी की जाती है और उपलब्ध निधियों के 50 प्रतिशत व्यय किए जाने के बाद जिलों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर बाकी की किस्ते जारी की जाती है (उपयोग न किया गया शेष और राज्य अंश सहित जारी की गई निधियां)

[अनुवाद]

मिग-विमानों की सर्विसिंग

***150. डा० रामकृष्ण कुसमारिया :**

डा० रमेश चन्द तोमर :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस ने "मिग" विमानों की सर्विसिंग के लिए संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसमे भारत की साम्य–भागीदारी का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसमें कुल कितनी धनराशि का निवेश किया जायेगा तथा यह उद्यम कब तक कार्य करने लगेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम

(आई सी आई सी आई) के सहयोग से कुछ रूसी संगठनों के साथ एक संयुक्त उद्यम गठित करने संबंधी करार पर 30 जून, 1994 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संयुक्त उद्यम के कार्य–कलापों में वैमानिक उपस्करों का भण्डारण एवं सेवाई, उनकी मरम्मत, उनमें संशोधन आदि शामिल है। यह कम्पनी भारत में स्थापित की जाएगी।

(ग) भारतीय साझेदारों के रूप में हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम की हिस्सेदारी 40 करोड़ रूपए की इक्विटी पूंजी में क्रमशः 48 प्रतिशत और 5 प्रतिशत होगी और शेष 47 प्रतिशत हिस्सेदारी रूसी संगठनों की होगी।

(घ) यह संयुक्त उद्यम शुरू में साझेदारों के पास पहले से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करके अपने कार्य–कलाप वैमानिक हिस्से–पुर्जो के भण्डारण और आपूर्ति करने तक ही सीमित रखेगा। अतः इस स्तर पर किसी प्रकार के पूंजी निवेश की बात नहीं सोची गई है। इस प्रकार यह संयुक्त उद्यम अपनी स्थापना के बाद शीघ्र अपना कार्य शुरू कर सकेगा।

नई औद्योगिक योजनाएं

***151. श्री फल चन्द वर्मा :**

श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू पंचवर्षीय योजना में राज्यवार, किन–किन नई औद्योगिक योजनाओं को शामिल किया गया है;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने इस योजना में नई औद्योगिक योजनाओं को शामिल करने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजे है;

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बीच इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है; और

(ड.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्तमान पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित नई स्कीमें शामिल की गई हैं :–

(1) विकास केन्द्र स्कीम (जी सी एस) प्रस्तावित विकास केन्द्रों की राज्यवार सूची संलग्न विवरण–I में दी गई है,

(2) निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क (ईपीआईपी) स्कीम नई स्कीम और कोई प्रस्ताव किसी राज्य के लिए अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है,

(3) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) वर्ष 1993-94 के दौरान जिन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को इस स्कीम से बैंको द्वारा ऋण स्वीकृत किया गया उनकी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या दर्शाने वाला संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

(4) एकीकृत आधारभूत संरचना विकास केन्द्र (आईआईडीसी) राज्यवार अनुमोदित आईआईडीसी संलग्न विवरण–III में दी गई हैं,

(5) हथकरघा विकास केन्द्र (एचडीसी) हथकरघा विकास केन्द्रों का राज्यवार संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

(ख) राज्य में नई औद्योगक स्कीमों को आरम्भ करने का दायित्व संबंधित, राज्य सरकार का है, ऐसी स्कीमों को राज्य सरकारें अपनी योजनाओं में शामिल करती हैं और इनके परिव्यय योजना आयोग में चर्चा के बाद निर्धारित किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण-I

राज्यों को आवंटित विकास केन्द्र

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकास केन्द्रों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	4
2.	अरूणाचल प्रदेश	1
3.	असम	3
4.	बिहार	6
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	3
7.	हरियाणा	2
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू व कश्मीर	2
10.	कर्नाटक	3
11.	केरल	2
12.	मध्य प्रदेश	6
13.	महाराष्ट्र	5
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	मिजोरम	1
17.	नागालैंड	1
18.	उड़ीसा	4
19.	पंजाब	2
20.	पांडिचेरी	1
21.	राजस्थान	5
22.	तामिलनाडु	3
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	8
25.	पश्चिम बंगाल	3
	जोड़	70

विवरण-II

उन शिक्षित बेरोजगार युवाओं की संख्या दर्शाने वाला विवरण जिन्हें वर्ष 1993-94 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृत किया गया।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	युवाओं की संख्या
आंध्र प्रदेश	3418
असम	818
बिहार	2015
दिल्ली	622
गोवा	86
गुजरात	527
हरियाणा	792
हिमाचल प्रदेश	201
जम्मू व कश्मीर	101
कर्नाटक	1943
केरल	1606
मध्य प्रदेश	2992
महाराष्ट्र	4850
मणिपुर	211
मिजोरम	15
उड़ीसा	842
पंजाब	1030
राजस्थान	1257
तमिलनाडु	2794
त्रिपुरा	124
उत्तर प्रदेश	3995
पश्चिम बंगाल	899
अंडमान व निकोबार	33
अरूणाचल प्रदेश	65
चंडीगढ़	81
दादरा व नगर हवेली	112
दमन व दीव	10
नागालैंड	39
लक्षद्वीप	0
मेघालय	157
पांडिचेरी	162
सिक्किम	0
जोड	31797

27

विवरण-III

अनुमोदित आई आई डी सी की राज्यवार सूची

	राज्य/जिलों का नाम	परियोजना लागत (लाख रू०)
1.	हरियाणा, सिरसा	390.00
2.	कर्नाटक, बेलगांव	505.58
3.	राजस्थान, जोधपुर	514.20
4.	गुजरात, जूनागढ़	500.00
5.	आंध्र प्रदेश – उदामालपुरम गांव नांडियालमंडल	328.18
6.	महाराष्ट्र – यवतमाल, घटौदी गांव पुसाद ताल्लुका	564.20
7.	जम्मू व कश्मीर उधमपुर	500.45
8.	केरल – काझाकुट्टम	502.09

विवरण - IV

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एच डी सी	क्यू डी यू
आंध्र प्रदेश	50	24
असम	45	-
हिमाचल प्रदेश	1	-
कर्नाटक	6	1
केरल	8	-
महाराष्ट्र	1	1
मध्य प्रदेश	5	-
मणिपुर	41	-
उड़ीसा	54	28
तमिलनाडु	30	6
पश्चिम बंगाल	55	8
बिहार	2	2
उत्तर प्रदेश	30	17
जोड़	387	87

औषध फार्मूलेशन

***152. श्रीमती गिरिजा देवी :**

श्री श्रीकांत जेना :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसे औषध–फार्मूलेशनों का प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हाल ही में कोई अध्ययन कराया गया है, जिन्हें अनुपयुक्त समझा गया है और जो विभिन्न देशों में तो प्रतिबन्धित हैं, किन्तु भारत में फिर भी बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उन औषध का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार का देश में इन औषधों का उत्पादन तथा विपणन रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) :

विवरण

(क) से (ग) : औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों पर जो औषध और सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन उच्च तकनीकी निकाय है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, समय–समय पर, विधि मंत्रालय के परामर्श से, उन सूत्रयोगों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है, जो प्रभावहीन या अनुपयुक्त समझे जाते हैं अथवा जहां औषध को देने से होने वाले लाभों से संभावित खतरा अधिक हो।

वर्तमान में जिन औषधों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि कुछ देशों में उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया है, उनमें से भारत में 11 औषधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये निम्नलिखित है :

1. नियालामाइड
2. प्रेक्टोलोल
3. सोडियम बोरेट (बोरेक्स)
4. डुगिनान, सोक्रोडिल आदि – हारमोन संबंधी गर्भ जांच विनिर्मितियां
5. एमिडोपायरिन
6. फेनासिटिन
7. मेथापायरिलेन
8. टेट्रासाइक्लिन तरल ओरल खुराक विनिर्मितियां
9. मोथाक्युलोन
10. प्रोपेनिडिड
11. मेथेनडियानान

मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था

***153. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने उदारीकरण के बाद मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में आयोजना–प्रक्रिया की भूमिका जानने के लिए कोई कार्य किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई व्यापक दस्तावेज तैयार किया गया है;

(ग) मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की आयोजना प्रक्रिया में इससे कितनी सहायता मिलेगी; और

(घ) यदि ऐसा कोई कार्य नहीं किया गया है; तो इसके क्या कारण है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में नये आर्थिक परिदृश्य के संदर्भ में योजना की भूमिका पर विचार किया गया है। योजना सामाजिक गरीबों और उत्पीड़ितों का ध्यान रखने के लिए आवश्यक है। योजना प्रक्रिया में बाहरी प्रदेशों के संसाधन प्रवाह का प्रबंधन करना ताकि प्रादेशिक असमानताओं को तेजी से दूर किया जा सके। आयोजना और विशेषतया सार्वजनिक सेक्टर निर्देश को वास्तविक अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण में प्रमुख भूमिका अदा करनी है। आठवीं योजना दस्तवोज में यह भी विनिर्दिष्ट किया गया है कि सार्वजनिक सेक्टर योजना को कार्यकलापों के क्वरेज में तथा निवेश करने में बहुत चयनात्मक बनना होगा।

(ग) और (घ) बाजार कार्यविधि को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार ने निजी निवेश, आयात, विदेशी पूंजी के प्रवाह का पर्याप्त उदारीकरण किया है; इसके अलावा सरकार ने आयात शुल्क कम किया है, निर्यात सब्सिडी को समाप्त किया है ताकि चालू लेन–देन के संबंध में रूपये की विनिमय दर का निर्धारण किया जा सके।

संसाधन जुटाना

***154. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**

श्री सनत कुमार मंडल :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने आठवीं योजना के प्रथम दो वर्षो में कुल संसाधन जुटाने में 6 प्रतिशत की कमी होने का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या संसाधन संबंधी विशेषज्ञ दल बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1992-94 के दौरान दो वार्षिक योजनाओं के लिए जुटाए गए संसाधन आठवीं पंचवर्षीय योजना

के लिए लक्ष्यित सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय का लगभग 34 प्रतिशत है। कुछ राज्यों ने इस अवधि में अपने अनुमोदित योजना परिव्ययों की तुलना में परिव्ययों में कमी को सूचित किया है। अन्य कारणों के अलावा संसाधनों में कमी के मुख्य कारण है – केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा बांडों की कम वसूली, राज्यों के चालू राजस्व से अतिशेष के प्रतिबद्ध स्तरों में कमी, राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों का कम अंशदान और छोटी बचतों के निवल संग्रहण में कमी होना।

(ग) और (घ) आठवीं योजना के लिए वित्तीय संसाधनों के मध्यावधि आंकलन के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित किया गया है। विचारणीय विषयों के अनुसार यह विशेषज्ञ दल आठवीं योजना के लिए संसाधन उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन करेगा।

छोटे और मध्य दर्जे के शहरों के समन्वित विकास कार्यक्रम के लिये विदेशी सहायता

[हिन्दी]

***155. श्री शंकर सिंह बाघेला** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओवरसीस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यू०के०) ने भारत के शहरी विकास प्रबंध कार्यक्रम को मदद देने हेतु वित्तीय सहायता देने की अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम के लिए गत तीन वर्षों के दौरान ओवरसीस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन तथा अन्य एजेंसियों ने कितनी सहायता दी है;

(घ) क्या इस सहायता का पूर्णतः उपयोग कर लिया गया है;

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (च) जी, हां। शहरी विकास प्रबंध कार्यक्रम के तहत वर्ष 1994-95 के प्रशिक्षण शुरू हुआ है तथा ओवरसीस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (इंग्लैड) ने अपने टेक्नीकल कोआपरेटिव फंड से प्रशिक्षार्थी प्रशिक्षण तथा प्रलेखन केन्द्रों की स्थापना के रूप में 2,77,774 पौंड (यू.के. करेंसी) की पेशकश की है। गत तीन वर्षो अर्थात् 1991-92 से 1993-94 के दौरान कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली।

[हिन्दी]

राज्यों का आर्थिक विकास

***156. डा० साक्षीजी** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान विभिन्न राज्यों द्वारा अपने आर्थिक विकास के लिए केन्द्रीय सरकार से कितनी वित्तीय सहायता की मांग की गई;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार का विचार इन राज्यों को कतिपय और सहायता प्रदान करने का है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सहायता राशि कब तक प्रदान कर दी जायेगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : राज्यों को राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा दिसंबर, 1991 में अनुमोदित फार्मूले के अनुसार उनकी वार्षिक योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता आवंटित की जाती है। राज्यों को आठवीं योजना के पहले तीन वर्षो 1992-93 से 1994-95 तक के लिए केन्द्रीय सहायता आबंटनों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

बजट से फार्मूला आधारित केन्द्रीय सहायता के अतिरिक्त राज्य योजना को विदेशीय सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए बजट से, मुक्त बाजार ऋणों, नौवें वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश के अनुसार बजट से योजना राजस्व घाटा अनुदान और एल आई सी, जी आई सी, आर ई सी जैसी वित्तीय संस्थाओं से समझौता ऋणों से अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के माध्यम से केन्द्रीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाती है।

आठवीं योजना के शेष दो वर्षो अर्थात् 1995-96 और 1996-97 के लिए सामान्य केन्द्रीय सहायता का आवंटन इन वर्षो के लिए वार्षिक योजना तैयार करने के समय मौजूदा फार्मूले के आधार पर निर्धारित किया जायेगा। केन्द्रीय सहायता की शेष मदें भी उपलब्ध रहेगी।

विवरण

केन्द्रीय (फार्मूला आधारित) सहायता के सकल आवंटन* 1992-93 तथा 1994-95

(करोड़ रू० में)

	राज्य	1992-93	1993-94	1994-95
(क)	**विशेष श्रेणी**			
	अरूणाचल प्रदेश	247.60	277.49	306.84
	असम	756.41	846.99	894.99
	हिमाचल प्रदेश	277.99	333.07	370.05
	जम्मू व कशमीर	730.64	790.44	835.83
	मणिपुर	193.70	207.70	238.87
	मेघालय	172.86	183.50	211.85
	मिजोरम	161.49	177.48	206.48
	नागालैंड	164.48	187.05	230.90
	सिक्किम	98.41	107.96	134.96
	त्रिपुरा	211.01	224.58	247.58
	जोड़ : क	3014.59	3336.26	3678.35

(ख) गैर-विशेष श्रेणी राज्य			
अरूणाचल प्रदेश	552.50 @	607.50	707.50
बिहार	776.31	870.31	957.31
गोवा	42.00@@	43.00	47.34
गुजरात	245.72	255.22	280.72
हरियाणा	121.37	158.37	188.37
कर्नाटक	265.34	280..34	308.15
केरल	324.33	369.28	384.28
मध्य प्रदेश	493.30	536.03	566.03
महाराष्ट्र	434.24	438.24	460.24
उड़ीसा	339.90	339.90	379.90
पंजाब	162.92	162.92	162.92
राजस्थान	385.76	396.51	438.51
तमिलनाडु	515.92	550.92	654.14
उत्तर प्रदेश	1142.71	1192.80	1292.80
पश्चिम बंगाल	425.72	463.54	490.01
जोड़ : ख	6228.04	6664.88	7318.22
जोड़ (क+ख)	9242.63	10001.14	10996.57

* विशेष समस्याओं के तहत शामिल करके।

@ 1991-92 का 23 करोड़ रू० का बकाया छोड़कर ।

@@ विधान सभा भवन के लिए एकमुश्त सहायता के रूप में 10 करोड़ रू० को छोड़कर।

योजना परिव्यय

***157. श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 में विभिन्न राज्यों के लिए योजना परिव्यय का वर्षवार प्रति व्यक्ति कितना अनुपात तय किया गया था;

(ख) क्या स्वीकृत योजना परिव्यय राज्यों में भिन्न–भिन्न है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसमें समानता लाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से

(ग) किसी राज्य का अनुमोदित योजना परिव्यय राज्यों के अपने निजी संसाधनों की प्रतिबद्धता तथा राज्य योजना हेतु केन्द्रीय सहायता को ध्यान में रखकर तय किया जाता है। वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान राज्यों के लिए प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण I संलग्न है। राज्यों की अपने निजी संसाधनों की प्रति व्यक्ति प्रतिबद्धता और वास्तविक/पूर्व वास्तविक/संशोधित और आंबटित प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता तथा इसी अवधि के लिए वास्तविक/पूर्व वास्तविक/संशोधित और आवंटित प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता दर्शाने वाली दूसरी सारणी विवरण II भी संलग्न है। राज्य योजना के वित्त पोषण के लिए राज्यों के निजी संसाधनों में विस्तृत भिन्नता के कारण प्रति व्यक्ति परिव्यय में कोई समानता नहीं हो सकती।

विवरण-I

वार्षिक योजना 1991-92 से 1993-94 प्रति व्यक्ति योजना परिव्यय

(आंकड़े रू० में)

क्र. सं.	राज्य	1991-92	1992-93	1993-94
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	209	244	267
2.	अरूणाचल प्रदेश	2638	2744	3169
3.	असम	354	416	435
4.	बिहार	257	248	253
5.	गोवा	1444	1271	1388
6.	गुजरात	421	443	496
7.	हरियाणा	458	489	531
8.	हिमाचल प्रदेश	778	916	1036
9.	जम्मू व कश्मीर	926	1031	1082
10.	कर्नाटक	333	417	648
11.	केरल	274	308	333
12.	मध्य प्रदेश	360	353	346
13.	महाराष्ट्र	314	390	460
14.	मणिपुर	1053	1108	1186
15.	मेघालय	1147	1317	1501
16.	मिजोरम	2181	2225	2493
17.	नागालैंड	1375	1467	1563

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	439	433	439
19.	पंजाब	491	725	595
20.	राजस्थान	263	309	367
21.	सिक्किम	2311	2594	2740
22.	तमिलनाडु	285	309	367
23.	त्रिपुरा	810	992	1066
24.	उत्तर प्रदेश	264	270	279
25.	पश्चिम बंगाल	216	215	219
	प्रयुक्त जनसंख्या अनुमान	1991	1992	1993

विवरण II

राज्य के प्रति व्यक्ति योजना संसाधन

क्रं.सं.	राज्य	1991-92			
		वार्षिक योजना		संशोधित अनुमान	
		एस ओ आर	सी एस	एस ओ आर	सी एस
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	44.79	198.86	87.20	247.36
2.	अरूणाचल प्रदेश	-367.30	2908.65	-87.23	3136.73
3.	असम	-281.81	415.87	-161.89	404.67
4.	बिहार	64.54	183.02	-28.28	163.27
5.	गोवा	681.42	589.42	789.00	561.92
6.	गुजरात	265.70	177.22	312.86	198.63
7.	हरियाणा	252.05	237.19	206.66	236.48
8.	हिमाचल प्रदेश	-503.07	746.74	-433.24	700.50
9.	जम्मू व कश्मीर	-832.86	1031.05	-213.50	1007.80
10.	कर्नाटक	229.94	186.79	261.18	178.89
11.	केरल	28.89	278.99	-20.66	271.56
12.	मध्य प्रदेश	173.64	179.18	116.63	171.65
13.	महाराष्ट्र	249.99	140.01	339.58	145.56
14.	मणिपुर	-332.24	1097.41	-657.30	1166.27

1	2	3	4	5	6
15.	मेघालय	-299.39	1188.68	-209.07	1055.24
16.	मिजोरम	-596.10	2200.13	-479.55	2369.54
17.	नागालैंड	-1366.43	1467.08	-1488.10	1640.99
18.	उड़ीसा	74.12	358.79	15.87	266.98
19.	पंजाब	-299.08	1023.61	42.81	445.40
20.	राजस्थान	81.44	227.56	91.50	227.43
21.	सिक्किम	-944.29	2568.39	-831.60	2567.68
22.	तमिलनाडु	52.20	257.02	105.47	236.28
23.	त्रिपुरा	-580.02	923.81	-593.49	843.79
24.	उत्तर प्रदेश	0.88	269.50	-21.17	232.12
25.	पश्चिम बंगाल	-20.93	236.40	-38.09	163.13

नोट : एस ओ (केवल लघु बचतें) को योजना संसाधनों में शामिल किया गया था तथा ऋणात्मक बी सी आर, एम सी आर, एस पी ई तथा एस पी के अंशदान को छोड़ दिया गया है।

(रूपयों में)

क्रं.सं.	राज्य	1992-93			
		वार्षिक योजना		संशोधित अनुमान	
		एस ओ आर	सी एस	एस ओ आर	सी एस
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	33.83	233.12	47.56	235.97
2.	अरूणाचल प्रदेश	-266.22	3155.73	335.19	3170.92
3.	असम	-50.04	485.34	-128.51	496.54
4.	बिहार	54.80	198.08	-83.41	196.10
5.	गोवा	877.04	511.85	673.12	507.43
6.	गुजरात	358.16	180.74	255.58	184.22
7.	हरियाणा	228.28	302.34	186.62	253.33
8.	हिमाचल प्रदेश	-339.09	849.86	-860.63	1361.39
9.	जम्मू व कश्मीर	-785.91	1082.01	-1586.84	1377.09
10.	कर्नाटक	458.38	189.83	369.73	258.03
11.	केरल	15.51	317.02	21.08	318.02

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	159.43	186.36	86.80	192.33
13.	महाराष्ट्र	313.16	147.18	319.62	177.30
14.	मणिपुर	-391.39	1169.47	-486.75	1494.07
15.	मेघालय	-294.34	1426.28	-273.40	1654.70
16.	मिजोरम	-304.04	2459.57	-967.11	2909.84
17.	नागालैंड	-564.29	1552.38	-1991.86	2279.84
18.	उड़ीसा	71.65	366.98	18.24	300.91
19.	पंजाब	-69.81	664.74	-157.03	666.48
20.	राजस्थान	123.57	243.75	94.32	250.18
21.	सिक्किम	-1115.07	2712.10	-981.28	2702.05
22.	तमिलनाडु	95.30	272.08	79.39	269.22
23.	त्रिपुरा	-564.76	991.13	-164.75	948.50
24.	उत्तर प्रदेश	-13.30	292.50	-71.79	260.50
25.	पश्चिम बंगाल	-13.65	232.35	-49.21	193.27

एस ओ आर – राज्यों के निजी संसाधन

सी एस – केन्द्रीय सहायता

क्रं.सं.	राज्य	1993-94			
		वार्षिक योजना		संशोधित अनुमान	
		एस ओ आर	सी एस	एस ओ आर	सी एस
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23.42	185.81	52.96	194.78
2.	अरूणाचल प्रदेश	-801.15	2787.39	-245.76	2719.27
3.	असम	-202.56	415.67	-155.95	353.19
4.	बिहार	86.35	171.18	-69.46	162.95
5.	गोवा	934.66	513.93	1305.61	434.32
6.	गुजरात	250.65	170.37	225.17	220.66
7.	हरियाणा	269.16	188.97	218.95	224.44
8.	हिमाचल प्रदेश	-308.36	692.56	-145.52	644.68
9.	जम्मू व कश्मीर	-422.25	925.81	-496.04	989.55

1	2	3	4	5	6
10.	कर्नाटक	171.09	161.71	207.14	144.35
11.	केरल	8.77	265.54	-46.33	248.33
12.	मध्य प्रदेश	187.77	172.52	138.37	182.51
13.	महाराष्ट्र	188.21	125.80	370.27	121.88
14.	मणिपुर	-271.04	1104.38	-232.20	1080.50
15.	मेघालय	-209.56	1153.52	-37.58	1081.88
16.	मिजोरम	32.70	2274.67	-274.08	2472.90
17.	नागालैंड	-711.62	1505.65	-1302.45	1521.93
18.	उड़ीसा	139.66	299.81	33.32	246.44
19.	पंजाब	-121.01	611.52	78.44	452.61
20.	राजस्थान	73.84	189.19	231.19	204.34
21.	सिक्किम	-610.95	2375.18	-335.77	2365.69
22.	तमिलनाडू	86.07	199.39	88.30	216.14
23.	त्रिपुरा	-648.70	775.74	-276.42	806.01
24.	उत्तर प्रदेश	-23.55	287.92	-32.59	221.04
25.	पश्चिम बंगाल	25.53	190.91	-27.12	155.05

एस ओ आर – राज्यों के निजी संसाधन

सी एस – केन्द्रीय सहायता

सरकारी क्षेत्र के लाभ में चल रहे उपक्रम

***158. श्री प्रभु दयाल कठेरिया** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कौन–कौन से उपक्रम इस समय लाभ कमा रहे हैं;

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान प्रत्येक उपक्रम ने कितना लाभ अर्जित किया;

(ग) क्या सरकार का विचार लाभ कमा रहे उद्यमों को गैर–सरकारी क्षेत्र को सौंपने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) केवल वर्ष 1992-93 तक की अवधि की जानकारी उपलब्ध है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष 1992-93 के दौरान केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के 131 उद्यमों ने 7346 करोड़ रूपये का लाभ अर्जित किया। प्रत्येक उद्यम के नाम तथा उनके निवल लाभ से

संबंधित ब्यौरा 23 फरवरी, 1994 को सभा–पटल पर रखे गए लोक उद्यम सर्वेक्षण 1992-93 के खंड I के विवरण संख्या 7क में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

भूमिहीन गरीबों को अतिरिक्त भूमि

***159. श्री प्रबीन डेका** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूमिहीन गरीबों हेतु निर्धारित काफी बड़े क्षेत्र में अतिरिक्त पड़ी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा किये जाने की समस्या की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कदम उठाए गए है;

(ग) क्या इन अतिक्रमणों के लिए उन अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित किया है जो इन जमीन को भूमिहीनों को वितरित करने हेतु के लिए जिम्मेदार थे; और

(घ) यदि हां, तो कितने अफसर दोषी पाये गये हैं और उनके खिलाफ सरकार द्वारा कार्रवाई की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) फालतू भूमि पर कब्जा करने के बारे में इस मंत्रालय को कोई विशिष्ट शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विदेशी निवेश

***160. श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने औद्योगिक विकास विभाग तथा अन्य संबंधित मंत्रालयों से देश में विदेशी धन/निवेश के प्रवाह संबंधी विभिन्न कानूनों और प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस संबंध में किसी समयबद्ध कार्ययोजना पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष मंजूर किए गए विदेशी निवेश प्रस्तावों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्यमंत्री (श्रीमती कृष्णा साही : (क) से (घ) जी, हां। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड ने अपनी 19 दिसम्बर, 1992 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी निवेश के लिए कार्य–विधियों को सुप्रवाही बनाने पर विचार किया था। यह निर्णय किया गया था कि औद्योगिक विकास विभाग भिन्न–भिन्न संबंधित सरकारी विभागों के साथ परामर्श करके अनुमोदन के बाद की औपचारिकताओं सहित कार्यविधियों और सरलीकरण की गुंजाइश के बारे में जनवरी, 1993 के पहले सप्ताह में बोर्ड को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

यह रिपोर्ट बोर्ड को जनवरी, 1993 में प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें राज्य स्तरीय विनियमों, अनुमतियों और कार्यविधियों सहित फार्मों को सरल बनाने और कार्यविधियों का सुप्रवाही बनाने के बारे में सुझाव दिये गए थे। रूकावटों को दूर करने के उद्देश्य से राज्य सरकारों और अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ पारस्परिक कार्रवाई एक सतत् प्रक्रिया है।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ध) विदेशी निवेश अनुमोदनों के ब्यौरे नीचे दिए गए है :

वर्ष	विदेशी निवेश अनुमोदनों की संख्या	अनुमोदनों में अंतर्ग्रस्त विदेशी निवेश (रू० करोड़ में)
1991	289	534.11
1992	692	3887.54
1993	785	8859.33
1994	439	2454.71

1993 से पहले विदेशी निवेश अनुमोदन के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे गये थे। जनवरी, 1993 से जून 1994 तक अनुमोदित प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे नीचे दिये गये है :

महाराष्ट्र	192
तमिलनाडु	130
बिहार	5
आंध्र प्रदेश	78
गुजरात	60
उत्तर प्रदेश	44
कर्नाटक	77
हरियाणा	61
दिल्ली	134
केरल	12
मध्य प्रदेश	24
दमन एवं दिव	5
राजस्थान	40
पश्चिम बंगाल	32
दादरा एवं नगर हवेली	4
पंजाब	14
उड़ीसा	14
गोवा	13
पांडिचेरी	9

चंडीगढ़	4
हिमाचल प्रदेश	5
अंडमान एवं निकोबार	1
असम	2
अन्य (जिन मामलों में आवेदक ने स्थापना स्थल का निर्णय नहीं किया है/नहीं बताया है)	264
कुल	1224

सेना के जवानों और नागरिकों के बीच झड़पें

1453. श्री सैयद शाहाबुददीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न भागों में एक ओर सेना के जवान तथा दूसरी उसी और पुलिसकर्मी और गैर सैनिक लोगों के बीच झड़पों की बढ़ती घटनाओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो 1993 तथा 1994 के दौरान 30 जून, 1994 तक की कुल ऐसी घटनाओं का संक्षिप्त विवरण क्या है और उनमें जान–माल की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या ऐसी प्रत्येक घटना की जांच सेना के अधिकारियों अथवा सेना तथा नागरिक अधिकरियों द्वारा संयुक्त रूप से की गई है, यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक जांच के क्या परिणाम निकले; और

(घ) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृति को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सेना कार्मिकों, पुलिस कर्मियों और/ या जनता के बीच 1993 और 1994 (30.6.94 तक) के दौरान हुए संघर्ष की घटनाओं के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इस विवरण में प्रत्येक मामले में की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। जिन मामलों में दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया था, उन्हें छोड़कर सभी मामलों में औपचारिक जांच अदालत गठित करने के आदेश दिए गए हैं। सेना कार्मिकों और पुलिस/जनता के बीच बड़ा संघर्ष होने की घटनाओं में सिविल प्राधिकारियों के सहयोग से संयुक्त रूप से जांच कार्य किया गया है। जहां आवश्यकता हुई वहां पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई है।

(घ) भविष्य में इस प्रकार के संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए तीनों सेनाध्यक्षों को मार्गनिर्देश दे दिए गए हैं। सेना प्राधिकारी भी सेना और पुलिस के कार्मिकों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध सुनिश्चित करने के लिए सिविल प्राधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखते हैं। जब भी कोई विवाद उठ खड़ा होता है, सेना प्राधिकारी सिविल प्राधिकारियों के सहयोग से समुचित सुधारात्मक उपाय भी करते हैं।

विवरण

सेना और सिविलियनों तथा पुलिस कार्मिकों के बीच हुई झड़पों का ब्यौरा

क्र. सं०	तारीख	झड़पों का संक्षिप्त विवरण	स्थान	प्रगति/की गई कार्रवाई	नुकसान	हताहत: मारे गए: सेना	हताहत: मारे गए: सिविलियन	हताहत: घायल हुए: सेना	हताहत: घायल हुए: सिविलियन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	20 फरवरी 93	आस–पास के संपति वाले सिविलियन पड़ोसियों के साथ हुई झड़प में तीन नॉन कमीशन अफसर शामिल थे। इस वजह से ये अफसर मामूली रूप से घायल हो गये।	कोल्लनकाडू	सिविल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।	–	–	–	एक एन सी.ओ.	–
2.	10 अप्रैल 93	एक अन्य रैंक जब अपने घर लौट रहा था तो उस पर दो सिविलियनों ने लोहे के पाइप से वार किया जिससे उसकी गर्दन पर गंभीर चोट आई।	नगरोटा	आपस में समझौता हो गया इसलिए मामला बंद कर दिया गया।	–	–	–	एक एन. सी.ओ.	–
3.	17 अप्रैल 93	कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने एक जे.सी.ओ पर हमला करके उसे पीट दिया जिससे उसके चेहरे पर चोट लग गई।	इंदौर	प्राथमिकी दर्ज की गई पुलिस मामले की जांच कर रही है।	–	–	–	एक जे. सी.ओ.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	25 अप्रैल 93	सिविलियनों ने एक अफसर, एक जे.सी.ओ. और 6 अन्य रैंकों पर हमला किया।	पाल्टा रेलवे स्टेशन	प्राथमिकी दर्ज की गई परंतु पुलिस ने मामला बंद कर दिया। सेना जांच अदालत का काम पूरा हो गया। अफसर को स्तके कृताकृत के लिए प्रताड़ित किया गया।	–	–	–	तीन अन्य रैंक	–
5.	30 अप्रैल 93	—	—	—	–	–	–	–	–
6.	2 मई 93	ट्रैफिक पुलिस द्वारा गाली और धमकी दिए जाने की वजह से उनके और सेना के चार अफसरों के बीच झगड़ा हो गया।	बम्बई	सेना जांच–अदालत द्वारा द्वारा किए गए जांच के आधार पर एक अफसर को प्रताड़ित किया गया और तीन अफसरों की भर्त्सना की गई। मामला बंद कर दिया गया।	–	–	–	–	–
7.	16 मई 93	स्कूटर की पिछली सीट पर बैठे अफसर पर एक सिविलियन ने पीछे से हमला कर दिया।	शिलॉंग	जांच अदालत की जांच पूरी हो गई है। इस जांच के आधार पर कोई भी सैन्य कार्मिक दोषी नहीं पाया गया।	–	–	–	एक	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है। यह मामला पुलिस के पास अभी भी लंबित पड़ा हुआ है।					
8.	27 मई 93	एक अफसर जो अपनी कार में यात्रा कर रहा था उस पर केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के जवानों ने हमला कर दिया।	गुवाहाटी	असम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से जाचं की गई। इस जांच के आधार पर केन्द्रीय आरक्षी पुलिस बल के तीन जवान दोषी पाए गए। इस संबंध में अभी और जानकारी प्राप्त की जानी है।	–	–	–	एक अधिकारी	–
9.	13 जून 93	एक अफसर पर राज्य परिवहन बस के संवाहक ने हमला किया।	अहमदनगर	सेना अफसर दोषी नहीं पाया गया इसलिए मामला बंद कर दिया गया।	–	–	–	–	–
10.	23 जून 93	लमडिंग रेलवे स्टेशन में सिविल पुलिस द्वारा हमला और दंगा किए जाने तथा अंधाधुंध गोलियां चलाए जाने से 2 सैन्य कार्मिकों की मृत्यु हो गई तथा एक जे.सी.ओ.	लमडिंग	(क) पीठासीन अधिकारी के असहयोग पूर्ण रवैये के कारण असम सरकार ने पहली संयुक्त जांच किए जाने के आदेशों	–	2 अन्य–रैंक		एक जे.सी.ओ.	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		और 2 अन्य रैंक घायल हो गए।		को अधिक्रमण कर दिया। (ख) अप्रैल 1994 में असम सरकार ने दूसरी संयुक्त जांच किए जाने के आदेश दे दिए हैं।					
11.	30 जुलाई 93	एक अफसर और रेलवे स्टाफ के बीच हुए झगड़े के कारण अफसर के सिर में चोट लग गई।	जम्मू	(क) जांच अदालत की कार्रवाई पूरी हो गई। (ख) अफसर के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई चल रही है। (ग) रेलवे प्राधिकारियों से दो दोषी रेलवे कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने के लिए अनुरोध किया गया।	कुछ कांच के शीशे टूट गए।	–	–	एक अफसर	–
12.	21 अगस्त 93	सिविल पुलिस ने दो सैन्य कार्मिकों (अन्य रैंको) की पिटाई की जिससे दोनों घायल हो गए।	वैलिंगटन नीलगिरि	नीलगिरि के क्लेक्टर ने जांच के आदेश दिए थे। इस संबंध में उनकी रिपोर्ट सचिव, लोक विभाग, तमिलनाडु को भेज दी गई है। तमिलनाडु सरकार द्वारा अभी इस रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है।	इससे पुलिस स्टेशन को कुछ हानि हुई।	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	26 अगस्त 93	सैन्य कार्मिकों द्वारा जबलपुर में मोदीवाड़ा बागड़ी क्षेत्र में आगजनी किए जाने से सिविलियन भीड़ ने जवाबी कार्रवाई के रूप में कमांडेट ग्रेनेडियर्स रेजिमेंटल सेंटर, जबलपुर के निवास स्थान को घेर लिया।	जबलपुर	जांच अदालत ने अपनी कार्रवाई पूरी कर ली है। इस कार्रवाई के आधार पर कोई भी सैन्य कार्मिक दोषी नहीं पाया गया। इसलिए यह मामला बंद कर दिया गया।	–	–	–	–	–
14.	28 अगस्त 93	परिवार सहित अपनी कार से यात्रा कर रहे एक सैन्य अफसर की पुलिस ने पिटाई की।	जम्मू	सेना जांच अदालत बिठाने के आदेश दिए गए थे। सिविल गवाहों के उपलब्ध न होने के कारण जांच का काम पूरा नहीं किया जा सका। अब यह जांच अदालत 11 जुलाई 1994 को बैठेगी।	–	–	–	–	–
15.	20 सितंबर	बहुजन समाजवादी दल के कुछ कार्यकर्त्ताओं इटारसी ने एक सैन्य अफसर की पिटाई कर दी। वे उस अफसर का पहचान पत्र, नकदी, सोने की चेन और एक सोने की अंगूठी भी छीन कर ले गए।		पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कर दी गई।	बहुजन समाजवादी दल के कार्य–कर्त्ताओं ने पहचान पत्र 5000 रू० सोने की चेन और सोने की अंगूठी छीन ली।	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	23 अक्तूबर 93	रामलीला प्रदर्शन के दौरान सेना के जवानों और पुलिस कार्मिकों के बीच झगड़ा हो गया।	अंबाला	यह झगड़ा मामूली किस्म का था जिसे पुलिस और सैन्य प्राधिकारियों ने आपस में सुलह करके सुलझा लिया।	–	–	–	–	–
17.	29 अक्तूबर 93	सेना के एक अधिकारी और दो सिविलियनों के बीच झगड़ा।	बंगलौर	दोनों पक्षों में समझौता हो गया। न्यायालय से पुष्टि की प्रतीक्षा की जा रही है। अधिकारी को चेतावनी दे दी गई है।	–	–	–	–	–
18.	29 नवंबर 93	सेना के एक जवान को सिविल पुलिस द्वारा उस समय गाली दी गई और बुरा व्यवहार किया गया जब वह यूनिट लाइन में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्ति को पकड़ने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले उस व्यक्ति को मुक्त कर दिया।	नागपुर	संयुक्त जांच के आदेश दे दिए गए है। सिविल सदस्य उपलब्ध न होने के कारण कोई प्रगति नहीं हुई है।	–	–	–	–	–
19.	12 दिसंबर 93	सेना के एक जवान पर चार अज्ञात हमलावरों ने हमला किया।	आगरा छावनी	हमलावरों की खोज न हो पाने के कारण मामले को अंतिम रूप नहीं दिया/जा सका है।	–	–	–	एक जवान	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20.	22 दिसंबर 93	संतरी ड्यूटी पर तैनात दो जवानों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया।	गोलकुंडा हैदराबाद	मामले को बंद करने के लिए पुलिस प्राधिकारियों से अनुरोध किया गया है।	–	–	दो जवान	–	–
21.	22 दिसंबर 93	दो अन्य रैंकों ने जब एक अधिकारी को सिविल पुलिस द्वारा धक्का देते हुए देखा तो उन्होने उस अफसर की सहायता करने का प्रयास किया। उनको धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया और उनके चोटें आई।	मेरठ	प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले की जांच की जा रही है।					
22.	16 जनवरी 94	सेना के एक जवान पर मिजोरम सशस्त्र सेना पुलिस के कार्मिक द्वारा प्रहार किया गया जिससे उसके सिर और बाजू में गंभीर चोटें आई।	वाइरेंगटे मिजोरम	(क) सेना के जवान को उसके दुर्व्यवहार के लिए बड़ी डांट–फटकार लगाई गई है। (ख) पुलिस कार्मिक के विरुद्ध की गई कार्रवाई ज्ञान नहीं है।	–	–	–	एक जवान	–
23.	22 जनवरी 94	एक अधिकारी पर मारूति कार में सवार अज्ञात सिविलियनों ने हमला किया जिससे उस अधिकारी को काफी चोटें आई।	सिलीगुडी	सेना जांच अदालत ने किसी भी सैन्य–कार्मिक को दोषी नहीं पया। प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है।		–	–	एक अधिकारी	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	23 जनवरी 94	सिविलियनों ने गलती से सेना के एक जवान को चोर समझकर उस पर हमला किया और उसकी पिटाई की।	अहमदाबाद	(क) पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई। (ख) सेना के जवान को उसकी गलती के लिए सजा दे दी गई है।		–	–	–एक जवान	–
25	2 फरवरी 94	सेना के एक जवान के दो बच्चों की हत्या होने पर शोर मचने से सेना और पुलिसकर्मियों के बीच दंगा हो गया जिसमें पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें आई	गोलकुंडा हैदराबाद	(क) संयुक्त जाचं अदालत की कार्रवाई पूरी हो गई है। (ख) सेना द्वारा जांच कार्रवाई की जा रही है।			सिविलियनों के कुछ मकान जल गए।	–	– कुछ पुलिस कर्मी
26.	5 फरवरी 94	एक जूनियर कमीशन अफसर पर सिविल पुलिस ने हमला किया जिससे उसे सिर में चोट लगी।	अहमदाबाद	प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है तथा मामले की जांच की जा रही है।		–	–	–	–
27.	6 मार्च 94	सेना कार्मिकों तथा रेलवे कर्मचारियों के बीच झगड़ा हुआ जिससे दो सेना जवानों को चोटें आई	धोरावड़ी पुणे	(क) सेना द्वारा जांच पूरी कर ली गई है। (ख) आगे की कार्रवाई जारी है।			एक जवान की पत्नी की सोने की चेन की हानि हुई	–	–एक एक जवान रेलवे कर्म–चारी
28.	12 मार्च 94	सेना कार्मिकों तथा सिविलियनों के बीच हाथापाई।	आबू रोड	मामले की जांच की जा रही है।		–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	14 मार्च 94	पुलिस, सेना के दो जवानों को एक भूतपूर्व हवलदार, जिसकी उनके साथ दुश्मनी थी, की शिकायत पर उनके परिवार क्वार्टरों से जबरन अपने साथ ले गई तथा उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज किया।	शिमला	हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री ने इस मामले की जाचं करवाने का वचन दिया है।	–	–	–	दो जवान	–
30.	27 मार्च 94	सेना के दो जवानों पर पुलिस कार्मिकों ने हमला किया जिससे उन्हें चोटें आईं।	बेलगांव	(क) सेना द्वारा जांच पूरी कर ली गई है। (ख) तीन अन्य रैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।	–	–	–	दो जवान	–
31.	27 मार्च 94	सेना के जवानों तथा पुलिसकर्मियों के बीच झगड़े के दौरान पुलिसवालों ने सेना के एक जवान पर हमला किया।	सिकंदराबाद	(क) सिंकदराबाद के मजिस्ट्रेट ने मामले को खारिज कर दिया है। (ख) सेना द्वारा जांच की जा रही है।					
32.	27 मार्च 94	सेना के एक जवान का सिविलियन कार्य-पालक अधिकारी के साथ झगड़ा हुआ। इस सिविलियन ने सेना जवानों द्वारा पिटाई किए जाने का आरोप लगाया है।	दिल्ली	मामले की जांच की जा रही है।	–	–	–	–	–
33.	27 मार्च 94	सेना के चार जवान सिविलियनों के साथ हुए झगड़े में शामिल थे। किसी को कोई चोट नहीं आई।	बालासोर	सेना द्वारा जांच की जा रही है।	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
34.	27 मार्च 94	एक अधिकारी की पुलिस कार्मिक द्वारा पिटाई की गई।	पोंटा साहिब	हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ बातचीत करने के बाद मामला बंद कर दिया गया।	–	–	–	एक अधिकारी	–
35.	1-2 अप्रैल 94	कुछ जवानों पर पुलिस के सिपाही को पीटे जाने का आरोप लगाया गया था।	बड़ौदा	सेना ने यह मामला पुलिस से अपने हाथ में ले लिया है। दोषी पाए गए एक जवान को कठोर कारावास दिया गया।	–	–	–	–	–
36.	01 अप्रैल 94	सेना तथा पुलिस कार्मिकों के बीच हाथापाई का आरोप।	नाहन	हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्री के साथ की गई बातचीत के बाद मामला बंद कर दिया गया।	–	--	–	–	–
37.	01 अप्रैल 94	सेना के एक जवान पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के एक कार्मिक द्वारा हमला किया गया।	वाराणसी	पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।	–	–	–	–	–
38.	3 अप्रैल 94	कुछ सिविलियन गुंडों ने सेना के एक अफसर पर हमला किया। अफसर के सिर में चोट आई तथा उसके हाथ की हड्डी टूट गई।	सिलीगुड़ी	मामले की जांच की जा रही है।	–	–	–	एक अफसर	–
39.	7 अप्रैल 94	सेना के एक जवान की रेलवे के कुछ टिकट निरीक्षकों ने पिटाई की।	मद्रास	(क) पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। (ख) सेना–जांच के आदेश दे दिए गए हैं।	जवान की जेब में से 3000 रू० निकाल लिए गए।	–	–	एक जवान	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40.	17 अप्रैल 94	एक पिकनिक के दौरान दो अफसरों का सिविलियनों तथा पुलिस कार्मिकों के साथ झगड़ा हुआ। पुलिस द्वारा एक अफसर की पिटाई किए जाने का आरोप है।	मनसर	(क) पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। (ख) सेना भी इस मामले की जांच कर रही है।	–	–	–	–	–
41.	24 अप्रैल 94	स्यालदा एक्सप्रेस में सेना कार्मिकों तथा सिविलियनों के बीच झगड़ा होने की सूचना मिली है। पांच सिविलियनों को रेलगाड़ी से बाहर फेंक देने का आरोप है। इनमें से दो की मृत्यु हो गई तथा तीन घायल हुए।	मुरादाबाद	न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।	–	–	दो सिवि–लियन	–	तीन सिवि–लियन
42.	3 मई 94	कुछ आक्रमणकारियों द्वारा चलाई गई गोलियो से एक गैर–कमीशन अफसर घायल हो गया। इस गैर–कमीशन अफसर की बाद में कमान अस्पताल लखनऊ में मृत्यु हो गई।	फतेहगढ़	स्टेशन मुख्यालय, फतेहगढ़ ने उप महानिदेशक पुलिस तथा सी आई डी की सहायता से एक अधिकारी को इस दुर्घटना की जांच का काम सौंप दिया है।	–	–	एक गैर कमीशन अफसर	–	–
43.	8 मई 94	एक गैर–कमीशन अफसर का रामकृष्ण पुरम में एक कपड़े की दुकान पर एक सिविलियन के साथ झगड़ा हुआ।	नई दिल्ली	(क) गैर कमीशन अफसर के विरुद्ध रामाकृष्ण पुरम पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई। (ख) जांच अदालत की कार्रवाई जारी है।	सिविलियन की दुकान को आग लगा दी गई	–	–	–	–
44.	9 मई 94	सेना के एक जवान से पुलिस कार्मिक ने दुर्व्यवहार किया तथा उसकी पिटाई की।	बरेली	संयुक्त रूप से जांच करने का अनुरोध किया गया है।	पुलिस ने पहचान पत्र 3000 रू० तथा हाथ की घड़ी ले ली।	–	–	एक जवान	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45.	17 मई 94	सैन्य कार्मिकों और सिविलियनों/पुलिस कार्मिकों के बीच झड़प हो गई थी।	हैदराबाद	सेना द्वारा जाचं संबंधी कार्रवाई पूरी हो चुकी है। एक अफसर, दो जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों तथा तेरह अन्य रैंकों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है।	–	–	–	दो जवान	दो पुलिस के सिपाही
46.	17 मई 94	विजयवाड़ा जा रही तमिलनाडु एक्सप्रेस में दो सैन्य कार्मिकों का रेलवे के एक कर्मचारी व तमिलनाडु पुलिस के सिपाही के साथ झगड़ा हो गया।	विजयवाड़ा	जाचं अदालत बिठाने का आदेश दे दिया गया है।	–	–	–	–	–
47.	18 मई 94	गोआ–निजामुद्दीन एक्सप्रेस में सैन्य कार्मिकों ने एक सिविलियनों और कुछ पुलिस कर्मियों की कथित रूप से पिटाई की।	बेलगाम	(क) प्राथमिकी दर्ज करा दी गई है। (ख) मामले की जांच की जा रही है।	–	–	–	–	–
48.	29 मई 94	दो अफसरों और तीन सिविलियनों के बीच मुठभेड़ हो गई। दंगाई सिविलियनों को पुलिस को सौंप दिया गया। प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई।	अहमदनगर	इस घटना से संबंधित परिस्थितियों की जांच के लिए एक जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए है।	–	–	–	–	–
49.	6 जून 94	मद्रास मेल में यात्रा करते समय बारह अन्य रैकों ने सिविलियनों के साथ हाथापाई की जिसमें चार अन्य रैंक घायल हो गए।	विशाखापत्तनम	स्टेशन हैडक्वार्टर (तदर्थ) विशाखापत्तनम द्वारा एक जांच अदालत बिठाने के आदेश दे दिए गए है।	भीड़ ने 12000 रूपये लूट लिए	–	–	चार अन्य रैंक	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50.	6 जून 94	दो अन्य रैंकों का दो सिविलियनों से झगड़ा हो गया जिसमें सैन्य कार्मिक घायल हो गए।	देहू रोड	प्राथमिकी दर्ज करा दी गई मामले की जाचं की जा रही है।	–	–	–	2 अन्य रैंक	–
51.	19 जून 94	पुणे में बापोड़ी पुलिस चौकी में उपद्रवियों ने एक पुलिस के सिपाही और दो होमगार्ड के जवानों पर हमला कर दिया। पुलिस प्राधिकारियों को संदेह था कि उपद्रवी सैन्य इंजीनियरी कालेज, पुणे से संबंधित थे। परंतु विस्तृत जांच के बाद सैन्य इंजीनियरी कालेज के प्राधिकारी ने उक्त घटना में उनके किसी भी अफसर का हाथ होने से इंकार कर दिया।	पुणे	इस संबंध में आगे जांच क[illegible]ई की जा रही है।	–	–	–	–	–
52.	24 जून 94	कुछ सिविलियनों ने सैन्य कार्मिकों के लिए आरक्षित डिब्बे मे बलपूर्वक घुसकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया और एक जूनियर कमीशन प्राप्त अफसर की पिटाई की।	सोनीपत रेलवे	जी आर पी एफ के कार्मिकों ने सिविलियनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करा दी।	–	–	–	–	–
53.	26 जून 94	सिनेमा हाल में लाइन में खड़े सैन्य कार्मिकों पर पंजाब पुलिस के एक सिपाही ने गोली चला दी जिसमें एक अन्य रैंक कार्मिक घायल हो गया।	पटियाला	पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करा दी गई।	–	–	–	–	–

न्यायालय भवन

1454. श्री राम कापसे : क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 के बजट में किये गये प्रावधान के अनुसार महाराष्ट्र में न्यायालय भवनों आदि के निर्माण पर होने वाले व्यय में अपने हिस्से की 50% धनराशि स्वीकृत नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेष धनराशि कब तक जारी कर दी जायेगी?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज भारद्वाज) : (क) से (ग) योजना आयोग ने, न्यायपालिका के लिए पूंजीगत प्रकृति की अवसंरचनात्मक सुविधाओं के उपबंध से संबंधित केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम के लिए, वर्ष 1993-94 के लिए 30 करोड़ रूपए की रकम आबंटित की है। यह रकम, योजना आयोग द्वारा अधिकथित मापदण्डों के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच वितरित की गई थी। योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित सूत्र के अनुसार महाराष्ट्र का अंश 193.8 लाख रूपये निकलता है जो महाराष्ट्र सरकार को मार्च, 1994 में ही दे दिया गया था।

[हिन्दी]

प्रति व्यक्ति उत्पादन

1455. श्री अमर पाल सिंह :

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :

डा० रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है;;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और हमारे देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन कुछ प्रमख देशों की तुलना में कितना है;

(ग) क्या हमारे देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजना बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट (डब्लू.डी.आर.) –1994 के अनुसार 1992 में भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद (जी.एन.पी.) कुल 132 देशों में 115 वें स्थान पर था।

(ख) देशों के प्रति व्यक्ति उत्पाद में भिन्नता के कारण ये हैं : प्राकृतिक संसाधनों की स्थायी निधियों में भिन्नताएं, भौतिक तथा सामाजिक आधारभूत संरचनाओं आदि का ऐतिहासिक विकास। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 1994 के अनुसार 1992 में कुछ देशों का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद नीचे दिया गया है।

	देश	अमेरिकी डालर में प्रति व्यक्ति जी०एन०पी०
1.	नेपाल	170
2.	बंगलादेश	220
3.	भारत	310
4.	पाकिस्तान	420
5.	चीन	470
6.	यूनाइटेड किंगडम	17790
7.	संयुक्त राज्य	23240
	विश्व	4280

(ग) और (घ) : सरकार की विकासोन्मुख नीतियों, आठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत निवेश तथा कार्यक्रमों से आगामी वर्षो के दौरान देश की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी।

जापान द्वारा पूंजी निवेश

1456. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में जापान द्वारा सीधा पूंजी निवेश कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) जापान ने गत तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष, क्षेत्रवार कितना पूंजी निवेश किया ;

(घ) क्या सरकार ने इस पूंजी निवेश को और बढ़ाने के लिए जापान सरकार के साथ कोई बातचीत की है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में जापान सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षो में से प्रत्येक वर्ष में जापानी कंपनियों के लिए अनुमोदित किए गए पूंजी निवेश के ब्यौरे निम्नलिखित हैं :–

वर्ष	राशि (रू. करोड़ में)
1991	52.71
1992	610.23
1993	257.43

ये अनुमोदन परिवहन, विद्युत उपकरण, रसायन, इंजीनियरिंग उद्योग/औद्योगिक मशीन, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और इलैक्ट्रोनिक उद्योग जैसे क्षेत्रों के लिए हैं।

वर्ष 1991-94 (जून तक) के दौरान जापानी कंपनियों से 988.19 करोड़ रू. के विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश का अनुमोदन किया गया है, जिससे जापान निवेशवार प्रथम पांच देशों में आ गया है। वार्षिक पूंजी निवेश के अनुमोदन संबंधी आंकड़ों पर आधारित निष्कर्ष सही नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी परियोजना अथवा आन्तरिक बाधा जैसे परिवर्तनीय कारकों को ध्यान में नहीं रखा जाता है।

(घ) और (ङ.) सहयोग के परस्पर क्षेत्रों में वृद्धि करने तथा भारत में अधिक जापानी पूंजी निवेश आकृष्ट करने की दृष्टि से दोनों देशों की सरकार और उद्योग के प्रतिनिधियों के बीच नियमित रूप से द्विपक्षीय वार्ताएं आयोजित की जाती हैं।

सुलभ शौचालयों का निर्माण

1457. श्री ललित उरांव : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान तथा जून 1994 तक वर्षवार और राज्यवार सुलभ शौचालयों के निर्माण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को दिए गए अनुदान/राशियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा उपयोग की गई धनराशियों की जांच किस प्रकार की गई हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) संघ सरकार कम लागत की सफाई इकाइयों के निर्माण हेतु किसी स्वैच्छिक संगठन जो कोई अनुदान/धनराशि नहीं देती है। सुलभ शौचालयों का निर्माण सुलभ इंटरनेशनल नामक एक गैर सरकार संगठन द्वारा किया जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हुडको से धन का आवंटन

1458. श्री हरि केवल प्रसाद : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार को ऐसे प्रस्ताव भेजे हैं जिनमें यह अनुरोध किया गया है कि चालू वर्ष के दौरान शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए हुडकों से धन आबंटित किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) हुडकों को राज्य आवास/शहरी विकास ऐजेंसियों से ऋण सहायता के लिए प्रस्ताव मिलते हैं। प्रत्येक राज्य के क्षेत्रफल और आबादी के आधार पर हुडको प्रत्येक श्रेणी के लिए वार्षिक ऋण नियतन करता है। चालू वर्ष अर्थात् 1994-95 के दौरान हुडकों द्वारा ई डब्ल्यू एस (ग्रामीण) के लिए 115.50 करोड़ रूपये और ई डब्ल्यू एस (शहरी) आवास स्कीमों के लिए 77 करोड़ रूपये की ऋण राशि तय की गई है। राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

ई डब्ल्यू एस आवास के लिए 1994-95 हेतु हडको का राज्यवार नियतन

	राज्य	ई डब्ल्यू एस (ग्रामीण)	ई डब्ल्यू एस (शहरी)
		(रूपये करोड़ों में)	
1	2	3	4
1.	अरूणाचल प्रदेश	0.08	0.05
2.	आंध्र प्रदेश	9.44	5.92
3.	असम	3.41	1.97
4.	बिहार	10.01	4.21
5.	गुजरात	6.00	5.80
6.	हरियाणा	1.92	1.23
7.	कर्नाटक	8.30	4.08
8.	केरल	2.64	2.58
9.	मध्य प्रदेश	12.74	6.08
10.	महाराष्ट्र	8.99	9.40
11.	मणिपुर	0.52	0.44
12.	मिजोरम	0.39	0.60
13.	मेघालय	0.53	0.27
14.	नागालैण्ड	0.39	0.25
15.	उड़ीसा	5.33	2.34
16.	पंजाब	2.21	1.86
17.	राजस्थान	9.32	4.90
18.	सिक्किम	0.04	0.02
19.	तमिलनाडु	5.64	7.41
20.	त्रिपुरा	0.42	0.26
21.	उत्तर प्रदेश	15.54	7.07
22.	पश्चिम बंगाल	6.10	5.07

1	2	3	4
23.	ए एण्ड एन द्वीपसमूह	0.17	0.02
24.	चण्डीगढ़	0.01	0.15
25.	दादरा व नगर हवेली	0.02	0.01
26.	दिल्ली	0.10	1.87
27.	गोवा, दमण व दीव	0.13	0.23
28.	लक्षद्वीप	0.00	0.01
29.	पाण्डिचेरी	0.03	0.16
30.	हिमाचल प्रदेश	1.45	0.23
31.	जम्मू एवं काश्मीर	4.63	0.73

"शहरों का मेगनेट टाउन्स" के रूप में विकास

1459. श्री भगवान शंकर रावत : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किन–किन शहरों को "मेगनेट टाउन्स" के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है;

(ख) शहरों के विकास के लिए तैयार की जाने वाली योजना का शहरवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान शहरवार कितनी धनराशि नियत की गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का संबंधित राज्यों के निम्नलिखित नगरों को "काउन्टर मैगनेट टाउन्स" के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है :–

i)	उत्तर प्रदेश	–	बरेली
ii)	राजस्थान	–	कोटा
iii)	मध्य प्रदेश	–	ग्वालियर
iv)	हरियाणा	–	हिसार
v)	पंजाब	–	पटियाला

(ख) बरेली, कोटा, ग्वालियर एवं पटियाला "काउन्टर मैगनेट टाउन्स" की विकास योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए है। हिसार की विकास योजना हरियाणा सरकार द्वारा नहीं बनायी गयी है।

(ग) वर्ष 1994-95 के लिए पांच काउन्टर मैगनेट टाउन्स (नगरों) के विकास के लिए 15 करोड़ रू. का अंतरिम प्रावधान किया गया है। तथापि, राशि का नगरवार नियतन प्रत्येक काउन्टर मैगनेट शहरों के वार्षिक योजना पर निर्भर करेगा।

विवरण

विकास कोष में से काउन्टर मैगनेट्स शहरों की विकास योजनाओं में वित्त पोषण हेतु प्रस्तावित स्कीमें।

बरेली काउन्टर मैगनेट

I परिवहन योजना

i) मास्टर प्लान रोड सं० 3 का निर्माण

ii) रेलवे पुल तक पहुंचने की सड़क

II आवास योजना

i) रिहायशी योजना सं० 1

ii) रिहायशी योजना सं० 2

III नगर केन्द्र विकास

i) केन्द्रीय सरकार कार्यालय–सह–रिहायशी

ii) औद्योगिक भूखण्ड और कार्य–सह–रिहायशी योजना, सलेह नगर, रामपुर रोड़

iii) रामपुर रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर

कोटा काउन्टर मैगनेट

I परिवहन

i) सड़कों का विकास/सुधार

(क) रंगबाड़ी रोड़

(ख) दादाबाड़ी लिंक रोड़

(ग) छतर बिलास टैंक लिंक रोड़

ii) ट्रक टर्मिनल का विकास

II रिहायशी योजनाएं

i) सुभाष चन्द्र बोस नगर

ii) आनन्दपुरा योजना

iii) रायपुर ग्राम के निकट की योजना

III संस्थागत एवं शैक्षिक परिसरों का विकास।

IV वाणिज्यिक योजनाएं

i) छोटा तालाब वाणिज्यिक योजना

ii) दादाबाड़ी जिला केन्द्र

iii) भवन निर्माण सामग्री बाजार

V रंगवाड़ी मंदिर के चारों और क्षेत्रीय पार्क का विकास

VI स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास

VII जल आपूर्ति में वृद्धि

VIII एकीकृत मल–जल व्यसन तथा जल निकास प्रणाली

IX कूड़ा करकट प्रबन्ध

X स्लम सुधार

ग्वालियर काउन्टर मैग्नेट

I महाराजपुरा शताब्दीपुरम फेज–II

II महलगांव सिटी सेन्टर (रिहायशी)

III सिटी सेन्टर में दुकानों–सह–रिहायशी ब्लाकों का निर्माण

IV i) मेजर सिटी लिंक्स का निर्माण

ii) बस स्टेण्ड काम्पू

V आनन्द नगर में शापिंग सेन्टर का विकास

VI i) मेला मैदान में 386 दुकानों का निर्माण

ii) बस स्टेण्ड काम्पू में दुकानों का निर्माण

VII पुरातत्व स्मारक के चारों ओर के क्षेत्र का विकास (मोहम्मद गौस का मकबरा)

VIII काउन्टर मैग्नेट ग्वालियर सिटी के विकास की योजना।

पटियाला काउन्टर मैग्नेट

I रिहायशी

i) केसरी फार्म यू. ई. फेज–III का विस्तार

ii) सेवा सिंह ठिकरीवाला की विकास योजना

iii) राजपुरा रोड़ पर निकटवर्ती हीराबाग।

iv) राजपुरा रोड़ पर हीराबाग के सामने

v) नाभा रोड़ पर रिहायशी सेक्टर

II औद्योगिक

i) 650 एकड़ क्षेत्र में सुविधाओं का संवर्धन/सुधार

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कथित जाली भुगतान

1460. श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी विकास** मंत्री दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कथित जाली भुगतान के बारे में 28 नवम्बर, 1991 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के उत्तर के संबध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या इस बीच अपेक्षित जानकारी एकत्र कर ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ग) यदि नही, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ख) सूचना के ब्यौरे और उन पर की गयी कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

ससंद सदस्यों से प्राप्त कुछ शिकायतों में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ठेकेदारों को बोगस भुगतान हुआ है।

तथाकथित बोगस भुगतान धोखाधड़ी ऊंची दरों पर कार्य अवार्ड पूर्वी जोन में आने वाली कालोनियों की सुविधाओं के अनुरक्षण पर भारी व्यय आदि के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर समुचित रूप से उच्च स्तरीय अधिकारियों दूसरा प्रारंभिक जांच करवा लिए जाने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार तकनीकी मामलों के लिए केन्द्रीय सर्तकता आयोग के मुख्य तकनीकी परीक्षक, मुख्य इंजीनियर (काटि नियत्रंण) डी.डी.ए. को और गैर–तकनीकी मामलों के लिए सी.बी.आई. को प्रारंभिक जांच सौंपी गई थी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सी.बी.आई. द्वारा निरीक्षण किए गए पूर्वी जोन के 14 कार्यो के संबंध में संबंधित कर्मचारियों को स्पष्टीकरण ज्ञापन जारी किए गए हैं। 6 रिपोर्टो में एक कार्यपालक इंजीनियर के संबंध में विस्तृत जांच कर ली गई है। और केन्द्रीय सर्तकता आयोग की सलाह के अनुसार उसे इन मामलों के संबंध में 28.1.94 को असाधारण दंड के लिए आरोप पत्र जारी किया गया है। इसी प्रकार दिल्ली विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर आए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के एक इंजीनियर की भूमिका की सी.टी.ए. की 6 रिपोर्टो के संबंध में भी जांच की गई है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग के परामर्श के अनुसार शहरी विकास मंत्रालय ने 6.4.1994 को उनके खिलाफ केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली 1972 के नियम 9 के तहत कार्यवाही शुरू कर दी है। दक्षिण क्षेत्र अर्थात् भीकाजीकामा भवन और ईस्ट ऑफ कैलाश में बहुमंजिले भवनों के निर्माण के संबंध में भी दो रिपोर्ट भी सी टी ई संगठन से प्राप्त हुई थी। ईस्ट आफ कैलाश में बहुमंजिले भवनों के निर्माण के संबंध में व्यापक जांच रिपोर्ट इस मामले को समाप्त करने के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग ने कार्यकरण में खामियों को दूर करने के

लिए कतिपय उपाय करने की सलाह दी थी। भीकाजीकामा प्लेस के निर्माण के संबंध में प्राथमिक जांच रिपोर्ट पूरी हो गयी है और दोषी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगने के लिए ज्ञापन जारी कर दिए गए हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के मुख्य अभियंता (गुणवत्ता नियंत्रण) से 35 मामलों में निर्माण कार्यो से संबंधित प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई थी। 35 मामलों में से 22 मामलों की जांच के लिए लिया गया है। एक मामले में दो कर्मचारियों के विरुद्ध गंभीर दंडात्मक कार्यवाही के लिए आरोप–पत्र जारी किए गए है और आठ कर्मचारियों को लिखित चेतावनी दी गई है। केन्द्रीय सर्तकता आयोग के परामर्श के अनुसार दो मामलों को समाप्त कर दिया गया है। पांच मामलों में केन्द्रीय सर्तकता आयोग को प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत जांच रिपोर्ट तैयार की गई है। एक मामले में दो अधिकारियों (एक अधीक्षक अभियंता और एक कार्यपालक अभियंता) को 19.11.1993 को निलंबित कर दिया गया है। ग्यारह मामलों में दोषी कर्मचारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया है। तीन मामलों में प्राथमिक जांच की जा रही है।

दो आरोप (I) बंसत कुंज में बगैर नींव के मकानों के निर्माण में शामिल होने के साक्ष्य को मिटाने के लिए वाहन की लोग बुक को नष्ट करने का आपराधिक मामला और (II) विदेशी बैंक में गुप्त खाता रखना, जांच के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपे गए थे। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट पर कार्यवाही कर ली है और उसे परामर्श के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग को वापस भेज दिया है।

आवास की कमी

1461. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में आवास की कमी का कोई सांख्यिकीय सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च 1993 तक की स्थिति दर्शाते हुए तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने कमी को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये हैं तथा इसके राज्यवार क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि भूमि और निर्माण सामग्री की लागत में असामान्य वृद्धि के कारण आवासीय एककों की लागत मध्यम वर्ग की वित्तीय पहुंच के बाहर हो रही है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार का विचार इस संबंध में निम्न तथा निर्धारित आय वर्ग के लोगों की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाने का है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) देश में मकानों की कमी का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा कोई सांख्यिकीय सर्वे नहीं किया गया है। तथापि, 1971 व 1981 के जनगणना आंकड़ों के आधार पर एल बी ओ 01.03.91 की स्थिति के अनुसार देश में 31 मिलियन मकानों की कमी होने का अनुमान लगाया है। जिसका राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) आवास राज्य–विषय होने के नाते, मकानों की कमी को दूर करने हेतु कदम उठाने का उत्तरदायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है।

राष्ट्रीय आवास नीति में विभिन्न उपाय निर्धारित किये गये हैं। जिन्हें मकानों के निर्माण में तेजी लाने के लिए केन्द्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर किये जाने की आवश्यकता होगी। इनमें निम्नलिखित शामिल है :

1. सार्वजनिक क्षेत्र की आवास एजेंसियों की भूमिका का सीधे निर्माता की अपेक्षा सुविधा प्रदायक के रूप में पुनः निर्धारण।

2. कानूनी तथा अन्य अड़चनों को समाप्त करना।

3. बढ़ी हुई बजटीय सहायता तथा हडको, राष्ट्रीय आवास बैंक, आवास वित्त संस्थाओं एस आई सी/जी आई सी आदि के जरिये संस्थागत वित्त की अग्रिम में वृद्धि।

4. आवास विकास क्रियाकलापों में प्राइवेट सेक्टर, सहकारी समितियों तथा गैर–सरकारी संगठनों को शामिल करना।

5. विकसित भूमि, अद्धसंरचनात्मक सेवाओं, सस्ती प्रौद्योगिकी और भवन निर्माण सामग्रियों आदि की सप्लाई में वृद्धि। ये नीति विषयक पहल हाल ही में की गई हैं तथा वास्तविक उपलब्धि के रूप में उनके प्रमाण का मूल्यांकन करना सामयिक नहीं है।

(घ) सामान्य स्फीतिकारी प्रवृति और सभी प्रकार की लागत वृद्धि के कारण मकानों की लागत में वृद्धि हुई है और मकान प्राप्त करने में मध्यम तथा निम्न आय वर्गों की क्षमता पर प्रभाव पड़ा है।

(ड.) निम्न आय वर्ग के लोगों की सहायता करने की दृष्टि से दोहरी आर्थिक सहायता के माध्यम से आवास वित्त उपलब्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त, आवास योजनाओं जैसे कि नेहरू रोजगार योजना के तहत आश्रय सुधार, शहरी पटरी वासियों के लिए आश्रय तथा स्वच्छता योजना के लिए सरकारी बजट से सीधी आर्थिक सहायता की भी अनुमति है। ऐसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त, मकानों की लागत में कमी लाने के लिए भी निम्नलिखित उपाय किये गये है ताकि निर्धनतम वर्ग उन्हें खरीद सकें।

1. राज्य सरकारों को लिखा गया है कि किफायती वैकल्पिक भवन निर्माण सामग्री व प्रौद्योगिकी का विकास करके राज्य आवास एजेंसियों द्वारा बनाये जाने वाले मकानों की निर्माण लागत में कमी करें।

2. विकेन्द्रीकृत आधार पर सस्ती भवन निर्माण सामग्रियों व प्रौद्योगिकीयों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर बिल्डिंग सेंटर कायम किये गये हैं।

3. बी. एम.टी.पी.सी. तथा बी. आई. एस. ने संयुक्त रूप से नवीन भवन निर्माण सामग्रियों व तकनीकों सम्बन्धी विशिष्टियां तैयार की हैं जिन्हें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और राज्य लोक निर्माण विभागों की अनुसूचियों में शामिल किया गया है।

4. उड़त राख, फास्फोजिप्सम आदि औद्योगिक कचरा से बनाई गई तथा अन्य नई निर्माण

सामग्रियों की लागत में कमी लाने की दृष्टि से सरकार द्वारा सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में छूट की घोषणा की गई है।

विवरण

मकानों की कमी (01.03.1991 की स्थिति के अनुसार)

	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण	शहरी	योग
	1	2	3	4
1.	असम	3.52	0.25	3.77
2.	आंध्र प्रदेश	1.81	1.45	3.36
3.	बिहार	4.65	0.58	5.23
4.	गुजरात	0.39	0.37	0.76
5.	हरियाणा	0.09	0.15	0.24
6.	हिमाचल प्रदेश	0.03	0.01	0.04
7.	जम्मू और कश्मीर	0.11	0.12	0.23
8.	कर्नाटक	0.64	0.64	1.28
9.	केरल	0.68	0.43	1.11
10.	मध्य प्रदेश	0.72	0.40	1.12
11.	महाराष्ट्र	1.30	1.04	2.34
12.	मणिपुर	0.13	0.04	0.17
13.	मेघालय	0.18	0.03	0.21
14.	नागालैंड	0.11	0.00	0.11
15.	उड़ीसा	0.92	0.40	1.32
16.	पंजाब	0.13	0.21	0.34
17.	राजस्थान	0.32	0.34	0.66
18.	सिक्किम	0.03	0.00	0.03
19.	तमिलनाडू	0.53	1.56	2.09
20.	त्रिपुरा	0.27	0.03	0.30
21.	उत्तर प्रदेश	2.43	1.22	3.65
22.	पश्चिम बंगाल	1.34	0.66	2.00
23.	अंडमान एव निकोबार द्विपसमूह	0.03	0.00	0.03
24.	अरूणाचल प्रदेश	0.13	0.01	0.14
25.	चंडीगढ़	0.01	0.00	0.01
26.	दादर और नगर हवेली	0.03	0.00	0.03

	1	2	3	4
27.	दिल्ली	0.00	0.37	0.37
28.	गोआ, दमन एवं दीव	0.01	0.01	002
29.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
30.	मिजोरम	0.06	0.01	0.07
31.	पांडिचेरी	0.01	0.03	0.04
	योग	20.61	10.36	30.97
	योग अर्थात्	20.60	10.40	31.00

नोट : (क) मकानों की कमी के अनुमान इस परिकल्पना पर आधारित है कि परिवारों तथा आवास भंडार की वृद्धि दर सभी राज्यों में सभी भारतीय वृद्धि दरों के बराबर हैं

(ख) कुछ राज्य में मकानो की कमी शून्य दर्शायी गई है जो यह बताती है कि इन राज्यों में कमी नगण्य है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में समस्याग्रस्त गांव

1462. श्री पवन दीवान : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ऐसे कितने समस्याग्रस्त गांवों की पहचान की गई है जिनमें कोई पेयजल सुविधा नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने 1994-95 के दौरान गांवों में कुएं खोदने के लिए राज्य को कोई विशेष आवंटन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इन गांवों को पेयजल की सप्लाई के संबंध में कोई योजना बनायी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(च) इस प्रयोजनार्थ 1993-94 के दौरान कितनी धनराशि का आवंटन किया गया और अब तक कितनी धनराशि उपलब्ध की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल): (क) 31.3.94 की स्थिति के अनुसार शून्य ।

(ख) और (ग) गांवों में कुएं खोदने के लिए अलग से कोई आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अतंर्गत 1992-93 के 28.19 करोड़ रूपये के आवंटन को बढ़ाकर 1993-94 में 46.00 करोड़ रूपये कर दिया गया है। राज्य सरकार के अनुरोध पर 1993-94 में 2.00 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि रिलीज की गयी थी। 1994-95 में आवंटन में और वृद्धि करके इसे 51.42 करोड़ रूपये किया गया है जिसमें से 25.71 करोड़ रूपये रिलीज किये जा चुके है।

(घ) और (ङ) राज्य के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को बढ़ाने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, मिनी मिशन, उप–मिशन जैसी योजनायें कार्यान्वित की जाती है।

(च) 1993-94 में 46.00 करोड़ रूपये के आवंटन की तुलना में 48.00 करोड़ रूपये रिलीज किये गये थे।

अनधिकृत निर्माण

1463. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली नगर निगम के कर्मचारियों की मिलीभगत से अवैध निर्माण के संबंध में कोई शिकायतें मिली है, जैसाकि 29 जून, 1994 के "जनसत्ता" में प्रकाशित समाचार में दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, दिनांक 16.8.1990 से 1.8.1994 तक की अवधि के दौरान 55 परिसम्पत्तियां दर्ज की गयी है और इन सभी मामलों में भवन उप–नियमों के अनुसार कार्रवाई शुरू की गयी है।

[अनुवाद]

एकबारगी वृद्धि पेंशन के लिए पूर्व-सैनिकों की अर्हता

1464. मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन पूर्व–सैनिकों को एकबारगी वृद्धि पेंशन नहीं दी है जिन्होंने सेवा से निवृति के बाद फिर से नौकरी की और दूसरी पेंशन अर्जित की थी;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनेक मामलों में दोनों पेंशन मिलकर एकबारगी वृद्धि पेंशन से कम बैठती है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने 1986 से पूर्व सेवानिवृत हुए व्यक्तियों को एकबारगी वृद्धि पेंशन का वरण करने तथा दूसरी पेंशन छोड़ देने का विकल्प दिया था;

(घ) यदि नहीं, तो क्या इस पहलू पर एकबारगी वृद्धि पेंशन संबंधी अनेक समितियों ने विचार किया था; और

(ङ) यदि हां, तो यह विकल्प न देने के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं। सेनाओं से सेवानिवृति के पश्चात् सशस्त्र सेना पेंशनरों द्वारा अर्जित दूसरी पेंशन से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः यह कहना संभव नहीं है कि इस प्रकार के मामले हैं अथवा नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) 1.1.1986 से पूर्व सेवानिवृत हुए सशस्त्र सेना पेंशनरों को उनकी पेंशन में एक बार की वृद्धि इस आधार पर की गई है कि उनका कार्यकाल कम रहा है और सिविल सेवाओं में कार्यरत उनके सहकर्मियों की अपेक्षा वे काफी पहले सेवानिवृत हो गए है। यह स्थिति उन सशस्त्र सेना पेंशनरों के मामले में लागू नहीं होती जोकि सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत के पश्चात् सिविल सेवाओं में रोजगार प्राप्त कर लेते हैं और सिविल क्षेत्र में सेवानिवृत की सामान्य तारीख तक सेवा में बने रहते हैं और दूसरी पेंशन अर्जित करते है, इसलिए उन्हें पेंशन में एक बार की वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

1465. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में विद्यमान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में मौजूदा केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में नई परियोजनाओं/योजनाओं की स्वीकृति से संबंधित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं।

(करोड़ रूपये में)

नाम	अनुमानित लागत	आठवीं योजना परिव्यय
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०		
(क) हैवी फार्ज शाप, हरिद्वार	35.49	
(ख) गैस टरबाईन, हरिद्वार	34.25	
(ग) जी.टी. ब्लेड्स का विनिर्माण, हरिद्वार	25.00	

हिन्दुस्तान केबल्स लि०			
(क)	आप्टिकल फाइबर प्रोजेक्ट	42.81	
(ख)	फाइबर आप्टिक तारों का विनिर्माण	36.00	
इंडियन आयल कार्पोरेशन			
मथुरा में प्रोपाइलीन अधिप्राप्ति		47.53	
भारतीय गैस प्राधिकरण लि०			
औरैया में गैस विस्फोटक		29.41	
भारतीय उर्वरक निगम लि०			
गोरखपुर में नया अमोनिया-यूरिया संयंत्र		670	
कपड़ा			
(क)	बी आई सी कॉटन मिल्स, कानपुर का आधुनिकीकरण तथा अन्य योजनाएं		125
(ख)	नोएडा में राष्ट्रीय पटसन विविधीकरण केन्द्र		5.00
(ग)	एन टी सी, उत्तर प्रदेश के अधीन 4 मिलों का आधुनिकीरण		39.58
भारी इंजीनियरी			
(क)	स्कूटर इंडिया, लखनऊ		0.10
(ख)	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि०, इलाहाबाद		1.00

बिहार को कृषि विकास हेतु धनराशि

1466. श्री लाल बाबू राय :

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान बिहार को कृषि विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) बिहार सरकार द्वारा वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ग) क्या बिहार सरकार ने चालू वर्ष के लिए अतिरिक्त धनराशि का मांग की है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ख) योजना आयोग विकास के विभिन्न सेक्टरों के लिए राज्यों के साथ परामर्श से उनकी वार्षिक योजनाओं में क्षेत्रकीय आवंटनों को अन्तिम रूप देता है। वर्ष 1993-94 के लिए बिहार के कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप सेक्टर हेतु 158.02 करोड़ रू० की राशि अनुमोदित की गई है; जिसे बाद में संशोधित करके 38.34 करोड़ रू० किया गया था।

(ग) से (घ) योजना आयोग को बिहार सरकार से चालू वर्ष हेतु अतिरिक्त राशि का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

स्वायत्तशासी ऊर्जा विनियामक प्राधिकरण

1467. श्री परस राम भारद्वाज : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऊर्जा क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन के लिए एक स्वायत्तशासी ऊर्जा नियामक प्राधिकरण बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित परती भूमि विकास परियोजना

1468. श्री बापू हरि चौरे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में परती भूमि विकास कार्यक्रमों को नयी गति देने हेतु दो बड़ी योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो पूंजी निवेश संवर्धन योजनाओं के मुख्य उद्देश्य क्या है, और

(ग) समेकित परती भूमि विकास परियोजना के अंतर्गत उन परती भूमि में वहां वनविहीन परती भूमि का अधिक अनुपात है, अब तक मंजूर की गई/कार्यान्वित की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह) (क) भारत सरकार का बंजर भूमि विकास विभाग वनेतर बंजर भूमि के विकास के लिए स्वैच्छिक एजेंसियों हेतु समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना, अनुदान सहायता योजना सहित विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है। हाल ही में विभाग ने देश में बंजर भूमि के कार्यक्रम को प्रोत्साहन देने के लिए दो योजनाओं को अंतिम रूप दिया है। ये योजनाएं इस प्रकार है :

1. प्रौद्योगिकी विकास, विस्तार एवं प्रशिक्षण

2. निवेश संवर्धन योजना।

(ख) निवेश संवर्धन योजना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है :

1. केन्द्र तथा राज्य सरकारों, पंचायतों, ग्राम समुदायों, निजी किसानों आदि की बनेतर बंजर भूमि क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोग कर्ता उद्योग तथा अन्य उद्यमियों सहित वित्तीय संस्थाओं, बैंकों, निगमित निकायों से संसाधन जुटाना/प्रोत्साहन देना/ आकृष्ट करना/वितरण करना है।

2. विभिन्न किस्मों के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल फार्म वानिकी उत्पादनों सहित अतिरिक्त वायोमास के उत्पादन और प्रचुरता को प्रोत्साहित करना।

3. पौध रोपण सहित भूमि विकास और इससे संबंधित अन्य भूमि पर आधारित और

संबंधित गतिविधियों द्वारा रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देना।

(ग) वनेतर बंजर भूमि के विकास के लिए समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत 31.3.94 तक कार्यान्वयन के लिए स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रूपये लाखों में)

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना अवधि	कुल परियोजना लागत
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश			
1.	नालगौड़ा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1995-96	302.09
2.	नेल्लौर जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	416.72
3.	महबूब नगर जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना –I)	1993-94 से 1997-98	362.38
4.	महबूब नगर जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना –II)	1993-94 से 1997-98	362.27
5.	विजयानगरम जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना – I)	1993-94 से 1998-99	381.05
6.	निज्जामाबाद जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	357.56
7.	प्रकाशम जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-95 से 1997-98	21.33
8.	विशाखापट्टनम जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	402.04
9.	कड़प्पा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	110.00
		उप–योग	2715.44

बिहार			
10.	चतरा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	138.45
11.	लोकरादगा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	248.66
12.	ग्रवा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	114.21
13.	गया जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	433.37
14.	नवादा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	288.37
15.	पलामू जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	233.97
		उप–योग	1457.03
गुजरात			
16.	सुरेन्द्र नगर में सिलाया तालुक के मदरगढ़ में स. ब. भू. वि. परि.	1991-92 से 1993-94	19.26
17.	सुरेन्द्र नगर जिले में 5 वाटरशैड माइक्रो प्लान परियोजना	1991-92 से 1995-96	206.14
18.	कच्छ जिले में समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना (परियोजना–I)	1992-93 से 1995-96	396.55
19.	कच्छ जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना–II)	1993-94 से 1997-98	389.66
20.	पंचमहल जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	287.89
21.	डॉग जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना–II)	1993-94 से 1997-98	409.50

22.	बनासकांधा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	369.71
		उप–योग	2078.71
हरियाणा			
23.	हिसार जिले में माइक्रो प्लान परियोजना (परियोजना –I)	1991-92 से 1994-95	362.60
24.	हिसार जिले में माइक्रो प्लान परियोजना (परियोजना–II)	1991-92 से 1995-96	348.12
25.	करनाल जिले में माइक्रो प्लान परियोजना	1991-92 से 1994-95	355.21
26.	युमना नगर जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1995-96	151.80
27.	महेन्द्रगढ़ जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1995-96	296.22
28.	रिवाड़ी जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1996-97	289.35
		उप–योग	1803.30
हिमाचल प्रदेश			
29.	हमीरपुर जिले की स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1994-95	300.55
		उप–योग	300.55
जम्मू व कश्मीर			
30.	उधमपुर जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	137.11
		उप–योग	137.11
कर्नाटक			
31	टुमकुर जिले की माइक्रो परियोजना (परियोजना–I)	1991-92 से 1995-96	436.20

32.	मानदिया जिले की स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	372.91
33.	टुमकुर जिले की माइक्रो प्लान परियोजना (परियोजना –II)	1991-92 से 1995-96	120.00
		उप–योग	929.11
केरल			
34.	त्रिसूर जिले की स. ब. भू. वि. परि.	1991-92 से 1994-95	157.59
35.	पलक्कड़ जिले की माइक्रो प्लान परियोजना (परियोजना –I)	1991-92 से 1995-96	372.25
36.	पलक्कड़ जिले की स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना–II)	1992-93 से 1995-96	313.60
		उप–योग	843.44
मध्य प्रदेश			
37.	इंदौर जिले की स. ब. भू. वि. परि. (एन.एस. एस)	1991-93 से 1995-96	90.52
38.	झबुआ जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1991-92 से 1994-95	32.20
39.	दातिया जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1996-97	40.00
40.	भोपाल जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	65.84
41.	छिंदवाड़ा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	301.69
42.	टिकमगढ़ जिले में स ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	128.68
43.	मंडला जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	350.28

44.	सरगुझा जिले में स. व. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	322.14
45.	झबुआ जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना – II)	1993-94 से 1997-98	319.44
46.	उज्जैन जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	338.57
47.	धार जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	184.91
		उप–योग	2179.27
महाराष्ट्र			
48.	स. ब. भू. वि. परि. – स्कूल आफ आर्टीलरी देवलाली, जिला नासिक	1992-93 से 1995-96	156.73
		उप–योग	156.73
मणिपुर			
49.	इम्फाल जिले की माइक्रो प्लान परियोजना	1991-92 से 1996-97	202.20
		उप–योग	202.20
मिजोरम			
50	मिजोरम जिले की स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1996-97	359.95
		उप–योग	359.95
नागालैंड			
51.	कोहिमा जिले की 10 जलाशयों की स. ब. भू. वि. परि. (एस. आर. डी. ए. परि.)	1993-94 से 1997-98	216.14
52.	पेख जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	362.53
53.	कोहिमा जिले में स. ब. भू. वि. परि. (एस. व एम. परि.)	1993-94 से 1997-98	516.00
		उप–योग	1094.67

उड़ीसा

54.	कालाहांडी जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना –I)	1992-93 से 1996-97	207.13
55.	कालाहांडी जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना –II)	1993-94 से 1996-97	441.53
56.	कोरापुर जिले की लामतपुर ब्लाक में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	216.66
57.	कोरापुर जिले की लक्ष्मीपुर ब्लाक में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	49.12
58.	बालानगीर जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	437.54
59.	मलकानगिरी जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1993-94	62.39
		उप–योग	1414.37

पंजाब

60.	पंजाब में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1994-95	599.82
		उप–योग	599.82

राजस्थान

61.	जैसलमेर जिले में मोहनगढ तहसील के मरूस्थली क्षेत्रों में स. ज. भू. वि. परि	1991-92 से 1994-95	170.30
62.	भीलवाड़ा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1996-97	320.00
63.	टोंक जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1996-97	304.00

64.	सीकर जिलें में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1995-96	397.19
65.	झालावाड़ जिले की महाराजपुर तहसील में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	273.95
66.	जयपुर जिले में धुंध नदी के लिये स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	329.40
67.	जयपुर जिले में कुकास बांध की स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	153.32
68.	अजमेर जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	320.76
69.	जोधपुर जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	191.36
70.	जयपुर जिले में बांधी भसीम की स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	414.05
		उप–योग	2874.33

सिक्किम

71.	दक्षिण सिक्किम जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1995-96	77.81
72.	एन.एस.एस. योजना के अंतर्गत सिक्किम में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	18.49
73.	पूर्वी सिक्किम जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1992-93 से 1994-95	71.26
74.	दक्षिणी सिक्किम जिले में पावांग जलाशय की स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1995-96	92.04
		उप–योग	167.56

तमिलनाडु			
75.	पुडुकोटाई जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1997-98	126.45
		उप–योग	126.45
उत्तर प्रदेश			
76.	हमीरपुर जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	302.33
77.	ललितपुर जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	286.76
78.	मथुरा जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	115.40
79.	झांसी जिले की माइक्रो प्लान परियोजना (परियोजना –I)	1991-92 से 1994-95	349.85
		उप–योग	1055.34
पश्चिम बंगाल			
80.	बांकुरा जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना–I)	1992-93 से 1996-97	256.98
81.	पुर्लिया जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना–II)	1993-94 से 1995-96	137.75
82.	बांकुरा जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना–II)	1993-94 से 1997-98	256.52
83.	दार्जिलिंग जिले में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	469.74
84.	पुर्लिया जिले में स. ब. भू. वि. परि. (परियोजना –I)	1992-93 से 1994-95	93.83
		उप–योग	1214.82
85.	दिल्ली में स. ब. भू. वि. परि.	1993-94 से 1996-97	55.75
		उप–योग	55.75

श्रम प्रधान उद्योग

1469. श्री माणिकराव होडल्या गावीत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण कोरिया ने भारत को कुछ अपने श्रम प्रधान उद्योगों को हस्तांतरित करने की इच्छा व्यक्त की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर केन्द्र सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) कोरिया गणराज्य सरकार और कोरियन उद्योग दोनों ने भारत में निवेश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है। रूचि के मुख्य क्षेत्र हैं : कपड़ा, चमड़ा, इलैक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान, ऑटोमोबाइल और दूरसंचार इत्यादि। सरकार का विचार यह है कि दोनों देश आर्थिक सहयोग के जरिये पारस्पारिक लाभ उठा सकते हैं।

फार्मूलेशनों का मूल्य

1470. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिक्लोफेन्स सोडियम पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य संशोधन संबंधी आदेश रद्द कर दिये गये हैं जैसा कि 30 मई, 1994 के "बिजनेस स्टेण्डर्ड" में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या मूल्य घटाने की अधिसूचना केवल वोवेरण ब्रांड गोलियां और इस औषधि के दो अन्य निर्माता एककों के मामले में ही की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है; और

(च) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं कि प्रतिष्ठापति एककों को कोई अनुचित नुकसान न पहुंचे और मूल्य संशोधन केवल सामान्य प्रक्रिया और मानक प्रक्रिया के अनुरूप ही किया जाये?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (च) प्रपुंज औषध डिक्लोफिनेक सोडियम पर आधारित वोवेरण ब्रांड के सूत्रयोगों के मूल्य जिनकी गणना पहले अपनाए गए बाजार मूल्य के आधार पर की गई थी, प्रपुंज औषध के अधिसूचित मूल्य के आधार पर संशोधित किए गए थे।

बी आई सी पी ने प्रपुंज औषध का लागत–सह–तकनीकी अध्ययन पूरा कर लिया है और प्रपुंज औषध के मूल्य के लिए इसकी सिफारिशें विचारधीन हैं।

आयुध कारखानों द्वारा क्षमता का उपयोग

1471. श्री राम नाईक :

श्री अमल दत्त :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न आयुध कारखानों की कारखानें–वार अतिरिक्त क्षमता कितनी है;

(ख) इनकी अतिरिक्त क्षमता का सैन्य और/अथवा गैर–सैनिक प्रयोजन से उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(ग) अतिरिक्त क्षमता उपयोग करके किस तरह के उत्पादों/मदों का उत्पादन करने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) कतिपय आयुध निर्माणियों में कुछ सीमा तक अतिरिक्त क्षमताएं इस कारण हैं:–(क) अचानक की जाने वाली भारी मांग की पूर्ति के लिए व्यवस्था की गई है और (ख) कुछ मदों के लिए रक्षा सेनाओं की मांग में अस्थाई परिवर्तन किया जाना। इस संबंध में निर्माणी–वार ब्यौरे देना लोकहित में नहीं है।

(ख) और (ग) आयुध निर्माणियों की क्षमता का अधिकतम उपयोग करने (रक्षा सेनाओं की मांग पूरी करने के पश्चात्) और उससे उत्पादकता बढ़ाने तथा लागत कम करने की दृष्टि से सरकार निम्नलिखत उपायों के द्वारा उनके विविधीकरण को बढ़ावा दे रही है :–

(i) रक्षा सेनाओं की मांग के अनुसार नई मदों का निर्माण करना;

(ii) अर्ध सैनिक बलों और राज्य पुलिस बलों के लिए मदों की आपूर्ति बढ़ाना;

(iii) गोला–बारूद तथा अन्य मदों का निर्यात करना;

(iv) सिविल क्षेत्र के लिए ढलाई, गढ़ाई, वाणिज्यिक विस्फोटकों इत्यादि जैसी मदों का उत्पादन करना।

हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड का पुनर्गठन

1472. श्री सत्यगोपाल मिश्र : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड के विभिन्न एककों को पुनर्गठित करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासाग़र विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच.एफ.सी.) को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 के उपबन्धों के अनुसार औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) द्वारा एक रूग्ण कम्पनी घोषित किया गया है। बी आई एफ आर ने एच.एफ.सी.

के लिए एकक–वार पुनर्वास पैकेज तैयार करने के लिए भारतीय औद्योगिक ऋण तथा निवेश निगम लि० (आई सी आई सी आई) को परिचालन अभिकरण के रूप में नियुक्त किया है। एच. एफ. सी. के विभिन्न एककों के पुनरूद्वार के सम्बन्ध में कोई भी निर्णय बी. आई. एफ. आर. जो एक न्यायि कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के निष्कर्ष पर निर्भर करेगा।

आयुध कारखानों द्वारा माल का उत्पादन

1473. श्री अमल दत्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उद्यमों ने माल तैयार करने और उन्हें गैर–रक्षा क्षेत्रों को बेचने और साथ ही उनका निर्यात करने की दिशा में कोई कदम उठाए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक उद्यम को अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इस संबंध में यदि कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हों, तो उन लक्ष्यों सहित इन उद्यमों द्वारा अपनाए जाने वाले भावी कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम अपने उत्पादों का गैर–रक्षा क्षेत्रों में भी विस्तार कर रहे हैं ताकि वे सर्वप्रथम रक्षा सेनाओं की आवश्यकताएं पूरी करने की अपनी प्रतिबद्धता में किसी प्रकार की कमी लाए बिना अधिकाधिक कारोबार और उत्पादकता प्राप्त कर सकें। सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों ने 1993-94 में गैर–रक्षा ग्राहकों को 1784 करोड़ रूपए का सामान बेचा और सेवाएं दीं (इसमें निर्यात भी शामिल है)। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रत्येक उपक्रम के संबंध में आंकड़े इस प्रकार है :

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का नाम	गैर–रक्षा क्षेत्र के ग्राहकों की बिक्री
	(करोड़ रूपयों में) (अंनतिम)
हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	82
भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड	485
भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	865
माझगांव डॉक लिमिटेड	251
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	42
गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	16
भारत डाइनामिक्स लिमिटेड	12
मिश्र धातु निगम लिमिटेड	31
योग	1784

पिछले कुछ वर्षों में आयुध निर्माणियों (जो विभागीय उत्पादन यूनिटें हैं) ने भी विविधीकरण के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। वर्ष 1993-94 में उन्होंने गैर–रक्षा ग्राहकों को लगभग 433 करोड़

रूपये के सामान की बिक्री की। रक्षा सेनाओं के मांग–पत्रों के अनुसार उन्हें आपूर्ति किए जाने की अपनी गति बनाएं रखने के साथ ही उन्होंने यह कार्य पूरा किया है।

(ग) वर्ष 1994-95 में सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों द्वारा गैर–रक्षा ग्राहकों को की जाने वाली बिक्री में वर्ष 1993-94 की अपेक्षा लगभग 10 प्रतिशत तथा आयुध निर्माणियों की ब्रिक्री में लगभग 20 प्रतिशत वृद्धि किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। अर्ध सैनिक बलों को आपूर्ति, अपतटीय संस्थापनाओं, रेल के डिब्बों, डीजल इंजनों, सेतुबंधन उपस्करों, अर्थ मूविंग एवं खनन उपस्करों, संचार और प्रसारण उपस्करों आदि के पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल वायुयानों की सेवाई आदि के क्रियाकलाप भी शुरू किए जा रहे हैं।

मध्य प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उद्योगों की स्थापना

1474. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग/जिला ग्रामीण उद्योग अधिकारी द्वारा अनुमोदित उन उद्यमों की स्थापना करने के प्रस्तावों परियोजनाओं में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है क्योंकि राष्ट्रीयकृत बैंक इन परियोजनाओं का सही समय पर वित्त पोषण नहीं कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस संबंध में शिकायतें भी मिली है;

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाये गये है कि राष्ट्रीयकृत बैंक इन प्रस्तावों/परियोजनाओं का निपटारा समय–सीमा के भीतर कर दें; और

(घ) क्या कोई ऐसा प्रस्ताव भी विचाराधीन है जिसके अंतर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं का वित्त पोषण राज्य वित्त निगम द्वारा भी किया जा सके?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने ब्याज राज सहायता पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की पूर्ण रूप से स्वीकृति सुनिश्चित कराने के लिए यह मामला संबंधित बैंकों के साथ उठाया है। तथापि बैंक सभी मामलों में सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कुछ मामलों में बैंकों ने नकद ऋण की सीमा बढ़ाकर प्रतिक्रिया की है। किन्तु यह पूर्ण सीमा तक नहीं है।

(घ) विस्तृत ब्याज राज सहायता योजना में के वी आई सी की प्रायोजित परियोजनाओं के लिए राज्य वित्त निगम द्वारा धन उपलब्ध कराने का प्रावधान है। के वी आई सी राज्य वित्त निगमों से संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास करता रहा है।

मद्रास स्थित तटरक्षक आधारभूत मरम्मत संगठन

1475. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी क्षेत्र में तटरक्षक पोतों के एहतियाती रख–रखाव और मरम्मत संबंधी आधारभूत मरम्मत संगठन (बी० आर० ओ०) के दिसम्बर, 1989 में चालू होने वाले मद्रास स्थित एकक को सरकार द्वारा यथापेक्षित धनराशि उपलब्ध कराई गई है;

(ख) यदि हां, तो आधारभूत संगठन के मद्रास एकक को निर्धारित अवधि के पांच वर्ष बाद भी चालू न किए जाने के कारण हैं जिसके कारण तटरक्षक पोतों की मरम्मत आदि के लिए मजबूरन विशाखापत्तनम अथवा कलकत्ता जाना पड़ता है और जिसके परिणामस्वरूप परिहार्य व्यय हो रहा है और बहुमूल्य श्रम दिवसों की हानि हो रही है;

(ग) क्या मद्रास में आधारभूत मरम्मत संगठन स्थापित करने में असाधारण विलम्ब और परिणामतः होने वाली धन और श्रम दिवसों की क्षति के संबंध में लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी प्रतिकूल टिप्पणी की गयी है; और

(घ) मद्रास में तटरक्षक पोत का आधारभूत मरम्मत संगठन एकक स्थापित करने और चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का प्रस्ताव है।

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) आधारभूत मरम्मत संगठन (बी. आर. ओ.) के लिए जो भवन निर्धारित किया गया था वह तमिलनाडु मत्स्यपालन विभाग का था तथा प्रशासनिक स्तर पर विलम्ब के कारण भूमि सहित इस भवन को अप्रैल, 1989 में ही अधिग्रहीत किया जा सका। इस भवन को तटरक्षक की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए इसमें भारी परिवर्तन और सिविल कार्य किए जाने की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त एसिड टाइलें उपलब्ध न होने तथा ट्रसों में संशोधन के कारण भी विलम्ब हुआ। परिणामस्वरूप सिविल कार्य मार्च, 1993 तक पूरे किए जा सके और तटरक्षक ने जुलाई, 1993 में इस भवन को अपने हाथ में लिया है।

(ग) जी हां।

(घ) उपस्करों/मशीनों की खरीदारी की जा रही है और आशा है कि इन्हें दिसम्बर 1994 के अंत तक लगा दिया जाएगा। इस संगठन के लिए कार्मिकों की आवश्यकताओं के संबंध में योजना बनाई जा रही है। तमिलनाडु विद्युत बोर्ड से आवश्यक एच टी. विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए अनुरोध किया गया है।

तमिलनाडु में विभिन्न क्षेत्रों का विकास

1476. श्री आर. धनुषकोडि आदित्यन : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु के पिछड़े, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के विकास हेतु कोई विशेष योजना तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन क्षेत्रों के विकास हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(घ) तमिलनाडु में इससे लाभान्वित व्यक्तियों की श्रेणीवार और वर्षवार संख्या क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से

(घ) पिछड़े, ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों के विकास हेतु तमिलनाडु के विभिन्न भागों में निम्नांकित स्कीमें प्रचालन में हैं। ब्यौरे नीचे दिखाये गए है;

2. जवाहर रोजगार योजना का दूसरा चरण (जे आर वाई) तमिलनाडु के छह पिछड़े जिलों में प्रचालन में है, ये जिले हैं. (i) साउथ आर्कोट (ii) चैंगल पट्‌ट, (iii) थंणातूर, (iv) धरमपुरी, (v) चिदम्बरनार; (vi) राम नाथ पुरम। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के लिए इस स्कीम के अन्तर्गत वार्षिक आधार पर 32.55 करोड़ रू० का आवंटन किया गया है।

3. रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) तमिलनाडु में 12 जिलों में 56 सूखा प्रवण/आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्र ब्लाकों में कार्यान्वित की जा रही है और इस स्कीम के तहत 1993-94 में किया गया आवंटन 13.19 करोड़ रू० है।

4. राज्य में पश्चिमी घाट तथा पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम 29 तालुकों में कार्यान्वित दिए जा रहे हैं तथा इन कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों में आवंटन निम्नानुसार हैं:–

	(करोड़ रू०)
1991-92	18.27
1992-93	18.33
1993-94	25.03

5. जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) के दूसरे चरण में सृजित श्रम दिवस 87.89 लाख थे तथा रोजगार आश्वासन स्कीम (ई ए एस) के तहत 1993-94 में सृजित श्रम दिवस 10.96 लाख थे। विभिन्न कार्यक्रमों के तहत लाभग्राहियों की संख्या के आंकड़ों का विवरण नहीं रखा जाता है।

रक्षा विभाग की वर्दियो का जब्त किया जाना

1477. श्री आर० अन्बारासु : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 मई, 1994 के "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पुलिस ने हाल ही में कबाड़ी व्यापारी के गोदाम से रक्षा विभाग की 450 नई वर्दियों जब्त की हैं तथा पुराना किला, इलाहाबाद से पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में की गयी जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) सरकार ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नैनी पुलिस थाने में भारतीय दंड सहिता के द्वारा 409/379 के तहत दर्ज अपराध सं० 363/94 के मामले की छानबीन के दौरान मामले में दो स्टोर अधिकारयों तथा एक श्रमिक के संलिप्त होने का संदेह है। सामान (स्टोर) के परिवहन के दौरान उन्होंने सेना के वाहनों को रास्ते में रोका और उनमें से सेना की वर्दियों

को बब्लू कबाड़ी के वाहन में ले जाया गया।

(ग) अब छिवकी साइडिंग से आयुध डिपो, इलाहाबाद तक सामान (स्टोर) के परिवहन के दौरान कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

सीधा विदेशी पूंजी निवेश

1478. श्री तरित वरण तोपदार : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्षेत्रवार कितना सीधा विदेशी पूंजी निवेश किया गया ; और

(ख) इस पूंजी निवेश से क्षेत्रवार कुल कितने लोगों को रोजगार मिला?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) 1991, 1992, 1993 तथा जून, 1994 तक की अवधि में क्रमशः 351.43 करोड़ रूपये, 675.22 करोड़ रू० 1786.00 करोड़ रूपये और 1136.45 करोड़ रूपये का वस्तुतः विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के वास्तविक अंतः प्रवाह के क्षेत्रवार वितरण संबंधी ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं। तथापि, 1991 से 1994 (जून तक) की अवधि में अनुमोदित विदेशी निवेश के क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) इन परियोजनाओं द्वारा सृजित किया जाने वाला संभावित रोजगार के अवसर हर एक अवस्था में अलग–अलग होंगे, इसलिए, इस संबंध में कोई पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है।

औद्योगिक क्षेत्र में विदेशी निवश के कारण अतिरिक्त रोजगार के अवसर जरूर पैदा होंगे। उद्योगों को औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दायर करने होते हैं चाहे उनमें विदेशी निवेश अंतर्ग्रस्त हो या नहीं। इसलिए, इन ज्ञापनों में किया गया रोजगार संबंधी पूर्वानुमान सृजित किया जाने वाला रोजगार के आकार का द्योतक हो सकता है। नयी नीति के बाद से जून, 1994 तक की समूची अवधि में 14,488 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन दर्ज किये गये हैं जिनमें 27,69,495 व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसरों की परिकल्पना की गयी है।

विवरण

1991, 1992, 1993 और 1994 (जून तक) में स्वीकृत विदेशी निवेश के क्षेत्रवार विवरण

क्रं. सं०	उद्योग का नाम	1991 राशि (रू० करोड़ में)	1992 राशि (रू० करोड़ में)	1993 राशि (रू० करोड़ में)	1994 राशि (रू० करोड़ में)
1	2	3	4	5	6
1.	धातुकर्मी उद्योग	2.23	58.87	1246.53	167.90
2.	ईंधन	2.30	1504.11	2822.54	401.58
3.	बायलर तथा भाप जनित्रण संयंत्र	0.72	012	53.86	2.97

1	2	3	4	5	6
4.	प्राइम मूवर्स (विद्युत जनत्रिण के अलावा)	-	-	-	2.25
5.	विद्युत उपकरण	101.39	371.84	645.85	157.05
6.	दूरसंचार	13.58	119.07	46.98	10.00
7.	परिवहन	20.11	145.36	306.25	63.42
8.	औद्योगिक मशीनरी	55.70	70.71	86.84	32.75
9.	मशीनी औजार	1.97	6.73	12.99	14.81
10.	कृषि मशीनरी	-	5.54	-	-
11.	मिट्टी हटाने की मशीनरी	0.08	0.55	0.60	1.23
12.	विविध यांत्रिक तथा इंजिनियरी उद्योग	0.84	37.17	40.38	32.39
13.	वाणिज्यिक कार्यालय तथा घरेलू उपस्कर	-	63.81	9.27	4.10
14.	चिकित्सा तथा शल्य उपकरण	4.25	3.60	8.17	6.31
15.	औद्योगिक उपकरण	2.07	14.81	1.69	0.84
16.	वैज्ञानिक उपकरण	1.65	32.89	-	-
17.	गणितीय, सर्वेक्षण और ड्रांइग उपकरण	-	-	-	-
18.	उर्वरक	1.00	-	1.66	-
19.	रसायन (उर्वरकों को छोड़कर)	146.32	349.89	439.89	193.70
20.	फोटोग्राफिक रॉ फिल्म तथा पेपर	-	7.90	10.73	-
21.	रंजक	-	0.08	13.58	-
22.	औषध तथा भेषज	0.80	30.17	29.91	28.62
23.	वस्त्र (रंजक, मुद्रित अथवा अन्यथा तथा प्रक्रियागत वस्त्रों को छोड़कर)	18.55	139.25	119.21	201.75

1	2	3	4	5	6
24.	कागज तथा लुगदी – कागज सहित उत्पाद	4.10	20.15	115.27	42.89
25.	चीनी	-	-	53.50	-
26.	फर्मेंटेशन उद्योग	-	4.99	147.45	10.50
27.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	54.09	402.22	907.87	90.87
28.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	3.03	6.13	10.88	9.46
29.	साबुन, कास्मेटिक तथा टायलेट प्रिपरेशन	-	18.86	0.47	17.52
30.	रबड़ की वस्तुएं	1.09	2.37	54.09	19.82
31.	चमड़ा तथा चमड़े का सामान व परिष्कारक	3.14	27.25	17.04	6.29
32.	ग्लू तथा जिलेटिन	-	-	-	-
33.	कांच	0.75	0.34	49.98	85.44
34.	सिरेमिक्स	12.74	19.38	30.08	15.57
35.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	12.00	6.79	25.20	177.74
36	टिम्बर उत्पाद	-	-	0.16	-
37.	सुरक्षा उद्योग	-	-	-	-
38.	परामर्शदायी सेवाएं	5.81	12.16	10.31	2.21
39.	सेवा उद्योग	-	67.21	1136.28	551.73
40.	होटल तथा पर्यटन	-	198.77	352.98	69.99
41.	ट्रेडिंग कंपनी	-	5.43	22.57	9.73
42.	विविध उद्योग	63.52	61.74	118.29	23.28
	योग	534.11	3887.54	8859.33	2454.71

जम्मू और कश्मीर में उद्योग

1479. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य के संतुलित आर्थिक विकास की दृष्टि से अनिवासी भारतीयों को जम्मू और कश्मीर में बसने, पूंजी निवेश करने, उद्योग लगाने और व्यापार करने हेतु आमंत्रित करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो अनिवासी भारतीयों की इस पर अब तक क्या प्रतिक्रिया रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) देश में अनिवासी भारतीय निवेश को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार, अनिवासी भारतीय/ओ सी बी को 100% इक्विटी अंशधारिता तथा निवेशित पूंजी को स्वदेश भेजने की अनुमति देने सहित कई सुविधाएं प्रदान करती है। तथापि, परियोजना के स्थापना–स्थल का चयन करना निवेशकर्त्ता की इच्छा पर छोड़ दिया जाता है।

सिलचर विमान पत्तन

1480. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिलचर विमान पत्तन विमानों के उतरने और उड़ान भरने हेतु सुरक्षित नहीं है;

(ख) क्या सरकार ने इस विमान पत्तन के सुधार, नवीकरण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस विमान पत्तन पर कोई कार्य आरंभ किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) सिलचर हवाई अड्डा विमान संक्रियाओं के लिए सुरक्षित है।

(ख) और (ग) यह हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना का है और भारतीय वायुसेना का इसमें सुधार करने तथा इसका जीर्णोद्धार करने का कोई विचार नहीं है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एक सिविल इन्कंलेव कांप्लेक्स विकसित करने का एक प्रस्ताव है और इसके लिए वार्षिक योजना 1994-95 में 100 लाख रूपये की व्यवस्था की गई है।

एक उपयुक्त कार पार्क सहित 300 यात्रियों (150 आने वाले तथा 150 जाने वाले) के लिए मौजूदा टर्मिनल भवन का एक ही समय में विस्तार किए जाने तथा उसमें संशोधन किए जाने का एक प्रस्ताव है। इस संबंध में प्रशासनिक अनुमोदन विचाराधीन है। इस योजना की अनुमानित लागत 340 लाख रूपए है।

(घ) टर्मिनल भवन का विस्तार करने के लिए प्रस्तावित स्थल पर स्थित मौजूदा गैराजों के स्थान पर चार नए गैराजों का निर्माण किया गया है। इस पर 5.37 लाख रूपए का खर्च हुआ है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का अनिवेश

1481. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के शेयरों का कितनी बार अनिवेश किया है, प्रत्येक मामले में कितने शेयर अनिवेश किए गए और इनके अनिवेश से उपक्रमवार कितनी धनराशि एकत्र की गयी है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के सुधार के लिए इस धन को पुनः इसमें लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस धन का अभी तक किस प्रकार उपयोग किया गया है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) विवरण I और II में बेचे गए शेयरों की संख्य का उपक्रमवार ब्यौरा दिया गया है तथा उनसे प्राप्त राशि का भी उल्लेख किया गया है।

(ख) से (ङ) समय-समय पर बेचे गए शेयरों से प्राप्त राशि सरकार की समेकित निधि में जमा कर दी गई है। सरकारी उपक्रमों में सुधार के लिए सामान्य शेयर पूंजी तथा ऋण के रूप में नई सहायता सामान्य बजटीय प्रक्रियाओं के द्वारा जरिए की जाती है।

विवरण I

सरकारी उपक्रमों के शेयरों की बिक्री

वर्ष	जिन कंपनियों के शेयर बेचे गए उनकी संख्या	बेचे गए शेयरों की संख्या (करोड़ में)	प्राप्त राशि (करोड़ रूपये में)
वर्ष 1991-92			
प्रथम चरण	30	51.62	1427
द्वितीय चरण	16	35.59	1611
जोड़	30	87.21	3038
वर्ष 1992-93			
प्रथम चरण	8	12.87	681.95
द्वितीय चरण	12	31.06	1183.83
तृतीय चरण	9	1.01	46.73
जोड़	16	44.94	1912.51
मार्च-अप्रैल, 1994	6	11.37	2291 (प्राप्त होने की संभावना है)

विवरण II

क्र. सं०	सरकारी उद्यम का नाम	1991-92 बेचे गए शेयरों की संख्या (लाख में)	1991-92 प्राप्त राशि (करोड़ में)	1992-93 बेचे गए शेयरों की संख्या (लाख में)	1992-93 प्राप्त राशि (करोड़ में)	1993-94 बेचे गए शेयरों की संख्या (लाख में)	1993-94 प्राप्त राशि (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	एण्ड्रूय यूले एंड कंपनी लि.	10.15	-	-	-	-	-
2	भारत अर्थमूवर्स लि.	60.00	-	-	-	15.00	48.27
3	भारत इलेक्ट्रानिक्स लि.	160.00	-	-	-	33.10	47.17
4	भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लि.	489.52	-	11.17	8.21	269.23	301.34
5	भारत पैट्रोलियम कारपो. लि.	100.00	-	50.00	331.18	-	-
6	बोगाईगांव रिफाइनरीज एंड पेट्रोकैमिकल्स लि.	399.61	-	107.91	45.40	-	-
7	सी एम सी लि.	25.28	-	-	-	-	-
8	कोचीन रिफाइनरीज लि.	42.19	-	-	-	-	-
9	ड्रेजिंग कारपो. आफ इंडिया लि.	4.02	-	-	-	-	-
10	फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स (त्रावणकोर) लि.	52.32	-	5.00	1.30	-	-
11	एच एम टी लि.	42.68	-	42.28	23.38	-	-
12	हिन्दुस्तान क़ेबल्स लि.	16.69	-	-	-	-	-
13	हिन्दुस्तान कॉपर लि.	-	-	34.11	8.07	-	-
14	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	98.70	-	-	-	-	-
15	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपो. लि.	127.68	-	63.84	331.85	44.69	563.11
16	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मैन्यु कं. लि.	191.90	-	-	-	-	-
17	हिन्दुस्तान जिंक लि.	807.46	-	209.74	81.55	-	-
18	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपो लि.	372.00	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
19	इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	0.13	-	-	-	-	-
20	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि.	175.38	-	17.00	15.63	-	-
21	मद्रास रिफाइनरीज लि.	193.16	-	-	-	-	-
22	महानगर टेलीफोन निगम लि.	1200.00	-	-	-	774.37	1330.80
23	खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि.	3.34	-	-	-	-	-
24	नेशनल एल्युमिनियम कं. लि.	351.00	-	1298.85	244.20	0.30	0.01
25	नेशनल फर्टिलाइजर्स लि.	111.63	-	3.00	0.72	-	-
26	राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लि.	0.00	-	21.40	17.88	-	-
27	नेवेली लिग्नाईट कारपो. लि.	717.91	-	325.74	70.43	-	-
28	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लि	311.36	-	102.37	30.36	-	-
29	भारतीय नौवहन निगम लि.	522.46	-	-	-	-	-
30	भारतीय राज्य व्यापार निगम लि.	23.93	-	3.00	2.25	-	-
31	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि.	1990.75	-	2198.61	700.10	-	-
32	विदेश संचार निगम लि.	120.00	-	-	-	-	-
	जोड	8721.25	-	4494.02	1912.51	1136.69	2290.70

1. चूंकि वर्ष 1991-92 के दौरान शेयर बंडलों में बेचे गए थे इसलिए प्राप्त राशि का उपक्रमवार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। प्राप्त कुल राशि 3038 करोड़ रूपये थी।

2. कुल 14351.96 लाख शेयर बेचे गए तथा 7241.21 करोड़ रूपये की राशि प्राप्त की गई।

बौद्धिक संपदा कानून

1482. श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय बौद्धिक संपदा कानूनों का उरुग्वे के अंतिम वार्ता चक्र के प्रभाव का अध्ययन करने के लिये विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया है।

(ख) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो समिति की सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सरकार ने पेटेंट अधिनियम, 1970 और पेटेंट नियमावली, 1972 पर विचार करने एवं आवश्यक विशिष्ट संशोधनों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ दल का गठन किया है ताकि बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के उरुग्वे के अंतिम वार्ता दौर के बौद्धिक संपदा अधिकार समझौते के व्यापार से संबंधित पहलुओं के अधीन हमारे उत्तरदायित्व का अनुपालन किया जा सके और उरुग्वे वार्ता तथा इससे संबंधित मामलों के लागू होने पर हमारी तत्काल जिम्मेदारियों के संदर्भ में हमारे हितों की रक्षा हो सके। दल को अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है।

सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का विनिवेश

1483. श्री मनोरंजन भक्त : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने केन्द्र सरकार की सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को लाभप्रद बनाने हेतु उनमें से अनेक उपक्रमों में से विनिवेश करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कौन–कौन से ऐसे उपक्रम घाटे में चल रहे हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1990-91 से लेकर वर्ष 1992-93 तक केवल जिस अवधि तक की जानकारी उपलब्ध है, निरंतर घाटा उठाने वाले उद्यमों की एक सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्रम सं०	कंपनी का नाम
1	2
1.	आर्टिफिशियल लिम्बस मैन्यु. कारपो. आफ इण्डिया
2.	असम अशोक होटल निगम लि.

1	2
3.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल लि.
4.	बंगाल इम्युनिटी लि.
5.	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लि.
6.	भारत कोकिंग कोल लि.
7.	भारत गोल्ड माइन्स लि.
8.	भारत इम्युनॉलजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कारपो लि.
9.	भारत लेदर कारपो लि.
10.	भारत आप्थैल्मिक ग्लास लि.
11.	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लि.
12.	भारत पंपस एंड कंप्रेशर्स लि.
13.	भारत रिफ्रेक्ट्रीज लि.
14.	बर्ड्स, जूट कंपनी एक्सपोर्ट लि.
15.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लि.
16.	ब्रिटिश इंडिया कारपो. लि.
17.	बुशवेयर लि.
18.	बर्न स्टेण्डर्ड कंपनी लि.
19.	कानपुर टेक्सटाईल लि.
20.	केन्द्रीय अंतदेर्शीय जल परिवहन निगम लि.
21.	कोल इंडिया लि.
22.	कोचीन शिपयार्ड लि.
23.	भारतीय साईकिल निगम लि.
24.	दामोदर सीमेंट एंड स्लैग लि.
25.	दिल्ली परिवहन निगम लि.
26.	एल्गिन मिल्स कंपनी लि.
27.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि.
28.	भारतीय उर्वरक निगम लि.
29.	भारी इंजीनियरी निगम लि.
30.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपो. लि.

1	2
31.	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लि.
32.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.
33.	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि.
34.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि.
35.	भारतीय होटल निगम लि.
36.	इंडियन एयरलाइंस
37.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
38.	इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लि.
39.	भारतीय सड़क निर्माण निगम लि.
40.	इन्स्ट्रूमेंटेशन लि.
41.	जेसप एंड कंपनी लि.
42.	मध्य प्रदेश अशोक होटल निगम लि.
43.	मंडया नेशनल पेपर मिल्स लि.
44.	माइका ट्रेडिंग कारपो. आफ इंडिया लि.
45.	खनिज गवेषण निगम लि.
46.	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.
47.	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लि.
48.	भारतीय राष्ट्रीय बाईसाइकिल निगम लि.
49.	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लि.
50.	नेशनल इनस्ट्रूमेंटस लि.
51.	नेशनल जूट मैन्यु. कारपो. लि.
52.	राष्ट्रीय बीज निगम लि.
53.	उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम लि.
54.	उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लि.
55.	नेटेका (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल एवं माहे) लि.
56.	नेटेका (दिल्ली, पंजाब एवं राजस्थान) लि.
57.	नेटेका (गुजरात) लि.
58.	नेटेका (मध्य प्रदेश) लि.

1	2
59.	नेटेका (महाराष्ट्र नार्थ) लि.
60.	नेटेका (साउथ महाराष्ट्र) लि.
61.	नेटेका (उत्तर प्रदेश) लि.
62.	नेटेका (पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, एवं उड़ीसा) लि.
63.	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लि.
64.	प्रागा टूल्स लि.
65.	प्रोजेक्टस एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
66.	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
67.	रांची अशोक बिहार होटल निगम लि.
68.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लि.
69.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.
70.	उद्योग पुनर्स्थापन निगम लि.
71.	रेरोल बर्न लि.
72.	रिचर्डसन एंड कूडास (1972) लि.
73.	स्कूटर्स इंडिया लि.
74.	स्कूटर्स इंडिया (इंटरनेशनल) जी एम बी एच पश्चिम जर्मनी
75.	स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
76.	टेनरी एंड फुटवियर कारपो. आफ इंडिया लि.
77.	भारतीय चाय व्यापार निगम लि.
78.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.
79.	भारतीय टायर निगम लि.
80.	उत्तर प्रदेश ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि.
81.	उत्कल अशोक होटल निगम लि.
82.	वायुदूत
83.	विगनयन इंडस्ट्रीज लि.
84.	वेबर्ड (इण्डिया) लि.

कोरिया द्वारा निवेश

1484. कुमारी फ्रिडा तोपनो :

श्री आर. जीवनरत्नम :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या कोरिया गणराज्य ने भारत के औद्योगिक क्षेत्र में निवेश की इच्छा प्रगट की है;

(ख) यदि हां, तो यह निवेश किन–किन क्षेत्रों में किया जाएगा; और

(ग) कितनी धनराशि का निवेश करने का प्रस्ताव है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) कोरिया गणराज्य सरकार और कोरियन उद्योग दोनों ने भारत में निवेश के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाया है। कोरियन उद्योगों की रूचि के मुख्य क्षेत्र है : कपड़ा, चमड़ा, इलैक्ट्रानिक्स, घरेलू सामान, आटोमोबाइल और दूरसंचार इत्यादि। विभिन्न प्रस्ताव समझौते, प्रक्रिया तथा कार्यान्वयन के भिन्न–भिन्न चरणों में हैं। इसलिए इस समय भारत में प्रस्तावित निवेश की राशि बता पाना संभव नहीं है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों को सुविधाएं

1485. श्री पंकज चौधरी :

श्री बृजभूषण शरण सिंह :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय राष्ट्रीय योजनाओं के अन्तर्गत जम्मू और कश्मीर में आवास के लिए भूमि तथा सम्पत्ति के अधिग्रहण के लिए अनिवासी भारतीयों को सुविधाएं देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी के थुंगन) : (क) और (ख) भारत सरकार ने आवास तथा स्थावर संपदा के क्षेत्र में अनिवासी भारतीयों के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए एक योजना बनाई है। राज्य सरकारों को इस योजना को कार्यान्वित करने की सलाह दी गई है। इस योजना के अंतर्गत जम्मू तथा कश्मीर सरकार ने एक नोडल सैल की स्थापना की है ताकि अनिवासी भारतीयों के निवेश को शीघ्र मंजूरी देने के लिए एकल खिड़की अनुमोदन की व्यवस्था हो सके।

रावतभाटा परमाणु विद्युत केन्द्र

1486. श्री काशी राम राणा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रावतभाटा परमाणु विद्युत केन्द्र को सप्लाई किए गए पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी की जा रही है।

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस कारण कितना घाटा हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) जी, नहीं। तथापि, पांच वर्ष पहले दिसंबर 1988 में एक घटना हुई थी।

(ख) से (घ) जब राजस्थान परमाणु बिजलीघर के केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने लगभग 210 लीटर डीजल सहित एक डीजल टैंकर को जब वह इस डीजल को बिजलीघर से बाहर ले जा रहा था, पकड़ा था। इस घटना में शामिल दो कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की गई थी। भारतीय दंड संहिता की धारा 406 और 420 के अंतर्गत एक आपराधिक मामला भी तुरंत ही संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किया गया था।

[अनुवाद]

बैन्जीडिन और बैन्जीडिन आधारित रंग सामग्री

1487. श्री मोहन रावले : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बैन्जीडिन और बैन्जीडिन आधारित रंग सामग्री के विभिन्न विपणन और उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि बैन्जीडिन और बैन्जीडिन आधारित रंग सामग्री का देश में अभी भी विनिर्माण और विपणन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ड) बैन्जीडिन और बैन्जीडिन आधारित रंग सामग्री के विनिर्माताओं और व्यापारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) जी, हां। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने बैन्जिडिन और बैन्जिडिन पर आधारित रंजको के निर्माण और प्रयोग पर उनकी कथित कैन्सरजनित पद्धति होने के कारण 30 जनवरी, 1993 से प्रतिबंध लगा दिया है।

(ग) से (ड) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने देश में बैन्जिडिन और बैन्जीडिन पर आधारित रंजकों के हो रहे निर्माण और बिक्री के बारे में विभिन्न राज्य सरकारों से पता लगाया है। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि प्रतिबंध आदेश को कड़ाई से लागू करें। उनसे दोषी यूनिटों के विरुद्ध पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया गया है।

[हिन्दी]

नकली कीटनाशक

1488. डा० एस. पी. यादव : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में कितनी कंपनियां कीटनाशकों का निर्माण कर रही है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन कीटनाशकों की गुणवत्ता की जांच की जाती है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) अधिकांश कीटनाशियों को अगस्त, 1991 से लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है। संगठित तथा असंगठित दोनो क्षेत्रों में अनेक कंपनियां है जो कीटनाशियों के निर्माण में लगी हुई है। कंपनियों की संख्या के संबंध में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़ा मानीटरिंग पद्धति नहीं है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय कीटनाशी अधिनियम, 1968 में प्रावधान पहले से ही मौजूद है जिसके अनुसार बिना उचित पंजीकरण/लाइसेंस के, जो कि केन्द्रीय/राज्य प्राधिकारियों द्वारा पूरी जांच के बाद दिए जाते हैं। कीटनाशियों का निर्माण, स्टाक, प्रदर्शन या बिक्री कोई नहीं कर सकता है। कीटनाशी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ अधिसूचित प्राधिकारियों द्वारा राज्य स्तर पर कड़ी कार्रवाई की जाती है।

अवैध कालोनियों को नियमित करना

1489. श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकार, दिल्ली ने 600 कालोनियों को नियमित करने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) केन्द्रीय सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) नियमित की जाने वाली कालोनियों के नाम क्या है;

(घ) क्या पालम क्षेत्र की अनेक कालोनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में आवेदन केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन आवेदनों को कब तक मंजूरी दे दी जायेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से एक प्रस्ताव मिला है। चूंकि, उक्त सरकार ने, मांगी गई कतिपय अतिरिक्त जानकारी अभी तक नहीं भेजी है अतः, केन्द्र सरकार उस प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की स्थिति में नहीं है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (च) उपर्युक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सी-हैरियर लड़ाकू विमान को उन्नत बनाना

1490. श्री सत्य देव सिंह :

श्री दत्तात्रेय बंडारू :

डा० रामकृष्ण कुसमारिया :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय नौसेना के 'सी–हैरियर' लडाकू विमानों को अधिक लड़ाकू और परिष्कृत बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा किया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथ संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नहीं; ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

फूलपुर - इलाहाबाद स्थित उर्वरक संयंत्र

1491. श्री राम पूजन पटेल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश के फूलपुर–इलाहाबाद स्थित 'इफको' के उर्वरक संयंत्र का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षो के दौरान किसानों की कितनी भूमि का अधिग्रहण किया गया और उन्हें किस दर पर क्षतिपूर्ति दी गई;

(ग) क्या जिन लोगों की भूमि इफको द्वारा अधिग्रहीत की गई उन्हें रोजगार देने का आश्वासन दिया गया था;

(घ) यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को रोजगार दिया गया है और शेष कितने लोगों को रोजगार दिया जाना है; और

(ड) कब तक शेष लोगों को रोजगार दे दिया जाएगा?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) इफको की अपने फूलपुर एकक की क्षमता विस्तारित करने की योजना है। यह प्रस्ताव प्रारंभिक अवस्था में है और इस पर अभी इफको के बोर्ड द्वारा विचार किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए कोई भूमि अधिगृहीत नहीं की गई है।

(ग) से (ड) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तलाक संबंधी मामले

1492. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 जून, 1994 तक की स्थिति के अनुसार विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में तलाक संबंधी कुल कितने मामले अभी निर्णयाधीन थे;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामलों को निपटाया गया; और

(ग) शेष लंबित पड़े मामलों को कब तक निपटाएं जाने की संभावना है।

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी।

दिल्ली में शहरी मौलिक सेवा

1493. श्री रामविलास पासवान :

श्री श्रीकांत जेना :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कौन–कौन से सरकारी और गैर–सरकारी संगठन शहरी मौलिक सेवा (यू. बी. एस.) के कार्य में सहयोग दे रहे हैं और सहयोग संबंध क्षेत्र कौन–कौन से हैं;

(ख) शहरी विकास सेवा के अंतर्गत कितनी गंदी बस्तियां है;

(ग) क्या इस सेवा की उपलब्धियों और कमियों का आकलन करने हेतु इसके कार्य योजना की कोई समीक्षा की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड) शहरी मौलिक सुविधा के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ड) शहरी मूलभूत सेवा योजना राज्य क्षेत्र की योजना है। दिल्ली सरकार द्वारा यथा प्रेषित अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(क) दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य निदेशालय, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा शिक्षा निदेशालय स्वास्थ्य एवं सफाई, स्कूल–पूर्व शिक्षा, शिशु जीवन–दर एवं बाल विकास और आमदनीदायक कार्य क्षेत्र में मिलकर काम कर रहें हैं। बारह गैर–सरकारी संगठन स्वास्थ्य एवं सफाई तथा मानव विकास के क्षेत्रों में शहरी बुनियादी सेवा योजना में सहयोग दे रहे हैं।

(ख) 350 स्लम

(ग) और (घ) शहरी विकास विभाग द्वारा शहरी बुनियादी सेवा योजना का आवर्ती आधार पर पुनरीक्षण किया जाता है।

शहरी बुनियादी सेवा योजना की उपलब्धियां (1992-93 से जून 1995 तक की अवधि के दौरान)

प्रमुख कार्यकलाप		1992-93	1993-94	1994-95
1.	वृद्धों के लिए सहायता	3750	3552	3277
2.	स्कूल–पूर्व शिक्षा (कुल केन्द्र)	194	164	170
3.	शिशु सदन में बच्चों की संख्या	6887	4920	5100
4.	पूरक पोषण (बच्चों की संख्या)	6887	4920	5100
5.	निम्नलिखित का वितरण			
	(क) ओ. आर. एस. पेकेट	-	75,000	50,000
	(ख) क्लोरीन टिकिया	-	25,000,000	15,00,000

कमियां

1. विभिन्न विभागों द्वारा दोहरे कार्यकलाप किये जाने से संसाधनों की बर्बादी।

2. शहरी बुनियादी सेवा योजना के लक्ष्य समूहों को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न विमानों की ओर से पर्याप्त प्रेरणा की कमी के कारण इनकी प्रतिक्रिया का स्तर वास्तव में उत्साहजनक नहीं है।

(ड) पड़ोस समितियों तथा सामुदायिक विकास समितियों के आयोजन द्वारा विभिन्न एजेंसियों से सुलभ सेवा–सुविधाओं की जानकारी कराने तथा सामुदायिक भागीदारी पर विशेष बल दिया जा रहा है।

काउन्सिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नालॉजी (कापार्ट) का विकेन्द्रीकरण

1494. श्री रवि राय :

श्री धर्मण्णा मोंडयृया सादुल :

श्रीमती बिभु कुमारी देवी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रीजनल काउन्सिल फार एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एण्ड रूरल टेक्नोलॉजी का विकेन्द्रीकरण करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रीय काउन्सिलों के अंतर्गत कौन–कौन से क्षेत्र आएंगे, और

(ग) इसका प्रशासनिक ढांचा और कार्य क्या होंगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) से (ग) लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) की कार्यकारी समिति ने 17.6.1994 की बैठक में क्षेत्रीय समितियों और क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना करके कापार्ट के

विकेन्द्रीकरण के वास्तव को अनुमोदित कर दिया है। सभी राज्यों को क्षेत्रीय समितियों और क्षेत्रीय केन्द्रों से कवर किया जायेगा। प्रस्ताव के और ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

मध्यप्रदेश में पेयजल की कमी

1495. श्री खेलन राम जांगडे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश के गांवों में पेयजल की उपलब्धता के संबंध में स्थिति की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्रीय सरकार को राज्य की ओर से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी योजनाएं प्राप्त हुई और उनमें से कितनी योजनाओं को स्वीकृति दी गई;

(घ) सरकार ने राज्य को इस प्रयोजनार्थ आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धनराशि का आबंटन किया है;

(ङ.) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(च) इस प्रयोजनार्थ वर्ष 1994-95 के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी हां।

(ख) 1985 में किए गये सर्वेक्षण के अनुसार मध्य प्रदेश में बिना पेयजल स्रोत वाले 14714 समस्याग्रस्त गांवों का पता लगाया गया था। 31.3.94 की स्थिति के अनुसार सभी 14714 समस्याग्रस्त गांवों में पेयजल का एक अथवा एक से अधिक पेयजल स्रोत मुहैया कराया गया है।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश से पेयजल-सप्लाई की 7318 योजनाएं प्राप्त हुई थी। जिनको 9278.35 लाख रूपए की अनुमानित लागत से 8096 गांव को कवर करने की स्वीकृति दी गई थी।

(घ) त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश की निधियों का आंवटन निम्न प्रकार से किया गया है :–

वर्ष	आबंटन (करोड़ रूपए में)
1992-93	28.19
1993-94	46.00

(राज्य सरकार के अनुरोध पर अतिरिक्त 2.00 करोड़ रूपए रिलीज किए गये थे।)

1994-95	51.42
1995-96	इसके बारे में निर्णय वर्ष दर वर्ष
1996-97	आधार पर लिया जायेगा।

(ङ.) 1992-93 और 1993-94 में ग्रामीण जल सप्लाई हेतु 10350 गांवों की तुलना में 11629 गांवों को कवर किया गया था। 1994-95 के लिए 9000 बस्तियों की कवरेज का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष दो वर्षों के लिए लक्ष्य इन वर्षों के परिव्यय के अनुसार वर्ष पर वर्ष आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

(च) 1994-95 के लिए 51.42 करोड़ रूपए के आंबटन में से 25.71 करोड़ रूपए रिलीज कर दिये गये है।

[अनुवाद]

केरल में नारियल जटा श्रमिक

1496. श्री थाइल जान अंजलोज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को केरल सरकार की ओर से 1993-94 ओर 1994-95 के दौरान नारियल जटा श्रमिकों के कल्याण के लिये बनी येाजनाओं को लागू करने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्रालय में (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) बोर्ड 1991-92 से आगे केरल में किसी कल्याण योजना का सीधा कार्यान्वयन नहीं करता रहा है। इसके बजाय केरल में कल्याण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड की 93-94 तक 60 लाख रू० की राशि जारी की गई है। वर्ष 1993-94 के दौरान कयर श्रमिकों को वृद्धावस्था पेंशन, परिवार पेंशन, चिकित्सा व्यय, छात्रवृति, विवाह खर्च, दाह संस्कार खर्च आदि जैसे कल्याणकारी उपायों के कार्यान्वयन के लिए केरल सरकार ने केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड को 25 लाख रू० की राशि जारी करने का अनुरोध किया है। क्योंकि स्वीकृति 31 मार्च 1994 को ही प्राप्त हुई थी इसलिए बोर्ड 93-94 में कल्याण निधि बोर्ड को केवल 10 लाख रू० ही उपलब्ध करा सका है। शेष 15 लाख रूपये चालू वर्ष के दौरान निधियां प्राप्त हो जाने पर जारी किये जायेंगे।

मई, 1994 के दौरान केरल में निराश्रित व गरीब कयर श्रमिकों के लिए एक वृद्धावस्था गृह आरंभ करने हेतु केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। परियोजना को कयर बोर्ड की वित्तीय सहायता से केरल कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है। परियोजना की कुल लागत 5.21 लाख रू० होने का अनुमान है। कयर बोर्ड ने इस प्रस्ताव की विस्तार से जांच की थी। यह देखा गया था कि केरल में कयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित माडल कयर ग्राम कार्यक्रम के अधीन कुछ राशियां एक कयर सहकारी समिमि द्वारा प्रयोग में नहीं लाई गई थी जिसे इस कार्यक्रम के अधीन सहायता मंजूर की गयी थी। केरल में माडल कयर ग्राम कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए गठित संचालन समिति ने अपनी 27.6.94 की बैठक में सिद्धांत रूप में यह निर्णय लिया था कि अनप्रयुक्त राशि के पुनः प्राप्त होने

के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली राशि वृद्धावस्था गृह की स्थापना करने के लिए केरल राज्य कयर श्रमिक कल्याण निधि बोर्ड की सहायता के रूप में मंजूर की जा सकती है, बशर्ते कि कल्याण निधि बोर्ड कयर बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाने वाली शर्तों से सहमत हो और यह भी शर्त है कि वृद्धावस्था गृह की स्थापना और रख–रखाव में राज्य सरकार भी पर्याप्त योगदान दे। उपर्युक्त प्रस्ताव पर केरल सरकार की टिप्पणियों की प्रतीक्षा है। उत्तर प्राप्त हो जाने पर एक प्रस्ताव बोर्ड में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(ग) कयर बोर्ड, कोचीन के परामर्श से प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

योजनागत व्यय

1497. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों में योजनागत व्यय में कोई गिरावट आयी है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन राज्यों में योजनागत व्यय कम हुआ है;

(ग) इसके क्या कारण है, और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जायेंगे?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 1993-94 के लिए विभिन्न राज्यों के अनुमोदित तथा संशोधित योजना परिव्ययों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) राज्यों के वार्षिक योजना परिव्यय राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से किये गये अंशदान तथा राज्य योजना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता के अनुमानों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किए जाते है। विभिन्न राज्यों के योजना व्यय में कमी का कारण योजना व्यय के लिए प्रतिबद्ध संसाधनों की उपलब्धता को पूरा कर पाने में उनकी असमर्थता है। तथापि, राज्य योजनाओं को केन्द्रीय सहायता में कोई कमी नहीं की गई है। योजना आयोग ने राज्यों से बार–बार अतिरिक्त संसाधनों के संग्रह, राज्य के सार्वजनिक उद्यमों के कार्य निष्पादन में सुधार, व्यय में किफायत, अल्प बचतों के उन्नत संग्रह आदि के द्वारा योजना को वित्तपोषित करने में राज्यों के अधिका–धिक योगदान पर बल दिया है।

विवरण

(करोड़ रूपये)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वार्षिक योजना 1993-94	
		अनुमोदित परिव्यय	संशोधित परिव्यय
1.	आंध्र प्रदेश	1851.00	1851.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	290.00	263.91

3.	असम	1027.00	872.00
4.	बिहार	2300.00	750.00
5.	गोवा	170.00	144.50
6.	गुजरात	2137.00	1900.00
7.	हरियाणा	920.00	839.08
8.	हिमाचल प्रदेश	560.00	562.82
9.	जम्मू व कश्मीर	880.00	684.00
10.	कर्नाटक	3025.00	3025.00
11.	केरल	1000.00	1019.77
12.	मध्य प्रदेश	2400.00	2018.21
13.	महाराष्ट्र	3804.00	3832.80
14.	मणिपुर	230.00	174.84
15.	मेघालय	281.00	281.00
16.	मिजोरम	185.00	181.90
17.	नागालैंड	203.50	168.41
18.	उड़ीसा	1450.00	1095.19
19.	पंजाब	1250.00	1140.00
20.	राजस्थान	1700.00	1704.76
21.	सिक्किम	120.00	100.12
22.	तमिलनाडु	2101.00	2102.21
23.	त्रिपुरा	310.00	220.03
24.	उत्तर प्रदेश	4050.00	2800.00
25.	पश्चिम बंगाल	1550.00	1020.94

'सी' श्रेणी के मकानों को पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति में बदलना

1498. श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ए एंड.डी ओ को 'सी' श्रेणी के मकान पूर्ण स्वामित्व वाली संपत्ति में बदलने हेतु आवेदन–पत्र मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या ऐसे सभी आवेदकों को जारी की गयी अप्रैल, 1992 की विवरणिका के पैरा 30 में दिये गये आश्वासन के अनुसार तीन महीनों के भीतर परिवर्तन की मंजूरी दे दी गयी है; और

(घ) यदि नहीं, तो तीन महीनों से अधिक समय से लंबित आवेदन–पत्रों की संख्या कितनी है और इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी के थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 1000 आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) और (घ) लगभग 1000 आवेदनों में से 800 का निपटान कर दिया है। आवेदकों से दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा सरकारी बकाये का भुगतान करने जैसा भी मामला हो, का अनुरोध किया गया है।

[हिन्दी]

आवेदन पत्रों का निपटान

1499. श्री महेश कनोडिया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु लम्बित विभिन्न आवेदनपत्रों के निपटान के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह समय–सीमा सभी राज्यों के लिए कड़ाई से तथा समान रूप से लागू की जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों को उनके प्राप्त होने के 60 दिनों के भीतर निपटाया जाना होता है। वह समय सीमा सभी राज्यों के लिए लागू है और इस बारे में कोई छूट नहीं दी जाती है।

सरकार का औद्योगिक लाइसेंस संबंधी सभी आवेदनों को निर्धारित समय सीमा में निपटाने का प्रयास रहता है। तथापि उक्त समय सीमा का हमेशा अनुपालन कर पाना संभव नहीं होता है, क्योंकि कुछ मामलों में संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों की सिफारिशें समय पर नहीं मिलती है और कुछ अन्य मामलों में आवेदकों के आवेदनों में कुछ कमियां होने के कारण उनसे अतिरिक्त सूचना मंगानी पड़ती है जिसके फलस्वरूप इनके निपटान में देरी हो जाती है।

प्रशासनिक मंत्रालयों को अपनी सिफारिशें शीघ्र भेजने के लिए नियमित रूप से स्मरण कराया जाता है और आवेदकों को अतिरिक्त सूचना भेजने के लिए सीधे ही पत्र भेजें जाते हैं ताकि औद्योगिक लाइसेंस संबंधी आवेदनों का तीव्र निपटान सुनिश्चित किया जा सके।

[अनुवाद]

ठोस अपशिष्टों के निपटान की व्यवस्था

1500. श्री विजय कृष्ण हान्डिक : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुडको ने ठोस अपशिष्टों के प्रभावी निपटान के लिए दीर्घ कालिक सहयोग हेतु किसी फ्रांसीसी एजेंसी के साथ किसी समझौता–ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी के थुंगन) : (क) जी हां।

(ख) भारत फ्रांसीसी सहयोग कार्यक्रम के तहत सहयोग हेतु ज्ञात क्षेत्रों में से एक क्षेत्र कूड़े–कचरे का निपटान है हुडको ने दिनांक 26 से 28 अप्रैल 1994 तक नई दिल्ली में कूडे–कचरे का निपटान से संबंधित एक कार्यशाला का आयोजन किया था कूडे–कचरे के निपटान के क्षेत्र में हुडको की क्षमता का विकास करने तथा नगर स्तर की एकीकृत परियोजनाओं, जहां प्रायोगिक परियोजनाएं चलाई जा सकें, का पता लगाने के लिए, कार्याशाला के अंत में एजेंसी डि ला एन्वायरमेंट पर डिला नेट्राइस डिला एनर्जी (ए डी ई एम ई) तथा हुडको द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

आंध्र प्रदेश में रूग्ण एकक

1501. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अनेक औद्योगिक एकक रूग्ण पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्षेत्रवार इन एककों में कुल कितनी धनराशि फंसी पड़ी है;

(घ) इन एककों की रूग्णता के कारण कुल कितने श्रमिक प्रभावित हुए है;

(ड) इनमें से कितने एककों को अब तक पुनः चालू किया गया है; और

(च) शेष एककों को पुनः चालू करने हेतु क्या कदम उठाए गये है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) देश में बैंकों से सहायता पाने वाले रूग्ण औद्योगिक एकाकों संबंधी आंकडे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संकलित किये जाते हैं। भारतीय रिजर्ब बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 30 सितम्बर, 1992 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में क्षेत्रवार गैर–लघु औद्योगिक रूग्ण एककों की संख्या और इन पर बकाया बैंक ऋण की राशि विवरण–I में दी गई है।

(घ) से (च) भारतीय रिजर्व बैंक रूग्ण एककों में नियोजित श्रमिकों की संख्या संबंधी आंकड़े नहीं रखता है। जहां तक फिर से चालू किए गए एककों की संख्या का संबंध है, बी. आई. एफ. आर. ने 30.06.1994 की स्थिति के अनुसार आन्ध्र प्रदेश की 78 कंपनियों के लिए पुनरूज्जीवन योजनाएं मंजूर/अनुमोदित की हैं।

रूग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए सरकार द्वारा किये गये कुछ महत्वपूर्ण उपाय विवरण–II में दिए गए है।

विवरण - I

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	उद्योग	गैर–लघु औद्योगिक रूग्ण एकक	
		एककों की संख्या	बकाया राशि
1.	इंजीनियरी	32	86.94
2.	इलैक्ट्रिकल्स	4	28.67
3.	कपड़ा	15	23.45
4.	पटसन	4	5.97
5.	कागज	12	89.73
6.	रबड़	2	5.31
7.	सीमेंट	13	104.47
8.	लोहा और इस्पात	4	5.63
9.	चीनी	2	5.77
10.	रसायन	26	29.87
11.	विविध	54	156.90
		168	542.71

विवरण-II

रूग्ण औद्योगिक एककों को फिर से चालू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय।

सरकार ने एक व्यापक कानून अर्थात "रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम 1985" बनाया है। इस अधिनियम के अधीन "औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड" (बी आई एफ आर) नामक एक अर्धन्यायिक निकाय की स्थापना की गई है, जिसका उद्देश्य रूग्ण औद्योगिक कंपनियों की समस्याओं को कारगर ढंग से निपटाना है, जिसने 15 मई, 1987 से कार्य करना शुरू कर दिया है।

(2) भारतीय रिजर्व बैंक ने मानीटरी प्रणाली को मजबूत बनाने और प्रारंभिक अवस्था में ही औद्योगिक रूग्णता को रोकने हेतु बैंकों को दिशा–निर्देश जारी किए हैं ताकि उचित समय पर सुधारात्मक उपाय किए जा सकें।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जीव्यक्षम इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज तैयार करने हेतु भी बैंकों को दिशा–निर्देश दिए गए हैं। बैंक तथा वित्तीय संस्थान रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए पुनःस्थापना पैकेज बनाते हैं।

(4) भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को अलग से दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं जिनमें उन मापदंडों को बताया गया है जिनके अधीन बड़े तथा लघु दोनों क्षेत्रों मे जीव्यक्षम रूग्ण इकाइयों की पुनःस्थापना हेतु बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक से बिना पूछे ही राहत एवं रियायतों की स्वीकृति दे सकेंगे।

(5) रूग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन/विलयन करके भी रूग्ण औद्योगिक एककों को फिर से जीवित किया जाता है। समामेलित रूग्ण एकक की पुनर्स्थापना के लिए स्वस्थ एकक को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 72(क) के तहत कर लाभ दिए जाते हैं।

(6) सरकार ने राष्ट्रीय नवीकरण निधि की स्थापना की है जो अन्य बातों के साथ–साथ औद्योगिक पुनर्गठन के कारण प्रभावित कामगारों को मुआवजे का भुगतान कराने की व्यवस्था भी करेगी।

(7) भारत सरकार की सलाह से भारतीय रिजर्व बैंक ने जीव्यक्षम रूग्ण लघु एककों की के पुनरूज्जीवन के लिए पुर्नस्थापना पैकेज तैयार करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के उद्योग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्यों में राज्य स्तरीय अन्तर संस्थान समितियां (एस एल आई आई सी) स्थापित की है।

(8) अगस्त, 1987 में स्थापित राष्ट्रीय इक्विटी निधि से संभावित जीव्यक्षम रूग्ण लघु औद्योगिक एककों, जिनकी परियोजना लागत 10 लाख रू. से अधिक नहीं है, को 1 प्रतिशत की मामूली वार्षिक दर से सेवा प्रभार से लेकर 1,50,000 रूपये तक दीर्घावधि इक्विटी सहायता के रूप में वित्तीय सहायता भी मिल जाती है।

(9) अत्यंत लघु और लघु उद्योगों के लिए एक शीर्ष बैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के रूप में कार्य करने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की स्थापना की गई है।

संभावित जीव्यक्षम रूग्ण औद्योगिक एककों के पुनःजीवन के लिए सिडबी द्वरा पुर्नस्थापना के लिए एक अलग पुनर्वित्त योजना चलाई जा रही है।

[हिन्दी]

कश्मीर में छावनी

1502. श्री धर्मण्णा मोंडयृया सादुल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1978 में कश्मीर में भदरवाह को छावनी क्षेत्र घोषित करने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो इस निर्णय को अब तक लागू न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस तरह के निर्णय घोषित करने से कश्मीर में शांति कायम करने तथा घुसपेठियों को रोकने में मदद मिलेगी; और

(घ) इस को कब तक घोषित कर दिया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क) से (घ) कश्मीर में भदरवाह को छावनी अधिनियम 1924 की धारा–3 के तहत छावनी के रूप में अधिसूचित किए जाने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि जम्मू–और कश्मीर के डोडा जिले के भदरवाह क्षेत्र में एक सैन्य स्टेशन बनाए जाने का प्रस्ताव है। इस परियोजना के लिए सरकार से अंतिम स्वीकृति प्राप्त होने तक इस उद्देश्य के लिए अपेक्षित 894.134 एकड़ भूमि के अर्जन की मंजूरी जारी की जा चुकी है। भूमि के अधिग्रहण से संबंधित मांग भी राज्य सरकार को भेज दी गई है। इस संबंध में वास्तविक कार्य तभी आरंभ किया जाएगा जब रक्षा मंत्रालय इस भूमि का कब्जा ले लेगा।

भदरवाह क्षेत्र में सैन्य स्टेशन स्थापित होने से आशा है कि स्थानीय जनता में विश्वास कायम होगा तथा उग्रवादी/राष्ट्र विरोधी तत्वों से भी निपटा जा सकेगा।

[अनुवाद]

गुजरात के लिए विकास योजनाएं

1503. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात की राज्य सरकार ने योजना आयोग को कोई विकास योजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने 1994-95 के लिए मसौदा वार्षिक योजना प्रस्तावों के रूप में राज्य की विकास स्कीमों के संबंध में अपने प्रस्ताव भेजे हैं; जिन्हें योजना आयोग ने निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार अनुमोदित कर दिया है। गुजरात हेतु 1994-95 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना परिव्यय 2240 करोड़ रू० है।

[हिन्दी]

स्व-रोजगार योजना

1504. श्री राम टहल चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ग्रामीण युवकों को स्व–रोजगार देने हेतु बनी प्रशिक्षण योजना के कार्य–निष्पादन की पुनरीक्षा की है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने ग्रामीण युवकों को स्व–रोजगार देने हेतु बने प्रशिक्षण कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या उपाय किए है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) और (ख) जी हां। मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत समीक्षा के अलावा प्रतिष्ठित स्वतंत्र संगठनों की मार्फत जून से अगस्त, 1993 के दौरान ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण

योजना का एक मूल्यांकन करवाया गया था। इस मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष ये थे कि तीन चौथाई से अधिक लाभार्थी ट्राइसेम के अंतर्गत उनको दिये गये प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं। लगभग 55 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार मिला है। कार्यक्रम की जो कमी बताई गई थी उनके ऋण संस्थाओं के साथ उचित तालमेल की कमी और ढांचा सुविधाओं का अभाव आदि है।

(ग) लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(1) ट्राइसेम प्रशिक्षण के लिए उम्मीदवारों के चयन में सुधार।

(2) प्रशिक्षण अवधि और प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्वरूप की समीक्षा।

(3) ट्राइसेम के अंतर्गत ढांचा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाना।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ बेहतर तालमेल को बल।

(5) कड़ी निगरानी प्रणाली।

(6) प्रशिक्षार्थियों और प्रशिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता की मात्रा में सुधार।

[अनुवाद]

एल्कोहल पर आधारित उद्योग

1505. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एल्कोहल पर आधारित उद्योगों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो समिति के निदेश–पद क्या है;

(ग) क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) कर्नाटक के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन 4.11.93 को आयोजित आबकारी मंत्रियों के सम्मेलन में किया गया था। कार्यदल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे : (1) नियंत्रण रहित स्थिति में देसी शराब की बिक्री और वितरण के लिए राज्यों की नीतियों में सामंजस्य स्थापित करना। (2) नियंत्रण मुक्ति के लक्ष्यों के अनुरूप बनाने के लिए राज्यों के अधिनियमों और नियमों की समीक्षा करना। (3) यह सुनिश्चित करने के लिए कि पेय एल्कोहल के उत्पादन का सभी राज्यों में विनियमन और नियंत्रण एक समान तरीके से हो, अधिनियमों और नियमों को युक्तिसंगत बनाना। (4) शीरे और एल्कोहल के संबंध में स्वतंत्र रूप से काम कर रही बाजार शक्तियों की बाधाओं को दूर करना। (5) अंतरिम उपायों, यदि कोई हो, का सुझाव देना। (6) पेय एल्कोहल के उत्पादन के लिए शीरे को अन्यत्र ले जाने पर रोक लगाने के लिए उपाय सुझाना, और (7) कमी वाले राज्यों को परिशोधित स्पिरिट की संतुलित आपूर्ति करने तथा लाइसेंस

शुदा वेन्डरों और रसायन एवं भेषज उत्पादकों को देसी शराब की सरकारी आपूर्ति के बारे में उपायों का सुझाव देना।

दल की सिफारिशों की जांच की जा रही है।

सरकारी कर्मचारियों का वकील के रूप में नामांकन

1506. श्री जीवन शर्मा : क्या **प्रधान मंत्री** सरकारी कर्मचारियों का वकील के रूप में नामांकन के बारे में 25 अगस्त, 1993, 22 दिसंबर, 1993 और 23 फरवरी, 1994 के अतारांकित प्रश्न सं० 4520, 3245 और 371 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सूचना एकत्र की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी, नहीं,

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा भारतीय विविध परिषद् से परामर्श करके मामले की समीक्षा की जा रही है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन

1507. श्री प्रेम चंद राम : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान प्रत्येक वर्ष में भूतपूर्व सैनिकों को पेंशन देने के संबंध में राज्यवार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए है;

(ख) राज्यवार कितने भूतपूर्व सैनिकों के लिए पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है और कितने मामले लम्बित हैं/अस्वीकृत किए गए है; और

(ग) इन लम्बित मामलों को कब तक निपटा दिया जायेगा?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन):

(क)	1991-92	77,603
	1992-93	85,345
	1993-94	98,402
	कुल	2,61,350

राज्यवार कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख)	स्वीकृत	अस्वीकृत
1991-92	72,972	4,631
1992-93	82,223	3,122
1993-94	94,309	4,093
कुल	2,49,504	11,846

राज्यवार कोई ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ग) 31.3.94 तक प्राप्त कोई भी दावा लंबित नहीं है।

[अनुवाद]

स्कूलों/कालिजों में एन.सी.सी.

1508. प्रो० प्रेम धूमल :

श्री प्रेम चन्द राम :

श्री मंजय लाल :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्कूलों/कालिजों की राज्यवार संख्या कितनी है जिसमें इस समय एन. सी. सी. सुविधाएं उपलब्ध है;

(ख) क्या देश में कुछ और स्कूलों/कालिजों में एन.सी.सी. सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनमें, राज्यवार, एन.सी.सी. कक्षाएं कब से शुरू की जायेगी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जिन स्कूलों और कालेजों में एन.सी.सी. है, उनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) नई शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय कैडेट कोर की व्यवस्था प्रदान करने के लिए सरकार ने कैडेटों की संख्या शक्ति में 1991-92 से 1995-96 तक प्रतिवर्ष 10,000 कैडेटों की दर से वृद्धि किए जाने की स्वीकृति दे दी है। विशिष्ट प्रस्तावों को संबंधित राज्य सरकार द्वारा आवश्यक वित्तीय सहमति दिए जाने के बाद एन.सी.सी. की कक्षाएं बनाने के आदेश जारी होने पर स्कूल/कालेज में राष्ट्रीय कैडेट कोर कार्य करना आरंभ कर देती है। यह कहना संभव नहीं है कि राज्य सरकारें अपनी सहमति कब तक दे देंगी।

विवरण

राष्ट्रीय कैडेट कोर के अंतर्गत आने वाले स्कूल और कालेज

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	स्कूल	कालेज
1.	आंध्र प्रदेश	432	250
2.	बिहार	421	197
3.	दिल्ली	254	57
4.	गुजरात @	305	220
5.	जम्मू एवं कश्मीर	100	20
6.	कर्नाटक	394	333
7.	गोवा	17	25
8.	केरल*	451	184
9.	मध्य प्रदेश	479	243
10.	महाराष्ट्र	606	735
11.	असम	273	108
12.	अरूणाचल प्रदेश	24	4
13.	मेघालय	26	9
14.	मिजोरम	8	2
15.	मणिपुर	40	16
16.	नगालैंड	38	11
17.	त्रिपुरा	32	10
18.	उड़ीसा	447	109
19.	पंजाब	288	201
20.	हरियाणा	167	124
21.	हिमाचल प्रदेश	200	40
22.	चण्डीगढ़	23	16
23.	राजस्थान	242	120
24.	तमिलनाडु	675	228
25.	पांडिचेरी	29	10
26.	अडंमान और निकोबार	28	2
27.	उत्तर प्रदेश	76	1175
28.	पश्चिम बंगाल	545	191
29.	सिक्किम	15	1
	कुल	6635	4641

@ इसमें द्वीव एवं दमन तथा दादर एवं नागर हवेली भी शामिल है।

* इसमें लक्षद्वीप भी शामिल है।

[हिन्दी]

विदेशी सहायता से मकानों का निर्माण

1509. श्री राजवीर सिंह : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी सहायता से मकानों के निर्माण की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ कितना ऋण मांगा गया है; और

(ग) राज्य सरकारों को इस संबंध में राज्य–वार कितनी धनराशि आवंटित की गयी है और कितनी धनराशि दी गयी है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। देश में मकानों के निर्माण हेतु भारत सरकार और के. एफ. डब्ल्यु, जर्मनी ने निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किये हैं :

	स्कीम	प्रयोजन	धनराशि	स्थिति
1.	हडको–के एफ डब्ल्यू I (ऋण)	शहरी कमजोर वर्ग आवास हेतु उप–ऋण हेतु वित्त व्यवस्था	डी एम 20 एम	पूर्ण
2	हडको–के एफ डब्ल्यु II (ऋण)	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों के लिए आवासीय स्कीमों के लिए उप–ऋण हेतु व्यवस्था	डी एम 30 एम	वही
3	हडको–के एफ डब्ल्यु IV (अनुदान)	शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्ग आवास और महाराष्ट्र में भूकंप में नष्ट हुए मकानों के पुनर्निर्माण हेतु ऋण की व्यवस्था हेतु	डी एम 35 एम	वित्तीय समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर हुये हैं।
4	हडको–के एफ डब्ल्यु I	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु एच डी एफ सी कम लागत आवास	डी एम 25 एम	प्रगति पर

		कार्यक्रम के संदर्भ में उप–ऋणों की वित्त व्यवस्था हेतु	
5	हडको–के एफ डब्ल्यु II	ई डब्ल्यू एस के लिए डी एम 30 एम सरकारी और गैर–सरकारी संगठनों हेतु कम लागत आवास उपायों के लिए वित्त व्यवस्था और अनुपूरक अर्ध संरचना के सुधार तथा आवासों के निर्माण और विकास की परियोजनाओं हेतु ऋण/अनुदान।	वित्तीय समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर हुए हैं।

(ग) के एफ डब्ल्यु–हडको I और II के अंतर्गत सभी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। ऋण का राज्यवार उपयोग इस प्रकार है :

राज्य का नाम		हडको–के एफ डब्लयु I	हडको–के एफ डब्ल्यु II (रूपये लाखों में)
1.	केरल	307.06	2235.10
2.	तमिलनाडु	355.28	123.38
3.	त्रिपुरा	14.74	-
4.	उत्तर प्रदेश	49.03	1797.84
5.	राजस्थान	51.39	-

जहां तक हडको – के एफ डब्ल्यु IV का संबंध है। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक राज्य से स्कीमें के एफ डब्ल्यु को भेजने के लिए हडको में प्राप्त हुई। हडको–के एफ डब्ल्यु I के संबंध में राज्यवार स्वीकृत ऋण के ब्यौरे इस प्रकार है:

1.	केरल	2483.87
2.	तमिलनाडु	567.53
3.	केरल और तमिलनाडु	163.50
4.	उत्तर प्रदेश में संयुक्त	246.50
5.	महाराष्ट्र	34.24

6.	गुजरात	11.22
7.	कर्नाटक	10.26
8.	आंध्र प्रदेश	177.12

[अनुवाद]

केरल में पवन/सौर ऊर्जा

1510. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में पवन/सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु हाल ही में प्रयोग किए गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए राज्य सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ड) 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) केरल में विभिन्न प्रदर्शन कार्यक्रमों के तहत बहुत सी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा युक्तियां और प्रणालियां स्थापित की गई है, इनमें ये शामिल है : सौर जल तापन और वायु तापन प्रणालियां, सौर स्टिल और सौर कूकर; सौर प्रकाशवोल्टीय, सड़क रोशनी, सामुदायिक रोशनी और घरेलू प्रकाश प्रणाली, टेलीविजन तथा छोटे गांव स्तर के विद्युत संयंत्र; और जल पंपन पवन चक्कियां और पवन बैटरी चार्जर। इसके अलावा, विद्युत उत्पादन के लिए दो प्रदर्शन पवन फार्म परियोजनाएं राज्य के पोलोकाड जिले में शुरू की गई है।

(ग) और (घ) राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय के अनुमोदनार्थ लंबित नहीं है। तथापि राज्यों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत करना एक सतत प्रक्रिया है और मंत्रालय का अनुमोदन उनकी तकनीकी व्यवहार्यता, विभिन्न योजनाओं के तहत मानदंडों की प्रक्रिया को पूरा करना और राशियों की उपलब्धता के अधीन दिया जाता है।

(ड) प्रत्येक राज्य के लिए राशियों का वर्ष–वार आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, राज्य में इन कार्यक्रमों के लिए वर्ष 1993-94 के दौरान लगभग 1.65 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई थी।

महाराष्ट्र में राजीव गांधी पेयजल मिशन

1511. श्री सुधीर सावंत : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में राजीव गांधी पेयजल मिशन शुरू की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में स्वयंसेवी संगठन को शामिल करने की कोई गुंजाइश है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल सुविधाएं मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करने के उद्देश्य से वर्ष 1986 में राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू किया गया था। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम, मिनी मिशनों और उप–मिशनों की मार्फत योजनायें कार्यान्वित की जाती है।

त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत मैचिंग प्रावधान के आधार पर दी जाती है।

महाराष्ट्र में लातूर और सतारा नामक दो मिनी मिशन जिले हैं उनकी अनुमोदित परियोजना लागत 8.90 करोड़ रूपये है।

मिनी मिशनों की स्थापना जल की गुणवत्ता की समस्याओं को हल करने के लिए की जाती है। उप–मिशन योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के लिये फ्लोराइड दूर करने के चार संयंत्र, खारापन दूर करने के लिए दो संयंत्र तथा लौह दूर करने के 74 संयंत्र अनुमोदित किए गए है।

(ग) और (घ) ग्रामीण जल सप्लाई योजनायें राज्य सरकार के जन–स्वास्थ्य इंजीनियरी विभाग की मार्फत कार्यान्वित की जाती है। तथापि, इन योजनाओं को स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कार्यान्वित करवाने के लिऐ लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कापार्ट) को मार्फत निधियां उपलब्ध करायी जाती है।

छावनी क्षेत्र में अवैध निर्माण

1512. श्री कालका दास :

श्री तारा सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पट्टे पर विभिन्न श्रेणियों की भूमि जो रक्षा विभाग के पास लखनऊ, कानपुर, मेरठ और झांसी में थी, उसे सुरक्षित रखने हेतु कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राधिकारियों के बिना रोक–टोक के इस भूमि पर अतिक्रमण करने वालों ने धीरे–धीरे भवनों का अवैध निर्माण शुरू कर दिया है;

(घ) क्या सरकार ने वहां अतिक्रमण की जा रही भूमि के वास्तविक मूल्य का आकलन किया है; और

(ङ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसे रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): छावनियों में रक्षा भूखंडों पर गैर–सरकारी व्यक्तियों का कब्जा 1899 और 1912 छावनी कूटों

और छावनी भूमि प्रशासन नियमावली, 1925 और 1937 के प्रावधानों के तहत ओल्ड ग्रांट शर्तो पर या पट्टे पर है। ये पट्टे पट्टेदारों को कब्जे का अधिकार प्रदान करते हैं और निर्धारित अवधि के लिए निष्पादित किए गए है। पट्टेदार, सामान्यतः उनके कब्जे में निहित संपति की उस पर अवैध कब्जा किए जाने से सुरक्षा और बचाव करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। अतः पट्टे पर दी गई संपति पर अवैध कब्जों के बारे में सरकार द्वारा कार्रवाई किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

रक्षा भूखंडों पर अनधिकृत निर्माण के सभी मामलों में संबंधित छावनी बोर्डो द्वारा छावनी अधिनियम, 1924 की धारा 184, 185 और 256 के अंतर्गत कार्रवाई की जानी होती है।

अवैध रूप से कब्जा की गई अथवा उससे इतर पट्टे पर दी गई रक्षा भूमि की लागत का अनुमान नहीं लगाया गया है क्योंकि यह भूमि रक्षा विभाग के स्वामित्व में है।

गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोग

1513. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्ति/परिवार गरीबी रेखा से नीचे थे,

(ख) क्या गत वर्ष की तुलना में उनकी संख्या में कोई वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(घ) उन्हें गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा घरेलू उपभोक्ता व्यय पर किए गए पंचवार्षिक सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या का राज्य–वार अनुमान लगाता है। पिछड़े वर्गों के गरीबी अनुमान उपलब्ध नहीं है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राज्य–वार गरीबी अनुमान केवल वर्ष 1977-78 और 1983-84 के उपलब्ध हैं। इस प्रकार 31 मार्च, 1994 की स्थिति के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीबी अनुमान उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) गरीब व्यक्तियों की जीवन–दशा में सुधार के लिए अनेक कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं। इसमें आय बढ़ाने वाले और रोजगार सृजन वाले कार्यक्रम शामिल हैं जैसे कि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी), जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई), नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई), और प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई)। इन कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभों को विशिष्ट रूप से चिन्हित किया गया है। इसके अलावा अनुसूचित जातियों (एस सी पी) के लिए विशेष घटक योजना और जनजाति उप–योजना (टी एस पी) क्रियान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को एक मुश्त लाभ उपलब्ध कराना है ताकि वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने/ अपनी आय बढ़ाने और जीवन–स्तर को ऊंचा उठाने में समर्थ हो सकें।

लोक अदालत

1514. श्री मंजय लाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) गत तीन वर्षों के दौरान देश के विभिन्न भागों में राज्य–वार कितनी लोक अदालतें आयोजित की गई, और कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया; और

(ख) राज्य–वार कितने मामले निपटाए गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) कुछ राज्यों की जानकारी, जो विधिक सहायता स्कीम कार्यान्वयन समिति के पास तुरन्त उपलब्ध है, संलग्न विवरण में दी गई है

अन्य राज्यों से जानकारी मांगी जा रही है, और प्राप्त होते ही सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991, 1992 और 1993 के दौरान आयोजित की गई लोक अदालतों उनमें निपटाए गए मामलों और संदत्त किए गए प्रतिकर को राज्यवार दर्शित करने वाला विवरण।

(राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्डों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित)

क्र.सं०	राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड का नाम	आयोजित की गई लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	संदत्त प्रतिकर की रकम रू०
1.*	आंध्र प्रदेश	256	65,092	34,73,06,082
2.	गुजरात	316	43,750	24,83,23,701
3.	हरियाणा	232	70,000	16,40,00,000
4.	हिमाचल प्रदेश	121	15,227	2,50,48,443
5.*	केरल	35	21,961	29,10,12,247
6.	उड़ीसा	917	2,61,937	6,84,91,665
7.	पंजाब	127	30,541	12,22,18,082
8.	तमिलनाडु	399	16,774	50,70,61,829
9.	दिल्ली	11	3,438	30,09,97,521
10.	पांडिचेरी	8	672	1,49,33, 518

*आंकडे वित्तीय वर्षों अर्थात् 1991-92, 1992-93 और 1993-94 पर आधारित हैं।

"लीजहोल्ड" सम्पत्ति को "फ्रीहोल्ड" सम्पत्ति में बदलना

1515. श्री शशि प्रकाश : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण को लीज होल्ड सम्पत्ति को "फ्रीहेल्ड" सम्पत्ति में बदलने हेतु कुल कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) ऐसे कितने मामलों की स्वीकृति दे दी गई है तथा कितने मामले लम्बित है;

(ग) ऐसे कितने मामले हैं जिनके सम्बन्ध में निरीक्षण किया जा चुका है किन्तु ये लम्बित हैं; और

(घ) इन सभी मामलों के सम्बन्ध में कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण को 01.01.94 से 31.3.94 तक परिवर्तन के लिए 1682 आवेदन मिले।

(ख) इन 1682 आवेदनों में से 505 का निपटान कर दिया गया है और शेष 1177 मामलों में कमियां नोट की गई तथा आवेदकों को बता दी गई हैं।

(ग) परिवर्तन के लिए अनुरोध मिलने पर सम्पत्ति का निरीक्षण नहीं किया जाता है। तथापि, ऐसे मामलों में रिपोर्ट मांगी जाती है जहां अनधिकृत निर्माण अथवा सम्बन्धित सम्पत्ति के दुरूप्रयोग के लिए पहले से ही कार्रवाई चल रही हो।

(घ) मामले का निपटान आवेदकों से जानकारी/स्पष्टीकरण समय पर मिलने पर निर्भर करता है।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए विदेशी सहायता

1516. श्री हरिभाई पटेल : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्ष के दौरान विविध सिंचाई परियोजनाओं के लिए गुजरात राज्य को कितनी निधि आवंटित की गई;

(ख) जिन परियोजनाओं के लिए निधियां आवंटित की गई है उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) जिन परियोजनाओं के लिए विदेशी एजेंसियों द्वारा सहायता प्रदान की गई है उनका ब्यौरा क्या है,

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) राज्यों की योजना में केन्द्रीय सहायता ब्लाक, ऋण तथा ब्लाक अनुदान के रूप में दी जाती है और "विशेष समस्याओं" मानदंड के तहत निगत राशि को छोड़कर, किसी परियोजना/कार्यक्रम से नहीं जोड़ी जाती है।

(ग) गुजरात में विश्व बैंक से सहायता प्राप्त चालू सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण **(यू० एस० मिलियन में)**

परियोजना का नाम	वर्तमान मूल्य	हस्ताक्षर की तिथि	के दौरान उपयोग		
			91-92	92-93	1993-94 (31.1.94 तक)
1. गुजरात मझोली	196.980	29.6.84	21.554	16.697	8.251

	सिंचाई–II परियोजना (सी आर 1496. आई एम)					
2.	राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना (सी आर 1770 आई एस)	127.270x	12.5.87	11.868x	28.210x	17.713x

x = गुजरात सरकार की मल्टी–स्टेट प्रोजेक्ट भागीदारी राज्यों में से एक है। राज्यवार आवंटन एवं उपयोगिता उपलब्ध नहीं है।

औद्योगिक विकास संबंधी समिति

1517. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री कार्यालय में गठित एक उच्चधिकार प्राप्त समिति भारतीय उद्योग को वर्तमान मंदी के दौर से निकालने के लिए आवश्यक उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने अभी तक क्या सिफारिशें की है; और

(ग) सरकार द्वारा इन पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही किए जाने का विचार है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास अधिनियम में संशोधन

1518. श्री आनन्द रत्न मौर्य : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के.थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास अधिनियम 1957 में संशोधन करने का सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

[हिन्दी]

सरकारी आवासों को किराए पर दिया जाना

1519. श्री गोविंद चन्द्र मुण्डा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षो के दौरान सरकारी आवासों को किराए पर दिए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) कितने मामलों की जांच की गई है तथा कितने मामलों की जांच की जाएगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) दिल्ली में सरकारी आवास को किराए पर दिए जाने सम्बन्धी प्राप्त शिकायतें इस प्रकार है :–

वर्ष	1991	1992	1993	1994 (20.6.94 तक)
मामलों की संख्या	386	915	352	142

(ग) सरकारी आवास को आगे किराए पर न दिया जाए इसकी जांच करना एक सतत प्रक्रिया है। अब तक 1194 मामलों की जांच की गयी है।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एककों को वित्तीय सहायता

1520. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के रूग्ण एककों के कार्य निष्पादन में सुधार करने हेतु उन्हें वित्तीय सहायता देने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) सरकार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के विभिन्न रूग्ण उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान किए गए बजट प्रावधानों का ब्यौरा व्यय बजट 1994-95 के खण्ड–1 के विवरण संख्या 9 में दिया गया है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय नवीकरण कोष से महाराष्ट्र को धन

1521. **श्री दत्ता मेघे** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में किन–किन उद्योगों को राष्ट्रीय नवीकरण कोष से सहायता दी गयी; और

(ख) इन उद्योगों को दी गई सहायता की प्रकृति क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) शुरू में, राष्ट्रीय नवीकरण कोष से केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, जिनमें महाराष्ट्र के उद्यम भी शामिल हैं, में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए सहायता दी गयी। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के तहत भुगतान के लिए सहायता के अलावा, तत्काल लिक्विडिटी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीयकृत वस्त्र क्षेत्र को निधियां उपलब्ध करायी गयी हैं। 1993-94 से आगे श्रमिकों को परामर्श देने, पुनः प्रशिक्षण तथा

क्षेत्र पुनः सृजन योजनाओं के लिए भी धन मुहैया किया गया है जिसमें महाराष्ट्र में कार्यान्वित की जा रही श्रमिक पुनः प्रशिक्षण योजना भी शामिल है। ऐसे आवंटनों के संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

एन. आर. एफ. के लिए निधियों का आवंटन

रू. करोड़ में

मंत्रालय/सरकारी क्षेत्र के उपक्रम	संशोधित अनुमान 1992-93	संशोधित अनुमान 1993-94	बजट अनुमान 1994-95
1	2	3	4
क. **स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना के कार्यान्वयन के लिए**			
रसायन और पेट्रो-रसायन मंत्रालय	84.10	92.00	107.00
रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग	21.60	42.00	27.00
1. स्मिथ स्टॅनीस्ट्रीट फार्मास्यूटीकल्स लि०	1.00	1.50	1.00
2. बंगाल कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लि०	2.00	2.00	2.00
3. बंगाल इम्यूनिटी लि०	2.00	2.00	0.50
4. इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटीकल्स लि०	15.00	34.00	21.00
5 हिन्दुस्तान इनसेक्टीसाइड्स लि०	1.60	2.50	2.50
उर्वरक विभाग	62.50	50.0	80.00
1 हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन लि०	22.00	15.00	34.00
2 फर्टीलाइजर्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०	25.00	20.00	34.00
3. पाइराइट्स, फोस्फेटस एंड कैमिकल्स लि०	0.50	0.50	1.00
4. प्रोजेक्टस एंड डेव्लपमेंट इंडिया लि०	15.00	4.50	11.00
नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन मंत्रालय	-	8.73	0.00
पर्यटन विभाग	-	8.73	0.00
1. इंडियन टूरिजम डवलपमेंट कार्पोरेशन	-	8.73	0.00
नागरिक आपूर्ति, कन्जूमर एफेयर्स तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	-	12.00	5.00
1 हिन्दुस्तान वैजीटेबल आयल्स कार्पोरेशन लि०	-	12.00	5.00
रक्षा मंत्रालय (गैर-योजनार्गत)	-	10.00	18.00

1	2	3	4
1. भारत अर्थ मूवर्स लि०	-	10.00	0.00
2. वाइगॉन इंडस्ट्रीज लि० (बीईएमएल की सहायक)	-	0.00	5.00
3. माजगांव डाक लि०	-	0.00	13.00
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	0.34	2.00	1.00
मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लि०	0.34	2.00	1.00
भारी उद्योग विभाग	153.00	191.00	107.00
1. इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज	141.00	-	86.00
2. कंजूमर इंडस्ट्रीज	11.00	-	16.50
3. अन्य उद्योग	0.50	-	4.50
खान मंत्रालय	-	82.48	55.00
1. भारत गोल्ड माइन्स लि०	-	18.48	15.00
2. हिन्दुस्तान कॉपर लि०	-	40.00	17.50
3. मिनरल एक्सप्लोरेशंन कारपोरेशन लि०	-	6.00	5.00
4. भारत ॲल्यूमिनीयम कंपनी लि०	-	8.00	7.50
5. हिन्दुस्तान जिंक लि०	-	10.00	10.00
इस्पात मंत्रालय	41.00	36.00	28.00
1. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लि०	30.00	30.00	20.00
2. भारत रिफ्रेक्टरीज लि०	3.00	2.00	3.00
3. बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज	8.00	4.00	5.00
भूतल परिवहन मंत्रालय	38.00	70.00	49.00
1. दिल्ली परिवहन निगम	30.00	60.00	40.00
2. सेन्ट्रल इनलैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कार्पो०	8.00	10.00	9.00
पत्तन, लाइटहाऊस तथा शिपिंग मंत्रालय	14.66	12.00	6.00
1. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०	10.00	10.00	6.00
2. हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लि०	4.66	2.00	0.00
वस्त्र मंत्रालय	366.56	131.32	119.00
1. नेशनल जूट मैन्यूफैक्चर्स कापोरेशन	2.00	10.00	6.00
2. ब्रिटिश इंडिया कापोरेशन	0.75	0.75	13.00

	2	3	4
3 जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया	0.50	0.50	2.00
4. नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन लि०	340.00	100.00	84.00
5 एल्गिन मिल्स	15.25	17.15	12.00
6. कानपुर टेक्सटाइल मिल्स	8.06	2.92	2.00
शहरी विकास तथा आवास मंत्रालय	0.00	6.42	0.00
1. हिन्दुस्तान प्री–फैब, लि०	0.00	6.42	0.00
जल संसाधन मंत्रालय	10.00	12.00	0.00
1. राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि०	10.00	12.00	0.00
परमाणु उर्जा विभाग	0.00	5.00	5.00
1. इलैक्ट्रोनिक कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०	0.00	5.00	5.00
कोयला मत्रालय	0.00	120.00	0.00
1. कोल इंडिया लि०	0.00	120.00	0.00
योग :	707.66	790.95	500.00
ख. **सार्वजनिक उद्यमों में निवेश**			
वस्त्र मत्रालय	122.00	61.00	0.00
1. कानपुर टैक्सटाइल मिल्स	2.00	1.00	0.00
2. एलगिन मिल्स	20.00	10.00	0.00
3. एन. टी. सी	100.00	50.00	0.00
योग :	122.00	61.00	0.00
ग. **श्रमिकों के प्रतिपूर्ति का भुगतान, श्रमिकों के पुनः प्रशिक्षण आदि**			
उद्योग मंत्रालय	0.00	188.45	198.50
औद्योगिक विकास विभाग	0.00	186.45	198.00
1. औद्योगिक पुनः संरचना/बंद होने के कारण प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षा	0.00	0.00	0.00
2. राज्य के सार्वजनिक के उपक्रमों में स्वै० से०जि० योजना का कार्यान्वयन	0.00	140.05	150.00
3. परामर्श, पुनः प्रशिक्षण और क्षेत्र पुनः सृजन योजना	0.00	46.40	

	2	3	4
4. विविध/आकस्मिक व्यय	0.00	0.10	0.10
लघु उद्योग तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग			
विभाग	0.00	2.00	0.50
1. युक्तियुक्त श्रमिकों को परामर्श तथा			
पुनः प्रशिक्षण देने हेतु	0.00	2.00	0.50
	0.00	0.00	1.50
युक्तियुक्त श्रमिकों को परामर्श तथा			
पुनः प्रशिक्षण देने हेतु	0.00	0.00	1.50
योग :	0.00	188.45	200.00

आंध्र प्रदेश में स्वच्छता कार्यक्रम

1522. श्री एस० एम० लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम कितना सफल रहा है:, और

(ख) 1993-94 में इस संबंध में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम पिछले नौ वर्षों से कार्यान्वित किया जा **रहा है** और इसकी औसत भौतिक उपलब्धि 73.45 प्रतिशत रही है।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान आंध्र प्रदेश में उपलब्धि के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :–

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां	इस्तेमाल की गई निधियां	अलग–अलग स्वच्छ शौचालयों की संख्या	
		लक्ष्य	उपलब्धि
379.99 लाख रूपये	240.13 लाख	14136	10101

महाराष्ट्र में चमड़े के सामान के एकक

1523. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में चमड़े के सामान का निर्माण करने वाले एककों की वर्तमान स्थानवार संख्या **कितनी है;**

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन एककों का वार्षिक उत्पादन कितना रहा;

(ग) राज्य में चमड़े के उद्योग के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये है; और

(घ) इस उद्योग को कौन–कौन सी विदेशी एजेंसियां सहायता प्रदान कर रही हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) चमड़ा निर्यात परिषद् (सी एल ई), मद्रास द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में चमड़े के सामान का निर्माण करने वाले 47 एकक हैं जो परिषद में पंजीकृत हैं। इनमें से 43 एकक बम्बई में, 3 एकक पुणे में तथा एक एकक थाणे में हैं।

(ख) क्योंकि चमडे के सामान का निर्माण अनेक किस्मों के उत्पादों के रूप में किया जाता है इसलिए प्रत्येक मद के उत्पादन संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं कराये जा सकते हैं।

(ग) राज्य सरकार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के माध्यम से अम्बरनाथ, जिला थाणे में 200 एकड़ क्षेत्र में एक चमड़ा काम्पलेक्स की स्थापना कर रही हैं। इस चमड़ा काम्पलेक्स में 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुख एककों की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय फुटवियर प्रशिक्षण केन्द्र भी आरम्भ किया जायेगा जहां विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य सरकार, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा अन्य एजेन्सियां ग्रामीण कारीगरों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देती हैं। राज्य सरकार चमड़ा उद्योग सहित उद्योगों के विकास के लिए प्रोत्साहनों की पैकेज योजना कार्यान्वित कर रही है। उद्योग की स्थापना के लिए भूमि तथा अन्य आधारभूत सुविधाएं महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम (एम.आई.डी.सी.) द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं।

(घ) देश में चुनिन्दा संस्थाओं/अभिकरणों के माध्यम से चमड़ा उद्योग के समेकित विकास के लिए भारत सरकार द्वारा यू.एन.डी.पी. को 15.05 मिलियन अमेरिकी डालर की वित्तीय सहायता से 01 जून, 1992 से एक राष्ट्रीय चमड़ा विकास कार्यक्रम आरम्भ किया गया है। सहायता के लिए मानव संसाधन विकास, उत्पाद विकास, सहायक उद्योगों का विकास (कम्पोनेन्ट, मशीनें), विपणन आदि क्षेत्र निर्धारित हैं।

[अनुवाद]

भू-विज्ञान संबंधी भारत-रूस कार्यक्रम

1524. श्री ई अहमद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत–रूस कार्यक्रम के अंतर्गत भू–विज्ञान से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है,

(ख) सरकार ने इस धनराशि के वितरण के संबंध में क्या मानदण्ड निर्धारित किए हैं,

(ग) क्या परियोजना सलाकार समिति के चेयरमैन और सदस्यों ने इन मानदण्डों का संख्ती से पालन किया है, और

(घ) गत पांच वर्षो के दौरान परियोजना सलाकार समिति के चेयरमैन सहित सदस्यों ने कितनी धनराशि का उपयोग किया और इस धनराशि का किस प्रकार उपयोग किया गया है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) भारत–रूस कार्यक्रम (विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग का दीर्घावधि एकीकृत कार्यक्रम, (आई एल टी पी)

के अंतर्गत विभिन्न भू–विज्ञान परियोजनाओं को 61.30 लाख रूपयों की धनराशि आवंटित की गयी थी।

(ख) परियोजना प्रस्तावों जिसमें अलग–अलग परियोजनाओं के लिए धन का आवंटन भी शामिल है, की जांच एवं सिफारिश परियोजना सलाहकार समिति द्वारा की जाती है। इस धनराशि के वास्तविक रूप से जारी करने से पहले वित्तीय दृष्टिकोण से सावधानीपूर्वक जांच की जाती है।

(ग) जी, हां।

(घ) परियोजना सलाहकार समिति ने 1991 में अपनी शुरूआत से लेकर आज तक लगभग 1.5 लाख रूपये बतौर यात्रा एवं मंहगाई भत्ते इस्तेमाल किये हैं।

सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों के सम्बन्ध में श्वेत-पत्र

1525. श्री जगमीत सिंह बरार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकरण के सम्बन्ध में श्वेत–पत्र जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि चूंकि 24 जुलाई, 1994 के औद्योगिक नीति सम्बन्धी वक्तव्य में सरकारी क्षेत्र भी शामिल है इसलिये सरकार ने यह निर्णय किया था कि श्वेत–पत्र प्रकाशित करना आवश्यक नहीं था।

अमोनिया क्लोराइड उर्वरक को नियंत्रण मुक्त रखना

1526. श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अमोनिया क्लोराइड उर्वरक को नियंत्रणमुक्त रखने का है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या इस निर्णय के फलस्वरूप विद्यमान अमोनिया क्लोराइड उत्पादन इकाइयों को बन्द किए जाने की संभावना है, और

(घ) यदि हां, तो इन इकाइयों को सुरक्षित रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) देश में न्यूट्रिएन्ट नाइट्रोजन की सम्पूर्ण आपूर्ति के अपेक्षाकृत लघु अंशदान और इसके निम्न नाइट्रोजन घटक को ध्यान में रखते हुए, 10.6.94 से अमोनियम क्लोराइड पर से मूल्य और संचलन नियंत्रण हटा दिये गये हैं।

(ग) और (घ) अमोनियम क्लोराइड के निर्माता बाजार द्वारा निर्धारित मूल्यों पर अपने उत्पादों को बेचने में स्वतंत्र हैं। देश में अमोनियम क्लोराइड का उत्पादन करने वाले केवल दो एकक हैं। अब तक, इन एककों को बन्द करने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

उर्वरक इकाइयां

1527. श्री गुरूदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

श्री संदीपान भगवान थोरात :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जुलाई, 1994 के "पायोनियर" में "एफ.सी.आई" यूनिट्स में "बी पुट अप फार सेल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इस मामले से संबंधित तथ्य क्या है तथा उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है,

(ग) पुनः चालू करने के लिए पता लगाए गए रूग्ण इकाइयों के नाम क्या हैं, और

(घ) बन्द करने/निजी क्षेत्र को बेचने के लिए पता लगाए गये लम्बे अर्से से रूग्ण एककों के नाम क्या है तथा प्रभावित श्रमिकों की पुनर्वास संबंधी क्या व्यवस्था की गई है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) से (घ) रूग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार औद्योगिक एवं वित्तीय पुर्ननिर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) ने फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ. सी. आई.) को 6.11.92 को एक रूग्ण कम्पनी घोषित किया। बी आई एफ आर ने 16.3.94 को भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि० (आई सी आई सी आई) को प्रचालन अभिकरण नियुक्त किया। 14-7-94 को हुई सुनवाई में बी. आई. एफ. आर. को तकनीकी, वित्तीय और वाणिज्यिक व्यवहार्यता के दृष्टिकोण से एफसीआई की सभी इकाईयों के पुनर्वास के लिए सभी विकल्पों का मूल्यांकन करने तथा 3 माह के अंदर अपने प्रस्ताव बी आई एफ आर के समक्ष प्रस्तुत करने का निदेश दिया। आई.सी.आई.सी.आई. को भी एककों के प्रबन्धन में संभव परिवर्तन लाने के लिए यदि आवश्यक पाया गया, तो दूसरे क्षेत्रों में उद्यमियों का पता लगाने का निदेश दिया गया है। इन एककों में जनशक्ति के पुनर्गठन एवं उसे युक्ति संगत बनाने के संबंध में कोई अंतिम निर्णय बी आई एफ आर जो एक न्यायिक कल्प प्राधिकरण है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ग) एफ सी आई के सभी एकक (जिनके नाम सिन्दरी, रामागुण्डम, तालचर और गोरखपुर हैं) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० के सभी एकक (जिनके नाम दुर्गापुर, बरौनी, नामरूप हैं तथा हल्दिया प्रोजेक्ट भी) बी.आई.एफ.आर. द्वारा रूग्ण घोषित किए जा चुके हैं। एच. एफ.सी. के मामलें में भी बी.आई.एफ.आर. ने आई सी आई सी आई को पुनर्वास के सभी विकल्पों

के मूल्यांकन करने तथा अपने प्रस्ताव 15.7.1994 से तीन माह के अंदर बी आई एफ आर को प्रस्तुत करने का निदेश दिया है।

चांदीपुर, उड़ीसा में विस्थापित परिवारों को क्षतिपूर्ति

1528. डॉ० कार्तिकेश्वर पात्र : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चांदीपुर, उड़ीसा में पिछली बार "अग्नि" के प्रेक्षपण काल के दौरान निरापद क्षेत्र से विस्थापित हुए परिवारों को कोई क्षतिपूर्ति दी गयी थी; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार प्रभावित परिवारों को कितनी धनराशि दी गई और प्रभावित परिवारों की संख्या कितनी थी?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) 19 फरवरी, 1994 को पिछले "अग्नि" प्रक्षेपण के दौरान 11,000 व्यक्तियों के लिए मुआवजे के रूप में स्वीकृत 10,80,000/– रूपए की राशि हटाए गए व्यक्तियों में वितरित करने के लिए उड़ीसा सरकार को दे दी गई है।

सरकारी क्वार्टरों पर अनधिकृत कब्जा

1529. श्री बी.एल. शर्मा प्रेम : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सम्पदा निदेशालय के सामान्य पूल में श्रेणीवार कुल कितने सरकारी क्वार्टर हैं;

(ख) श्रेणीवार कितने–कितने क्वाटर किस–किस तिथि से अनाधिकृत कब्जे में है; और

(ग) इन क्वार्टरों को खाली कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :

(क)	टाइप i	–	16,431
	टाइप ii	–	23,118
	टाइप iii	–	16,251
	टाइप iv	–	5,001
	टाइप iv (एस)	–	394
	टाइप v	–	1,887
	टाइप vi	–	520
	टाइप vii	–	108
	टाइप viii	–	113
			63,813

(ख) विवरण संलग्न है। वह तारीख जिससे क्वार्टर अनधिकृत कब्जे में है, प्रत्येक मामले में भिन्न है।

(ग) इन क्वार्टरों को खाली कराने के लिए सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत कार्यवाही शुरू की गई है।

विवरण

क्र.सं.		टाइप ए	टाइप बी	टाइप सी	टाइप डी	टाइप ई	टाइप (vi,vii,viii)	होस्टल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एल्बर्ट स्कवायर	-	04	-	-	-	-	-
2.	अलीगंज	10	-	-	-	-	-	-
3.	एन्ड्रूज गंज	06	-	10	-	01	-	-
4.	आराम बाग	11	06	24	-	-	-	-
5.	एशिया हाऊस	-	-	-	-	-	-	02
6.	बाबर पैलेस	-	-	-	02	-	-	-
7.	भारती नगर	-	-	-	-	-	01	-
8.	बी.के.एस.मार्ग/ डी आई जैड	09	06	45	-	-	-	-
9.	चित्र गुप्ता रोड़	-	-	03	-	-	-	-
10.	चाणक्यपुरी	-	-	-	-	-	04	-
11.	कालेज रोड	-	-	-	01	-	-	-
12.	देव नगर	-	-	08	-	01	-	-
13.	कालीबाडी अपार्ट.	-	-	-	02	-	-	-
14.	किदवई नगर	15	15	-	-	-	-	-
15.	लक्ष्मीबाई नगर	-	02	-	17	-	-	-
16.	लोधी कालोनी	-	09	23	07	-	-	-
17.	लोधी गार्डन	-	-	-	-	-	02	-
18.	लोधी काम्पलैक्स	-	03	28	-	02	-	-
19.	लोधी एस्टेट	-	-	-	-	-	01	-
20.	कर्जन रोड	-	-	-	-	-	-	05
21.	महादेव रोड	-	-	-	-	-	01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22.	माल रोड	-	-	-	01	-	-	-
23.	मन्दिर मार्ग	-	06	02	-	-	-	-
24.	महावतखान रोड	-	-	-	01	-	-	-
25.	जे. बी. नर्सरी	01	01	-	-	-	-	-
26.	एम बी रोड	19	45	25	02	-	-	-
27.	मिन्टो रोड	08	-	11	02	-	-	-
28.	मोहम्मदपुर	01	05	-	-	-	-	-
29.	मोतीबाग	01	20	-	-	-	01	-
30.	नानक पुरा	-	03	09	08	-	-	-
31.	नौरोजी नगर	-	02	-	-	-	-	-
32.	नेताजी नगर	18	13	05	02	-	-	-
33.	नार्थ वेस्ट मोतीबाग	-	02	03	08	-	-	-
34.	पंडारा रोड	-	-	-	13	01	-	-
35.	पचकुंईया रोड	05	-	-	-	-	-	-
36.	पेशवा रोड	-	-	-	03	-	-	-
37.	प्रेम नगर	12	-	-	-	-	-	-
38.	प्रैस लाइन	-	-	-	01	-	-	-
39.	प्रगति बिहार	-	-	-	-	-	-	03
40.	प्रोवीन रोड	-	-	02	-	-	-	-
41.	कस्तूरबा नगर	33	-	-	-	-	-	-
42.	आर के पुरम	33	52	12	32	01	-	-
43.	सादिक नगर	-	10	10	02	-	-	-
44.	सरोजनी नगर	-	-	90	01	-	-	-
45.	शाहजहां रोड	-	-	-	-	-	02	-
46.	श्रीनिवासपुरी	14	14	-	-	-	-	-
47.	टैगोर रोड	-	-	02	-	-	-	-
48.	तालकटोरा रोड	-	-	-	-	-	01	-
49.	थाम्सन रोड	-	-	-	03	-	-	-
50.	तिलक लेन	-	-	-	-	01	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
51.	तिलक मार्ग	-	-	-	-	-	01	-
52.	तिमार पुर/ लांसर रोड	19	18	15	-	-	-	-
53.	टोडर मल रोड	-	-	-	01	-	-	-
54.	वंसत विहार	-	-	06	-	-	-	-
55.	विल्डिंग क्रिसेंट	-	-	-	01	-	-	-
56.	जाकिर हुसैन मार्ग	-	-	-	-	-	03	-
		215	235	333	110	07	17	10
	योग	927						

उत्तर प्रदेश में कृषि का विकास

1530. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश सरकार को 1992-93 और 1993-94 के दौरान कृषि के विकास के लिए कितनी धनराशि दी गई तथा इसमें से वास्तव में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने और अधिक धनराशि की मांग की है;

(ग) क्या मांग के अनुसार धनराशि उपलबध कराई गई थी, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग विकास के विभिन्न सेक्टरों के लिए राज्यों के साथ परामर्श से उनकी वार्षिक योजनाओं में क्षेत्रीय आवंटनों को अंतिम रूप देता है। उत्तर प्रदेश के कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों के लिए वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 हेतु क्रमशः 377.50 करोड़ रू० तथा 312.94 करोड़ रू० की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1992-93 के लिए तथा 1993-94 के लिए वास्तविक सूचित व्यय तथा संशोधित (आर ई) परिव्यय क्रमशः 350.02 करोड़ रू० तथा 253.52 करोड़ रू० है।

(ख) से (घ) योजना आयोग को उत्तर प्रदेश सरकार से चालू वर्ष हेतु अतिरिक्त राशि का कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

खाद्यान्न का उत्पादन

1531. प्रो० के०वी० थामॅस : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में हुई सी.जी.आई.ए.आर. की बैठक में आगामी 25-30 वर्षो के दौरान देश के खाद्यान्न उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या योजना आयोग ने अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) 25-30 वर्षों से अधिक के दीर्घ कालिक परिप्रेक्ष्य में खाद्यान्न उत्पादन का प्रस्ताव न तो प्रस्तावित किया गया है और न ही मई, 1994 में आयोजित सी. जी. आई. ए. आर. की मध्यावधि बैठक की कार्यसूची में ऐसा कोई विषय था।

एम० बी० टी० अर्जुन

1532. श्री अन्ना जोशी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 23 मई, 1994 के नई दिल्ली के इन्डियन एक्सप्रेस में 'जस्ट हाऊ इन्डियन इज एम०बी०टी०अर्जुन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आयातित पुर्जों के आपूर्तिकर्त्ताओं और लागत सहित इन पुर्जों का ब्यौरा क्या है;

(घ) आयातित पुर्जों और प्रणाली का वर्तमान प्रतिशत घटाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ड.) मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का निर्माण अपने देश में कब तक किये जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) मुख्य युद्धक टैंक–अर्जुन की सम्पूर्ण प्रणाली की इंजिनियरी तथा डिजाइन का कार्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने जनरल स्टाफ की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया है। आदिरूप के निर्माण के घरण में अत्याधुनिक तकनीकी के उत्पाद के लिए कुछ हिस्से–पुर्जो का आयात करना पड़ता है। उत्पादन–चरण के दौरान धीरे–धीरे इनका भी देशीकरण कर दिया जाएगा।

(ग) पावर पैक का आयात जर्मनी के मैसर्स एम टी यू से किया जाता है। अग्नि नियंत्रण प्रणाली के पुर्जों का आयात नीदरलैंड के मैसर्स डेफट इंस्ट्रमेंट्स इलेक्ट्रो ऑप्टिक्स से किया जाता है तथा गन नियंत्रण प्रणाली के पुर्जो की आपूर्ति मैसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा आयातित माल में से की जाती है। इन मदों की लागत इस प्रकार है :

1.	पावन पैक की लागत	100	लाख रूपये
2.	अग्नि नियंत्रण प्रणाली के पुर्जों की लागत	42	लाख रूपये
3.	गन नियंत्रण प्रणाली के पुर्जों की लागत	68	लाख रूपये

(घ) पिछले 3 से 4 वर्षो में गन नियंत्रण प्रणाली के 70% पुर्जो तथा अग्नि नियंत्रण प्रणाली के 40% आयातित पुर्जो का देशीकरण कर लिया गया है। एम टी यू इंजनों सहित आयातित मदों का समुचित प्रौद्योगिकी अंतरण—संबंधों के तहत भारत में ही उत्पादन किए जाने की भी व्यवस्था की गई है।

(ङ) आशा है कि 1996-97 में मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन का भारी मात्रा में देश में ही उत्पादन होने लगेगा। इसके उत्पादन में लगभग 10% आयातित सामान लगेगा क्योंकि इसकी प्रौद्योगिकी उच्च स्तर की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी है।

शहरी विकास के संबंध में राष्ट्रीय नीति

1533. डा. वाई. एस. राजशेखर रेड्डी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों के शहरी विकास मंत्रालय के सचिव तथा प्रभारी सविचों की हाल ही में एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें किन—किन प्रमुख बातों पर चर्चा की गयी;

(ग) शहरी गरीबी को कम करने के संबंध में क्या निर्णय लिये गये हैं;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार शहरी विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति लागू करने का विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के नगर विकास, आवास, जल आपूर्ति तथा स्थानीय स्वायत्त शासन के प्रभारी सचिवों की एक बैठक 15-16 जुलाई, 1994 को नई दिल्ली में हुई थी।

(ख) चर्चा की मुख्य बातें निम्नलिखित मदों से संबंधित थी :

1. योजना आयोग द्वारा प्रवर्तित राज्य नगर विकास कार्यनीति।

2. मसौदा समेकित शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम।

3. छोटे तथा मझौले कस्बों के सघन विकास हेतु संशोधित दिशा—निर्देशों का मसौदा।

4. राज्य सरकारों द्वारा 74 वे संविधानिक संशोधन अधिनियम पर अनुवर्ती कार्रवाई।

5. केन्द्र और राज्य प्रवर्तित छोटे तथा मझौले कस्बों के सघन विकास, नेहरू रोजगार योजना, निर्धनों के लिये शहरी मूलभूत सेवा, त्वरित जन आपूर्ति कार्यक्रम, कम लागत की स्वच्छता शहरी स्लमों का पर्यावरणीय सुधार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व निम्न आय वर्ग आवास नामक योजनाओं तथा अन्य राज्य प्लान योजनाओं का मध्यावधि मूल्यांकन।

6. आवास तथा हुडको पुवर्तित योजनाएं; आदर्श किराया नियंत्रण कानून, आदर्श अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, आवास तथा स्थावर संपदा में एन आर आई निवेश, राज्यों द्वारा आवास कार्रवाई

योजना का विकास तथा प्रतिपादन और हुडको समर्थित योजनाओं की प्रगति।

(ग) वर्तमान शहरी निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी और बैठक में विचारों के आदान-प्रदान के समय इसके पुनर्गठन की आवश्यकता महसूस की गई थी।

(घ) से (ङ) शहरी विकास राज्य विषय होने के नाते, शहरी विकास पर कोई राष्ट्रीय नीति बनाने से पूर्व राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों से परामर्श करना आवश्यक होगा। ऐसा परामर्श शुरू कर लिया गया है।

स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण

1534. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा जनगणना निदेशालय, भुवनेश्वर के स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण कार्य को पूरा करने हेतु क्या तिथि निर्धारित की गई है;

(ख) क्या इन स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में अत्यधिक विलंब किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) इन स्टाफ क्वार्टरों का तत्काल निर्माण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) टाइप I, III और IV के क्वार्टरों का निर्माण कर जनगणना विभाग को सौंप दिये गये हैं। टाइप II के क्वार्टरों के सौंपने की संशोधित लक्ष्य तिथि जून, 1995 के अंत तक निर्धारित की गयी है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) इन भवनों को मूलतः कुछ तीन मंजिले और कुछ चार मंजिलें बनाए जाने की योजना थी। तथापि, नक्शों को अनुमोदित करते समय भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण ने अनुमेय ऊँचाई दो मंजिल तक सीमित रखी थी। चूंकि निर्माण स्थल पर दो मंजिलें भवनों का निर्माण कार्य शुरू था साथ ही साथ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा जनगणना कार्य निदेशक ने भुवनेश्वर विकास प्राधिकरण के साथ इस मामले पर बातचीत की जिसने अन्ततः (अक्तूबर 1992 में) चार मंजिलें भवनों के निर्माण कार्य की अनुमति दे दी। तत्पश्चात अतिरिक्त मंजिलों का निर्माण शुरू किया गया। टाइप I, III और IV के क्वार्टरों का निर्माण कार्य पूरा कर सौंप दिये गए है। टाइप II के क्वार्टरों का ठेका, ठेकेदार द्वारा घटिया कार्य करने के कारण रद्द करना पड़ा। शेष कार्य दूसरी एजेंसी को अवार्ड किया जा रहा है तथा जून 1995 तक इसके पूरा होने की आशा है।

आई० डी० पी० एल० की रूग्ण इकाइयां

1535. श्री गोपीनाथ गजपति :

श्रीमती वसुंधरा राजे :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के अंतर्गत रूग्ण इकाइयों का ब्यौरा क्या है और ये कब से रूग्ण हैं;

(ख) इनमें से प्रत्येक इकाई की रूग्णता के कारण क्या है; और

(ग) इन इकाइयों के कार्य–निष्पादन में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई० डी० पी० एल०) की पांच निर्माण इकाइयां हैं जो ऋषिकेश, हैदराबाद, गुडगांव, मद्रास और मुजफ्फरपुर में स्थित है। 1974-75 से 1978-79 तक की पांच वर्ष की अवधि को छोड़कर कंपनी को 1965-66 से हानियां हो रही है। रूग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 दिसंबर 1991 में यथासंशोधित उपबंधों के अनुपालन में कंपनी का मामला औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी आई एफ आर) के पास भेजा गया था। कंपनी को 12 अगस्त 1992 को बी आई एफ आर द्वारा औपचारिक रूप में रूग्ण घोषित किया गया था।

(ख) और (ग) कंपनी की रूग्णता के मुख्य कारण हैं : अधिक मजदूरी, क्षमता का कम उपयोगा, पुरानी प्रौद्योगिकी, अधिक ब्याज भार और नियत लागतें, कार्यशील पूंजी और विपणन की कठिनाईयां। बी आई एफ आर द्वारा कंपनी के लिए पुनःस्थापन योजना अनुमोदित की गई है। पुनःस्थापना योजना में अन्य बातों के साथ–साथ पूंजी पुनःसंरचना जिसमें ओवर–डयू ब्याज और दंड स्वरूप ब्याज़ को बट्टेखाते डालना, सरकार द्वारा दिये गये सावधि ऋण को इक्विटी में बदलना, कंपनी के कारोबार का पुनर्गठन, अधिक उत्पादन और बिक्री लक्ष्य, स्वैच्छिक सेवा–निवृति योजना द्वारा जनशक्ति को युक्तिसंगत बनाना आदि की परिकल्पना की गई है। वह योजना जो 10 वर्षों की अवधि के लिए है, 1994-95 से लागू कर दी गई है।

राजस्थान में परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

1536. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राजस्थान में उन परियोजनाओं का पता लगा लिया है जिनकी लागत वृद्धि 100 प्रतिशत से अधिक हो गई है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन शीघ्र करने के लिए उन्होंने संबंधित मंत्रालय को क्या निर्देश दिए हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान में 20 करोड़ रूपये और उससे अधिक लागत वाली निर्माणाधीन I परियोजनाओं में से केवल राजस्थान परमाणु, ऊर्जा परियोजना की इकाई– तीन और इकाई चार की लागत 100 प्रतिशत बढ़ गई है अर्थात् इनकी लागत 711.56 करोड़ रूपये से बढ़कर 2107

करोड़ रूपये हो गई है। इस परियोजना के पूरा होने 18 महीने का विलम्ब हो गया है और अब उसके मई 1997 तक पूरा होने की संभावना है।

(ग) और (घ) परमाणु ऊर्जा विभाग राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना को कार्यान्वित करने वाली एजेंसी है। इसकी निगरानी रिपोर्टों में से कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग परमाणु ऊर्जा विभाग को महत्वपूर्ण सिविल निर्माण कार्य पूरा करने और उपकरणों की स्थापना की सलाह देता रहा है। जिससे लागत में और वृद्धि की परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब को टाला जा सके।

समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण ऊर्जा का विकास

1537. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी :

श्री डी. वेंटकेश्वर राव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने समेकित ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए ए पी सी ओ एस टी नामक माडल एजेंसी गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य को समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कितना धन उपलब्ध कराया गया है;

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत किन क्षेत्रों का लाये जाने की संभावना है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश राज्य में एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम है (आई आर ई पी) को कार्यान्वित करने के लिए आंध्र प्रदेश विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् नोडल एजेंसी है। आई आर ई पी का उद्देश्य आयोजना की एक इकाई के रूप में ब्लाक में ऊर्जा के आयोजित निवेश के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास लाने के लिए एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा परियोजनाओं के आयोजन और कार्यान्वयन के लिए क्षमताएं विकसित करना है। वर्ष 1993-94 तक आई आर ई पी के तहत आंध्र प्रदेश के नौ ब्लाकों को शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित आई आर ई पी योजना के तहत राज्य और जिला/ब्लाक स्तर पर आई आर ई पी कक्षों की स्थापना के लिए सहायक अनुदान प्रदान की जाती है। वर्ष 1994-95 के लिए एक राज्य स्तर के आर 23 ब्लाक स्तर के आई आर ई पी कक्षों के लिए 30.45 लाख रूपये की राशि आवंटित की गई है। तदनुसार 1994-95 में 14 और ब्लाकों में आई आर ई पी परियोजनाएं स्थापित की जा रही है।

मानव विकास सूचक

1538. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2 जून 1994 के "बिजनेस स्टेंडर्ड" नई दिल्ली में 'इंडिया स्लिप्स फरदर आन हयूमन डैवलमेंट इंडेक्स' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाने का प्रस्ताव है/उठाए जा रहे हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) हयूमन डैवलमेंट इंडेक्स (एच डी आई) के अनुसार 173 देशों में से भारत 135 वें स्थान पर है।

(ग) हयूमन डैवलमेंट इंडेक्स (एच डी आई संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) द्वारा जीवन संभावना, शिक्षा और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जैसे कुछ विविध योजकों को मिलाकर एक एकल इंडैक्स को तैयार करने का प्रयास है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना मानव विकास को सभी विकासात्मक प्रयत्नों का मर्म स्वीकारती है और इसे अंतिम लक्ष्य मानती है। इसलिए योजना में रोजगार सृजन, जनसंख्या नियंत्रण, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और पर्याप्त भोजन और मूल आधारभूत संरचना की व्यवस्था को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

खादी पर छूट

1539. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग खादी बनाने वाली संस्थाओं को खादी की बिक्री पर छूट का भुगतान वर्षों से नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून 1994 तक कुल देय राशि कितनी है;

(ग) इसके भुगतान में विलम्ब के क्या कारण है; और

(घ) आयोग द्वारा 1992-93, 1993-94 एवं 1994-95 के दौरान खादी बनाने वाली संस्थाओं को कुल कितना ऋण स्वीकृत किया गया है;

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) और (ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने बताया है कि दिसम्बर, 1993 के अन्त तक रिबेट संबंधी दावों को निपटा दिया गया है। अतः इस समय बकाया मामले केवल जनवरी, 1994 से हैं, न कि अनेक वर्षों के लिए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि जनवरी से जून, 94 के अन्त तक की अवधि के लिए बकाया राशि लगभग 15 करोड़ रू० होगी।

(ग) कच्चे माल विशेषकर सूत के मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि होने के कारण उत्पादन की लागत और फलस्वरूप खादी पर छूट में वृद्धि हुई है। बजट प्रावधान से छूट के दावों में इस अप्रत्याशित वृद्धि को पूरा नहीं किया जा सका। अतः खादी संबंधी छूट की प्रतिपूर्ति में थोड़ी देरी हुई।

(घ) केन्द्र सरकार देश में खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र के विकास के लिए ऋण और अनुदान के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग की धनराशि जारी करती है। बदले में खादी और ग्रामोद्योग आयोग इन्हें विभिन्न राज्य/संघ शासित खादी और ग्रामोद्योग बोर्डो तथा सीधे सहायता पाने वाले संस्थाओं को वितरित करता है। 1992-93 और 1993-94 के दौरान सरकार द्वारा जारी ऋण तथा 1994-95 के लिए बजट अनुमान नीचे दिये गये हैं :–

वर्ष	जारी ऋण (रू० करोड़ में)	
	खादी	ग्रामोद्योग
1992-93 (वास्तविक)	35.00	58.00
1993-94 (वास्तविक)	35.00	55.00
1994-95 (बजट अनुमान)	35.00	50.00

शीरे पर नियंत्रण

1540. श्री राम कापसे : क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शीरे और औद्योगिक अल्कोहल को विधायी नियंत्रण में लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[हिन्दी]

अपारंपरिक ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

1541. श्री ललित उरांव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने वाले एककों को छूट/राज सहायता देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन स्रोतों को लोकप्रिय बनाने में लगे स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान/सहायता देती है; और

(घ) यदि हां, तो स्वयंसेवी संगठनों को 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान (जून, 1994 तक) राज्यवार कितना अनुदान/कितनी सहायता दी गई?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। सरकार द्वारा चुनिंदा अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न युक्तियों और प्रणालियों के लिए उपयोगकर्त्ताओं को आर्थिक राज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत आर्थिक राज सहायता की पद्धति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों में अपारंपरिक ऊर्जा कार्यक्रमों के प्रसार/मूल्यांकन के लिए चुनिंदा राष्ट्रीय स्तर के स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान/सहायता उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान क्रमशः 25.34 लाख रूपये और 57.97 लाख रूपये की राशि उपलब्ध कराई गई। इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1994-95 (जून 1994 तक) के दौरान कोई धनराशि जारी नहीं की गई। राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा नए तथा अक्षय ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल किया जाता है।

विवरण

क्र. सं.	कार्यक्रम		केन्द्रीय सहायता/आर्थिक राजसहायता की पद्धति
1.	बायोगैस	(i) परिवार आकार	1500 रूपये से 3500 रूपये, जो आकार स्थल और उपयोगकर्त्ता श्रेणी पर निर्भर करती है।
		(ii) सीबीपी/आई बी पी	22,000 रूपये से 2,00,000 रूपये, जो प्रकार आकार और उपयोगकर्त्ता संगठन पर निर्भर करती है।
2.	उन्नत चूल्हा कार्यक्रम		
	(क) स्थिर मॉडल		यूनिट लागत घटा लाभार्थी का 50% न्यूनतम अंशदान (आर्थिक राज–सहायता 50 रूपये तक सीमित)
	(ख) सफरी मॉडल		
		(i) सामान्य श्रेणी	33% (503 रूपये की अधिकतम सीमा के अंतर्गत)
		(ii) अनुसूचितजाति/जनजाति/पहाड़ी क्षेत्र	50% (75 रूपये की अधिकतम सीमा के अंतर्गत)

3. सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियां/ छोटे ग्राम स्तर के संयंत्र	50% (समाजोमुख योजना के अंतर्गत) (बाहरी कार्य लागत)
4. सौर लालटेन	2000 रूपये
5. पवन विद्युत प्रदर्शन परियोजनाएं	पवन विद्युत जनिक का 60%
6. संशोधित 12 पी वी 500	12500 रूपये
7. गियर टाइप जल पंपन पवन चक्की	22,500 रूपये
8. सौर जल तापन प्रणालियां	लाभार्थियों और, विनिर्माताओं को उदार शर्तों पर ऋण
9. सौर वायु तापन प्रणालियां	800 रूपये प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र
10. सौर विलवणीकरण प्रणालियां	500 रूपये प्रति वर्गमीटर संग्राहक क्षेत्र
11. सौर कुकर	राज्य नोडल एजेंसियों को सहायता अनुदान
12. सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियां	170 रूपये प्रति वाट 5% ब्याज की दर पर अधिकतम 80,000 रूपये तक ऋण
13. बायोमास गैसीफायर	
(क) विद्युतीय और यांत्रिक अनुप्रयोग	गैसीफायर प्रणाली की लागत का 60%
(ख) तापीय अनुप्रयोग	गैसीफायर प्रणाली की लागत का 30%
14. खोई आधरित सह–उत्पादन	उपकरण लागत का 30% (अधिकतम 70.00 लाख रूपये)
15. बायोमास कम्बरटन आधारित विद्युत उत्पादन	परियोजना लागत का 30% (अधिकतम 70.00 लाख रूपये)
16. बैटरी चालित वाहन	2 सैट बैटरियों के साथ पैसेंजर मॉडल बैटरी चालित वाहन की खरीद के लिए 2.00 लाख रूपये की आर्थिक राज सहायता औद्योगिक मॉडल के बैटरी चालित वाहन की खरीद के लिए 0.50 लाख रूपये की आर्थिक राज्य सहायता।

[अनुवाद]

गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से विद्युत प्राप्त करना

1542. श्री शांताराम पोटदुखे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गैर–परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से 2000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक नयी कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ, राज्यवार किन–किन स्थलों की पहचान की गई है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) जी हां। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय ने एक नई कार्यनीति और कार्रवाई योजना तैयार की है और आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन के लक्ष्यों को600 मेवा. से संशोधित करके 2000 मेवा. किया गया है। नई कार्यनीति और कार्रवाई योजना के अनुसार पूर्ण वाणिज्यीकरण प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्र सक्रिय भागीदारी द्वारा विद्युत उत्पादन को बाजार अभिविन्यास का रूप दिया जा रहा है।

(ग) अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से विद्युत उत्पादन स्थल विशिष्ट है और मुख्यतः संसाधनों की उपलब्धता, और अन्य तकनीकी तथा आधारभूत ढांचे की परिस्थितियों की उपयुक्तता पर निर्भर करता है।

समग्र संसाधन मूल्यांकन, विस्तृत सर्वेक्षण और व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् विशिष्ट परियोजनाओं के लिए स्थलों को अंतिम रूप दिया जाता है। विभिन्न राज्यों में लघु पन–बिजली और पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए संभावित बहुत से स्थलों का पता लगाया गया है। इसके अलावा देश में चीनी मिलों में खोई आधारित सह–उत्पादन के माध्यम से अतिरिक्त विद्युत उत्पादन की संभाव्यता है।

सामूहिक आवास समितियां

1543. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **शहरी विकास** मंत्री दिल्ली में सामूहिक आवास समितियों के बारे में 22 दिसम्बर, 1993 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3256 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सूचना कब तक एकत्र कर ली जायेगी?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल **संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) पंजीयक सामूहिक समितियां, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तथा दिल्ली पुलिस के अनुसार इस अवधि के दौरान किसी फर्जी सामूहिक आवास समिति सम्बन्धित मामले का पता नहीं लगा है अथवा उनके ध्यान में नहीं आता है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

शहरों का वर्गीकरण

1544. श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1991 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर और जबलपुर को वर्ग बी–I घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो कब से इन शहरों को बी–I वर्ग के अंतर्गत घोषित किया गया है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्वालियर सिटी और ग्वालियर कैंट की सम्मिलित जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए ग्वालियर को बी–I वर्ग का शहर घोषित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो अब तक क्या प्रगति हुई है और उस संबंध में कब तक निर्णय लिया जाएगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। 1991 की जनगणना के आधार पर नगरों/कस्बों का पुनः वर्गीकरण किया गया है तथा इन्हें वित्त मंत्रालय के दिनांक 14.5.1993 के का. ज्ञा. सं० 2/2/93–ई–II (बी) द्वारा अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना के अनुसार नगर प्रतिपूरक भत्ते (सी.सी.ए) के प्रयोजनार्थ भोपाल, इन्दौर तथा जबलपुर (यू ए) बी–I वर्ग में शामिल हैं। तथापि, आवास किराया भत्ते (एच आर ए) के प्रयोजनार्थ इन्दौर तथा भोपाल बी–I वर्ग में तथा जबलपुर (यू ए) बी–2 वर्ग में शामिल है।

(ग) और (घ) एच आर ए/सी सी ए प्रदान करने के प्रयोजनार्थ वर्गीकरण हेतु जनसंख्या की अर्हकारी सीमाएं इस प्रकार हैः–

जनसंख्या	वर्गीकरण
16 लाख से अधिक	"ए" वर्ग
8 लाख से 16 लाख तक	"बी–1" वर्ग
4 लाख से 8 लाख तक	"बी–2" वर्ग
50,000 से 4 लाख तक	"सी" वर्ग

1991 की जनगणना के आधार पर नगरों के पुनः वर्गीकरण के बाद भी ग्वालियर (यू ए) एच आर ए/सी सी ए के प्रयोजनार्थ बी–2 वर्ग में ही रहा। 1991 की जनगणना के आधार पर ग्वालियर (यू ए) बी–1 वर्ग के योग्य नहीं है क्योंकि 1991 की जनगणना के अनुसार ग्वालियर के शहरी समूहों की जनसंख्या 7,70,780 थी तथा ग्वालियर म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जनसंख्या 6,90,765

थी जो कि 8 लाख के स्तर से कम है। ग्वालियर नगर को एच आर ए/सी सी ए के प्रयोजनार्थ बी–1 वर्ग में लाने हेतु कोई प्रस्ताव वित्त मंत्रालय में लम्बित नहीं हैं।

[अनुवाद]

विधवाओं को आवंटित आवासों की सुरक्षा

1545. श्री वी. निवास प्रसाद : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार नई दिल्ली में भूतपूर्व नेताओं की विधवाओं को दिए गए सरकारी आवासों के आवंटनों की सुरक्षा करने का है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी तथ्य क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) कुछ तत्कालीन नेताओं की विधवाओं को उनके जीवनकाल के लिए दिल्ली में सरकारी आवास आवंटित किये गये हैं। ऐसे प्रत्येक मामले पर औचित्य रूप के आधार पर विचार किया गया है। ऐसे अनुरोधों को निपटाने के लिए कोई विशिष्ट दिशा–निर्देश निर्धारित नहीं किये गये हैं।

हाल ही में निर्णय लिया गया है कि स्वतंत्रता सेनानी के निधन के बाद उसकी विधवा को, दिल्ली में सरकारी आवास के आवंटन हेतु स्वतंत्रता सेनानी के तहत् स्वतंत्रता को किए गए आवंटन की निर्धारित अवधि के शेष भाग के लिए आवास रखने की अनुमति होगी।

विशेषज्ञ दल की सिफारिशें

1546. मेजर जन. (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री 16 मार्च 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3015 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के संबंध में अपनी जांच/विचार–विमर्श पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा स्वीकार की गई/अस्वीकार की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(च) यदि भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है तो इसके क्या कारण है; और

(छ) इसे कब तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (छ) हिमालय क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए डा. एस जैड

कासिम की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट इस समय जांच की अग्रिम स्थिति में है। सिफारिशों पर शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

गुजरात में नगरों में लाइट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम

1547. श्री एन के राठवा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात के मुख्य नगरों में लाइट रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) परियोजना हेतु किस तरह राशि जुटाई जायेगी तथा इनसे सम्बद्ध एजेंसियों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

ऊर्जा संरक्षण

1548. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने कुछ भवनों में ऊर्जा संरक्षण के लिए उपचारात्मक उपाय के संबंध में सर्वेक्षण पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन भवनों में ऊर्जा संरक्षण के इन उपायों को आंशिक रूप से लागू किया है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा ऐसा कोई सर्वेक्षण नहीं कराया गया है। तथापि, विद्युत विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अंतर्गत टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान द्वारा श्रम शक्ति भवन का सर्वेक्षण किया गया था और प्रौद्योगिकी भवन का राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र भवन का सर्वेक्षण राष्ट्रीय परिषद् द्वारा किया गया था।

(ग) इन दो संगठनों द्वारा अपनी रिपोर्टों में सुझाये गये उपचारात्मक उपायों को, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उपर्युक्त तीनों भवनों सहित निर्माण भवन में भी आंशिक रूप से कार्यान्वित कर दिया है।

[अनुवाद]

डाइक्लोफीनेक सोडियम का मूल्य

1549. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बी आई सी पी/ रसायन एवं औषध विभाग ने सामान्य प्रथा की उपेक्षा की है और बल्क औषधियों के अधिसूचित मूल्यों को संशोधित किए बिना ही डाई क्लोफीनैक सोडियम का फार्मूलेशन मूल्य भी कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन मिला है;

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ड) अच्छी किस्म के उत्पादों का उत्पादन करने वाले एककों को बंद होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जायेंगे?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) डिक्लोफेनेक सोडियम पर आधारित सूत्रयोगों के वोवेरन–ब्रांड के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे।

(घ) और (ड) बी आई सी पी ने प्रंपुज औषध डिक्लोफेनैक सोडियम के मूल्य के बारे में लागत सह–तकनीकी अध्ययन पूरा कर लिया है। बी. आई. सी. पी. की रिपोर्ट विचाराधीन है।

[हिन्दी]

ऑटो इलेक्ट्रानिक फैक्ट्री देहरादून

1550. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व सोवियत संघ की सहायता से किए जाने वाले ऑटो इलेक्ट्रानिक फैक्ट्री (आयुध) देहरादून के विस्तार कार्य पर सोवियत संघ के विघटन के पश्चात् प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इसके विकल्प का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) देहरादून स्थित आप्टो इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरी स्थापित करने की पूरी परियोजना दिसम्बर, 1993 में पूर्णतः पूरी हो गई थी। इसका विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खादी ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन

1551. श्री राम नाईक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग का पुर्नगठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी रचना क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और नये सदस्यों के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ग) उद्योग मंत्रालय में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की पुनर्गठन प्रक्रिया भी आरंभ कर दी है।

''वर्मी कम्पोस्ट'' परियोजनायें

1552. श्री आर सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में सिकन्दराबाद स्थित सैनिक फार्म में केचुएं के इस्तेमाल द्वारा कम लागत वाली एक अग्रणी परियोजना शुरू की गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया रही है;

(ग) क्या देश के अन्य सैनिक फार्मों में ऐसी ''वर्मी कम्पोस्ट'' परियोजनाएं शुरू करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) सिकन्दराबाद स्थित सैन्य फार्मों में 10 शेडों में केंचुए अहानिकर किए गए और इससे प्रतिदिन 500 किलोग्राम खाद तैयार की जा रही है जिसका कुछ हिस्सा सैन्य फार्म में फसलों की खेती करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और कुछ हिस्सा किसानों को बेचा जा रहा है। इस खाद के संबंध में काफी उत्साहवर्धक परिणाम सामने आए हैं।

(ग) और (घ) यह प्रयोग निम्नलिखित सैन्य फार्मों में भी शुरू किया गया है :

(क)	सैन्य फार्म पिम्परी	–	3 शेड
(ख)	सैन्य फार्म मंजरी	–	2 शेड
(ग)	सैन्य फार्म बेलगाम	–	2 शेड
(घ)	सैन्य फार्म देवलाली	–	2 शेड
(ड.)	सैन्य फार्म अहमदनगर	–	2 शेड
(च)	सैन्य फार्म बैंगलूर	–	2 शेड

[हिन्दी]

आई. ए. एस./आई. पी. एस. अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले

1553. श्री लाल बाबू राय :

श्री हरि केवल प्रसाद :

श्री राम टहल चौधरी :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षो के दौरान कितने आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों की जानकारी मिली है और उन मामलों को कार्मिक मंत्रालय में भेजा गया है;

(ख) ऐसे कितने अधिकारियों के नाम क्या है और उनकी संख्या क्या है जिनके विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(ग) अधिकारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाहियों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) से (ग) अखिल भारतीय सेवाओं के किसी सदस्य के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही करने का प्राधिकार उन संबंधित सरकारों के पास होता है जिनके कार्यो के संबंध में सेवा का सदस्य उस समय कार्यरत होता है। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारें जैसा भी मामला हो, अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। यदि राज्य सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अधिकारी पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अभियोजन चलाया जाना अपेक्षित है अथवा पदच्युत करने, सेवा से हटाने तथा अनिवार्य सेवानिवृति अथवा अधिकारी की पेंशन रोकने जैसी कोई एक भारी शास्ति विभागीय कार्यवाहियों की समाप्ति पर लगाया जाना अपेक्षित हो तो ही मामले केन्द्रीय सरकार को भेजे जाते हैं। यह सूचना इस विभाग में केन्द्रीयकृत रूप से रखी या मानीटर नहीं की जाती है। गत तीन वर्षो के दौरान भ्रष्टाचार में कथित रूप से लिप्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों, जिनके मामले कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजे गये है, की संख्या 27 है।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग में नहीं भेजा जाता है।

उपर्युक्त मामलों में से 6 मामलों में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947/1988 के तहत अभियोजन की मंजूरी प्रदान की गई है। 10 मामलों में भारी शास्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा नियमित विभागीय कार्यवाही के आदेश दे दिये गये हैं। जिसके परिणामस्वरूप चार मामलों में विभिन्न शास्तियां आरोपित की गई है, जबकि दो मामलों में लघु शास्ति की कार्यवाही प्रारंभ की गई है। तीन मामलों में भारत सरकार के परामर्श पर, भारी शास्ति के लिये संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नियमित विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। 3 मामले समाप्त कर दिये गये हैं। शेष मामलों पर कार्यवाही की जा रही है।

दवाई की कम्पनियां

1554. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिना लाइसेंस वाली कुछ कम्पनियां दवाइयों का उत्पादन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सरकार द्वारा ऐसी कितनी कंपनियों का पता लगाया गया है; और

(ग) सरकार द्वारा इन कंपनियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) वैद्य लाइसेंस के बिना औषधों का निर्माण करना औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 18 (ग) के अंतर्गत अपराध है। यदि कोई व्यक्ति/कंपनी बिना लाइसेंस के औषध का निर्माण करती पाई जाती है तो राज्य लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

दवाइयों का आयात

1555. श्री आर. धनुषकोडी "आदित्यन" : क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन देशों से दवाइयों का आयात होता है,

(ख) गत दो वर्षों के दौरान आयातित दवाइयों का मूल्य कितना है, और

(ग) इनमें से किन–किन दवाइयों का भारत में उत्पादन नहीं होता है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) उन देशों के नाम जहां से भारत में औषधों का आयात किया जाता है संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ख) 1991-92 और 1992-93 के दौरान आयातित औषधों की कुल सी आई एफ कीमत निम्न प्रकार है :

वर्ष	सी आई एफ कीमत
1991-92	807.38 करोड़ रूपये
1992-93	1063.31 करोड़ रूपये

(ग) सूत्रयोगों के संबंध में भारत लगभग आत्मनिर्भर है।

विवरण

उन देशों के नाम जहां से भारत में औषधों का आयात किया गया था।

क्र सं.	देश का नाम	क्र सं.	देश का नाम
1.	इटली	21.	ब्राजील
2.	चीन	22.	स्वीडन
3.	नेदरलैंड	23.	अमन
4.	जर्मनी	24.	चेकोस्लाविया
5.	स्विट्जरलैंड	25.	आस्ट्रेलिया
6.	जापान	26.	कनाडा
७.	रूस	27.	इंडोनेशिया
8.	बेल्जियम	28.	थाइलैंड
9.	डेनमार्क	29.	साईप्रस
10.	स्पेन	30.	फिनलैंड
11.	यू. एस. ए.	31.	क्रोटिया
12.	युनाइटिड किंगडम	32.	अर्जेन्टीना
13.	फ्रांस	33.	आस्ट्रिया
14.	ताइवान	34.	इजरायल
15.	हंगरी	35.	सिंगापुर
16.	हांगकांग	36.	आईसलैंड
17.	कोरिया (दक्षिण)	37.	तुर्की
18.	आयरलैंड	38.	बहामाज
19.	हालैंड	39.	पनामा
20.	नार्वे	40.	मैक्सिको

अनिवासी भारतीय द्वारा पूंजी निवेश

1556. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनिवासी भारतीयों द्वारा राज्य–वार कुल कितना पूंजी निवेश किया गया और पहले से ही प्रत्यक्ष रूप से कितना विदेशी पूंजी निवेश किया गया और कितना पूंजी निवेश किए जाने का अनुमान है;

(ख) किस राज्य में सर्वाधिक अनिवासी भारतीयों द्वारा और अन्य विदेशी पूंजी निवेश किया गया और किस राज्य में ऐसे पूंजी निवेश को जुटाने की सर्वाधिक क्षमता है; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ऐसे पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए ढांचागत सुविधायें और प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ख) नयी औद्योगिक नीति की घोषणा के बाद जून, 1994 तक विभिन्न राज्यों में परियोजनाओं की स्थापना करने के प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया है जिनमे अनिवासी भारतीयों के पूंजी निवेश सहित 15,615.82 करोड़ रू. के विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश की परिकल्पना की गई है। अप्रैल, 1993 से मार्च 1994 तक के अनुमोदनों के क्षेत्रवार उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। 1993 से पूर्व की सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी गई थी।

भविष्य में किए जाने वाले अनुमोदन प्राप्त प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

(ग) विदेशी/अनिवासी भारतीय पूंजी निवेश आकृष्ट करने के लिए आधारभूत सुविधाएं तथा प्रोत्साहन राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं। इस प्रकार के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

अप्रैल, 1993 से मार्च, 1994 तक अनुमोदित विदेशी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश संबंधी मामलों की राज्यवार रिपोर्ट

राज्य	अप्रैल, 1993 – मार्च, 1994	
	संख्या	पूंजी निवेश (रू. करोड़ में)
1	2	3
महाराष्ट्र	109	1513.87
दिल्ली	89	955.80
अन्य	61	944.71
उड़ीसा	11	779.59
मध्यप्रदेश	17	582.87
तमिलनाडु	78	558.78
कर्नाटक	43	355.94
आंध्र प्रंदेश	43	348.99
गुजरात	30	303.39
हरियाणा	38	133.74
राजस्थान	24	75.77
उत्तर प्रदेश	16	63.79

1	2	3
पश्चिम बंगाल	21	48.30
गोआ	10	36.59
केरल	10	21.89
चंडीगढ़	3	20.02
दादरा और नगर हवेली	2	7.43
पंजाब	7	7.21
हिमाचल प्रदेश	3	2.62
पांडिचेरी	4	2.18
दमन और द्वीव	2	1.42
बिहार	2	1.37
अंडमान और निकोबार	1	0.90
असम	2	0.27
	626	6767.43

उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग

1557. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योगों के विकास में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) गत तीन वर्षो के दौरान उत्तर प्रदेश के लघु और कुटीर उद्योगों में कितना उत्पादन हुआ और इसमें कितने लोग कार्यरत है;

(घ) इन उद्योगों के विकास को तेज करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और

(ड) गत तीन वर्षो के दौरान कितनी राशि दी गई?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) से (ड) उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना सभा पटल पर रख दी जाएगी।

गुजरात में बायोगैस संयंत्र

1558. श्री सोमजीभाई डामोर :

श्री गाभाजी मंगाजी ठाकुर :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में गत तीन वर्षों के दौरान जिला–वार कितने बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं;

(ख) राज्यों के ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रो में इन्हें स्थापित करने हेतु वर्ष 1994 के दौरान कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा 1994-95 के दौरान सरकार ने ऐसे संयंत्र स्थापित करने के लिए कितनी–कितनी धनराशि आवंटित की है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार): (क) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991-92 से 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य में जिला–वार संस्थापित बायोगैस संयंत्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान राज्य को ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में 39,200 परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र और सात सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का लक्ष्य आवंटित किया गया है।

(ग) पिछले तीन वर्षों और 1994-95 में देश में जिसमें गुजरात राज्य शामिल है, बायोगैस संयंत्रों की स्थापना के लिए राशि निम्न प्रकार जारी/आवंटित की गई :

वर्ष	जारी की गई/आवंटित की गई राशि (करोड़ रूपये)	
	राष्ट्रीय बायोगैस विकास परियोजना	सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र कार्यक्रम
1991-92	61.46	2.21
1992-93	56.86	0.88
1993-94	77.55	3.82
1994-95 (आवंटित)	63.70	3.00

विवरण

1991-92 से 1993-94 के दौरान गुजरात राज्य में स्थापित परिवार आकार तथा सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्रों की जिलावार संख्या

जिले का नाम	1991-92 से 1993-94 के दौरान स्थापित संयंत्रों की संख्या	
	परिवार आकार के बायोगैस संयंत्र	सामुदायिक, संस्थागत और विष्ठा आधारित बायोगैस संयंत्र
अहमदाबाद	1269	1
अमरेली	4491	3
बनसंकथा	3682	4

भरूच	3028	6
भावनगर	2081	1
गांधी नगर	340	-
जामनगर	5954	-
जूनागढ	13559	4
कच्छ	512	-
खेड़ा	7935	3
मेहसाना	8330	10
पंचमहल	8691	-
राजकोट	8884	-
सबरकंथा	10683	17
सूरत	5551	-
सुरेन्द्र नगर	1125	-
द डंगस	182	-
बड़ोदरा	15191	1
वलसाड़	8372	2
जोड़	112860	52

सौर विद्युत संयंत्र

1559. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ सौर विद्युत संयंत्र लगाने का है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार कौन–कौन से स्थान चुने गए हैं/चुने जाने वाले हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस०कृष्ण कुमार): (क) और (ख) जी, हां। सौर ऊर्जा कार्यक्रम के तहत विद्युत उत्पादन के लिए सौर तापीय और सौर प्रकाशवोल्टीय दोनों रूटों पर विचार किया जा रहा है। किलोवाट श्रेणी में सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं अथवा कार्यान्वयनाधीन हैं जिनके ब्यौरे संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं। राजस्थान में जोधपुर में एक 30 मेवा० सौर तापीय विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए एक प्रदर्शन परियोजना प्रक्रियाधीन है।

अन्य स्थानों में सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा।

विवरण-I

छोटे गांव स्तर के सौर प्रकाशवोल्टीय विद्युत संयंत्र

संस्थापित विद्युत संयंत्र

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या	क्षमता (कि.वा.पी.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	2	12
2.	अरूणाचल प्रदेश	1	2
3.	असम	1	1
4.	गोवा	2	1.7
5.	गुजरात	3	14
6.	हरियाणा	4	23.20
7.	केरल	2	2.20
8.	मध्य प्रदेश	1	6
9.	महाराष्ट्र	3	6.44
10.	मणिपुर	5	5
11.	मेघालय	7	15.5
12.	नागालैंड	1	6
13.	उड़ीसा	5	34
14.	पंजाब	1	1
15.	राजस्थान	10	80
16.	तमिलनाडु	1	10
17.	त्रिपुरा	9	25
18.	उत्तर प्रदेश	34	350
19.	पश्चिम बंगाल	1	3
20.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	20	104.12
21.	दिल्ली	1	5
22.	लक्षद्वीप	1	25
	जोड़	115	732.16

विवरण-II

कार्यान्वयनाधीन विद्युत संयंत्र

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संख्या	क्षमता (किवा.पी.)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5	14.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	4.95
3.	असम	9	8.43
4.	हरियाणा	1	1
5.	जम्मू व कश्मीर	4	9.37
6.	कर्नाटक	5	10.50
7.	मध्य प्रदेश	3	16.44
8.	मेघालय	2	5
9.	राजस्थान	2	11.1
10.	उत्तर प्रदेश	31	106.6
11.	पश्चिम बंगाल	3	15
12.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2	10
13.	लक्षद्वीप	1	15
	जोड़	70	228.03

[हिन्दी]

न्यायालय के मामले

+1560. डा० रामकृष्ण कुसमरिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने न्यायालय के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) न्यायालयों में बकाया मामलों की समस्या पर विचार करने और इससे यथासंभव शीघ्रता से निपटने के लिए उपायों और साधनों का पता लगाने के लिए मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की एक बैठक 4 दिसंबर, 1993 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की थी। सम्मेलन में अंगीकृत संकल्पों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों और उच्च न्यायालयों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया हैं।

मामलों को शीघ्रता से निपटाए जाने के मार्ग में आने वाली अवसंरचनात्मक बाधाओं को दूर करने की दृष्टि से न्याय प्रशासन को एक योजना मद बनाया गया है।

[अनुवाद]

गुजरात में ज्वारीय विद्युत संयंत्र

1561. श्री काशीराम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कच्छ के समुद्री तट पर किसी विदेशी कम्पनी के सहयोग से ज्वारीय विद्युत संयंत्र स्थापित करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का स्वरूप क्या होगा और इससे कितनी ऊर्जा पैदा की जायेगी;

(ग) क्या कोई विदेशी एजेंसी राज्य में ऐसा विद्युत संयंत्र स्थापित करने पर सहमत हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) और (ख) गुजरात की कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय ऊर्जा दोहन द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए एक प्रस्ताव विचारधीन है। तथापि अब तक इस प्रस्तावितु परियोजना के संबंध में किसी विदेशी कंपनी से सहयोग नहीं किया गया है। इस प्रस्तावित विद्युत संयंत्र की क्षमता लगभग 900 मेवा है और यह अनुमान लगाया गया है कि इससे प्रतिवर्ष संभवतया 1700 मिलियन यूनिट विद्युत पैदा की जायेगी।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत फ्लैटों का आवंटन

1562. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर आवास योजना के अंतर्गत अब तक कितने जनता और निम्न आय वर्ग के फ्लैट आबंटित किए गए हैं; और

(ख) श्रेणी–वार क्या कीमतें ली गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) डी.डी.ए ने सूचित किया है कि अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृतों को अब तक जनता और एल आई जी श्रेणियों के 3323 फ्लैट आवंटित किये गये हैं।

(ख) अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित फ्लैटों का बिक्री मूल्य इलाके और ड्रा के समयानुसार भिन्न है जो इस प्रकार है :–

श्रेणी	फ्लैट का बिक्री मूल्य
जनता	95,500 रूपये से 1,58,100/- रू०
एल आई जी	1,91,600 रूपये से 3,23,600/- रू०

[अनुवाद]

तटरक्षक विकास योजना

1563. डा० रमेश चन्द्र तोमर :

श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला :

श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटरक्षक विकास संबंधी 15 वर्षीय संदर्शी योजना वास्तविक बल स्तर लक्ष्य से काफी कम रह जाने के कारण त्रुटिपूर्ण हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) तटरक्षक बल को और सशक्त बनाने हेतु किन सुधारात्मक कदमों पर विचार किया गया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) इस शताब्दी के अन्त तक तटरक्षक के संतुलित विकास और उन्नति के लिए 1978 में एक तटरक्षक परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई थी। इस योजना में पोतों और वायुयानों की प्राप्ति भर्ती और प्रशिक्षण तथा कार्मिक और अपेक्षित तट सहायता सुविधाओं की स्थापना संबंधी प्रस्ताव शामिल थे।

बदली हुई परिस्थितियों को मद्दे नजर रखते हुए तटरक्षक के लिए सन् 2000 तक के वास्ते 1987 में एक 15 वर्षीय संशोधित परिप्रेक्ष्य योजना तैयार की गई। सरकार ने इस दीर्घावधि की परिप्रेक्ष्य योजना के अनुरूप एक पंचवर्षीय तटरक्षक विकास योजना की स्वीकृति दे दी है। जिनमें प्रयोक्ता एजेंसियों की जरूरतों और तट पर गहन निगरानी की आवश्यकता को भी पूर्णतः ध्यान में रखा गया है।

योजना अवधि 1992-97 के दौरान कई पोतों/नावों और वायुयानों को शामिल किए जाने की योजना बनाई गई है।

[हिन्दी]

सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों में लंबित मामले

1564. श्रीमती गिरिजा देवी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायालय–वार कितने मामले दायर किए गए, और

(ख) कितने मामले निपटाए गए?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और

(ख) : 9 उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा दी गई जानकारी नीचे दी गई है :

क्र०सं०	उच्च न्यायालय का नाम	1993-94 में फाइल किए गए मामले	1993-94 में निपटाए गए मामले
1.	मुंबई*	97,372	96,722
2.	दिल्ली*	55,844	45,164
3.	हिमाचल प्रदेश	13,624	10,266
4.	गुवाहाटी	14,523	12,697
5.	कर्नाटक	64,300	40,740
6.	केरल	32,869	23,724
7.	मध्य प्रदेश*	30,712	23,325
8.	पंजाब और हरियाणा	91,363	69,652
9.	राजस्थान*	52,695	43,562

* 1.1.1993 से 31.12.1993 तक की अवधि के लिए आकंडे।

उच्चतम न्यायालय और शेष 9 उच्च न्यायालयों के संबंध में वैसी ही जानकारी इन न्यायालयों की रजिस्ट्रियों से एकत्र की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

ग्रामीण काटगरों का उपकरण किट

1565. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री एम०वी०वी०एस०मूर्ति :

श्री एस०एम०लालजान बाशा :

श्री बापू हरि चौरे :

श्री माणिकराव होडल्या गावीत :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण काटगरों को विकसित उपकरण किटों की आपूर्ति करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षो में राज्यवार कितने ग्रामीण काटगरों को ऐसे किटों की आपूर्ति की गई;

(ग) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान इस कार्य के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई; और

(घ) उपरोक्त अवधि में इस कार्य के लिए राज्यवार कितना धन निर्धारित/आबंटित किया गया?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) गरीबी की रेखा से नीचे बसर करने वाले ग्रामीण गरीबों को उन्नत किस्म की औजार किटों की सप्लाई की योजना 1992-93 में शुरू की गई थी। 1992-93 और 1993-94 के दौरान देश में 162 जिलों को कवर किया गया है। 1994-95 में 179 जिलों को कवर किया गया है।

योजना के अंतर्गत ग्रामीण कारीगर को औसतन 2000 रूपये की लागत वाली एक औजार किट मुहैया कराई जाती है। औजार किट की 90 प्रतिशत लागत केन्द्र सरकार द्वारा सबसिडी के रूप में वहन की जाती है और केवल 10 प्रतिशत लागत कारीगर द्वारा दी जाती है। इस योजना से कारीगरों के उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि, उत्पादकता और आय में बढ़ोत्तरी और उनके कठिन परिश्रम को कम करने में सहायता मिलती है। यह योजना बुनकरों, दर्जियों, कशीदाकारों, बीड़ी, मजदूरों को छोडकर सभी ग्रामीण कारीगरों के लिए है। वितरित किए गए औजार किटों की संख्या के बारे में राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–I पर दिए गए हैं।

(ग) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य एवं प्राप्त उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं:–

वर्ष	लक्ष्य (कारीगरों की संख्या जिन्हें औजार किटें वितरित की गई)	उपलब्धियां (वितरित औजार किटो की संख्या
1992-93	97585	78481
1993-94	129000	57371
1994-95	138650	1416

उपरोक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कराई गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

क्रमांक	राज्य	उपलब्धियां (वितरित की गई औजार किटें) 1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	3461	2394	
2.	अरूणाचल प्रदेश	283	-	
3.	असम	3724	1300	
4.	बिहार	4359	5270	

1	2	3	4	5
5.	गोआ	12	-	
6.	गुजरात	4510	6370	
7.	हरियाणा	2034	-	
8.	हिमाचल प्रदेश	1191	774	
9.	जम्मू और कश्मीर	-	1500	
10.	कर्नाटक	4193	13	
11.	केरल	716	6658	1416
12.	मध्य प्रदेश	8515	10389	
13.	महाराष्ट्र	8020	-	
14.	मणिपुर	730	-	
15.	मेघालय	274	-	
16.	मिजोरम	937	2147	
17.	नागालैंड	1017	322	
18.	उड़ीसा	1908	-	
19.	पंजाब	3874	-	
20.	राजस्थान	2714	418	
21.	सिक्किम	2000	500	
22.	तमिलनाडु	3950	-	
23.	त्रिपुरा	956	995	
24.	उत्तर प्रदेश	11175	13305	
25.	पश्चिम बंगाल	6367	4366	
26.	अं. नि. द्वीप समूह	774	-	
27.	दादर व नगर हवेली	121	57	
28.	दमन और द्वीप	28	80	
29.	लक्षद्वीप	33	70	
30.	पांडिचेरी	590	437	
	कुल	78481	57371	1416

विवरण-II

क्रमांक	राज्य	आवंटित (रिलीज की गई) निधियां (लाख रू. में)		
		1992-93	1993-94	1994-95
1.	आंध्र प्रदेश	72.00	145.80	180.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	18.00	33.40	9.00
3.	असम	72.00	93.60	36.00
4.	बिहार	108.00	1117.00	117.00
5.	गोआ	18.00	9.00	-
6.	गुजरात	72.00	93.60	180.00
7.	हरियाणा	72.00	93.60	27.00
8.	हिमाचल प्रदेश	36.00	44.62	18.86
9.	जम्मू और कश्मीर	72.00	70.20	90.00
10.	कर्नाटक	72.00	93.60	144.00
11.	केरल	36.00	157.20	108.00
12.	मध्य प्रदेश	144.00	232.20	297.00
13.	महाराष्ट्र	144.00	167.78	180.00
14.	मणिपुर	36.00	23.40	4.50
15.	मेघालय	8.10	9.00	9.00
16.	मिजोरम	36.00	27.00	22.50
17.	नागालैंड़	18.00	9.00	4.50
18.	उड़ीसा	36.00	46.80	108.00
19.	पंजाब	36.00	70.20	90.00
20.	राजस्थान	108.00	140.00	144.00
21.	सिक्किम	36.00	27.00	14.44
22.	तमिलनाडु	72.00	117.00	126.00
23.	त्रिपुरा	36.00	18.00	9.96
24.	उत्तर प्रदेश	180.00	351.00	450.00
25.	पश्चिम बंगाल	72.00	93.60	126.00
26.	अंडमान नि. द्वीप स.	18.00	9.00	0.00
27.	दा. न. हवेली	3.15	-	0.00
28.	दमन और दीव	10.00	9.00	0.00
29.	लक्षद्वीप	18.00	9.00	0.00
30.	पांडिचेरी	18.00	9.00	0.00
	कुल	1685.25	2340.00	2495.16

आठवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा

1566. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं योजना की कोई मध्यावधि समीक्षा की गई है;

(ख) यदि हां, तो किन क्षेत्रों के संबंध में पुनः आकलन किया जाएगा; और

(ग) क्या दोषपूर्ण आयोजना के फलस्वरूप ढांचागत विकास प्रभावित होगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) योजना आयोग में आठवीं योजना की मध्यावधि समीक्षा शुरू किए जाने के संबंधित कतिपय उपायों को प्रारंभ किया गया है।

(ख) और (ग) ये प्रश्न मध्यावधि समीक्षा के पूरा होने पर ही उत्पन्न होंगे।

जवाहर रोजगार योजना निधि का अन्यत्र उपयोग

1567. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय निधि के राज्य सरकारों द्वारा उपयोग संबंधी मानदंड क्या है;

(ख) क्या केन्द्रीय निधि राज्य के अन्य विभागों को दी जा सकती है;

(ग) क्या असम सरकार ने जवाहर रोजगार योजना से संबंधित भारी धनराशि तटबंधो की मरम्मत करने पर व्यय की जिससे हजारों बेरोजगार व्यक्ति अभिप्रेत लाभ से वंचित हो गए; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी राज्य सरकारों के विरूद्ध क्या कदम उठाने का प्रस्ताव हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत संसाधनों को केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच 80:20 के अनुपात में वहन किया जाता है। ये निधियां जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को रिलीज की जाती है। जो अपने स्तर पर कुल संसाधनों के 20 प्रतिशत के बराबर निधियां 10 लाख कुओं की योजना और इन्दिरा आवास योजना के लिए अलग रखने के बाद बाकी 80 प्रतिशत निधियों को जिले की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार निर्माण कार्य करने के लिये वितरित करती है। 10 लाख कुओं की योजनाओं और इन्दिरा आवास योजना के लिये निर्धारित निधियों का संचलन जिला स्तर पर किया जाता है। योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य लाभार्थियों द्वारा स्वंय अथवा राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग अथवा ब्लाक एजेंसी, जैसाकि ग्राम पंचायतों/जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों द्वारा जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुशरण में तय किया जाए, द्वारा किए जा सकते हैं।

(ग) असम सरकार ने यह अनुरोध किया था कि जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र/बेरोक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में तटबन्धों का निर्माण करने और उन्हें मजबूत बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस अनुरोध के उत्तर में केन्द्र सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार तटबन्धों का निर्माण उन्हें मजबूत बनाने

के काम किए जा सकते हैं। यह भी स्पष्ट किया गया था कि ऐसे निर्माण कार्य करते समय किसी भी ठेकेदार को निर्माण कार्य पर नहीं लगाया जाना चाहिए और जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं में निर्धारित किए गए अनुसार मजदूरी और गैर मजदूरी के 60:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य या तो लाभार्थियों पंचायतों द्वारा स्वयं किए जाने चाहिए अथवा सम्बन्धित विभाग द्वारा किए जाने चाहिए।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में लघु पन बिजली परियोजनाएं

1568. श्री शंकर सिंह बघेला : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से प्राप्त राज सहायता की मदद से विभिन्न राज्यों में लघु पन बिजली परियोजनाएं स्थापित और आरंभ की गई है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षो के दौरान राज्य–वार और विशेषतः गुजरात में ऐसी कितनी परियोजनाएं चालू की गई;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को ऐसे और भी संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) अब तक सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है; और

(च) उक्त अवधि में इस कार्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले दो वर्षो के दौरान कुल 2150 कि.वा. की तीन परियोजनाएं आरंभ की गई हैं, एक आंध्र प्रदेश (1000 कि.वा.) में और दो उड़ीसा (1150 कि.वा.) में।

(ग) से (ड.) राज्यों द्वारा प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना और उनकी स्वीकृति एक सतत् प्रक्रिया है। आर्थिक राज सहायता के लिए प्रस्तावों को विभिन्न शर्तो, तकनीकी–आर्थिक व्यवहार्यता की शर्तों को पूरा करने और राशियां उपलब्ध होने पर अनुमोदित किया जाता हैं। मंत्रालय ने अब तक आर्थिक राज सहायता योजना के तहत 13 राज्यों में कुल 81.4 मे.वा. की 76 लघु पन–बिजली विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृत किया है।

(च) पिछले दो वर्षो के दौरान मंत्रालय के लघु पन–बिजली कार्यक्रम के तहत व्यय, 26.00 करोड़ रूपए के कुल आवंटन की तुलना में, 25.18 करोड़ रूपए था।

भारत-पाक सीमा को सील करना

1569. श्री मोहन रावले : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इजराइल सरकार ने कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास सीमा को सील करने के लिए अपनी विशेषज्ञता और तकनीकी जानकारी देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, नही। तथापि, एक कम्पनी ने हमारी सीमा पर तार–बाड़ करने के लिए इस्रायली तकनालॉजी पर आधारित परिधि सुरक्षा प्रणाली की पेशकश की है।

(ख) और (ग) इस संबंध में अधिक ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

मिग विमानों की श्रेणी में सुधार करना

1570. श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 जून, 1994 के स्टेटसमैन में "अपग्रेडेड मिग्स टू स्ट्रेन्धन आई० ए० एफ०" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का मिग लड़ाकू विमानों की श्रेणी में सुधार करने में विदेशों की सहायता लेने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सरकार का मिग–21 बी.आई.एस. वायुयान का दर्जा बढ़ाने का विचार है जिसके लिए "आगे कार्य करने के इरादे" से रूसी निकोयन डिजाइन ब्यूरो को अवगत करा दिया है। वायुयानों का दर्जा बढ़ाए जाने के इस कार्य में देशी, रूसी और पश्चिमी देशों के शास्त्रों/वैमानिकी का एकीकरण शामिल होगा। वायुयानों का दर्जा बढ़ाए जाने का डिजाइन और विकास का चरण रूस में शुरू किया जाएगा। दर्जा बढ़ाए गए वायुयान के उत्पादन का कार्य हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड करेगा।

गुजरात में मरूभूमि विकास कार्यक्रम

1571. श्री छीतूभाई गामीत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या गुजरात में प्रतिवर्ष बडे पैमाने पर भूमि मरूभूमि बनती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इससे संबंधित अनुमानित क्षेत्र विशेष रूप से साबरकंठ, महसाना और सौराष्ट्र कच्छ खाड़ी क्षेत्र में कितना है; और

(घ) मरूभूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य में मरूभूमि क्षेत्र के फैलाव को रोकने के लिए उठाये जा रहे उपाय क्या हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) केन्द्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर द्वारा

"ग्राउण्ड टूथ राइट के सहयोग से हवाई चित्रों, लैण्डसैट और आई.आर.एस. (भारतीय रिमोट सेंसिंग) छायांकनों के प्रयोग से किए गए समेकित अध्ययन के निष्कर्षों से यह सिद्ध हो गया है कि पश्चिम में कच्छ से लेकर पूर्व में हरियाणा राज्य के हिसार और मोहिन्द्रगढ़ तक गुजरात सहित देश के किसी भाग में मरूस्थल के फैलने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। तथापि कुछेक क्षेत्रों में मरूस्थलीकरण की प्रक्रिया सीमांत भूमि की खेती, अधिक चराई, कटाई–छटांई एवं वृक्षों का गिराए जाने, लम्बे समय तक सूखा पड़ने और यदा कदा अप्रत्याशित बाढ़ आने जैसी जीवीय गति–विधियों में वृद्धि के कारण देखी गई है। दूसरी ओर मरूस्थल एक ऐसा पारिस्थितिक प्रणाली है जो अत्याधिक तापमान, खराब वर्षा, निम्न आर्द्रता, उच्च वायु वेग, प्रायः आने वाली धूल भरी आंधियों और सूखा से होता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केन्द्र सरकार मरूस्थलीकरण की समस्या के बारे में जानती है जो पारिस्थितिक प्रणाली की उत्पादकता को कम करने में जिम्मेदार रही है। इन क्षेत्रों की उपयुक्त उपायों की मार्फत उपचार किए जाने की आवश्यकता है ताकि मरूस्थलीकरण की प्रक्रिया पर नियंत्रण किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मरूभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था और अब इसे गुजरात के बनासकंठा और महसना जिलों के 9 खंडों, हरियाणा के भिवानी, हिसार, रोहतक और सिरसा जिलों के 26 खंडों, राजस्थान के बाड़मेर, बीकानेर चुरू, गंगानगर, जैसलमेर, जालौर, झुंनझूनू, जोधपुर, नागौर, पाली और सीकर जिलों के 84 खंडों के गर्म शुष्क क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम से दीर्घावधि में क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने हेतु वर्षो सहित प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, विकास और संवर्धन होता है।

[हिन्दी]

खाद्य पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन

1572. श्री मंजय लाल : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जुलाई, 1994 के "नवभारत टाइम्स" में कृषि क्षेत्र के घोटाले शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रासायनिक उर्वरकों तथा बीजों की नवीनतम किस्मों के उपयोग के फलस्वरूप खाद्य पदार्थों में हो रहे रासायनिक परिवर्तनों के अध्ययन हेतु सरकार कोई शोध तथा अध्ययन कार्यक्रम चलवा रही है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में नये किस्म के उर्वरकों और बीजों के प्रयोग के कारण भोज्य पदार्थों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

पाठा पेयजल योजना

1573. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जून, 1994 के हिन्दी दैनिक "दैनिक जागरण" में "पाठा ड्रिंकिंग वाटर स्कीम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के ठप्प होने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह योजना अपनी पूरी क्षमता से कब कार्य करना शुरू कर देगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी पटेल): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की राशि

1574. श्री आनंद रत्न मौर्य :

श्री गुरुदास कामत :

कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत निर्धारित राशि कम कर दी गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम् के तहत (I) नेहरू रोजगार योजना (एन आर वाई) और (II) गरीबों के लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (यू बी एस पी) दो केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ से लेकर अब तक दोनों योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि इस प्रकार हैः–

वर्ष	**एन आर वाई**	**यू बी एस पी (रूपये करोड़ों में)**
1992--93	71.00	13.00
1993-94	75.00	18.00
1994-95	70.00	18.00

अतः यह स्पष्ट है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सालाना आवंटन कुल मिलाकर समान–सा रहा है।

मजदूरी. अर्जन कार्यक्रम

1575. श्री एस० एन० लालजान बाशा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 के दौरान और चालू वर्ष में 30 जून, 1994 तक कोई नया कार्यक्रम आरम्भ किया गया है;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश में भी कोई कार्यक्रम शुरू किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। रोजगार आश्वासन स्कीम (ईएएस) केन्द्र तथा राज्यों के बीच 80:20 लागत हिस्सेदारी अनुपात पर एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में 2.10.93 को शुरू की गई थी। इस स्कीम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में 18 वर्ष से ऊपर तथा 60 वर्ष से कम आयु के उन सभी जरूरतमंद और इच्छुक व्यक्तियों को इतर कृषि के मौसम के दौरान वैधानिक न्यूनतम मजदूरी पर आश्वस्त आकस्मिक श्रम रोजगार के लगभग 100 दिन प्रदान करना है। रोजगार आश्वासन स्कीम इस समय उन सूखा प्रवण क्षेत्रों, मरूस्थल क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों तथा पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित देश के 261 जिलों के 1778 अभिनिर्धारित ब्लॉकों में कार्यान्वित हो रही है, जहां सुधरी हुई, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर पी डी एस) प्रचालन में है।

(ख) रोजगार आश्वासन स्कीम आन्ध्र प्रदेश के 16 जिलों के 120 ब्लॉकों में कार्यान्वित हो रही है। इसके अतिरिक्त आन्ध्र प्रदेश सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान एक राज्य स्कीम के रूप में ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम शुरू की है।

(ग) यह स्कीम पूरे वर्ष सभी इच्छुक व्यंक्तियों को शारीरिक कौशल रहित रोजगार प्रदान करती है। इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 13 जिलों को कवर करते हुए 304 मंडलों का चयन किया गया है। बोये गये क्षेत्र के 20 प्रतिशत से कम वाले मंडलों तथा आश्वस्त नहर सिंचाई के अंतर्गत नवीनतम सांख्यिकी के अनुसार वर्तमान परती भूमियों तथा अन्य विश्वसनीय और संपोषण योग्य मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को इस स्कीम के कार्यान्वयन के लिए चुना गया है। बहरहाल, रोजगार आश्वासन स्कीम के अंतर्गत कवर किए गए 120 ब्लॉकों तथा तीव्र जेआरवाई के अंतर्गत कवर किए गए 9 जिलों को रोजगार गांरटी स्कीम के कार्यान्वयन से अलग रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

महाराष्ट्र में जल तथा मल-जल सुविधा

1576. श्री दत्ता मेघे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को महाराष्ट्र की सरकार की ओर से जल तथा मल–जल शोधन सुविधा के संबंध में कोई योजना प्राप्त हुयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कब से शुरू की जायेगी?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जल एवं मल व्ययन सुविधा में सुधार लाने के बारे में कोई योजना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि शहरी क्षेत्र के लिए महाराष्ट्र सरकार

से प्राप्त 614 करोड़ रूपये की अनुमानित लागत वाली 'महाराष्ट्र जल सप्लाई एवं मल व्ययन परियोजना, चरण–2 (विश्व बैंक से सहायता प्राप्त') को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सिद्धान्त रूप में अनुमोदित कर दिया गया था और विश्व बैंक से सहायता प्राप्त करने के लिए वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया था।

[अनुवाद]

कृभकों की अतिरिक्त राशि

1577. प्रो. के. वी. थामस : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कृभकों ने केन्द्र सरकार से इसकी अतिरिक्त पड़ी राशि को नये कृषि आधारित उद्यमों में निवेश हेतु अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(घ) लाभ कमा रहे सरकारी तथा सहकारी क्षेत्र के उर्वरक एककों द्वारा अर्जित राशि को पूंजी निवेश हेतु सरकार की क्या नीति है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (घ) जी हां। कृभकों का 121.00 करोड़ रू. की अनुमानित पूंजी लागत पर 150 टन प्रतिदिन क्षमता के मध्यम आकार की फाइबर परियोजना को स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह संस्था परियोजना प्रस्तावों को ठोस बनाने के लिए विपणन आवश्यकता, कच्चे माल की उपलब्धता के संबंध में और अध्ययन कर रही है। लाभ कमा रही सरकारी और सहकारी क्षेत्र के उर्वरक एकक सरकार का अनुमोदन, जहां अपेक्षित है, लेने के पश्चात उनकी नियमावली/उप–नियमों के तहत अनुमत तरीके से उनके द्वारा उत्पन्न संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं।

सुपर फॉस्फेट उर्वरक

1578. श्री संदीपान भगवान थोरात : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक उत्पादक उर्वरक उद्योग के लिए राजसहायता/रियायतें देने के संबंध में सरकार की स्पष्ट नीति न होने के कारण बड़े संकट में हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने एकक हैं तथा गत एक वर्ष के दौरान उनकी उत्पादन क्षमता और वास्तविक उत्पादन कितना–कितना था तथा कितने एकक बंद पड़े हैं;

(ग) क्या देश में फॉस्फेटिक उर्वरक के उत्पादन और खपत में काफी कमी हुई है और यदि हां, तो कितनी;

(घ) विगत में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं तथा चालू वर्ष के लिए क्या उपाय करने का विचार है; और

(ङ) महाराष्ट्र में एक वर्ष से भी अधिक समय से उर्वरक एककों के राजसहायता

संबंधी विचाराधीन दावों का ब्यौरा क्या है और इनका शीघ्र निपटान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) प्रतिवर्ष तकरीबन 51.4 लाख टन एस एस पी की स्थापित क्षमता के साथ छोटे और मझौले क्षेत्रों में लगभग 80 सिंगल सुपर फास्फेट (एस एस पी) इकाईयां हैं। 1993-94 के दौरान एस एस पी का लगभग 19.0 लाख टन उत्पादन हुआ। अठ्ठारह (18) एस एस पी इकाईयां वित्तीय समस्याओं के कारण बंद पड़ी हुई बताई गयी है।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान फास्फेटिक उर्वरकों की खपत और उत्पादन निम्नानुसार थेः

(लाख टन न्यूट्रियेंट)

वर्ष	खपत	उत्पादन
1991-92	33.21	25.62
1992-93	28.41	23.06
1993-94	28.84 (अनुमानित)	18.16

(घ) उत्पादन लागत को कम करने तथा अपेक्षाकृत सस्ते आयातों की तुलना में एककों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए किये गये कुछ उपाय निम्नानुसार हैं :

i. नये उर्वरक संयंत्र लगाने तथा चालू संयंत्रों के नवीकरण/आधुनिकीकरण के लिए आवश्यक पूंजीगत मालों के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त कर दी गई है।

ii. फॉस्फोरिक एसिड जो फॉस्फेटिक उर्वरक बनाने के लिए एक कच्चा माल है के आयात पर सीमा शुल्क हटा ली गयी है,

iii. 1.1.1991 अथवा उसके बाद आरंमण किये गये संयंत्रों के संबंध में आवधिक ऋणों पर ब्याज में 3 प्रतिशत की रियायत और पूंजीगत मालों पर दी गई सीमा शुल्क की वापसी के लिए एक योजना मंजूर की गई है,

iv. फॉस्फेटिक और पोटाशिक उर्वरकों तथा उनके कच्चे मालों के संचालन पर रेलवे भाड़े में कमी कर दी गई है, और

v. प्रति मीटरी टन डी ए पी पर 1000 रू. की विशेष रियायत और एस एस पी सहित अन्य कम्प्लेक्स् उर्वरकों पर आनुपातिक रियायत गत वर्ष के नमूने पर मात्र चालू वर्ष के दौरान सीमित की गई है ताकि उद्योग अपेक्षाकृत सस्ते आयातों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके।

(ड) महाराष्ट्र एग्रो इंडस्ट्रिज डेवलपमेंट कार्पोरेशन (एम ए आई डी सी) के कुछ राज सहायता दावे उर्वरक उद्योग समन्वय समिति द्वारा मांगे गये कुछ स्पष्टीकरणों के अभाव में एक वर्ष से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं।

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष

1579. श्री गुरूदास कामत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रूग्ण एककों के लिए राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोष स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (घ) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

जल शुल्क

1580. श्री चित्त बसु : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने किसानों पर प्रभावित जल शुल्क के लिए किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या है;

(ग) क्या सरकार किसानों से लिये जा रहे जल शुल्क में वृद्धि करने पर सक्रियता से प्रयास कर रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में राज्य सरकार से कोई बातचीत की गई है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ङ) विभिन्न राज्यों में सिंचाई जल मूल्य निर्धारण की मौजूदा स्थिति, सिंचाई कार्यो के वित्तीय प्रबंध पर उसके प्रभाव का अध्ययन करने तथा उपचारी उपायों के संबंध में सुझाव देने के लिए योजना आयोग ने अक्तूबर, 1991 में डा० ए. वैद्यनाथन् की अध्यक्षता में एक आंतरिक दल के रूप में एक समिति का गठन किया था। समिति के सदस्यों के बीच, चुंनिदा राज्यों से भी छः सदस्य थे। समिति ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न सिफारिशों की है, जिनमें से कुछ प्रमुख सिफारिशें हैं : जल दरों की प्रयोक्ता प्रभार के रूप में मानना, जल प्रभार का उद्देश्य अंततः लागत वसूल करना ही है, जल दरों में संशोधन को सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार जोड़ना, जल दरों का संशोधन तथा कार्यान्वयन चरणों में, किसान दल प्रबंध की प्रणाली का समेकन, जल प्रयोग तथा उत्पादकता में उच्च्य स्तरीय दक्षता की प्रणाली की उन्नयन, आयतनी जल पर ढांचे की तरफ प्रगामी रूप से बढ़ना, नीति की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर 'उच्च्य शक्ति प्राप्त' स्वायत्तशासी बोर्डो की स्थापना, रखरखाव लागतों संबंधी मानदंड स्थापित करना, वास्तविक व्यय का निर्धारण करना तथा जल दरों में संशोधन के लिए पैरामीटर और मापदंड तय करना, प्रत्येक पांच वर्षो में जल मूल्य निर्धारण संबंधी सभी मामलों की अनिवार्य समीक्षा इत्यादि। इसी बीच, योजना आयोग ने रिपोर्ट में की गई सिफारिशों की जांच करने के लिए चुंनिदा नौ राज्यों के अधिकारियों सहित अधिकारियों के एक दल का गठन किया है। सिंचाई 'राज्य का विषय होने के नाते' रिपोर्ट में

की गई विभिन्न सिफारिशों के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई पर अधिकारियों के दल द्वारा अंतिम विचार कर लेने के बाद राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से जल दरों संबंधी निर्णय लिया जा सकता है।

राजस्थान में सीमेंट संयंत्र

1581. श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में बड़े, मध्यम तथा छोटे सीमेंट संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संयंत्रों का वार्षिक सीमेंट उत्पादन कितना–कितना है; और

(ग) इन सीमेंट संयंत्रों द्वारा कितने रोजगार के अवसर पैदा किए गए?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) राजस्थान में 11 बड़े सीमेंट संयंत्र हैं जिनमें से एक उत्पादन नहीं कर रहा है। इसके अतिरिक्त, वहां 82 अति लघु सीमेंट संयंत्र हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान बड़े सीमेंट संयंत्रों का वार्षिक उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है। अति लघु सीमेंट संयंत्रों के उत्पादन संबंधी आंकड़े और सीमेंट द्वारा सृजित रोजगार के ब्यौरे केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

1991-92 — 1993-94 के दौरान राजस्थान में बड़े सीमेंट संयंत्रों का वार्षिक उत्पादन।

(लाख टन)

क्र. सं.	संयंत्र का नाम	उत्पादन		
		1991-92	1992-93	1993-94
1.	लखेरी	3.25	3.26	3.42
2.	बिरला सीमेंट	4.32	4.61	5.00
3.	चित्तौर सीमेंट	6.79	6.20	8.21
4.	मंगलम सीमेंट	3.88	3.92	3.86
5.	नीर श्री	-	-	0.58
6.	जे के निम्बहेरा	15.72	15.90	16.29
7.	लक्ष्मी सीमेंट	6.07	5.52	5.57
8.	जे के उदयपुर उद्योग	3.45	4.46	3.03
9.	श्री सीमेंट	7.63	7.98	8.76
10.	श्री राम सीमेंट	2.26	2.29	2.52
11.	उदयपुर उद्योग लिमिटेड	** उत्पादन नहीं कर रहा है **		
	यौग	53.37	54.14	57.24

के. वी. आई. सी. द्वारा ऋण

1582. श्री राम कापसे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या के. वी. आई. सी. की हाल की उदार ऋण नीति के बावजूद भी कुटीर उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत प्रसंस्कृत फलों के उत्पादन में लगे स्वतंत्र उद्यमियों का परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कोई आर्थिक सहायता नहीं मिल पाती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में महाराष्ट्र के कोकंण प्रसंस्करण उद्यमियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है; और

(घ) यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम): (क) जी, नहीं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास व्यक्तिगत उद्यमियों को सहायता देने के लिए एक पैटर्न है जिसके तहत 3 मी. टन क्षमता की इकाई लगाने के लिए पूंजीगत व्यय के रूप में 5,000/- रू. और कार्यशील पूंजी के रूप में 5,000/- रू. मुहैया करने का प्रावधान है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

लाभ/हानि अर्जित करने वाले निगम

1583. श्री ललित उरांव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1994 की तिथि के अनुसार उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत प्रत्येक निगम ने राज्यवार कितनी पूंजी का निवेश किया, कितना लाभ अर्जित किया और कितनी हानि उठाई;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को ऐसे निगमों को बंद करने के लिए निर्देश दिए हैं जिनमें लगातार हानि हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) जहां तक भारी उद्योग विभाग के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का संबंध हैं, इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारी उद्योग विभाग की घाटे में चल रही इकाइयों को, जो रूग्ण औद्योगिक कंपनी अधिनियम (एस. आई. सी. ए.) के अनुसार रूग्ण है, उचित उपायों की सिफारिश करने हेतु वित्तीय एवं औद्योगिक पुनर्निर्माण बोर्ड को संदर्भित किया गया है।

विवरण

क्रं.सं.	राज्य का नाम	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम	निवेशित पूंजी ग्रास ब्लाक यथा 31.3.93	लाभ(+) हानि(+) 1992-93 (वास्तविक)	लाभ(+) हानि(+) 1993-94 (अंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	**आंध्र प्रदेश**				
	क)	भारत हैवी प्लेटस एंड वैसल्स लि.	57.37	2.33	2.50
	ख)	प्रागा टूल्स लिमिटेड	35.68	-5.17	-9.94
2.	**बिहार**				
	क)	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लि.	12.90	1.81	0.11
	ख)	हैवी इंजिनियरिंग कारपो. लि.	277.46	-5.17	-9.94
3.	**कर्नाटक**				
	क)	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्टस् लिमिटेड	11.16	0.59	0.63
	ख)	एच.एम.टी. लिमिटेड	488.44	-9.98	-82.00
4.	**मध्य प्रदेश**				
	क)	नेपा लिमिटेड	112.14	-5.19	-22.51
	ख)	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लि.	30.07	-16.68	-6.33
5.	**महाराष्ट्र**				
	क)	रिचर्डसन एंड क्रूडास (1972) लि.	21.00	-15.16	-12.97
	ख)	नेशनल बाइसिकल कारपो. आफ इंडिया लि.	1.89	-13.58	-13.39
6.	**दिल्ली**				
	क)	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि.	1517.00	309.00	275.00
	ख)	सीमेंट कारपो. आफ इंडिया लि.	619.49	-599.94	-86.12
	ग)	इंजिनियरिंग प्रोजेक्टस (इंडिया) लि.	25.03	-59.81	-66.35
	घ)	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपो. लि.	2.08	-0.21	0.22
	ङ)	नेशनल स्माल इंडस्ट्रिज कारपो.	44.40	1.24	-

1	2	3	4	5	6
7.	**राजस्थान**				
	क)	राजस्थान इलेक्ट्रानिक इन्स्ट्रूमेंट्स लि.	4.11	0.43	0.50
	ख)	हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	2.08	-0.11	-0.63
	ग)	सांभर साल्टस लिमिटेड	4.52	0.05	-0.56
	घ)	इन्स्ट्रूमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा	48.25	-11.60	-15.26
8.	**तमिलनाडु**				
	क)	हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु. कंपनी लि.	61.66	-77.87	-69.55
9.	**उत्तर प्रदेश**				
	क)	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड	15.32	-16.37	-16.31
	ख)	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	26.37	-60.91	-74.00
	ग)	भारत पंपस एंड कम्प्रेसर्स लि.	33.07	-14.24	-9.25
	घ)	भारत लेदर कारपोरेशन लिमिटेड	1.15	-1.25	-1.27
	ड)	टेनरी एंड फुटवियर कारपो. आफ इंडिया लि.	7.97	-23.11	-24.17
10.	**पश्चिम बंगाल**				
	क)	एन्ड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	110.85	3.77	7.20
	ख)	नेशनल इन्स्ट्रूमेंटस लिमिटेड	6.78	-12.35	-9.44
	ग)	रिहेब्लिटेशन इंडस्ट्रीज कारपो. लि.	3.77	-32.00	-39.02
	घ)	भारत आप्थल्मिक ग्लास लिमिटेड	5.65	-11.29	-11.74
	ड)	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	245.96	12.11	1.94
	च)	बर्न स्टेंडर्ड कंपनी लिमिटेड	84.24	-3.20	-8.71
	छ)	भारत ब्रेक्स एंड वाल्वस लिमिटेड	4.14	-0.61	-0.38
	ज)	रेरोल बर्न लिमिटेड	0.58	-0.84	-0.64
	झ)	भारत प्रोसेस एंड मेकेनिकल इंजीनियर्स लि.	2.64	-9.81	-10.82
	ञ)	जेसप एंड कंपनी लिमिटेड	47.56	-9.7	-11.97
	ट)	ब्रैथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	18.90	-1.65	-8.70
	ठ)	वेबर्ड (इंडिया) लिमिटेड	0.73	-1.30	-1.27
	ड)	लगन जूट मशीनरी कंपनी लिमिटेड	3.03	-0.24	0.11
	ढ)	बी. बी. जे. कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	5.33	3.16	1.94

1	2	3	4	5	6
	ण)	ब्रिज एंड रूफ कंपनी लिमिटेड	29.97	2.60	3.60
	त)	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कारपो. लि.	55.54	-71.81	-71.09
	थ)	साइकिल कारपो. आफ इंडिया लिमिटेड	2.56	-30.47	-35.74
	द)	हिन्दुस्तान पेपर कारपो. लिमिटेड	579.46	-51.33	-79.63
	ध)	हुगली प्रिंटिंग लिमिटेड	0.71	0.08	0.01
	न)	टायर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	19.12	-25.48	-30.08
11. नागालैंड					
	क)	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	74.44	-23.76	-6.50
12. केरल					
	क)	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	171.66	-39.81	41.58

[अनुवाद]

वनेतर परती भूमि का विकास

1584. श्री शांता राम पोतदुखे : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार वनेतर परती भूमि का विकास करने के क्षेत्र में व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किये गये उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देने के लिए एक राष्ट्रीय पुरस्कार आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पुरस्कार के लिये व्यक्ति अथवा संस्था का चयन करने के लिये सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देश तथा मानदंड क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (बंजर भूमि विकास विभाग) में राज्य मंत्री (कर्नल राव राम सिंह): (क) और (ख) जी हां, बंजर भूमि विकास विभाग ने वनेतर भूमि के विकास के क्षेत्र में प्रभावशाली कार्य करने वालों को मान्यता प्रदान करने के लिए परती भूमि मित्र अवार्ड नामक पुरस्कार देने की योजना शुरू की है। पदक तथा प्रशस्ति पत्र सहित पचास–पचास हजार रूपये के दो पुरस्कार निम्नलिखित श्रेणियों के व्यक्तियों/संस्थाओं को दिया जाएगा :

1. सरकारी एजेंसियां
2. निगमित एजेंसियां
3. स्वैच्छिक एजेंसियां
4. पंचायती राज संस्थाएं
5. शैक्षिक संस्थाएं
6. व्यक्तिगत किसान

7. निगमों/गैर सरकारी संगठनों/सरकारी एजेंसियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति

8. खनन क्षेत्र और खनन मिट्टी

(ग) चयन के लिए मानदंड निम्नलिखित क्षेत्रों में वनेतर बंजर भूमि पर कार्य करने के आधार पर निर्धारित किया जाएगा :

– जन पौधशालाएं स्थापित करना,

– बंजर भूमि पर वृक्ष लगाना,

– जन जागरूकता पैदा करना, प्रेरणा देना, विस्तार कार्य करना।

– वनीकरण, वृक्षारोपण बंजर भूमि विकास में ग्रामीण गरीबों/जनजाति/निगमों को शामिल करना,

– वृक्ष उत्पादकों की सहकारिताएं जैसी बुनियादी स्तर की संस्थाओं का गठन करना,

– सामुदायिक लकड़ी और चरागाह भूमि की सामाजिक घेराबंदी,

– विशेष रूप से कठिन क्षेत्रों तथा कठिन कृषि जलवायु वाले आंचलों में कार्य करना,

– वनेतर बंजर भूमि पर मत्स्यपालन, बागवानी, कृषि – वानिकी जैसी भूमि आधारित गतिविधियां।

लागत प्रबंधन पर सम्मेलन

1585. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्माण में लागत, कार्य–कुशलता तथा गुणवत्ता के प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन ने निर्माण परियोजनाओं को कुशलतापूर्वक चलाने तथा विशाल परियोजनाओं में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए एक मानक संविदा दस्तावेज तैयार करने की आवश्यकता पर बल दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है/की जायेगी?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) राष्ट्रीय निर्माण प्रबंधन तथा अनुसंधान संस्थान ने योजना आयोग के सहयोग से दिनांक 6-8 जुलाई, 1994 को प्रबंध लागत, क्षमता, तथा निर्माण में गुणवत्ता पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। सम्मेलन की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

आंध्र प्रदेश का सूखा प्रवण क्षेत्र

1586. श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के विभिन्न जिलों में व्यापक स्तर पर सूखे की स्थिति बन गई है:,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने क्या योजनाएं तैयार की हैं; और

(घ) डी०पी०ए०पी० के तहत इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या वित्तीय सहायता प्रदान की है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, चित्तूर, कुडप्पा, कुरनूल, महबूबनगर, नालगोंण्डा प्रकाशम तथा रंगारेडडी जिलों के अंतर्गत 69 खंडों की सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अंतर्गत कवरेज के उददेश्य से सूखाग्रस्त क्षेत्र के रूप में चयनित किया गया है। 1993-94 के दौरान राज्य सरकार द्वारा 12 जिलों अर्थात भामाकुलम, विजयानगरम, विशाखापतनम, पूर्वो गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, करीमनगर, नालगोण्डा, अंनतपुर, महबूबनगर, मेडक, रंगारेडडी और कृष्णा के कुछेक भागों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है।

(ग) फसलों और पशुधन के उत्पादन, भूमि, पानी और मानव संसाधनों की उत्पादकता पर सूखा के प्रतिकूल प्रभावों की, क्षेत्र के प्राकृतिक संसाधन आधार का समेकित विकास करके कम करने और अतंतः सूखा प्रभावित क्षेत्रों का सूखा दूर करने के उददेश्यों से 1973-74 में सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया गया था। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य आपदा राहत कौष के अंतर्गत उपलब्ध निधियों का इस्तेमाल करके किए जा रहे हैं।

(घ) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है जिसके लिए निधियां केन्द्र एवं राज्यों द्वारा बराबर–बराबर वहन की जाती है। 5वीं योजना से 1993-94 तक सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य अंश सहित 22213.82 लाख रूपये की राशि आंबटित की गयी है। 1994-95 के लिए आंध्र प्रदेश के लिए कुल आबंटन 1993.00 लाख रूपये है।

[हिन्दी]

गुजरात में छोटी परियोजनाएं

1587. श्री एन. जे. राठवा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 और 1994-95 के दौरान छोटी विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा गुजरात को कितनी धनराशि आंवटित की गई; और

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए योजना आयोग द्वारा निर्धारित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) गुजरात राज्य में कोई भी लघु विद्युत परियोजना (2 मेगावाट से अधिक तथा 15 मेगावाट क्षमता तक की) निर्माणाधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश को लघु उद्योगों के लिए धनराशि

1588. श्री सुरेन्द पाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश को लघु उद्योगों के विकास हेतु और अधिक धनराशि आवंटित करने

का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि सातवीं पंचवर्षीय योजना की तुलना में कम है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) लघु उद्योगों के विकास के लिए और ज्यादा धनराशि के आबंटन हेतु उत्तर प्रदेश सरकार से कोई विशिष्ट प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के ग्राम्य और लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आठवीं योजना हेतु परिव्यय 261.20 करोड़ रू है, जो सातवीं योजना हेतु 171.59 करोड़ रू के परिव्यय से ज्यादा है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड

1589. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लि० का कितना कारोबार था और इसने कितना शुद्ध लाभ कमाया तथा 1994-95 के लिए इसका निर्धारित लक्ष्य क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई;

(ग) क्या हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लि० ने 1994-95 के लिए उनके मंत्रालय के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड लि० का 1991-92, 1992-93, 1993-94 के दौरान कारोबार, लाभ/हानि तथा विदेशी मुद्रा आय तथा 1994-95 के लिए लक्ष्य निम्नलिखित हैं :

(राशि रू./लाखों में)

वर्ष	कारोबार	निवल लाभ/हानि	विदेशी मुद्रा आय
1991-92	7185.51	(-) 626.22	73.49
1992-93	8254.14	(+) 44.14	423.70
1993-94	10901.39	(+) 200.30	693.17
1994-95 (अस्थाई)	11433.38	(+) 77.00	860.00 (अस्थाई)

(ग) जी, हां।

(घ) एम ओ यू में वर्ष 1994-95 के लिए निर्धारित मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार है:–

(1)	उत्पादन	28,175 एम टी/के एल
(2)	घरेलू बिक्री	10,582 (रू. लाखों में)
(3)	निवल विदेशी मुद्रा आय.	रू. 486 लाख (लगभग 1.55 एम यू एस डालर)
(4)	सकल लाभ	873 लाख
(5)	लगाई गई पूंजी की तुलना में निवल लाभ	(+) 0.81

लघु तथा मध्यम उद्योग

1590. श्री रामेश्वर पाटीदार :

श्रीमती शीला गौतम :

श्रीमती भावना चिखलिया :

श्री राजेश कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नई औद्योगिक नीति के तहत लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्योगों को किस प्रकार लाभ पहुंचा है;

(ख) क्या सरकार ने इन उद्योगों को अद्यतन तकनीकी जानकारी प्रदान करने की कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरूणाचलम) : (क) इन उद्योगों की विकास दर में वृद्धि का रूख दिखाई दिया है। लघु उद्योग क्षेत्र के निर्यात में वृद्धि और हुई है नयी नीति के कारण उक्त क्षेत्र की गुणवत्ता में परिवर्धन और दक्षता आई है।

(ख) और (ग) समग्र गुणवत्ता प्रबंध और आई.एस.ओ.–9000 प्रमाणीकरण प्रणाली संबंधी कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। उद्यमियता और कौशल विकास कार्यक्रम प्रायोजित एवं आयोजित किये जाते हैं। टूल रूप, उत्पाद–सह–प्रक्रिया विकास केन्द्र और लघु उद्योग सेवा संस्थानों के माध्यम से तकनीकी सहायता मुहैया की जाती है।

हुडको की कार्य प्रणाली

1592 श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

श्री बिलास मुत्तेमवार :

श्री पंकज चौधरी :

श्री अरविन्द त्रिवेदी :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गृह निर्माण और शहरी विकास निगम (हुडको) में कथित वित्तीय भनियमितताओं के विषय में अनेक अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन अनियमितताओं की जांच करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ड.) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है; और

(च) हुडको की कार्य–शैली को दुरूस्त करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

शहर विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (ड.) भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक को आवास तथा नगर विकास निगम (हुडको) की वर्ष 1992-93 की संविधानिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट के बारे में नागरिक स्वतन्त्रता वकील मंच से 8 जून, 1994 को एक नोटिस मिला था। किन्तु मंच के नोटिस से पूर्व नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक कम्पनी के वर्ष 1992-93 के खातों की समीक्षा करके अपनी टिप्पणी अन्तिम रूप से तैयार कर चुके थे। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ने संविधानिक लेखा परीक्षक रिपोटों की विसंगतियों पर अपनी रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणियां की हैं और उन्होंने मंच को उत्तर देना आवश्यक नहीं समझा।

इसके अलावा कुछ गुमनाम शिकायतें भी मिली हैं और लगाये गये आरोपों की जांच की गई है तथा हुडको द्वारा यथा–अपेक्षा समुचित कार्यवाही भी की जाती रही है। ऐसे एक मामले में, सी बी आई ने आय से अधिक सम्पतियां पाये जाने पर एक अधिकारी के विरूद्ध मामला दर्ज किया है।

(च) हुडको के सर्तकता तन्त्र के सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से भारत सरकार ने हाल ही में प्रति नियुक्ति आधार पर एक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति की है जो सीधे हुडको के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, को रिपोर्ट करेगा।

[हिन्दी]

उर्वरकों के लिए कच्चा माल

1593. श्री नीतिश कुमार : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में रसायन उर्वरकों के उत्पादन के लिए कच्चे माल का अधिकतर आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इस समय कितने प्रतिशत कच्चे माल का आयात किया जा रहा है; और

(ग) सरकार ने इस कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाये हैं?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) सामान्यतः नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों के लिए कच्चे माल का कोई आयात नहीं है। फास्फेटिक उर्वरकों के लिए कच्चे माल की देश की आवश्यकता का लगभग 95 प्रतिशत का आयात किया जाता है। पोटाश की सारी आवश्यकता आयात से पूरी की जाती है क्योंकि देश में इस पोषक के कोई ज्ञात तथा लाभप्रद स्त्रोत नहीं हैं।

(ग) स्वदेशी स्त्रोतों से कच्चे माल की आर्थिक उपलब्धता के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) मैसर्स फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० (फैक्ट), कोचिन द्वारा लगभग 618 करोड़ रू. की लागत पर नए 900 टन प्रतिदिन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित परियोजना कार्यान्वयनाधीन हैं।

(ii) स्वदेशी रॉक फॉस्फेट तथा आयरन पाइराइट्स के उपयोग के लिए प्रोत्साहन की योजना फरवरी, 1993 से कार्यान्वित की जा रही है।

लाल किले के आस-पास अनधिकृत अतिक्रमण

1594. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लाल किले के आसपास अनधिकृत अतिक्रमण के बारे में दिनांक 23 जून, 1994 के "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ग) सरकार ने क्या उपचारात्मक उपाय किये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम ने बताया है कि समारोहों, रैलियों, सर्कस आदि का आयोजन लाल किला के सामने मैदान में किया जाता है। इस मैदान की व्यवस्था तथा रख–रखाव कार्य रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। जब भी कोई समारोह/रैली आयोजित की जाती है, सफाई कार्य दिल्ली नगर निगम को सोंपा जाता है और उस पर उपयुक्त रूप से ध्यान दिया जाता है। इस इलाके में कार पार्किंग अधिकृत पार्किंग है और इसका रख रखाव दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है। तीर्थ यात्रियों की बसों को यातायात पुलिस द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। जब भी किसी अतिक्रमण का पता लगता है, दिल्ली नगर निगम द्वारा उसे हटाने हेतु शीघ्र कार्यवाही की जाती है। दिल्ली नगर निगम ने इस स्थल के सभी किस्म के अतिक्रमण कियोस्क पिछली बार 9.7.94 को हटाये थे।

[अनुवाद]

फ्रांसीसी आयोजना

1595. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :

श्री डी० वेंकटेश्वर राव :

श्री एम० वी० वी० एस० मूर्ति :

क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी आयोजना प्रणाली देश में आर्थिक उदारीकरण और बाजार अर्थ व्यवस्था लागू करने के पश्चात् वर्तमान आयोजना प्रतिमान के ठोस विकल्प के रूप में उभर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई संदर्शी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा की गई जांच का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) उपाध्यक्ष, योजना आयोग ने आर्थिक सुधार के संदर्भ में योजना आयोग की भूमिका तथा आकार पर विचार–विमर्श करने हेतु दिनांक 23.5.1994 को अर्थशास्त्रियों की बैठक बुलाई। योजना आयोग के भावी योजना प्रभाग में तैयार किया गया भारतीय आयोजना प्रक्रिया संबंधी एक विचार–विमर्श पत्र तथा इसके पुनरभिमुखीकरण हेतु कार्यसूची, बैठक में परिचालित पृष्ठभूमि पत्रों में शामिल थे। विचार–विमर्श को सहज बनाने हेतु इस पत्र के साथ पृष्ठभूमि सामग्री के रूप में फ्रेंच आयोजना संबंधी एक नोट भी संलग्नित था।

मितव्ययिता संबंधी समिति की रिपोर्ट

1596. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग की मितव्ययिता संबंधी समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मितव्ययिता संबंधी समिति ने गैर–योजना व्यय में भारी कटौती की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो मितव्ययिता संबंधी समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु योजना आयोग द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) मितव्ययिता संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति की सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य सिफारिशों में समिति ने गैर–योजना व्यय को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय विकास परिषद् की 5 अप्रैल, 1993 और 18 सितम्बर, 1993 को हुई बैठकों में विचार किया गया । इन विचार विमर्शों के अनुसरण में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

के मुख्य मंत्रियों/राज्यपालों/उप–राज्यपालों को समिति की सिफाारिशों से योजना आयोग के उपाध्यक्ष की उनके साथ हुई बैठकों में अवगत कराया गया। इन बैठकों में उन्हें गैर–योजना व्यय को कम करने को कहा गया है।

विवरण

मितव्ययिता पर राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति की सिफारिशें

आठवीं योजना में 1991-92 के मूल्यों पर 434,100 करोड़ रूपये कुल सार्वजनिक क्षेत्र परिव्यय की परिकल्पना की गई है, राज्यों का परिव्यय 179,985 करोड़ रूपये निर्धारित किया गया है। 1991-92 के अद्यतन अनुमान यह दर्शाते हैं कि राज्यों के वर्तमान राजस्व का शेष (–) 2940 करोड़ रूपये था। बी.सी.आर. में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता हेतु आठवीं योजना में केन्द्र और राज्यों को साथ मिलाकर उनके लिए लगभग औसतन 7000 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष की आवश्यकता होगी। यह तभी संभव होगा यदि केन्द्र और राज्यों द्वारा संसाधन बढ़ाने तथा व्यय कम करने के सुदृढ़ प्रयास किए जाएं। इस कार्य में केन्द्र तथा राज्यों को एक साथ कार्य करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि केन्द्र द्वारा लागू की गई नीतियां राज्यों के आवश्यक संसाधन बढ़ाने तथा व्यय कम करने के दोनों के रास्ते में न आएं। इस संदर्भ में, केन्द्र तथा राज्यों द्वारा वेतनमानों तथा मंहगाई भत्ते के संशोधन पर यही नीतियां लागू करने की आवश्यकता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। संभवतः विशेष श्रेणी राज्य, अपनी विशिष्ट वित्तीय तथा अन्य समस्याओं को देखते हुए समिति की सिफारिशें दृढ़ता से पूरी करने में सफल न हो सकें। तथापि, उन्हें समिति की निम्नलिखित सिफारिशों की भावनाओं का पालन करना चाहिए :

(1) गैर योजना राजस्व व्यय के अनुपात को राज्यों के कुल राजस्वों तक नीचे लाने की सर्वप्रथम आवश्यकता है आठवीं योजना अवधि के दौरान आधार वर्ष से सभी राज्यों को यह अनुपात करके 5 प्रतिशत बिन्दुओं तक लाना चाहिए। इस प्रकार की कटौती योजना आयोग द्वारा पहले से स्वीकृत राज्यों के योजना आकार में अंतर्निहित है। तथापि, हाल ही में बने विशेष श्रेणी राज्य इस अनुपात को कम से कम 3 प्रतिशत बिन्दुओं तक कम कर सकते हैं।

(2) राज्यों के बजट अनुमान को मंत्रालय/विभाग–वार स्टाफ की संख्या तथा केन्द्रीय बजट के पैटर्न पर वेतन तथा भत्तों पर व्यय के अलग–अलग विवरण उपलब्ध कराने चाहिए। कुल गैर योजना व्यय की तुलना में वेतन तथा भत्तों के अनुपात को भी दर्शाया जाना चाहिए। आठवीं योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र में रोजगार में कोई सामान्य विस्तार नहीं होना चाहिए।

(3) एक वर्ष की अवधि के लिए केन्द्र तथा राज्यों दोनों में और अतिरिक्त मंहगाई भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए इस संबंध में केन्द्र को ही पहल करनी चाहिए क्योंकि राज्य सरकारें केन्द्रीय पैटर्न का ही पालन करती हैं। मंहगाई भत्ते से संबंधित इस नीति में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तथा संगठित गैर सरकारी क्षेत्र भी शामिल होने चाहिए। इस अवधि के दौरान सरकार में कोई वेतन संशोधन नहीं होना चाहिए। ये सभी कदम राष्ट्रीय वेतन तथा आय नीति (डिविडैंड सहित) से जुडे होने चाहिए। इस प्रकार के असाधारण कदम राजस्व व्यवस्था को पुनः संतुलित करने के लिए आवश्यक हैं। वर्ष के अंत में स्थिति की पुनरीक्षा होनी चाहिए। वर्तमान में चालू महंगाई भत्ता फार्मूला की जांच भी होनी चाहिए. सरकारी कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं दिया जाना चाहिए। अधिवर्षिता

के समय के अतिरिक्त न ली गई अर्जित छुट्टी के लिए भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। गृहयात्रा को छोड़कर छुट्टी यात्रा रियायत को भी समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

(4) उनके समग्र स्तर को कम करने के लिए वेतनमान, विषय वस्तु तथा सहायता की युक्तिसंगतता का पुनरावलोकन किया जाना चाहिए। सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को ठीक करने के अतिरिक्त विद्युत शुल्क, सिंचाई दरें, बस भाड़े तथा उच्च शिक्षा शुल्क की प्रयोग दरें बढ़ा देनी चाहिए।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में उच्च आय के घटकों जैसे आयकर दाताओं को इसकी सीमा से निकाल दिया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों मे केवल छोटे व सीमांत कृषकों तथा भूमिहीन मजदूरों को इसका अधिकार दिया जाना चाहिए।

उच्च शिक्षा के मामले में, अर्थात हायर सेकेन्डरी स्तर से ऊपरी की शिक्षा में फीस में संशोधन किया जाना चाहिए परंतु आर्थिक मानदंड पर आधारित रियायतें दी जा सकती हैं। तथापि महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा संबंधी कुछ अतिरिक्त रियायतें दी जा सकती हैं।

(5) सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के मामले में जो व्यावसायिक तथा उत्पादक प्रकृति के हैं, उनकी हानि को पूरा करने के लिए आर्थिक सहायता के रूप में कोई बजटीय सहायता नहीं दी जानी चाहिए।

(6) वर्तमान बिक्री कर ढांचे को सरलीकृत करने की आवश्यकता है जिसमें इनमें 3 या 4 समरूप समूहों में विभाजित करना होगा तथा बहुत सी रियायतों तथा छूटों को भी समाप्त करना होगा।

(7) जहां कहीं भी संभव हो, यथामूल्यानुसार शुल्क मुजूर किए जाने चाहिए।

(8) बिक्री कर की दर राष्ट्रीय आधार पर समान होनी चाहिए। व्यापार तथा उद्योग को आकर्षित करने के लिए दी गई रियायतें तथा प्रोत्साहन भी एक समान होने चाहिए तथा औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक पिछड़े हुए क्षेत्रों मे अपवाद हो सकता है।

(9) भूराजस्वों तथा उपकर के माध्यम से अधिक संसाधन बढ़ाए जाने चाहिए. दरों का पुनरीक्षण विशेष रूप से उन राज्यों द्वारा किया जाना चाहिए जहां निकट अवधि में कोई पुनरीक्षण नहीं किया गया है तथापि छोटे तथा सीमांत किसानों को इस प्रकार की उगाही से विमुक्त कर देना चाहिए।

(10) दिशानिर्देशों का प्रारूप बनाया जाना चाहिए तथा परेषण कर के संबंध में संसद में आवश्यक विधान प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो कि तीन महीने के अंदर प्रस्तुत हो जाना चाहिए और इसमें छह महीने से अधिक समय नहीं लगना चाहिए।

(11) सार्वजनिक क्षेत्र के आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए संसाधन बढ़ाने के उपाय के रूप में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के संबंध में राज्य सरकारों को शेयरों के अनिवेश की चयनित योजना अपनानी चाहिए।

(12) जल आपूर्ति के संबंध में सिंचाई क्षेत्र में सब्सिडी कम करने के लिए पानी की दरों को समय-समय पर बढ़ाना चाहिए ताकि पर्याप्त रूप से रखरखाव की कीमत वसूल हो सके. जल

संसाधनों के अनुकूलतम प्रयोग के लिए भी प्रयास किए जाने चाहिए और उपभोक्ताओं से नियमित रूप से बकाया राशि एकत्रित की जानी चाहिए।

(13) राज्य विद्युत बोर्ड, उपयुक्त टैरिफ समायोजनों, प्रशासन में मितव्ययिता तथा प्लांट व मशीनरी के उचित रख रखाव द्वारा कुल मूल्य पर 3 प्रतिशत लाभ वसूली के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। विद्युत मंत्रियों के सम्मेलन में सहमत कृषि क्षेत्र में ऊर्जा के प्रयोग के लिए यथा स्वीकृति 50 पैसे प्रति यूनिट के न्यूनतम शुल्क को तत्काल कार्यान्वित किया जाना चाहिए. इस संबंध में सभी राज्यों द्वारा सामूहिक कार्यवाही अपेक्षित है।

(14) यह आवश्यक है कि राज्य परिवहन निगम गहरे आर्थिक आधार पर रखे जाएं और 5 प्रतिशत लाभ का लक्ष्य होना चाहिए जो कि समुचित टैरिफ संशोधन, बेहतर फ्लीट उपयोगिता तथा प्रशासनिक व्यय में कमी करके प्राप्त किया जा सकता है.

(15) कुल लघु बचतों के समय राज्यों को दिए जाने वाले ऋणों को स्थायी ऋण के रूप में माना जाए.

(16) आईडीए ऋण पर राज्यों द्वारा प्रभारित ब्याज दरें को विश्व बैंक द्वारा इन ऋणों पर बहुत कम ब्याज दर लिए जाने तथा विनिमय दर में मूल्यह्रास के कारण केन्द्र पर पड़ने वाले संभावित बोझ को ध्यान में रखते हुए संशोधित की जानी चाहिए.

(17) अतिरिक्त वित्तीय प्रवाह के रूप में प्रोत्साहन उन राज्यों को दिया जाना चाहिए जो बेहतर राजस्व कुशलता तथा प्रबंधन दर्शाते हैं.

डा० रंगाराजन ने अनुभव किया कि इस मामले की जांच वित्त आयोग द्वारा की जानी चाहिए.

लीजहोल्ड आवासीय सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलना

1597. श्री मोहन रावले : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लीजहोल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलने हेतु कितने आवेदन पत्र अन्तिम निर्णय के लिए लंबित पड़े हैं और ये आवेदन पत्र कब से लंबित हैं;

(ख) इन आवेदनों पत्रों को निपटाने में विलंब करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने लीजहोल्ड सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड में बदलने संबंधी शुल्क बढ़ा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका औचित्य क्या है; और

(ड.) पुरानी दरों पर इस प्रकार के परिवर्तन की अन्तिम तिथि क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ड.) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

आंध्र प्रदेश में 'ट्राइसेम'

1598. श्री एस. एम. लालजान बाशा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आन्ध्र प्रदेश में "ट्राइसेम" कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही हैं;

(ख) क्या इस कार्यक्रम की कोई समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस कार्यक्रम को और सुदृढ़ बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजी भाई पटेल) : (क) आन्ध्र प्रदेश में अप्रैल, 1992 से मई, 1994 तक ट्राइसेम के अंतर्गत 39098 ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था।

(ख) और (ग) मासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की मार्फत समीक्षा के अलावा प्रतिष्ठित स्वतन्त्र संगठनों की मार्फत समवर्ती मूल्यांकन सर्वेक्षण के अंतर्गत जून से अगस्त, 1993 के दौरान ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण योजना का एक मूल्यांकन करवाया गया था। इस मूल्यांकन के मुख्य निष्कर्ष ये थे कि तीन चौथाई से अधिक लाभार्थी ट्राइसेम के अंतर्गत उनको दिये गए प्रशिक्षण से संतुष्ट हैं। लगभग 55 प्रतिशत प्रशिक्षार्थियों को स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार मिला है। कार्यक्रम की यह कमी बताई गई थी कि ऋण संस्थाओं के साथ उचित तालमेल की कमी और ढांचा सुविधाओं का अभाव आदि है। लक्ष्यों को प्राप्त करने में सरकार द्वारा उठाये गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:–

(1) ट्राइसेम प्रशिक्षण के लिये उम्मीदवारों के चयन में सुधार।

(2) प्रशिक्षण अवधि और प्रशिक्षण कार्यक्रम के स्वरूप की समीक्षा।

(3) ट्राइसेम के अंतर्गत ढांचा सुविधाओं को सुदृढ़ बनाया जाना।

(4) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ बेहतर तालमेल पर बल।

(5) कड़ी निगरानी प्रणाली।

(6) प्रशिक्षार्थियों और प्रशिक्षण संस्थाओं को दी जाने वाली सहायता की मात्रा में सुधार।

[हिन्दी]

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड

1599. श्री दत्ता मेघे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन–किन राज्यों में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड संकट की स्थिति में है और इसके क्या कारण हैं; और

(ख) उनके संकट को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है कि राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड किसी संकट का सामना कर रहा है। तथापि, खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई ने सूचित किया है कि बिहार राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड पिछले दो वर्षों से कार्यकलाप

नहीं कर रहा है। इसका कारण खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा उन्हें आबंटित योजनागत निधि का दुरूपयोग करना है जो बोर्ड द्वारा अपने स्थापना व्यय पूरा करने के लिए किया गया है, जिसके कारण खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास बोर्ड को अतिरिक्त धन देना बंद करने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं था जब तक कि दिशांतरणों को बहाल न किया जाए। यह भी उल्लेख किया जाता है कि उक्त बोर्ड बिहार राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन में है और बोर्ड के प्रशासन संबंधी व्यय को पूरा करने के लिए धन के आबंटन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

इस मामले को खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग और केन्द्र सरकार दोनों ने बिहार सरकार के सर्वोच्च स्तर तक उठाया गया है। राज्य सरकार ने आश्वासन दिया है कि बोर्ड के कर्मचारियों के बकाया वेतन का भुगतान करने तथा पूर्व में किए गए दिशांतरणों को बहाल करने हेतु शीघ्र ही धनराशि जारी की जाएगी।

जीन बैंक

1600. श्री ललित उरांव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जड़ी–बूटियों और सुगन्धित पौधों के लिए तीन राष्ट्रीय "जीन बैंक" स्थापित करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन स्थानों को चुना गया है और यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भुवनेश चतुर्वेदी) : (क) और (ख) जी, हां। 1993-94 के दौरान भारत सरकार ने देश में औषधीय तथा सुगंधित पौधों का संरक्षण करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से तीन राष्ट्रीय जीन बैंक स्थापित किए हैं। ये जीन बैंक क्रमशः राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो (एन बी पी जी आर), नई दिल्ली; केन्द्रीय औषधीय तथा सुगंधित पादप संस्थान (सी आई एम ए पी), लखनऊ; तथा उष्णकटिबंधीय वानस्पतिक उद्यान तथा अनुसंधान संस्थान (टी बी जी आर आई), त्रिवेन्द्रम में स्थित हैं। टी. बी. जी. आर. आई. का जीन बैंक प्रायद्वीपीय भारत में अपनी गतिविधि केन्द्रित करेगा। एन बी पी जी आर तथा सी. आई. एम. ए. पी. बैंक परस्पर देश के अन्य जैवभौगोलिक क्षेत्रों का कार्य देखेंगे। तीनों जीन बैंक बीज तथा क्षेत्रीय बैंक, ऊतक संवर्धन भंडार तथा क्रायोबैंक सहित अद्यतन अवसंरचना से सुसज्जित किए जा रहे हैं।

[अनुवाद]

बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लिमिटेड

1601. श्री सनत कुमार मंडल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 जुलाई, 1994 के "फाइनेंसियल एक्सप्रेस" में "बर्न स्टैंडर्ड डिक्लाइन इन नॉन–आर.एल.वाई.जोब्स एफैक्टिंग प्रोफिटेबिलिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) समुचित आयोजना, प्रौद्योगिकी को अत्याधुनिक बनाने और बर्न स्टैंडर्ड की हावड़ा एकक द्वारा विविधीकरण करने हेतु नई प्रक्रिया लाइन को शामिल करने के लिए भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा क्या उपाय किये गये है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) जी, हां। उसमें उठाए गए प्रमुख मुद्दे बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड की हावड़ा इकाई में गैर–रेलवे कार्यों के प्रतिशत में कमी से संबंधित है। हावड़ा इकाई मूल रूप से वैगन बनाने वाली एक इकाई है। अतः, नई उतपाद श्रेणी में अचानक विविधकरण आसान नहीं है। बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड और भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड ने विविधकरण–सम्बन्धी क्षेत्रों का पता लगाया है जिनमें काफी पूंजी निवेश की आवश्यकता होगी।

[हिन्दी]

गुजरात में गैस-आधारित विद्युत परियोजनाएं

1602. श्री एन.जे. राठवा : क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने गुजरात में गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परियोजनाओं की मेगावाट क्षमता और इनकी अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या परियोजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ.) प्रश्न नहीं उठते।

उत्तर प्रदेश में कानूनी सहायता योजना

+1603. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1992-93 और 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश मे कितने लोग कानूनी सहायता योजना से लाभान्वित हुए;

(ख) क्या उत्तर प्रदेश को वर्ष 1992-93 के दौरान इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई राशि का पूरी तरह उपयोग नहीं हुआ हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) उत्तर प्रदेश में विधिक सहायता स्कीमों से क्रमशः1992-93 में 4,51,714 व्यक्तियों और 1993-94 में 5,91,834 व्यक्तियों को फायदा प्राप्त हुआ हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

अतिरिक्त भूमि को पट्टे पर देना

1604. श्री शान्ताराम पोतदुखे : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के पास पड़ी अतिरिक्त सरकारी भूमि को पट्टे पर देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बल्क औषध उद्योग

1605. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :

श्री तारा सिंह :

क्या **रसायन एवं उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

(क) क्या नई दिल्ली में हाल ही में "बल्क औषधि उद्योग–भावी विश्व्यापी चुनौतियां" नामक विषय पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस विचार गोष्ठी में भाग लेने वालों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विचार गोष्ठी में हुई चर्चा के क्या परिणाम निकले?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) से (ग) प्रपुंज औषध विनिर्माता संघ ने "प्रपुंज औषध उद्योग–भावी विश्वव्यापी चुनौतियों" के संबंध में 6 जून, 1994 को नई दिल्ली में एक विचार गोष्ठी आयेजित की थी जिसमें औषध उद्योग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सरकार के प्रतिनिधि भी इस विचार गोष्ठी में आमंत्रित थे। प्रपुंज औषध उद्योग के भावी विकास और वृद्धि से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर इस विचार गोष्ठी में विचार–विमर्श किया गया था।

[हिन्दी]

वस्तुओं का आयात

1606. श्री काशी राम राणा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन वस्तुओं का आयात किया है जिनका उत्पादन सरकारी क्षेत्र के उपक्रम कर रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन वस्तुओं का आयात करने के स्थान पर इन्हें सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से खरीदने के लिये सरकार क्या प्रयास कर रही है?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग तथा भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) और (ख) इस संबंध में जानकारी सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से एकत्रित करनी पड़ेगी ऐसी जानकारी संचित करने का लाभ इस कार्य में लगने वाले समय एवं श्रम के अनुरूप ही होगा।

(ग) सरकार द्वारा खरीद के मामले में केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों को खरीद अधिमानता की सुविधा प्राप्त है।

[अनुवाद]

व्यावसायिक कार्यों के लिए डीडीए फ्लैटों का प्रयोग

1607. श्री फूल चन्द वर्मा : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में डी डी ए फ्लैटों का प्रयोग व्यावसायिक कार्यों के लिए किया जा रहा है जैसा कि 10 मई, 1994 के दैनिक 'राष्ट्रीय सहारा' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) डी डी ए के व्यापार केन्द्रों और आवासीय क्षेत्रों में प्रदत्त नागरिक सुविधाओं पर इस तरह के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसे कितने मामले प्रकाश में आये है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उक्त इलाकों में पिछले तीन वर्षों के दौरान 558 मामले ध्यान में आये हैं।

(ग) रिहायशी परिसरों का वाणिज्यिक के रूप में दुरूपयोग का व्यावसायिक केन्द्रों के निपटान पर कुप्रभाव पड़ता है और जन सुविधाओं पर भार बढ़ता है।

(घ) उन कालोनियों में गत तीन वर्षों के दौरान ज्ञात मामले वर्षवार इस प्रकार है :

1991-92	1992-93	1993-94	योग
24	230	304	558

(ङ) इन सभी मामलों में दुरूपयोग के 'कारण बताओं नोटिस' जारी कर दिये गये है। 71 मामलों मे आवंटन रद्द करने के लिए 'कारण बताओं नोटिस' दिये गये है। 6 मामलों में, परिसरों को रद्द कर दिया गया है।

पेय-जल परियोजनाएं

1608. प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार पूरे देश में पेयजल परियोजनाओं की समय–समय पर समीक्षा करती रहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने हेतु क्या कदम उठाये गये है/उठाये जायेगे?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई हारजीभाई पटेल) : (क) और (ख) पेयजल सप्लाई की निम्नलिखित की मार्फत निगरानी की जाती है :

– मासिक प्रगति रिपोर्ट

– तिमाही प्रगति रिपोर्ट

– वार्षिक प्रगति रिपोर्ट

– फील्ड दौरे

– सचिवों और मुख्य अभियंताओं के स्तर पर समीक्षा बैठकें

– स्वतंत्र मूल्यांकन

– सर्वेक्षण

(ग) किये गये उपाय निम्नलिखित है :

(1) प्रभावी निगरानी – बसावटों के स्तर पर ब्यौरों का पता लगाने के लिए कार्यक्रम निगरानी प्रणाली की समीक्षा की गयी है।

(2) परिव्यय को सातवीं योजना के 1206.72 करोड़ रूपये से बढ़ाकर आठवीं पंचवर्षीय योजना में 5100 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

(3) इसे क्षेत्र की आवश्यकताओं से संबंधित अनुसंधान एवं विकास को पर्याप्त नहजीह दी गयी है।

उर्वरकों का उत्पादन

1609. श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1993-94 में देश में उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार

की रियायतों/प्रोत्साहनों की घोषणा की है;

(ख) 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान देश में उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन बढ़ा;

(घ) 1993-94 के दौरान कितनी मात्रा में उर्वरकों की खपत होने की संभावना है;

(ड) इस मांग की पूर्ति हेतु देश में उत्पादित उर्वरकों और आयातित उर्वरकों की अलग–अलग प्रतिशतता क्या है; और

(च) क्या सरकार ने 1992-93 की तुलना में 1993-94 के दौरान अधिक राजसहायता प्रदान की है और यदि हां, तो किस सीमा तक?

रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्यमंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) : (क) और (ख) उत्पादन लागत कम करने के उपायों जैसे उर्वरक संयंत्रों के स्थापना, आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत मालों पर सीमा शुल्क समाप्त करने, फास्फोरिक एसिड पर सीमा शुल्क समाप्त करने, फास्फेटिक उर्वरकों और उनके कच्चे मालों आदि पर रेलवे भाड़े में कमी करने के अलावा डी ए पी की बिक्री पर 1000 रू. प्रति टन की विशेष रियायत तथा कम्प्लेक्स उर्वरकों के संबंध में आनुपातिक रियायत केवल स्वदेशी उत्पादन तक सीमित की गई ताकि उद्योग अपेक्षाकृत सस्ते आयातों से प्रतिस्पर्धा कर सके।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान उर्वरक न्यूट्रियेंट्स के 97.36 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 1993-94 के दौरान 90.47 लाख टन (अंतिम) उर्वरक न्यूट्रियेंट्स का उत्पादन हुआ।

(घ) और (ड.) वर्ष 1993-94 के दौरान उर्वरकों के न्यूट्रियेंटवार खपत (अनुमानित) उत्पादन और आयात के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(लाख टन में)

न्यूट्रियेंट	खपत	उत्पादन	आयात
नाइट्रोजन	89.86	72.31	15.64
फास्फेट	28.84	18.16	7.22
पोटाश	9.62	-	8.80

(नोटः– पोटाश का कोई उत्पादन नहीं होता है क्योंकि देश में पोटाश का कोई ज्ञात और वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य भण्डार नहीं हैं)

(च) वर्ष 1993-94 के दौरान राज सहायता भुगतान 1992-93 की तुलना में कम थे क्योंकि वर्ष 1992-93 के कुछ भाग के लिए राज सहायता योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से फास्फेटिक और पोटाशिक उर्वरक भी शामिल किये गये थे।

कश्मीर में डल झील का छोटा होना

1610. श्री सनत कुमार मंडल : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कश्मीर की डल झील के विस्तार में 1989 की तुलना में 20% की कमी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसके विस्तार में कमी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने बताया है कि डल झील के बारे में गत चार वर्षो के दौरान कोई कमी देखने में नहीं आयी है, किन्तु वर्ष 1989 से डल झील के चारों और 643 अवैध ढांचों के रूप में अतिक्रमण जरूर देखे गये हैं।

(ग) जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने यह भी बताया है कि झील की नियत परिसीमाओं के भीतर जो अतिक्रमण है, उन्हें मंडल डिवीजन कमिश्नर, कश्मीर की अध्यक्षता में गठित कार्य दल द्वारा क्रमशः हटाया जा रहा है। कुल 1719 अतिक्रमणों 11989 से बाद के 643 अतिक्रमणों सहित में से चालू वर्ग में अब तक 48 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। इसके अलावा झील परिसीमा में निर्माण सामग्री लाने पर रोक लगा कर अतिक्रमणों की और वृद्धि की रोकथाम के उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना

1611. श्री ललित उरांव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक लगातार सेवा के बाद केन्द्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के अंतर्गत सेवानिवृति प्राप्त करने पर उन्हें प्रदान की जाने वाली विशेष सुविधा/सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इसे और अधिक लोकप्रिय बनाने हेतु कुछ और सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा) : (क) संगत सेवा नियमों के अंतर्गत स्वैच्छिक सेवानिवृति लेने वाले सरकारी कर्मचारी को अर्हक सेवा में 5 वर्ष तक की सेवा का लाभ दिया जाता है बशर्ते कि कुल अर्हक सेवा 33 वर्ष से अधिक न हो और यह अधिकारी की अधिवर्षिता की तारीख से अधिक न हो।

(ख) से (घ) सेवा नियमों के विद्यमान उपबंध उचित समझे गए हैं और इन नियमों में किसी प्रकार का परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

[अनुवाद]

विधि के अध्ययन और शोध

1612. श्री शांताराम पोटदुखे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विधि के संबंध में अध्ययन और शोध को बढ़ाया देने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान इसके लिए कितनी धनराशि का आवंटन किया गया?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) और (ख) सरकार निम्नलिखित संस्थाओं को, जो विधि के क्षेत्र में अनुसंधान में लगी हुई है, नियमित सहायता अनुदान मंजूर करती है :

1. इंडियन लॉ इंस्टीटयूट (भारतीय विधि संस्थान), नई दिल्ली।

2. संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान इंडियन लॉ इंस्टीटयूट को 8.00 लाख रूपये और संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान को 7.50 लाख रूपये की रकम मंजूर की गई थी। वर्ष 1993-94 के दौरान इंडियन लॉ इंस्टीटयूट को 13.00 लाख रूपये और संवैधानिक और संसदीय अध्ययन संस्थान को 7.50 लाख रूपये की रकम मंजूर की गई थी।

[हिन्दी]

न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण

1613. श्री एन. जे. राठवा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए गुजरात में एक राष्ट्रीय अकादमी खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या 1993-94 के दौरान इस कार्य के लिए कोई धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच. आर. भारद्वाज) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

झुग्गियों का गिराया जाना

1614. श्री विश्वनाथ शास्त्री : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में दिल्ली मे झुग्गी–झोपड़ी गिराने का अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो इस अभियान के अधीन कुछ कितनी झुग्गी और झोंपड़ियां गिराई गई;

(ग) क्या सरकार ने झुग्गी–झोपड़ी बस्तियों को वैकल्पिक जगह दी है;

(घ) यदि हां, तो कितने परिवारों को वैकल्पिक जगह प्रदान की गई है, और वे कहां–कहां प्रदान की गई है; और

(ड) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) से (ड) अतिक्रमण और अनधिकृत निर्माण को हटाना निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसे अतिक्रमणों/ढांचों को हटाने की कार्रवाई संगत अधिनियमों के अंतर्गत समय समय पर संबंधित भू–स्वामित्व वाली एजेंसियों द्वारा पुलिस की सहायता से की जाती है। तथापि, चयनित प्राथमिकता वाले स्थलों पर जो झुग्गी–झोपड़ियों जनवरी, 1990 में विद्यमान थी उन्हें भूस्वामित्व वाली एजेंसियों के अनुरोध पर अनुमोदित दिशा–निर्देशों के अनुसार वैकल्पिक स्थलों पर पुनवार्सित किया जाना है। सार्वजनिक भूमि पर जनवरी, 1990 के पश्चात बनी झुग्गियों का पता चलते ही भू–स्वामित्व वाली एजेंमियों द्वारा नियमानुसार हटाया जाता है, ऐसे मामलों में कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की जाती। झुग्गी झोपड़ी समूहों दिल्ली नगर निगम के स्लम विंग द्वारा स्थानान्तरित झुग्गियों की संख्या और वहां स्थानान्तरित की गयी है वह जगह/इलाका सलंग्न विवरण में दिखाया गया है।

विवरण

क्र. सं.	झुग्गी झोपड़ी समूह का नाम	स्थानान्तरित झुग्गियों की संख्या	स्थान/इलाका जहां स्थानान्तरित की गयी
1	2	3	4
1.	संजय गांधी कैंप (नाइजीरिया एम्बेसी स्थल) चाणक्यपुरी	900	सहयोग विहार, पपनकलां
2.	तिलक विहार (दंगा–पीड़ित)	670	रोहिणी सै VI पाकेट जे
3.	जे.जे. क्लस्टर मानसरोवर गार्डन बी ब्लाक, नई दिल्ली	132	सहयोग विहार
4.	संजय गांधी कैंप (इराक) चाणक्यपुरी	567	पाकेट IV बिंदा पुर
5.	जे.जे.क्लस्टर, जी. बी. पंत हास्पीटल कम्पलैक्स	55	–वही–
6.	जे.जे. कलस्टर अंडमान निकोबार गेस्ट हाउस के स्थल पर, चाणक्यपुरी	12	–वहीं– –वही–
7.	जे.जे. कलस्टर, सिविक सेंटर मिंटो रोड	174	–वही–

1	2	3	4
8.	जे.जे. कलस्टर नेहरू कैंप, चाणक्यपुरी	110	–वही–
9.	जे.जे. कलस्टर, वजीरपुर	183	–वही–
10.	जे.जे. कलस्टर, फिरोजशाह रोड	46	सै एक पपनकलां
11.	जे.जे. कलस्टर पंत मार्ग	50	–वही–
12.	जे.जे. कलस्टर, हरीशचन्द्र माथुर लेन	100	–वही–
13.	धोबी घाट नं 4 तालकटोरा रोड	132	–वही–
14.	धोबी घाट नं 5 तालकटोरा रोड	286	–वही–
15.	जे.जे. कलस्टर, आ. ओ. वी. ओखला	25	–वही–

[अनुवाद]

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश

1615. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न उच्च न्यायालयों की खंडपीठ कहां–कहां पर है और प्रत्येक उच्च न्यायालयों और इनकी खंडपीठ के अंतर्गत कितनी जनसंख्या आती है और प्रत्येक न्यायालय और खंडपीठ में कितने न्यायाधीश है;

(ख) क्या और खंडपीठों की स्थापना पर सरकार विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श करके खंडपीठों की स्थापना संबंधी कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो मानदंडों संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इस प्रयोजनार्थ गठित किए गए विधि आयांग अथवा किसी अन्य आयोग द्वारा इस संबंध में कोई सिफारिश और सुझाव दिए गए हैं?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच.आर.भादद्वाज) : (क) जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) से (च) जसवन्त सिंह आयोग ने 30.4.85 को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किसी उच्च न्यायालय की न्यायपीठ को उसके मुख्य स्थान से दूर स्थापित किए जाने की समीचीनता और वाछंनीयता के प्रश्न का विनिश्चय करने और उक्त न्यायपीठ के लिए स्थान का चयन करते समय तथ्यों को भी ध्यान में रखने के लिए व्यापक सिद्धांतों और मापदंड को अपनाए जाने का सुझाव दिया था। आयोग की रिपोर्ट 15.10.86 को संसद पुस्तकालय में रख दी गई थी और राज्य सभा और लोक

सभा के पटल पर क्रमशः 20.4.86 और 21.4.87 को रख दी गई थी, जिसे देखा जा सकता है। इन सिद्वांतों और मानदंड के आधार पर जब कभी किसी राज्य सरकार से, संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है, केन्द्रीय सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की न्यायपीठ खोले जाने के प्रश्न पर विचार किया जाता है।

बिनौले का पेटेंट

1616. श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अमरीकी कृषि–रसायन क्षेत्र की बड़ी कम्पनी "एग्रो सीड्स इंक " को आनुवंशिक रूप से विकसित बिनौले पर दिए गए पेटेंट को समाप्त करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और "गैट" के अन्तर्गत उसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जायेगा;

(ग) सरकार के पास क्या विकल्प बचा है और इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) भारत के किसानों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास और लघु उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) सरकार को "मेथड आफ प्रोड्यूसिंग ट्रांस्फोर्मड काटन सेल्स बाई टिशु कल्चर" संबंधी यू.एस.ए की एगरा–सीटस इंक को पेटेंट कार्यालय द्वारा दिए गए पेटेंट को रद्द करने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। यह आरोप लगाया गया है कि उक्त पेटेंट किसानों और जनता के लिए अत्यधिक हानिकारक है, अतः राज्य के समग्र हित के विरूद्ध है।

अभ्यावेदन की जांच की गई है और पेटेंटधारी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है कि पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 66 के अधीन इस पेटेंट को रद्द क्यों न कर दिया जाये।

भूमि की अधिकतम सीमा

1617. श्री शरद दिघे : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को उद्यान कृषि प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किये जाने हेतु प्रस्तावित भूमि को कृषि भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम के अन्तर्गत लाने से छूट देने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) एक प्रस्ताव महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुआ था जिसमें किसी एक व्यक्ति अथवा एक फर्म, ट्रस्ट कम्पनी अथवा सहकारी समिति को बागवानी उत्पादों की खेती करने अथवा कृषि उत्पादों के संसाधन हेतु एकक स्थापित करने के लिए किसी/किसानों से अधिकतम 35 वर्ष की अवधि के लिए कृषि योग्य भूमि की अधिकतम सीमा से अधिक भूमि पट्टे पर लेने अथवा किसी किसान से गैर–कृषि योग्य भूमि अर्थात बंजर भूमि,

परती भूमि, खाजन अथवा खार भूमि को स्वामित्व अथवा पट्टे पर लेने अथवा दोरों प्रकार से लेने की अनुमति दिए जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) राज्य सरकार को सलाह दी गई है कि वे जुलाई 1972 में हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुए निर्णयों के आधार पर कृषि जोतों की अधिकम सीमा के बारे में तैयार की गई मार्गदर्शिकाओं के आलोक में अपने प्रस्ताव पर पुनः विचार करें।

[अनुवाद]

12.00 बजे मध्यान्ह

श्री बल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : अध्यक्ष महोदय, भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी पिछले कई दिनों से नई दिल्ली में कनाट प्लेस स्थित भारतीय खाद्य निगम के कार्यालय के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी मांगे हैं, "समान कार्य के लिए समान वेतन" और विशेष रूप से उन स्थानों पर ठेका प्रणाली का उन्मूलन जहां काम स्थाई स्वरूप का है। उन गोदामों जहां एक वर्ष में 240 दिन कार्य रहता हैं और उन कर्मचारियों को जो उन गोदामों में कार्य करते हैं को स्थाई बनाया जाना चाहिए और उन्हें स्थाई कर्मचारियों के समान दर्जा तथा लाभ दिये जाने चाहिए। हालांकि इन कर्मचारियों के हक में उच्चतम न्यायालय ने भी निर्णय दिया हैं, परन्तु इसके बावजूद भी इस निर्णय को लागू करने में वे कुछ भेदभाव किया जा रहा है।

उड़ीसा में, मारसुगुडा के पास बाली जोरी में भारतीय खाद्य निगम का एक गोदाम है। इस गोदाम की क्षमता 25000 टन है। उन गोदामों के कर्मचारियों को तो स्थाई बना दिया गया है जिनका निर्माण बाद में किया गया है और जिनकी क्षमता भी कम है, परन्तु बाली जोरी में कार्यरत कर्मचारियों को स्थाई नहीं किया गया है। इसलिये, इन कर्मचारियों में भारी असंतोष व्याप्त है।

मैं माननीय मंत्री श्री कल्पनाथ राय से जो भाग्य से यहां इस समय उपस्थित भी हैं अनुरोध करता हूं कि वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय को न्यायोचित ढंग से लागू करें और इस निर्णय को बाली जोरी में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू किया जाये।

क्योंकि देश व्यापी धरना जारी है, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय जो यहां उपस्थित भी है, का इस विषय में जवाब जानना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय जवाब देंगे? मैं इसे मंत्री महोदय पर छोड़ता हूं।

[हिन्दी]

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, सरकार उस पर विचार कर रही है। भविष्य मे इसका हल ढूंढ लिया जायेगा।

श्री राम शरण यादव (खगरिया) : हमारे क्षेत्र में भंयकर नरसंहार हो रहा है। हमें उस पर बोलने के लिए दो मिनट का समय दें। हमारे संसदीय क्षेत्र खगरिया में नर–संहार का तांता लगा हुआ है। पुलिस रिकार्ड के अनुसार यहां पर 44 लोगों की हत्या हुई है जबकि हमारे हिसाब से वहीं पर सैंकड़ो लोगों का नर–संहार हुआ है। इसके अलावा वहां पर राहजनी, डाका और अपहरण की घटनायें बढ़ रही हैं। वहां पर सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। पुलिस मूकदर्शक बनकर बैठी हुई है। सरकार इस पर विचार करे और बिहार को बचाये।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : एक ही परिवार के 28 लोगों की हत्या हो गयी है। कम से कम इस पर तो गृह मंत्री को वक्तव्य देना चाहिये।

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : अध्यक्ष महोदय, हमारा बार्डर एरिया है जहां पर एक घटना घटी है। बेलदौड़ में तो 26 आदमियों का कत्लेआम कर दिया गया और प्रशासन को इसकी पूर्ण सूचना थी और वह इस बात को अब नकार रहा है। उन लोगों ने लिखकर दिया था कि हमारे ऊपर आक्रमण हो सकता हे परन्तु इसके बावजूद प्रशासन ने सुरक्षा उपाय नहीं किये।

अध्यक्ष महोदय, यही स्थिति कोसी प्रमण्डल की है। पूर्णिया जिला की भी यही स्थिति हैं। वहां पर लोगों ने मांग की थी कि उनकी सुरक्षा के लिए कार्यवाही की जाये परन्तु ऐसा लगता है कि यहां पर जो कानून पास होता है, वह वहां पर जनहित के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता है। इसलिये मेरी मांग है कि उस सरकार को आप शीघ्र ही समाप्त करें ताकि वहां पर चुनाव हो और जनता की भलाई हो सके। हमारें संसदीय कार्य मंत्री जी बैठे हुये हैं, उनको जवाब देना चाहिये।

श्री राम शरण यादव : अध्यक्ष महोदय, हमारे खगरिया जिला में चार थाना अलौली, चौथम, गोगरी और बेलदौड़ अन्तर्गत पुलिस रिकार्ड के अनुसार 44 हत्या हुई हैं। चूंकि सरकार नाम की कोई चीज वहां पर नहीं है, इसलिये उस सरकार को भंग किया जाये। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि सरकार इस पर अपना वक्तव्य दें।

अध्यक्ष महोदय : सरकार को बर्खास्त करना एक अलग बात है लेकिन वहां पर जो हत्यायें हुई हैं, उनके लिये सदन सरकार से जानकारी चाहता है।

[अनुवाद]

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा) : महोदय, दिल्ली के स्कूली बच्चों के अपहरण ने जनता में भयानक आंतक फैला दिया है। यह एक दुःस्वप्न की तरह हो गया है। दिल्ली में प्रत्येक माता–पिता अब इसे आशंका एवं चिन्ता की दृष्टि से देख रहे हैं। हम इसका स्रोत कहीं पता लगा सके। ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसा केवल धन वसूलने के लिये ही नहीं बल्कि कई और कारणों से भी किया जा रहा है क्योंकि कई मामलों में धन वसूलने की मांग तक नहीं की गई है। किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन ने इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ली है।

12.05 बजे म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मेरा ख्याल है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। कानून और व्यवस्थ का काम गृह मंत्रालय सम्भालता है इसलिये मेरा ख्याल है कि मंत्री महोदय को इस बारे में वक्तव्य देना चाहियें। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्योंकि ऐसी घटनायें काफी लम्बे समय से चलती आ रही हैं। कुल मिलाकर 10-12 छोटे–छोटे बच्चों का अपहरण किया गया है और केवल एक या दो मामलों में ही अपराधीगणों की पहचान हो पाई है। एक मामले में अपहृत बच्चे का चाचा ही अपराधी था परन्तु अन्य मामलों में असली अपराधियों को नहीं पकड़ गया और अपहरण के पीछे वास्तविक कारण का भी अभी तक पता नहीं लग पाया। मेरा यह सुझाव है कि

इस प्रयोजन के लिये एक विशेष "सैल" का गठन किया जाना चाहिये ताकि शीघ्रता पूर्वक कार्यवाही की जा सकें। मेरा यह अनुरोध है कि इस मामले में सरकार की ओर से कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिये क्योंकि यह मामला सभी के लिये चिन्ता का विषय है।

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : महोदय, यह बहुत ही गम्भीर मामला है ......**(व्यवधान)**....

उपाध्यक्ष महोदय : आपके पास बहुत समय है। आप सभी एक–एक करके बोल सकते हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : जैसा कि श्री थामस ने अभी कहा है कि यह बहुत ही गम्भीर मामला है जिससे समाज के सभी वर्ग चिन्तित हैं।

भारत की राजधानी में कुछ लोगों द्वारा आये दिन बच्चों का अपहरण किया जा रहा है। केरल में, इडुकी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से थामस नामक बच्चे का हाल ही में अपहरण कर लिया गया था। उसके माता–पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। तीन दिन बीत चुके हैं।

सरकार को इस मामले में गम्भीर कदम उठाने चाहिये क्योंकि दिल्ली के स्कूलों में हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं। उनके लिये कोई पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं हैं। कुछ असामाजिक तत्व इन स्कूलों से बच्चों का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं।

उनमें से कुछ की हत्या कर दी गई है, कुछ को कुछ अन्य प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकार को एक वक्तव्य देकर यह बताना चाहिये कि उसने इस मामले में क्या कार्यवाही की है। दिल्ली के सभी स्कूलों में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था बनाये जाने की बहुत ही आवश्यकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं श्री पी०सी० थामस और श्री रमेश चेन्नित्तला द्वारा उठाये गये मामले का पुरजोर समर्थन करता हूं। सरकार को अपनी कार्यवाही योजना का स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य देना चाहिये। एक दर्जन से अधिक बच्चों का अपहरण कर लिया गया है और उनके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद लोग यह महसूस कर रहे हैं कि पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मुझे मालूम नहीं कि दिल्ली में यह हो क्या रहा है, क्योंकि यह देश की राजधानी है। यदि देश की राजधानी में ही लोगों को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है, विशेष रूप से हमारे बच्चों को, यदि उनका ही जीवन सुरक्षित नहीं है, तो इस देश का क्या होगा?

मेरा पुनः अनुरोध है कि गृह मंत्री वक्तव्य दें और सभा को अपहरण के प्रत्येक मामले की स्थिति के बारें में बताये। हम जानना चाहेंगे कि इस मामले में सरकार क्या कर रही है?

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। आपको सरकार को यह निदेश देना चाहिये कि वह सभा में एक वक्तव्य दें।

डा० बसन्त पवार (नासिक) : बच्चे बाहर घूमते फिरते हैं। हमें इस विषय में सरकार की प्रतिक्रिया चाहिये।

[हिन्दी]

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। इतने बच्चों का स्कूल से अपहरण कर लिया गया है। सारे देश में इस तरह की घटनायें हो रही हैं। हिमाचल प्रदेश में भी शिमला से एक बच्चे का अपहरण.किया गया और उसको चण्डीगढ़ से बरामद किया गया। मैं मंत्री जी से दरखास्त करूंगा कि वह इस बारे में स्टेटमैंन्ट दें।.........**(व्यवधान)**.

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध ,करता हूं कि वह इस बारें में एक वक्तव्य दें।

श्री बूटा सिंह (जालौर) : इस वक्तव्य के बाद सभा में इस पर आधे घण्टे की चर्चा होनी चाहिये। बात हाथ से निकलती जा रही है। लोगों में आंतक फैलता जा रहा है। सभा को इस पर गम्भीरंतापूर्वक ध्यान देना चाहिये। दिल्ली में बच्चों के साथ जो कुछ हो रहा है, उस पर गम्भीर चर्चा की जानी चाहिये?

डा० वसन्त पवार : महाराष्ट्र में "लिफ्ट" सिंचाई योजना 10-15 वर्ष पहले शुरू की गई थी। "नाबार्ड" ने उनके लिये 10 प्रतिशत की दर से ऋण मंजूर किया था।

हाल ही में, भारतीय रिजर्व बैंक ने इस आशय का एक परिपत्र जारी किया है कि अब ब्याज पिछली तारीख से 15.5 प्रतिशत की दर से वसूल किया जायेगा। इसलिये, सभी "लिफ्ट" सिंचाई योजनाओं, जो सहकारी आधार पर शुरू की गई थी, के समाप्त हो जाने की सम्भावना है। इन योजनाओं को गन्ना उत्पादकों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप, चीनी का उत्पादन कम हो जायेगा।

मैं विनम्रतापूर्वक सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में अपेक्षित कदम उठाये और भारतीय रिजर्व बैंक को यह निदेश दे कि वह पिछली तारीख से ब्याज की बढ़ी हुई दर न वसूल करें ताकि महाराष्ट्र में "लिफ्ट" सिंचाई योजनायें कायम रह सके, और हम महाराष्ट्र में सभी गन्ना उत्पादकों की जल आपूर्ति की आवश्यकता को पूरा कर सकें।

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान एक बहुत ही गम्भीर घटना की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं जो हाल ही में उत्तरपूर्व क्षेत्र में घटित हुई है।

6 जुलाई को कुछ लोगों से पुलिस ने लगभग 14.20 लाख रूपये के करेंसी नोट बरामद किये थे। जांच के बाद, पुलिस यह पता लगाने में सफल रही है कि जो लोग जाली नोट बना रहे हैं उनके लिंक पूरे असम राज्य में फैले हुये हैं।

अब जो सूचना समाचार–पत्रों तथा अन्य अभिकरणों से प्राप्त हुई है वह यह है कि ऐसे लोगों का एक बड़ा गिरोह है जो इन जाली नोटों को बनाने के धन्धे में लगे हुये हैं, इनमें से अधिकांश नोट 50 रूपये के हैं। यह हैरानी की बात है कि हाल ही में दिल्ली में मेरे कुछ मित्रों ने मुझे ऐसे कुछ जाली नोट दिखाये हैं जो कि बहुत हद तक वास्तविक नोटों से मिलते हैं। ऐसी ठोस

सम्भावना है कि इन जाली नोटों का धन्धा करने वालों के कुछ सम्बंध उत्तर–पूर्व में तथा उग्रवादियों से भी हैं। सम्भवतः वे मिल–जुल कर ये धन्धा कर रहे हों यदि इन नोटों का प्रचलन दिल्ली और कलकत्ता जैसे शहरों के बाजार में हो जाता है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था में भयानक गड़बड़ मच जायेगी।

इसलिए मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे। दर असल, मैनें व्यक्तिगत रूप से इस बात का उनसे उल्लेख किया है और यहां तक कि इस विषय में उन्हें एक ऐसा नोट भी दिया है।

मैं गृह मंत्री महोदय से भी अनुरोध करता हूं कि वह जाली करेंसी नोटों की बरामदगी के बारे में एक वक्तव्य दें और इस मामले की पूरी रिपोर्ट सभा के समक्ष प्रस्तुत करें।

श्री याइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर) : राजधानी में स्कूली बच्चों के माता–पिता में फैले आतंक के बारे में हम भी अपनी चिन्ता व्यक्त करने में सतारूढ़ दल क साथ है। उत्तर–पूर्वी राज्यों में विशेष रूप से मणिपुर में भी क्या हो रहा है, इस बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं स्कूली बच्चों के माता–पिता द्वारा वहां बहुत सी परेशानियां उठाई जा रही है क्योंकि वहां अपहरण आदि की कुछ रिपोर्ट मिली हैं। इसलिये मैं गृह मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जब वे वक्तव्य दें तो उत्तर–पूर्वी राज्यों में स्कूली बच्चों के माता–पिता द्वारा उठाई जाने वाली कठिनाइयों की भी उसमें चर्चा करें। बस मुझे यही कहना था।

[हिन्दी]

डा. गिरिजा व्यास (उदयपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से विशेष तौर से निवेदन करना चाहती हूं कि आज विपक्ष के सभी सदस्य हमारे सामने नहीं हैं लेकिन मैं कुछ पूछना चाहती हूं और कल भी मैं इसी प्रश्न पर अपनी बात कहना चाहती थी कि राजस्थान में एम्फोर्ट एग्रो फाइनैंस कम्पनी लिमिटेड एक निजी कम्पनी है, जिसने वहां की सरकार से सांठ–गांठ करके करीब 60-70 करोड़ रूपये लोगों से लूट लिये।

माननीय उपाध्यक्ष जी, उस कम्पनी की करीब 202 शाखायें सम्पूर्ण राजस्थान में खोली गयी हैं जिसमें राजस्थान के मुख्यमंत्री, अन्य मंत्रियों तथा वहां की सरकार का सीधा सहयोग उन्हें मिला। राजस्थान सरकार के पी आर ओ डिपार्टमेंट ने उसके संबंध में काफी विज्ञापन दिये। इस कम्पनी के सरगना राठौड़ ने खुले–आम लोगों से कहा कि इस कम्पनी में 49 परसेंट गवर्नमेंट की भागीदारी है। उसकी 202 इकाईयों की ओर से मुख्यमंत्री की फोटो सहित वहां विज्ञापन छापे गये और किसानों को इस बात पर लूटा गया कि उन्हें कम ब्याज पर उपकरणों के लिये पैसा मिलेगा। पहले उनसे मार्जिन मनी ले ली गयी और इस तरह करीब 30-40 करोड़ रूपया उनसे लूट लिया गया।

दूसरी तरफ वहां के युवकों से 202 यूनिट्स में भर्ती के लिये लम्बे–चौड़े विज्ञापन निकाले गये जिसके अंतर्गत हर जगह मैनेजर से लेकर शाखा प्रबंधक, उप–शाखा प्रबंधक, लिपिक, फील्ड ऑफिसर, सुरक्षा गार्ड और ऑफिस एसिस्टैंट की पोस्ट पर नियुक्ति के लिये लोगों से पैसे लूट गये। जगह–जगह पर उन लोगों ने जो रिपोर्ट लिखायी हैं, उसके अनुसार 10 हजार रूपये से

लेकर 60 हजार रूपये तक लोगों से पैसा लिया गया। इसके बावजूद भी उन अधिकारियों और कर्मचारियों को इस आधार पर वेतन नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने अपने उस लक्ष्य की पूर्ति नहीं की थी जो लक्ष्य उनके लिये निर्धारित किया गया था, उदाहरण के तौर पर शाखा प्रबंधक से कहा गया था कि वे 5 लाख रूपये के ईक्विटी शेयर बेचें, सहायक शाखा प्रबंधक 4 लाख रूपये के, लिपिक 3 लाख रूपये के, फील्ड ऑफिसर 3 लाख रूपये के, सुरक्षा गार्ड ढ़ाई लाख रूपये के और ऑफिस एसिस्टेंट 2 लाख रूपये के ईक्विटी शेयर बेचें जो वे नहीं बेच सके।

एक तरफ जब अनेकों बेरोजगार युवक नौकरी की तलाश में थे, उसी वक्त इस कम्पनी के कर्ताधर्ताओं ने बैंकों से सारा रूपया निकाला और वहां से भाग गये। जब क्षुब्ध और उग्र भीड़ ने जयपुर जाकर मुख्यमंत्री से बहस करने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की कोशिश की तो किसी भी थाने में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। लेकिन पुलिस में अखबारों में छपी खबर और सुने–सुनाए सूत्रों के आधार पर एक मुकदमा दर्ज किया और इसी 27 तारीख को उस पर चालान भी पेश कर दिया गया। फिर लोग हाई कोर्ट में गए और उसके बाद आई. जी. ऑफिस में जाकर एडीशनल आई.जी. के समक्ष अपनी रिपोर्ट लिखवाई। जो लोग हाई कोर्ट में गए, उसकी सुनवाई केवल तीन दिन पहले हुई थी। उसमें मुख्यमंत्री सहित अन्य मंत्रियों पर लगे चार्ज.को उन्होंने सही माना और राजस्थान सरकार को हाई कोर्ट ने आगह किया कि वह इस संबंध में कार्यवाही करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह मसला एक ऐसे स्कैम का मसला हैं जो राजस्थान में कभी नहीं हुआ। कल विपक्ष के माननीय वाजपेयी जी बहुत आक्रोश भरे शब्दों में बोल रहे थे। मैं खुद मानती हूं कि पौलीटिक्स में सबसे बड़ी जरूरत इस बात की है कि हम स्वच्छ रहें। लेकिन क्या यह बात केवल दूसरों पर लागू होती हैं? प्रजातंत्र की रक्षक प्रैस हमारे सामने है, जो जीत कर आए हैं, वे हमारे सामने हैं, आप कुर्सी पर विराजमान हैं, इसलिए मैं आग्रह करती हूं कि वे इस बात की ओर ध्यान दें।

मूझे यूनान की एक बात याद आ रही हैं। यह स्कैम के मसले जैसा है इसलिए इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं कि जहां पर विपक्ष की सरकारें हैं, क्या वहां पर वे लोग इस बात से बच जाएंगे, जहां सीधे धोखाधड़ी का मसला हो, सरकार की आड़ लेकर सीधे धोखाधड़ी की जा रही हो, क्या वहां पर कोई प्रश्न नहीं उठेंगे?

मैं आज अखबारों के माध्यम से यह बात उन तक पहुंचाना चाहती हूं जो ज्यूस ने जूपीटर से पूछी थी कि तुम बहुत बड़े निर्णायक हो लेकिन जब तुम्हारे अपने पुत्र पर बात आएगी तब भी क्या तुम उसी दिशा में निर्णय दोगे? मैं इस बात को आपके माध्यम से जनता तक पहुंचा रही हूं कि यदि सरकार 60-70 करोड़ की धोखाधड़ी में, जिसमें किसानों, बेरोजगार युवकों को लूटा गया हो, इक्विटी के नाम पर शेयर बेचकर राजस्थान की संवेदनशीलता को कम करने की कोशिश की गई हो, क्या सरकार उस पर चुप बैठेगी? मुझे विश्वास है कि राजस्थान की सरकार हाई कोर्ट की अवमानना नहीं करेगी। फिर भी मैं निवेदन करना चाहती हूं कि आप सरकार को आगाह करें कि वह इस सुओ–मोटो मामले की सी.बी.आई. से जांच करवा कर सम्पूर्ण जनता के समक्ष लाए और राजस्थान की सरकार को धोखाधड़ी से बचाएं।

मैं समाचार पत्रों की बहुत आभारी हूं। आपको जगह-जगह पत्रों की कटिंग मिलेगी जिसमें यह लिखा हुआ मिलेगा कि लोगों ने अपने छोटे-छोटे खेत, पत्नी के गहने बेचकर इक्विटी शेयर खरीदें या मार्जीनल मनी जमा करवाई। आज राजस्थान की जनता आपसे अच्छे निर्णय की आशा लिए हुए हैं।

[अनुवाद]

श्री आर. अन्बारासु (मद्रास मध्य) : उपाध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु विधानसभा में राज्य सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए रोजगार में 69 प्रतिशत आरक्षण करने संबंधी विधान पारित करने के लिए मैं तमिलनाडु के मुख्य मंत्री का धन्यवाद करता हूं।

आगे मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तमिलनाडु सरकार द्वारा पारित विधान पर भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति लेने हेतु समय पर कार्यवाही की। यद्यपि भारत सरकार ने इस विधान पर अपनी स्वीकृति दे दी है, दुर्भाग्यवश इस विधान को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मैं समझता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की खण्डपीठ ने तमिलनाडु सरकार को कल इस संबंध में नोटिस जारी कर दिया है।

इसी प्रकार मैं कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री वीरपपा मोइली का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए 80 प्रतिशत रोजगार आरक्षण करने संबंधी विधेयक पारित करने में अपनी रूचि और साहस दिखाया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है। श्री आर. अन्बारासु क्योंकि मामला उच्च न्यायालय के समक्ष है इसलिए आप यहां यह मामला नहीं उठा सकते।

श्री आर. अन्बारासु : महोदय, मैं मुद्दे के गुण अवगुणों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो केवल समाधान की बात कर रहा हूं। पिछड़े वर्ग के लोगों की आंकाक्षाएं दांव पर लगी हुई हैं और पिछले चार दशक से पिछड़े समुदाय के लोग सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए कई आन्दोलन करते चले आ रहे हैं। लेकिन अभी तक उन्हें कुछ नहीं मिला है। जब तक सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्ग के लोगों को पर्याप्त प्रतिनिधितत्व देकर उनके हितों की रक्षा करने हेतु भारत सरकार द्वारा संविधान में कोई उपयुक्त संशोधन नहीं किया जाता तब तक आरक्षण की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। समय की मांग यही है कि पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने हेतु संविधान में संशोधन किया जाए।

लोकतन्त्र की एक साधारण सी परिभाषा यही होगी कि इसके अन्तर्गत अधिसंख्य लोगों का अधिकतम कल्याण ही विधि का विधान होना चाहिए। भारत में यह वास्तव में उलटा है। यद्यपि इस देश में जनसंख्या का 85 प्रतिशत भाग पिछड़े वर्ग के लोग हैं लेकिन उन पर नियन्त्रण और कानून 15 प्रतिशत लोगों का चलता है जो कि अल्पसंख्यक और उच्च जाति के लोग हैं।

पिछले चार दशकों में पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए विभिन्न नेताओं द्वारा कई आन्दोलन चलाए गए लेकिन इससे कोई ठोस परिणाम हासिल नहीं हुआ। यदि पिछड़े वर्ग के लोगों के प्रति अन्याय चलता रहा तो लोकतन्त्र का कोई अर्थ नहीं रहेगा।

अब समय की मांग यह है कि संविधान संशोधन किया जाए जिससे भारत की जनता के सभी

वर्गों को आरक्षण दिया जा सके। यदि सभी वर्गों के लिए आरक्षण कर दिया जाए तो स्वाभाविक ही हैं कि कोई भी इससे वंचित नहीं होगा।

अनुपातिक प्रतिनिधित्व अर्थात केन्द्र में तथा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सभी वर्गों के लोगों की संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व देने से इस देश के सभी लोगों की मांग पूरी हो जाएगी। पिछड़े वर्ग के लोगों को जनसंख्या में उनके अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व मंजूर करने और इसे कार्यान्वित करने से इस ज्वलत समस्या का समाधान हो जाएगा।

अतः मेरा माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस सभा की समाप्ति से पहले संविधान संशोधन लाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए ताकि पिछड़े वर्ग के लोगों को समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जा सके और आरक्षण से संबंधित संविधान में सभी उपबन्धों को संविधान की नौवीं सूची में लाया जाए जिससे न्यायपालिका के प्रहार से बचा जा सके।

महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री यहीं उपस्थित हैं। मेरा उनसे अनुरोध है कि नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा की अनुमति दें क्योंकि यह एक ज्वलन्त समस्या है। यह किसी विशेष राज्य की समस्या नहीं हैं, यह तो इस देश की अधिसंख्य जनता की समस्या है। अतः मैं संसदीय कार्य मंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं कि वे इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं महोदय, कि क्या वह नियम 193 के अधीन चर्चा की अनुमति दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री...........

(व्यवधान)

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं उसी विषय पर अपनी एक बात कहना चाहता हूं..... ...**(व्यवधान)**... यह केवल श्री अन्बारासु के कथन के समर्थन में है। श्री अन्बारासु ने एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सटीक मुद्दा उठाया है। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह देश में समूचे पिछड़े वर्ग की मांग है। जब तक केन्द्र सरकार ऐसा संविधान संशोधन नहीं लाती जिससे तमिलनाडु सरकार और अन्य किसी राज्य सरकार द्वारा पारित विधेयक को संरक्षण प्रदान किया जा सके तब तक पिछड़े वर्ग के अधिकारों और विशेष अधिकारों का संरक्षण सम्भव नहीं हो पाएगा।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया हे जिस ओर कई लोगों ने ध्यान दिलाया है। हमारा न्यायपालिका के प्रति काफी सम्मान है। लेकिन आरक्षण के 50 प्रतिशत तक रखने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी टिप्पणी की गई हो उसे अलघंनीय नहीं माना जा सकता क्योंकि किसी विषय पर निर्णय लेने का काम, जो भी अनिवार्य हो, भारत की संसद का है। जब पिछड़े वर्ग से अधिक लोग है तो आरक्षण की सीमा 50-60 प्रतिशत नहीं रखी जा सकती। इसलिए, मैं श्री अन्बारासु द्वारा किए गए विचारों का भरपूर समर्थन करता हूं और भारत सरकार को संविधान में आवश्यक संशोधन के साथ आगे आना चाहिए।

श्री पी.जी. नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम) : महोदय, यह सामाजिक चिन्ता का विषय है। समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए आरक्षण नीति को लागू करने व कार्यान्वित करने में तमिलनाडु राज्य अग्रणी राज्य रहा है। अब तमिलनाडु आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति

मिल चुकी है और यह विधेयक अधिनियम बन गया है। अब इसे न्यायालय में चुनौती दी जा रही है। इसलिए न्यायालय की चुनौती से बचने के लिए हम संविधान में संशोधन चाहते है। पहले इसे संविधान की नौवीं सूची में शामिल किया जाएगा, उसके पश्चात् हम ऐसा संविधान संशोधन चाहते हैं जिससे राज्यों की जनसंख्या और अन्य प्रासांगिक तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपनी आरक्षण नीति निर्धारण करने के अधिकार मिल सकें। हम इस विषय पर सविस्तार चर्चा करना चाहते हैं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है जोकि इस समय तमिलनाडु और कर्नाटक से संबंधित है।

श्री एच. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, मैं आपका ध्यान उन अभ्यार्थियों को हो रही कठिनाई की ओर दिलाना चाहता हूं जो यू पी एस सी और सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आरक्षण कोटे के अन्तर्गत आवेदन करते हैं। भारत सरकार ने यह निर्णय किया है कि आरक्षण का लाभ वास्तव में पिछड़े समुदाय के लोगों को मिलना चाहिए। अर्थात जो "क्रीमी लेयर" से ऊपर हैं उन लोगों को इसका लाभ न दिया जाए। लेकिन राजस्व अधिकारियों द्वारा ऐसे प्रमाणपत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। अधिसूचना में कई शर्तें लगाई गई हैं। लगभग 13 पृष्ठ भरने होते है। मैं चाहता हूं कि भारत सरकार स्पष्ट निर्देश दे कि योग्य उम्मीदवारों अर्थात "क्रीमी लेयर" से नीचे के लोगों के लिए प्रमाण–पत्र जारी किए जाएं और इसकी प्रणाली को सरल बनाया जाए ताकि वे बिना किसी परेशानी के उक्त प्रमाण–पत्र हासिल कर सके। इस समय देश भर में हजारों अभ्यार्थियों को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस समस्या के कारण पिछड़े वर्ग के लोग भी आरक्षण का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। मेरा निवेदन है कि प्रमाण–पत्र निर्गम प्रक्रिया सरल बनाई जाए। **(व्यवधान)** मैं इस बारे में स्पष्टीकरण चाहता हूं। मैं "क्रीमी लेयर" का समर्थन कर रहा हूं। मैं पिछड़े वर्ग से हूं लेकिन मैं "क्रीमी लेयर" का समर्थन करता हूं.........**(व्यवधान)**......

/

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो यह मामला देखने में बड़ा छोटा है लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बड़े गम्भीर मामले की ओर सरकार का, विशेष तौर से रेल मंत्रालय का ध्यान आर्कर्षित करता हूं।......**(व्यवधान)**.....

श्री सूर्य नारायण यादव (सहरसा) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह राज्य सरकार ने 60 फीसदी और 70 फीसदी पिछड़े तबके के लोगों को आरक्षण देने की मानसिकता बनाई है, इसके लिए तो मैं सरकार को बधाई दूंगा। साथ ही भारत सरकार से मैं मांग करता हूं कि संविधान में संशोधन कर वह राज्य सरकार की मानसिकता की सम्पुष्टि करें। यही मेरी मांग है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं कह रहा था कि रेल मंत्रालय वाराणसी में कोयला उतारने का एक विशेष अभियान चलाता था। वहां के कोल डिपो को कोयला रेल के वैगनों से मंगाकर सप्लाई किया जाता है। इसके पहले वह कोयला मन्डुआडीह नामक एक स्टेशन पर उतारा जाता था। उससे काफी गर्द गुबार फैलता था। इससे वहां के नागरिकों को काफी परेशानी होती थी। बाद में वहां कोयला उतारना बंद कर दिया गया। अब यह कोयला एक बस्ती के अन्दर, वाराणसी के पास जो शिवपुर रेलवे स्टेशन है, वहां उतारा जाने लगा। वहां पर स्टेशन से केवल 20 कदम

की दूरी पर बाजार है, बस्ती है और नागरिकों के आवासीय स्थल है। वहां पर अब यह कोयला उतरने से बराबर उसका गर्द गुबार फैलता रहता है। इससे शिवपुरी के हजारो आदमियों को परेशानी उत्पन्न हो गई है।

वहां हजारों लोग क्षय के, और अन्य दूसरी बीमारियों के शिकार होते जा रहे हैं। वहां पर इससे दमा और खांसी की बीमारी उत्पन्न हो गई है। वहां देखा जाये तो प्रतिदिन माताएं उनके छोटे–छोटे बच्चों को अस्पताल में लेकर जाती ही रहती है।

शिवपुरी के नागरिकों ने इसका काफी विरोध किया है। नागरिकों ने रेल मंत्रालय को लिखा, नागरिकों ने मंडल रेल अधिकारी से कहा, यहां तक कि मंडल रेल अधिकारी ने आश्वासन भी दिया कि हम इस व्यवस्था को तत्काल बंद कर रहे है लेकिन इसे बाद में उन्होंने नहीं माना। इसके बाद वहां के कलैक्टर ने कहा, वहां के ए डी एम ने कहा और वहां के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बराबर रेल मंत्रालय से मांग की और मंडल रेल प्रबंधक से मांग की लेकिन मंडल रेल प्रबंधक या रेल मंत्रालय के कानो पर जूं नहीं रेंगी। पिछले समय रेल मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति वाराणसी गई थी। शिवपुरी के नागरिकों ने समिति को घेरा। वहां पर समिति के सदस्यों को घटनास्थल पर ले गये। संसदीय सलाहकार समिति ने भी अपनी राय जाहिर करते हुए यह कहा कि यह शिवपुरी के लोगों का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और रेल मंत्रालय को इसको तत्काल बंद कर देना चाहिए।

वहां पर आमरण अनशन पर लोग बैठे हुए थे, उनका अनशन उन्होंने तुड़वाया और कहा कि हम जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करेंगे लेकिन आज तक इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई। वहां आये दिन अनशन, प्रदर्शन और धरनेबाजी हो रही है। तमाम नागरिक वहां पर बेचैन है।

मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि आप कृपया रेल मंत्री जी को यहां से निर्देश भेजें कि वह वहां तत्काल इस प्रकार अनर्गल ढंग से उतरता हुआ कोयला बंद करा दें। कोयला शहर के बाहर कुछ स्टेशन है, वहां पर उसको उतरवायें जिससे कि नागरिकों को असुविधा न हो।

12.35 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

पाऑराक्स, फॉस्फेटस एंड केमिकल्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन आदि

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य और खेल विभाग) में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय श्री एडुआर्डो फैलीरो की ओर से मैं निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(1) पाऑराइट्स फास्फेट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए एल टी सं० 6173/94)

(2) नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए एल टी सं० 6174/94)

(3) फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड तथा उर्वरक विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए एल टी सं० 6175/94)

भारत यंत्र निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग के बीच 1994-95 के लिए समझौता ज्ञापन आदि

उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग और भारी उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : उपाध्यक्ष महोदय मैं निम्नलिखित पत्र की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी) सभा पटल पर रखती हूं।

(1) भारत यंत्र निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1994--95 को समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए एल टी सं० 6176/94)

(2) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड तथा भारी उद्योग विभाग के बीच वर्ष 1994-95 का समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गए देखिए एल टी सं० 6177/94)

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के अंतर्गत अधिसूचनाएं

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : महोदय, मैं श्रीमती मार्गरेट अल्वा की ओर से अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय पुलिस–सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) संशोधन विनियम, 1994 जो 29 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 340 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(2) भारतीय पुलिस–सेवा (वेतन) संशोधन नियम 1994 जो 29 मार्च 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 341 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(3) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1994 जो 29 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 342 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(4) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1994, जो 29 मार्च, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 343 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(5) भारतीय पुलिस–सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1994, जो 22 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 396 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(6) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1994, जो 22 अप्रैल, 1994 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 397 (अ) में प्रकाशित हुये थे।

(ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल टी 6178/94)

आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वादों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं आठवीं, नौवीं और दसवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वादों और वचनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1)	विवरण संख्या 33 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6179/94)	तेरहवां सत्र, 1989	आठवीं लोक सभा
(2)	**विवरण संख्या 29** (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6180/94)	दूसरा सत्र, 1990	नौवीं लोक सभा
(3)	विवरण संख्या 26 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6181/94)	तीसरा सत्र, 1990	
(4)	विवरण संख्या 22 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6182/94)	छठा सत्र, 1990	
(5)	विवरण संख्या 22 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6183/94)	सातवां सत्र, 1991	
(6)	विवरण संख्या 22 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6184/94)	पहला सत्र, 1991	दसवीं लोकसभा
(7)	विवरण संख्या 19 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6185/94)	दूसरा सत्र, 1991	
(8)	विवरण संख्या 17 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6186/94)	तीसरा सत्र, 1992	
(9)	विवरण संख्या 15 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6187/94)	चौथा सत्र, 1992	

(10)	विवरण संख्या 12 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6188/94)	पांचवां सत्र, 1992	दसवीं लोंक सभा
(11)	विवरण संख्या 11 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6189/94)	छठा सत्र, 1993	
(12)	विवरण संख्या 7 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6190/94)	सातवां सत्र, 1993	
(13)	विवरण संख्या 6 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6191/94)	आठवां सत्र, 1993	
(14)	विवरण संख्या 4 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6192/94)	नौंवा सत्र, 1994	
(15)	विवरण संख्या 1 (ग्रंथालय में रखा गया, **देखिए** संख्या एल टी 6193/94)	दसवां सत्र, 1994	

12.36 म. प.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति

तैंतीसवां और चौंतीसवां प्रतिवेदन

श्री किरिप चलिहा (गुवाहाटी) : महोदय, मैं गैर–सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का तैंतीसवां और चौंतीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.36½ म. प.

कार्य मंत्रणा समिति

बयालीसवां प्रतिवेदन

श्री शिव चरण माथुर (भीडवाड़ा) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन, जिसे 2 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के बयालीसवें प्रतिवेदन, जिसे 2 अगस्त, 1994 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) राजस्थान में इन्दिरा गांधी नहर परियोजना प्रथम चरण में जलाशयों के निर्माण की लागत के रूप में किसानों को दिए गए ऋणों को माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में पक्के कोर्स बनाए गए हैं। प्रथम चरण में पक्के वाटर कोर्स बनाने का खर्चा किसानों पर ऋण के रूप में डाला गया है, जबकि द्वितीय चरण में यह खर्च स्वयं सरकार द्वारा वहन किया गया है। एक ही परियोजना क्षेत्र में किसानों पर दोहरी नीति अपनाई गई है, जो कि व्यावहारिक व न्यायसंगत नहीं है।

प्रथम चरण के पक्के वाटर कोर्स जो थोड़े ही समय में वाटर लोगिंग की वजह से टूट व नष्ट हो गए है। किसानों पर उक्त ऋण लगभग पांच गुना हो गया है, जिससे किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

अतः केन्द्र सरकार से निवेदन है कि किसानों का उक्त ऋण माफ किया जाए, ताकि उनको राहत मिल सके।

[अनुवाद]

(दो) केरल में एम.सी. रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने तथा केरल सरकार के कुछ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति देने की आवश्यकता।

श्री पी. सी. चाक्को (त्रिचूर) : महोदय, केरल की कुछ अति महत्वपूर्ण सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का राज्य सरकार का अनुरोध भारत सरकार के पास लंबित है। भारत सरकार को राज्य की आठ सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भेजा गया था। इसमें से एम.सी. रोड, जो कि एक प्रमुख सड़क है, को केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया था किंतु उसके कार्यान्वयन के संबंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि एम सी. रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करें और इस संबंध में केरल सरकार के अन्य प्रस्तावों पर भी विचार किया जाए।

(तीन) मुम्बई में रेलवे भूमि पर झुग्गी निवासियों को कोई पूर्व शर्त लगाए बिना मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : महोदय, मुम्बई में रेलवे भूमि पर बसे झुग्गी निवासियों को पेय जल, नल, शौचालय, स्ट्रीट लाइट और बिजली के कनेक्शन देने जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का मामला काफी अर्से से लंबित पड़ा है क्योंकि रेलवे अधिकारी झुग्गी निवासियों और/अथवा ग्रेटर मुम्बई नगर निगम, अथवा राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने से इंकार कर रहे हैं। जहां तक रेलवे का संबंध है उन पर किसी तरह का वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। रेल अधिकारी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि झुग्गी निवासियों को अनापत्ति प्रमाण–पत्र देने से पहले राज्य सरकार को इस कालोनी को रेलवे लाइन से 30 मीटर की दूरी तक पीछे हटा देना चाहिए

तथा रेलवे लाइन के साथ–साथ एक दीवार बनाई जानी चाहिए। राज्य सरकार द्वारा इन विस्थापित झुग्गी निवासियों के लिए कोई अन्य विकल्प ढूंढने की दृष्टि से तथा रेलवे लाइन के साथ साथ दीवार बनाने पर आने वाली लागत को दृष्टिगत रखते हुए दोनो ही तरह से इस शर्त को पूरा करना व्यवहारिक है।

अतः मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर पुनः विचार करें तथा मुम्बई में रेल भूमि पर बसे झुग्गी निवासियों को बिना किसी पूर्व शर्त के मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करे। झुग्गी निवासी यह वायदा करने को तैयार है कि रेलवे परियोजनाओं के लिए जब भी, जितनी भी भूमि की आवश्यकता होगी वे उस भूमि से हट जाएंगे।

(चार) महाराष्ट्र में नागपुर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या सात पर कन्हन नदी पर एक नए पुल के निर्माण की आवश्यकता।

श्री तेज सिंह राव भोंसले (रामटेक) : महोदय, नागपुर जिले से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग सं० सात पर कन्हान नदी पर बनाया गया पुल सौ साल पुराना है। यह पुल संकीर्ण है तथा बाढ से भी लगातार क्षतिग्रस्त होता रहता है। यह क्षतिग्रस्त पुल भारी यातायात के कारण किसी भी समय गिर सकता है जिसके कारण संपर्क व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न–भिन्न हो जायेगी। इसलिए इस पुराने पुल को नये सिरे से मरम्मत किये जाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुराने पुल को रखते हुए एक नया पुल का निर्माण किया जाना चाहिए।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उक्त कार्य को शीघ्र पूरा किया जाये।

[अनुवाद]

(पांच) केरल के मालापुरम जिले में आकाशवाणी का एक 'फ्रीक्वेन्सी माडूलेशन' केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता।

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : महोदय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केरल में आकाशवाणी में दो फ्रीक्वेन्सी माडूलेशन (एफ एम) केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। केरल राज्य विद्युतीकरण के क्षेत्र में बहुत पीछे है और सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राज्य में दो एफ एम केन्द्र स्थापित करने का निर्णय लेना एक प्रशंसनीय कदम है। केरल के एरनाड और इदुक्की जो कि ऊँचाई वाले क्षेत्र है में विद्युतीकरण इलेक्ट्रोनिक भी मीडिया जैसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। यह उचित ही होगा कि एक एफ एम आकाशवाणी केन्द्र राज्य के मालापुरम जिले में स्थापित किया जाए। यह कहना भी उचित होगा कि ऐसे आकाशवाणी केन्द्र स्थापित करने के लिए मंजेरी में पर्याप्त उपयुक्त स्थान है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि एक एफ एम मालापुरम जिले में स्थापित किया जाए।

12.44 म. प.

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक - जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधायी कार्यवाही पर चर्चा करेंगे और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक पर आगे चर्चा करेंगे।

श्री कोडीकुन्नील सुरेश (अडूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक का उद्देश्य विमानपत्तनों का कार्य एक ही प्राधिकरण को सौंपना है। मेरे विचार से इससे विमानपत्तनों के कार्यकरण में और अधिक सुधार होगा।

हमने निजी आपरेटरों को विमान सेवाएं आरंभ करने की अनुमति दी है और वे देश के विभिन्न भागों में कार्यरत है। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिले ताकि यात्रियो को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। हालांकि इस संबंध में उदारता बरतना एक अच्छा विचार है किंतु सुरक्षा के मामले में कोई ढील नहीं दी जानी चाहिए। कुछ ऐसे मामले पहले भी हुए है जब सुरक्षा संबंधी चूके हुई हैं परंतु सौभाग्यवश कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन ऐसा हो सकता है। अतः नए प्राधिकरण को यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा।

श्री गुलाम नबी आजाद जब नागर विमानन मंत्री बने थे तब मैंने उन्हें बधाई दी थी। उन्होंने कई कार्य किए हैं। उनका मुख्य ध्येय यात्रियों को सुविधाएं देना है। उन्होंने यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करने के लिए कई उपाय किए हैं। यात्री भी अब महसूस करते हैं कि अधिकांश उड़ानें समय पर चलती है। अवांछित हड़तालों से बचा जाता है और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों की शिकायतों को समय पर दूर किया जाता है। संवेदनशील विभागों में प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध होना बहुत जरूरी है। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय नागर विमानन मंत्री ने सभी कर्मचारियों को विश्वास में लिया है। मैं पुनः उनकी प्रशंसा करता हूं।

12.47 म.प.

(श्री पी.सी. चाको पीठासीन हुए)

निजी एयर लाइन्स को सुविधाएं मुहैया कराने के सम्बन्ध में, सरकार को सारी सुविधाएं अवश्य मुहैया करानी चाहिए। हमारे यात्री निजी विमान सेवाओं की शुरूआत होने से बहुत खुश हैं। घरेलू क्षेत्र में निजी उड़ानों के शुरू होने से घरेलू हवाई अड्डों पर यात्रियों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। किन्तु अनेक विमान सेवाओं ने शिकायत की है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उन्हें परेशान कर रहा है। यह ठीक बात नहीं है। निजी विमान सेवाओं की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस लिए, माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि यदि कोई शिकायत निजी विमान सेवाओं की तरफ से हो तो उस मामले को देखें।

आरक्षण नीति के सम्बन्ध में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी विमानपत्तन प्राधिकरण में समुचित रोजगार नहीं पा रहे हैं। मैं, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के खिलाफ गम्भीर आरोप लगाता हूं कि वहां आरक्षण नीति का पालन ठीक से नहीं हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित

जनजातियों के व्यक्तियों के लिए स्थानों का आरक्षण निश्चित किया जाए।

मैं त्रिवेन्द्रम अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। जब श्री वी.पी. सिंह की सरकार शासन में थी, तब त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन घोषित किया गया था। त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण घोषित किए जाने के बाद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाया। हम समझते हैं। कि नौकरशाही, त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन को अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के रूप में रूचि नहीं ले रही है। त्रिवेन्द्रम में, हाल में ही एयर इण्डिया ने बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी। जैसी कि मुझे सूचना मिली है, बहुत सी विदेशी विमान कम्पनियां भारत सरकार से, त्रिवेन्द्रम से बाहरी देशों की उड़ानों के संचालन के लिए, अनुमति मांग रही हैं। किन्तु उनकी अर्जियां बहुत लम्बे समय से भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समक्ष लम्बित पड़ी हैं। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय यथाशीघ्र इस पर विचार करेंगे। केरल में लोगों का यह विश्वास है कि भारत सरकार त्रिवेन्द्रम को अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। भारत के नए विमानपत्तनों के सम्बन्ध में, मैं मंत्री महोदय से केरल राज्य में पथनामथिट्टा में एक छोटा विमानपत्तन बनवाने की प्रार्थना कर सकता हूं।

जैसा कि आप को मालूम है कि सबरी माला आयप्पा मंदिर देश के प्रसिद्ध मंदिरों में एक है। यह पवित्र मंदिर पथनामथिट्टा के जनपद मे स्थित है। प्रत्येक वर्ष मौसम के दौरान लाखों भक्त सबरीमाला पहुंचते हैं। बहुत से माननीय सदस्य भी कई बार सबरीमाला मंदिर जा चुके हैं। हमारी स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव जी भी सबरीमाला घूमने में बहुत रूचि रखते थे। किन्तु वह वहां नहीं जा सके क्योंकि वहां पर हेलीपैड नहीं है और न ही कोई हवाई अड्डा है। केरल में पथनामथिट्टा जिला भी एक महत्वपूर्ण अनिवासी भारतीय जिला है और नई देशाटन स्थान भी वहीं स्थित हैं। पथनामथिट्टा जनपद मुख्यालय में कोई रेल यातायात सुविधा नहीं हैं। पथनामथिट्टा कोचीन से 200 कि.मी. दूर और त्रिवेन्द्रम से 150 कि.मी. दूर हैं और इन दोनों जगहों पर हवाई अड्डे हैं। तिरूपति जैसे पवित्र स्थान में एक छोटा सा हवाई अड्डा है। तिरूपति में छोटे वायुयान, फोकर सेवा, हेलीकाप्टर आदि सेवाएं उपलब्ध हैं। पथनामथिट्टा के लाखों भक्तों और लोगों की बहुत दिनों से लम्बित मांग है कि पथनामथिट्टा जनपद मुख्यालय के समुचित स्थान में एक हवाई पट्टी बनवाई जाए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय मेरी इस समुचित मांग पर विचार करेंगे। एक बार फिर मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री विजय नवल पाटिल (इटनदोल) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। जैसा कि हम सब जानते हैं, अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण बहुत पहले से अस्तित्व में था और राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण हाल ही में अस्तित्व में आया है। किन्तु विमान पत्तन प्राधिकरण ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है जैसा कि दूसरे विभागों में होता है। बहुत बार महत्वपूर्ण विमानपत्तनों मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली में, अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों में वही संकुलता है और यातायात को नियन्त्रण करने में कठिनाई होती है। उक्त संदर्भ में दोनों अधिकरणों को विलय करने का प्रस्ताव किया जाता है। यह विलयन यात्रियों को सुविधाएं भी प्रदान

करेगा और प्राधिकरण को कार्य करने में रूचि बढ़ेगी। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि विमानन और विमानन नियंत्रण व्यवस्था के विकास पर पूर्ण ध्यान दिया जाये जिससे कि निजी क्षेत्र की विमान सेवाएं सम्मिलित होने से बढ़ती हुई यातायात प्रणाली नियन्त्रित हो सके और यातायात संकुलन कम हो सके।

हम क्या देखते हैं कि अनेक लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में टैक्सी चलाने के लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया है। किन्तु मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या फिलहाल हम आगे और परमिट सा लाइसेंसों के आवेदन पत्रों पर रोक लगा सकते हैं क्योंकि इसमें दो बातें हैं; प्रथम तो हैंगर्स और अन्य आधार सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और दूसरे यह कि बहुत से निजी विमान सेवाओं और इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानें खाली जा रही हैं। वह इसलिए खाली जा रही हैं क्योंकि हमने उनका किराया बढ़ा दिया है जो उचित नही था। इसलिए मेरा सुझाव है कि यदि नये आवेदक हैं तो उनसे भविष्य में कम से कम कुछ समय के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कहना चाहिये।

मैं यह जानना चाहूंगा कि आप वर्तमान चालकों के सन्दर्भ में क्या कर रहे हैं जिन्होंने यह वायदा किया है कि वे कम लाभकारी रास्तों पर भी टैक्सी संचालन करेंगे किन्तु वे अपने वायदे के अनुसार संचालन नहीं कर रहे हैं। हमें बडी आशा थी कि इतनी सारी निजी वायु सेवाएं के चलाये जाने से छोटे कस्बों का पूरा ध्यान रखा जायेगा। मैं राज एयर का एक उदाहरण देना चाहता हूं। जैसा कि मुझे ज्ञात है कि राज एयर ने केवल मुझे ही नहीं बल्कि दूसरों को भी धोखा दिया है क्योंकि जिसे नासिक रूट पर चलना था वह नासिक बम्बई रूट पर नहीं चल रही है। जहां तक कि मेरी जानकारी है उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय के नगर लाटूर से माननीय गृहमंत्री जी के नगर नादेढ़ से और माननीय उड्डयन मंत्री के नगर अमकोला से विमान संचालित करने का वायदा किया था किन्तु वे उन रास्तों पर नहीं चला रहे हैं। यदि वे इन मार्गों पर टैक्सियां नहीं चला रहे तो, आप इनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं कर सकते, मैं यह जानना चाहता हूं।

विलयन के बाद जो नया विमान पत्तन प्राधिकरण अस्तित्व में आएगा उसे हवाई अड्डे के पास अनधिकृत अतिक्रमण रोकने के लिए और अधिक विधिक अधिकार दिए जाने चाहिए। मुझे स्वयं औरंगाबाद के मामले के बारे में पता है। विमान पत्तन प्रबन्धक ने एक अर्ध–सरकारी प्राधिकरण सिडको, रूग्ण औद्योगिक विकास निगम, को लिखते हुए यह कहा है कि बहुत सी ऐसी इमारतें हैं जिनके संबंध में ऊचांई के प्रतिबंध का ध्यान नहीं रखा गया है। किन्तु वे जवाब नहीं दे रहे हैं। जवाब न देने का मतलब है कि पुनः और भी इमारते बनाई जाएंगी और यदि विमान प्राधिकरण अथवा राज्य या केन्द्र सरकार, औरंगाबाद में हवाई पट्टी बनाने का निश्चित करेगी तो ऐसा करना बहुत ही कठिन होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले औरगांबाद में एक दुर्घटना हुई थी क्योंकि वायुयान उड़ान भरते समय एक दौड़ते ट्रक से टकरा गया। इसलिए इस बात की तत्काल आवश्यकता है कि उड़ान क्षेत्र को बढ़ाया जाए। यदि विमानन प्राधिकरण के आस–पास की इमारतों की ऊंचाई पर रोक लगाने की शक्ति नहीं है तो उड़ान क्षेत्र को बढ़ाते समय यह समस्या उठेगी। इस लिए मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूं कि किसी न किसी रूप में प्राधिकरण को कुछ अधिकार दिये जायें जिससे कि वे उन लोगों के विरूद्ध कानूनी अथवा

अन्य और कार्यवाही कर सके जो उन प्रतिबन्धित ऊंचाई निर्देशों और अन्य मानदण्डों को नहीं मानते हैं जो सुरक्षित उड़ान संचालन के लिए निर्धारित है।

सभापति महोदय मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है। वर्तमान, बहुत सी अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवायें यह महसूस करती हैं कि भारत से उड़ान भरना बहुत खतरनाक है। यह एक खतरनाक क्षेत्र है क्योंकि उन्हें जब कभी जरूरत हो, या वे कोई संदेश देना चाहें अथवा कोई जानकारी प्राप्त करना चाहें कि कौन सा जहाज कहां उड रहा है, तुरन्त संपर्क नहीं कर सकते। इसका कारण यह है कि हमारी वायु परिवहन नियंत्रण प्रणाली बहुत विकसित नहीं हैं या फिर हम इतनी महगी प्रौद्योगिकी नहीं जुटा सकते जो अन्य विभिन्न देशों में है। इसके लिए भी बहुत धन खर्च करना होगा, और यदि प्राधिकरण या मंत्रालय इसके लिए बड़ा बजट बनाना चाहें तो उन्हें संसद का समर्थन प्राप्त करना होगा।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस वायु यातायात का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि केवल उच्च–मध्यमवर्गीय लोग ही नहीं, वरन मध्यम वर्गीय लोग भी जब कभी संभव हो अथवा जब जरूरी हो हवाई यात्रा कर समय बचाना चाहते हैं। अतः मैं महसूस करता हूं कि इसका बहुत जल्द विकास होगा। उन्नत प्रौद्योगिकी, वायु यातायात नियंत्रण, हवाई अड्डे और विमानशाला का उपयुक्त निर्माण, निजी वायुयान चालकों के लिए आवास–व्यवस्था, सामान के उतारने–चढ़ाने आदि के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन यात्रियों के लिए अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जिन्हें यात्रा के दौरान प्रतीक्षा करनी पड़ती है आदि ऐसे कार्य हैं तो विमानपत्तन प्राधिकरण को देखने होते हैं।

अतंतः मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव देना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि इस विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रबंधन अथवा शासी निकाय में 14 सदस्य होंगे। कल कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया था कि उसमें सांसदों को भी शामिल किया जाए। इसके साथ ही, मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि भारत में बहुत संख्या में फ्लांइग क्लब हैं। वे ही विमानपत्तन प्राधिकरण की जमीन, विमानशालाओं और अन्य हवाई पट्टियों को सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। अतः भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के शासी निकाय में फ्लाइंग क्लबों के एक सदस्य को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस सुझाव के साथ, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

सभापति महोदय : अब सभा 2 म.प. पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.00 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म.प.
तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म.प.

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् 2.05 म.प. पर पुनः समवेत हुई

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री ओस्कार फर्नान्डीज बोलेंगे।

***श्री ओस्कार फर्नान्डीज** (उदुपी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपक्रमों के अंतरण और विहित किए जाने के लिए "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक" प्रस्तुत किया है। ताकि विमान पत्तनों का बेहतर प्रशासन और कुशल प्रबंधन किया जा सके। मैं इसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और विमान सेवाओं में सुधार करने में सफलता के लिए उन्हें शुभकामना देता हूं। हमें अपनी विमान सेवा में सुधार लाना होगा ताकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ला सकें। हम हवाई यात्रा के लिए और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। साथ ही हमें देश के विकास के लिए और आयाम खोलने होंगे।

महोदय, मैं अपना भाषण कर्नाटक राज्य की आवश्यकताओं तक ही सीमित रखूंगा। कर्नाटक में बीदर, हुबली, बेल्लरी, बंगलौर और मैसूर में हवाई अड्डे स्थित हैं। मंत्री महोदय को मंगलौर और बंगलौर हवाई अड्डों में तुरंत सुधार करने को उच्च प्राथमिकता देनी होगी क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण केन्द्र हैं। कर्नाटक राज्य का ऐतिहासिक दृष्टि से विशेष महत्व है। आजकल विदेशी पर्यटक कश्मीर के बजाय दक्षिणी राज्यों में जाना अधिक पंसद करने लगे हैं। इन विदेशी पर्यटकों के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए अन्यथा वे हमारे देश के पर्यटन स्थलों पर जाना पंसद नहीं करेंगे। बंगलौर हवाई अड्डे को यथाशीघ्र एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया जाना चाहिए क्योंकि इसकी बहुत लोगों द्वारा मांग की जा रही है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि यह कार्य निकट भविष्य में शुरू किया जाने वाला है। वास्तव मे, मंत्री महोदय इस महत्वपूर्ण परियोजना का शिलान्यास करने बंगलौर जा रहे हैं। मुझे यह सूचना विश्वसनीय सूत्रों से मिली है और मैं इसके लिए मंत्री महोदय का आभारी हूं। मेरा उनसे अनुरोध है कि वह इस कार्य क्रम के बारे में सभा को आश्वासन दें। कई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के यात्री मद्रास, बम्बई, कलकत्ता और नई दिल्ली आते हैं और फिर बंगलौर पहुंचने के लिए उन्हें वहां से उड़ान लेनी पड़ती है। यहां तक कि जो पर्यटक दक्षिण राज्यों में जाना चाहते हैं उन्हें भी इसी समस्या का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें एक पृथक उड़ान से पहले बंगलौर आना पड़ता है।

इन दिनों तटीय क्षेत्र के पर्यटन स्थल पर्यटकों के लिए अधिक आकर्षण का केन्द्र बने हुए हैं। मंगलौर हवाई अड्डा ऐसे पर्यटन स्थलों के बीचो–बीच बना है। भारत में आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली नौ विमान चालक श्री वास्को–डी–गामा सबसे पहले माल्ये पहुंचा था। उस स्थान का नाम सेंट नेरीज द्वीप रखा गया था और वहां से उन्होंने अपनी यात्रा कालीकट के लिए जारी रखी। यदि विदेश के तटीय क्षेत्रों और हमारे देश के अन्य तटीय क्षेत्रों से तुलना करें तो मंगलौर और कुंदापुरा के नजदीक पड़ने वाला क्षेत्र मारवंथे बहुत ही सुंदर तटीय क्षेत्र है। अतः मंगलौर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना बहुत जरूरी है। दुर्भाग्य से मंगलौर हवाई अड्डे

* मूलतः तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की अपनी कुछ समस्याएं हैं। यहां केवल बोइंग 737 जहाज ही उतर सकते है एयर बसें और अन्य जहाज यहां नही उतर सकते। बारिश के मौसम में बोइंग 737 का उतरना भी मुश्किल हो जाता है। अतः यहां कुछ आधुनिक उपकरण लगाए जाने चाहिए ताकि दिन में हर समय यहां जहाज उतर सकें। ऐसी अफवाह है कि मंगलौर हवाई अड्डे का विस्तार कार्य रोका गया है। यदि मंगलौर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना संभव नहीं है तो पदुबीदरी में एक वैकल्पिक हवाई अड्डे का निर्माण करना होगा।

खाड़ी के देशों में काम कर रहे हजारों भारतीयो को मेरे राज्य में आने के लिए पहले बम्बई और फिर बंगलौर मंगलौर और अन्य स्थानों पर जाना पड़ता है। केरल में सीधी उड़ानों के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। कालीकट, त्रिवेन्द्रम कोचीन को खाड़ी देशों से सीधी उड़ानों से जोड़ा गया है। इसी तरह खाड़ी के देशों और मंगलौर के बीच भी सीधी उड़ाने होनी चाहिए। खाड़ी के देश से हमारे राज्य में आने वाले एक यात्री ने कुछ दिन पहले अपनी यात्रा का अनुभव मुझे सुनाया। वह पहले बम्बई आया। वहां से उसे एक बहुत अच्छे होटल में ले जाया गया जहां उसकी अच्छी देखभाल की गई उस होटल में रूकना उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन अगली सुबह जब उसके सामने होटल का बिल रखा गया तो वह भौंचक्का रह गया। उसे अपनी सारी कमाई से उस बिल का भुगतान करना पड़ा और उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे। यह उन यात्रियों के कटु अनुभव का उदाहरण है जो खाड़ी के देशों से इस राज्य तक पहुंचते हैं। मंगलौर में हवाई अड्डा कार्यालय के अतिरिक्त एक पासपोर्ट कार्यालय खोले जाने की भी तत्काल आवश्यकता है। खाड़ी के देशों और मंगलौर के बीच सीधी उड़ान शुरू करने से हम पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर पाएंगे। कर्नाटक की राज्य सरकार ने इस संबंध में कुछ परियोजनाएं बनाई हैं। केन्द्र सरकार को इस बारे में राज्य सरकार की सहायता करनी चाहिए।

कई छात्र और ग्रामीण हवाई अड्डे देखने जाते हैं। वे हवाई अड्डों पर स्थित रेस्तरां में शीतल पेय अथवा खाने पीने की अन्य चीजें नहीं खरीद पाते। यहां तक कि हमारे जैसे सांसदो को भी वहां पर खान–पान की वस्तुएं खरीदना मुश्किल लगता है वहां चीजें बहुत महंगी है। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि वहां जनता टी स्टाल जैसे रेस्तरां खोलें जाएं जिससे छात्र, ग्रामीण और अन्य जनता वहां खान–पान की वस्तुएं खरीद सकें। इन केन्टीनों में चाय, काफी का मूल्य 1 या 2 रूपए और भोजन का मूल्य 5-6 रूपए होना चाहिए। यह हवाई अडडे पर दिन रात काम करने वाले कुलियों के लिए भी वरदान सिद्ध होगा।

कोचीन और गोवा के बीच मंगलौर पत्तन एक बहुत महत्वपूर्ण पत्तन है। आगामी 5 वर्षो में विभिन्न औद्योगिक परियोजनाओं में करीब 2500/- करोड़ रूपए निवेश किए जायंगे। वहां एम.आर. पी.एल. (मंगलौर रिफाइनरी) स्थापित की गई है जिसकी उत्पादन क्षमता करीब तीन मिलियन टन है। वास्तव में इसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 9 मिलियन टन किया जा रहा है। कर्नाटक की जनता यह मांग कर रही है कि मंगलौर में एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया जाए। इस क्षेत्र में कोंकण रेलवे के कार्य में बहुत प्रगति हुई है और यह कार्य बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। बम्बई की तरह मंगलौर में भी औद्योगिक क्रांति आ जाएगी। अतः माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि मंगलौर हवाई अडडे को यथाशीघ्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा बनाया जाए।

महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री पी. सी. चाको (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मंत्री महोदय को इस ठोस कदम के लिए बधाई देता हूं। यह विधेयक सदन में पिछले दो दशकों के हमारे अनुभव के आधार पर आया है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पिछले 22 वर्षों का है। अब यह निर्णय लिया गया है कि दोनो प्राधिकरणों को एक साथ मिला दिया जाए और विलयित प्राधिकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नाम दिया जाए। यह कार्य केवल तभी न्यायोचित ठहरायी जाएगा जब हम देश में विमानपत्तनों में अच्छी सुविधाएं मुहैया कर सकेंगे। इस बहस में बहुत से सदस्यों ने कल और आज भी हिस्सा लिया। उन्होनें देश को विशेषकर अपने राज्यों में विभिन्न विमानपत्तनों की आवश्यकताओं, का उल्लेख किया। इस देश में विमानपत्तनों और वैमानिक यातायात, की समस्याओं उनका समाधान केवल विधयेक ही नहीं है क्योंकि इसमें बहुत अधिक निवेश की आवश्यकता है।

माननीय मंत्री महोदय चर्चा का उत्तर देते समय इस समस्या पर कुछ प्रकाश डालेंगे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण या नागरिक उडडयन मंत्रालय को बजट प्रावधानों से जो राशि प्राप्त होती है वह विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने और पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराने के लिए पर्याप्त नहीं है। देश में चार पांच अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के अलावा अधिकांश विमानपत्तनों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं है, और अधिकांश विमानपत्तन बहुत ही विकट स्थिति में है।

वैमानिक यातायात नियंत्रण व्यवस्था सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उपग्रह पर आधारित विमान से चालन व्यवस्था ही आज की आधुनिक व्यवस्था है जो आज विश्व भर में प्रचलित है किंतु, भारत में अभी भी पुरानी नियंत्रण प्रणाली चल रही है जो कि भूस्थित विमान संचालन प्रणाली है। इसलिए भारत में, इतनी प्रगति और बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी, अभी तक हम अपनी विमान संचालन प्रणाली का आधुनिकीकरण करने में समर्थ नहीं है। प्राधिकरण यही कार्य करने का प्रयास कर रहा है। विमानपत्तन बनाने, वैमानिक यातायात नियंत्रण प्रणाली और वायु मार्ग प्रबंधन के लिए बहुत भारी निवेश की आवश्यकता है। विमान पत्तन प्राधिकरण के यह महत्वपूर्ण पहलू, कर्तव्य का दायित्व है। किंतु मैं यह नहीं जानता कि विमानपत्तन प्राधिकरण मिलने वाली कम इतनी कम धन राशि से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ लेते हुए इन समस्याओं का समाधान कर पायेगा। महोदय, मैं एक छोटे राज्य केरल का निवासी हूं जो देश का दक्षिणतम राज्य है। हम इस देश के समक्ष एक माडेल परियोजना ला रहे हैं और मैं इस विधेयक के संदर्भ में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

कोचीन में केरल सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना आरंभ हो रही है। हमारे माननीय मंत्री गुलाम नबी आजाद 21 अगस्त को कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की आधारशिला रखने जा रहे हैं। इस हवाई अड्डे पर हम 300 करोड़ रूपया खर्च करेंगे। जो 300 करोड़ रूपए की राशि खर्च की जानी है वह न तो बजट से है और न ही मंत्रालय की वित्तीय सहायता में से है। बल्कि यह एक पूर्णतः निजी उद्यम है।

जब यह विचार किया गया था, जब इस परियोजना की रूपरेखा तैयार की गयी थी तो विभिन्न

देशों खाड़ी देशों तथा समग्र विश्व से, संस्था को बहुत ही अच्छा प्रतिक्रिया मिली। जहां कहीं भी केरलवासी हैं उन्होंने उदारतापूर्वक वित्तीय योगदान दिया है। इस संस्था को देश के बाहर बसने वाले केरलवासियों से काफी अच्छी रकम प्राप्त हो रही है। वह सब बड़ी आस्था से वह योगदान दे रहे हैं ताकि हवाई जहाज यथाशीघ्र बन जाए। यदि हमने पूर्ण रूप से इसे विकसित करने के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण पर निर्भर करेंगे तो इसमें कई वर्ष लगेगें।

हम जानते हैं कि त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन को देश का पांचवां अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन घोषित किए जाने के बाद, आज हम सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। यद्यपि मंत्री इस मामले में व्यक्तिगत रूचि ले रहे हैं, भूमि खरीदी जा रही है और हवाई पटटी बढ़ायी जा रही है इसके बावजूद त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे पर अभी भी तमाम कमियां है। यह दर्शाता है कि यदि हम विमानपत्तन के आधुनिकीकरण के लिए पूर्ण रूप से विमानपत्तन प्राधिकरण पर निर्भर रहते है तो हम जिस स्तर को प्राप्त करने की आशा कर रहे है उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए वहां पर गैर सरकारी संस्थाओं के प्रयासों की आवश्यकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर गैर सरकारी प्रयासों का भी अवलंबन लिया जा सकता है।

मैं इस विषय पर मंत्री महोदय की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं क्योंकि जब हमने इसके लिए प्रयास किया तो हमने बहुत प्रोत्साहन पाया। परंतु यह पर्याप्त नहीं है क्योंकि विश्व छोटा होता जा रहा है और हम विभिन्न विकसित राष्ट्रो से निवेश ले सकते हैं। बहुत से देशों में अतिरिक्त धन राशि है और वे देश यह धनराशियों ऐसी परियोजनाओं को बनाओं और संचालित करो आधार पर ऐसी धन राशियां हमारे देश को देने के लिए तैयार है।

उन लोगों को जो आर्थिक सुधारों आदि जैसी बातों का विरोध करते हैं मैं उत्तर देना नही चाहता हूं, परंतु प्रश्न केवल यह है कि संभवतः यदि आप अगले पांच वर्षो के लिए विकास की बात करें तो इसके लिए 5000 करोड़ रूपये की आवश्यकता होगी। अब हम नया विमानपत्तन प्राधिकरण बना रहे हैं। यह सब ठीक है। किंतु यह नया प्राधिकरण अगले पांच वर्षो के लिए 5000 करोड़ रूपए की आवश्यकता कैसे पूरा करेगा। यह संभव ही नहीं है।

बहुत से सदस्य जिन्होंने अपने अपने विमानपत्तनों का मुद्दा उठाया था यदि उन सभी मांगे को एक साथ रखा जाएगा तो यह रकम इससे भी बड़ी हो सकती है। इस लिए केवल सरकार के लिए यह संभव नहीं है कि वह इस क्षेत्र को न्याय दे सके इस लिए इस क्षेत्र में निजी निवेश बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का कड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन, जो धन गरीब लोगों से लिया गया है, उसे केवल विमानपत्तनों के बनवाने में नहीं खर्च किया जा सकता सरकार को प्रमुख क्षेत्रों जैसे पीने का पानी, सड़क निर्माण, सार्वजनिक यातायात प्रणाली का प्रावधान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर यह धन खर्च करना है, जिससे लोग वंचित है, ऐसी प्राथमिक सुविधाएं।

इस लिए संभवतः यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हम अधिक से अधिक निजी निवेश कर सकते है। हम देश में ही और बाहर से भी धन एकत्रित कर सकते हैं। हम संस्थाएं और कंपनी बना

सकते हैं और तब हम अपने विमानपत्तन बना सकते हैं।

इसके साथ साथ उन विदेशों से भी प्रस्ताव है, जो 'बी ओ टी' आधार पर बनाओं और संचालित करो आधार संचालित करो और स्थानान्तरित करो आधार पर अंतर्राष्ट्रीय मार्ग के अनुसार भारत में विमानपत्तन बनाने के लिए तैयार है। यह अंतर्राष्ट्रीय आधार है जो कि विश्व भर में प्रचलित है। लेकिन हम ऐसे उद्यमों को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं। ऐसे उपायों को ठीक से लाभ नही उठाया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि विस्तार के लिए यही मुख्य बाधा है। हम हर बार परियोजना के लिए धन पाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय जाते हैं। महोदय, जिस परियोजना की कीमत 100 करोड़ रूपये है उसके लिए धन पाने के लिए पांच से दस वर्ष तक लगते हैं और मूल्य वृद्धि दर 15% से 20% तक प्रतिवर्ष है। यदि 100 करोड़ रूपए की परियोजना की परिपक्व अवधि पांच वर्ष या सात वर्ष या दस वर्ष है तो परियोजना की लागत 200 करोड़ पहुंच जाती है। यह लगभग दुगुनी हो जाती है। इसका मतलब बहुत सी परियोजनाएं अव्यावहारिक जो जाती है। इसलिए तैयार की जाने वाली प्रत्येक परियोजना को एक विशेष समय में कार्यान्वित करते हुए उसे कम से कम समय में पूरा कर दिया जाना चाहिए। जहां तक सभी सरकारी परियोजनाओं का सवाल है उनके लिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण बात है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण अथवा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अधिकाधिक योजनाओं और विमान पत्तन आयोजनाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अब इन दोनों को सम्मिलित किया जा रहा है। इनकी योजनाओं के लिए प्रतिवर्ष बजट प्रावधानों से धन आता है। जब तक उन्हें कार्यान्वित किया जाता है तो उसकी परिपक्व अवधि बढ़ जाती है।

अंतर्राष्ट्रीय विमानन में बहुत बड़े परिवर्तन किए जा रहे है। इस क्षेत्र में बहुत से परिवर्तन किए जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, मैं कोचीन का रहने वाला हूं। विमान वहां नहीं उतर सकता क्योंकि वहां हवाई पट्टी बहुत छोटी है। जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो गोवा, कोचीन आदि बहुत से विमान पत्तनों पर उतरना बहुत मुश्किल होता है। यह केवल चालक की व्यक्तिगत क्षमता के कारण ही हम किसी तरह से वहां उतर पाते हैं। बहुत से विमानपत्तनों पर आधुनिक सुविधाएं नहीं है। जिससे विमानपत्तन सुरक्षित हो जाए।

महोदय, प्रत्येक हवाई अड्डे पर खतरा है। प्रत्येक हवाई जहाज के उतरने व उड़ान भरने में खतरनाक समस्याएं होती है। ऐसा हो रहा है और हम दर्शक बन कर इन्हें देख रहे है। इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। यदि इस देश में विमानन उद्योग का आधुनिकीकरण करना है तो हम इस क्षेत्र में धन व्यय करे, नए हवाई अड्डे बनाए, नई अवतरण प्रणाली तथा नए प्रौद्योगिकी यंत्र अपनाएं। इसके लिए इस अधिनियम के माध्यम से जो नया प्राधिकरण गठित किया जा रहा है उसे नए अवसरों, क्षेत्रों तथा संसाधनों की खोज करनी चाहिए। इसके लिए हमें पूरे विश्व से सहायता लेनी होगी। जहां से सभी धन उपलब्ध होता हो और जब भी लोग निवेश करने के लिए

तैयार हो उन्हें अधिकतम प्रोत्साहन देना चाहिए। हमारे पास इसका एक उदाहरण है। 15-20 दिनों के भीतर हमारी नई परियोजना प्रारंभ हो रही है। लेकिन प्रश्न यह है कि आज भी अनेक समस्याएं है जो प्रारंभिक चरण पर पैदा हो रही है। कोचीन हवाई अडडे का संचालन नौ सेना करती है और नया हवाई अड्डा अन्य अभिकरण द्वारा बनाया जा रहा है। इससे नौसेना अधिकाारियों तथा नए कोचीन हवाई अड्डा प्राधिकरण के बीच विवाद होगा। इन क्षेत्रों में अनावश्यक विवाद पैदा किया जा रहा है जो इस प्रकार के उद्यमों के निर्माण तथा प्रगति का कार्य अवरूद्ध करता है।

इसलिए महोदय, मेरा यह विचार है कि केवल विधान बनाने तथा एक प्राधिकरण गठित करना ही सरकार का कार्य नहीं होना चाहिए। इस प्राधिकरण का भी वैसा ही हाल नहीं होना चाहिए जैसा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण या अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का पहले हुआ था। यदि इसे इसी प्रकार अर्थहीन संस्था बनाना है तो नया विधान बनाने का कोई अर्थ नहीं है। इसकी नई शुरूआत हेनी चाहिए। हमें बाहर से अधिक धन लेना चाहिए। चूंकि हमारे पास धन की कमी है इसलिए हम बाहर से धन लेकर नए हवाई अड्डे बनाएं। मेरे विचार से यह एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसकी ओर नागर विमानन मंत्रालय को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। जब कोई भी निजी क्षेत्र हवाई अड्डा बनाने का प्रयास करता है और उसकी ओर उपयुक्त समय पर ध्यान नहीं दिया जाता है तो इससे उसे धक्का लगता है। माननीय मंत्री जी को इन मामलों की पूरी जानकारी है और वे इस संबंध में गंभीरता से कदम उठा रहे हैं। मेरी इच्छा है कि अधिक से अधिक निवेश हो। जब केरल जैसा एक छोटा सा राज्य हवाई अड्डा बना सकता है, वह भी निजी क्षेत्र में, और सरकार से कोई पैसा न लेकर 300 करोड़ रूपये निवेश कर सकता है तब देश के अधिकांश राज्य उनका अनुकरण कर सकते हैं और इस प्रकार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इस प्रकार ऐसे उद्यमों तथा प्रयासों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। मैं इस मुद्दे के बारे में माननीय मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पहले विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब हम नया कार्य शुरू कर रहे हैं, नए चरण में प्रवेश कर रहे है तो हमें पिछले अनुभवों को ध्यान में रखना चाहिए तथा ऐसी समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। नए विमानपत्तन प्राधिकरण को इस नए क्षेत्र में विशेषरूप से निजी क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रयास करना चाहिए और इस देश की जनता की महत्वाकाक्षांओं को पूरा करना चाहिए। इन्हीं चेतावनी भरे शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आठ माननीय सदस्य बहस में भाग लेना चाहते है इसलिए हमें समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत समय से लंबित पड़े सुधार का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि मितव्ययता लाने के अतिरिक्त सरकार की ओर से उठाया गया यह कदम नए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्यकरण को कुशल बनाएगा।

यह सही समय पर उठाया गया कदम है और नई सरकार ने सत्ता में आने के बाद 'खुले आसमान की नीति' की घोषणा की थी और नई सरकार द्वारा उदारीकरण संबंधी कदम उठाने से अधिक से अधिक उद्यमी इस देश में नई विमान कंपनियां शुरू करने की पहल कर रहे हैं। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि यह अत्यंत समय से उठाया गया कदम है क्योंकि वे न केवल घरेलू क्षेत्र में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी कार्य कर रहे है। निश्चित रूप से यह कदम उठाने से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बीच अधिकारों के विभाजन से जो समस्याएं पैदा होती है वे समाप्त हो जाएंगी। इस बात की सदैव संभावना रहती है कि दो प्राधिकरण होने से कठिनाइयां पैदा होगी और विशेषकर ऐसी स्थिति में जब दोनों के कार्य करने का क्षेत्र एक ही हो तो यह समस्याएं और भी अधिक पैदा हो जाती है। इसलिए इसमे कोई संदेह नहीं है कि इस कदम से न केवल उद्यमियों में बल्कि हमारे देश की आम जनता में भी अधिक विश्वास पैदा होगा। आशा की जाती है कि इस उपाय से तकनीकी और व्यवसायिक दृष्टिकोण से श्रमशक्ति, संसाधनों तथ प्रतिभाओं का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण संकट में कार्य कर रहा था और नए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के समक्ष बड़ी चुनौतियां है तथा मुझे विश्वास है कि वर्तमान विलय से इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा तथा इससे राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अब तक जो घाटा हुआ है वह पूरा हो जाएगा तथा इससे अच्छा एकीकरण होगा। जहां एक ओर संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जाना चाहिए और दूसरी ओर प्राधिकरण को संयुक्त क्षेत्र में भागीदारी से अच्छा लाभ प्राप्त होगा।

तथापि, मैं तीन महत्वपूर्ण मुद्दे उठाना चाहता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस बारे में कुछ बताएंगे। मेरा पहला मुद्दा यह है कि खुले आसमान की नीति के अंतर्गत अधिक से अधिक उद्यमी हमारे आसमान मे अपने विमान चलाना चाहते हैं। तथापि जहां तक सुविधाओं का प्रश्न है विशेषरूप में घरेलू क्षेत्र में तो वह बहुत सीमित है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि लोगों को बाजार में आने की अनुमति देने से पहले देश में मूलभूत सुविधाएं विकसित करनी चाहिए क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा का मुद्दा सबसे अधिक महत्वपूर्ण है।

दूसरा मुद्दा मैं विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों के विकास के बारे में उठाना चाहता हूं। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है कि सरकार मुम्बई में मांडवी रेवास में एक और अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन स्थापित करने की योजना बना रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या नया विमानपत्तन प्राधिकरण इस क्षेत्र को विकसित कर रहा है अथवा जैसा श्री पी. सी. चाक्को ने कहा है कि अपने विमानपत्तन विकसित करने के लिए हम विदेशियो को बुलायेगें। मैं अपने सहयोगियो से सहमत हूं कि इसमे काफी अधिक खर्च होगा और यह धन हमें कहां से मिलेगा?

एक अन्य महत्वपूर्ण दृष्टिकोण सामाजिक दृष्टिकोण है। यदि हम अपना धन बड़े विमानपत्तनों के विकास में ही लगा देगें तो छोटे विमानपत्तनों क: क्या होगा। यह सरकार का सामाजिक दायित्व

है और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के प्रति उसका यह दायित्व विशेष रूप से है क्योंकि लोगों को वहां पहुंचने में कठिनाई होती है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि उन्हें ऐसे व्यक्तियों को आमंत्रित करना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन और बड़े भारतीय विमानपत्तन विकसित करना चाहते हैं।

महोदय, इस विधेयक से मुझे इस माननीय सभा और माननीय मंत्री के ध्यान में यह बात लाने का अवसर भी मिला है कि जबलपुर में एक बड़ा विमानपत्तन बनाने की मांग लम्बे समय से लंबित पड़ी है। महोदय, मैं 1991 से संसद का सदस्य हूं और मैं इस बात का अथक प्रयास करता रहा हूं कि इस परियोजना को शीघ्रतिशीघ्र पूरा किया जाए लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया है। मैं अनेक बार माननीय नागर विमानन मंत्री से मिला हूं।

मैं इस सम्मानीय सभा तथा सरकार के समक्ष जोरदार शब्दों में यह बात कहना चाहूंगा कि एक समय जबलपुर को राज्य की राजधानी बनाया जाने वाला था। यह मध्यप्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यहां पर दो विश्वविद्यालय है। यहां पर मध्यप्रदेश का उच्च न्यायालय है तथा महोदय फिर भी यहां पर कोई हवाई अड्डा नहीं है। इसलिए मैं माननीय नागर विमानन उड्डयन मंत्री से कहना चाहता हूं कि वे इस बात पर गंभीरता से विचार करें।

एक समय था जब यहां पर फोकर फ्रेंडशिय हवाई जहाज उतरते थे। यहां पर हवाई पटटी पहले से ही है। इस हवाई पट्टी में विस्तार तथा नये हवाई अड्डे के निर्माण के लिए मांग की जा रही है। पहले फोकर फ्रेंडशिय हवाई जहाज जबलपुर में उतरते थे। बाद में इण्डियन एयरलाइंस के एच.एस. 748 एवरो हवाई जहाजे भी नियमित रूप से जबलपुर में उतरते थे। बाद में यहां पर वायुदूत सेवा भी उपलब्ध रही है। परंतु अब एक भी हवाई जहाज जबलपुर में नहीं उतरता है। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करना चाहता हूं कि यह बड़े दुख की बात है कि हमें इस तरह की स्थिति जबलपुर में देखनी पड़ रही है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मध्यप्रदेश सरकार से 33 एकड़ अतिरिक्त भूमि की मांग की थी। मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उस समय राज्य में भा.ज.पा. का शासन था। मैं अनेक बार मुख्य मंत्री महोदय से मिला था। अंततः सरकार 33 एकड़ से भी अधिक भूमि देने को तैयार हो गयी। वास्तव में हमें 38 एकड़ भूमि बिना किसी लागत के प्राप्त हुई, जिसे भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सौंप दिया गया। भारतीय राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण ने यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही प्राधिकरण को बिना लागत के भूमि प्राप्त होगी वे तुरंत ही निर्माण कार्य आरंभ कर देगें। फिर भी इस संबंध में अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया है तथा स्थिति वैसे की वैसे बनी हुई है। इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि इस मुद्दे पर तत्परता से कार्यवाही की जाये।

अर्चना एयरवेज ने हाल ही में मध्यप्रदेश में वायु सेवा आरंभ की है तथा यह एक ऐसा संयुक्त

उद्यम है जिसमे मध्यप्रदेश सरकार ने एक करोड़ रूपये का अंशदान दिया है। इसने भोपाल तथा रायपुर के बीच अपनी सेवाएं आरंभ की है तथा यह वायु सेबा जबलपुर से गुजरती है लेकिन जबलपुर में नहीं उतरते हैं। मैं जानता हूं कि समस्या ईधन की है इसलिए माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे संबंधित मंत्रालय को इस विषय में लिखे तथा यह सुनिश्चित करें कि इन विमानों को ईधन उपलब्ध हो ताकि ये विमान यहां उतर सके तथा हमें जबलपुर में एक बार फिर वायु सेवा की सुविधा प्राप्त हो सके।

अंत में मैं पुनः माननीय नागर विमानन मंत्री को उनका वादा याद दिलाना चाहूंगा। जो उन्होंने दिया था। माननीय प्रधान मंत्री ने भी वादा किया था कि वर्ष 1995 के अंत तक यह हवाई अडडा पूरी तरह कार्य करना आरंभ कर देगा। मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय नागर विमानन मंत्री इस मुद्दे पर विचार करेंगे तथा शीघ्र ही जबलपुर से तथा जबलपुर के लिये वायु सेवाएं आरंभ करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय नागर विमानन मंत्री द्वारा प्रस्तुत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक 1993 का समर्थन करता हूं।

श्री याइमा सिंह यमुनाम : (आन्तरिक मणिपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं क्योंकि इस विधेयक का उद्देश्य राष्ट्रीय हित में विमानन पत्तन प्राधिकरण को और अधिक प्रभावकारी बनाना है।

यह विधेयक एक एकीकृत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण स्थापित करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया है। यह बहुत अच्छी बात है। मैं आशा करता हूं कि भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण, इन दो संगठनों के विलय से प्रबन्धन और अधिक प्रभावशाली होगा। इस विलय की प्रशंसा करते हए, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वे यह बात सुनिश्चित करें कि वर्तमान कर्मचारियों को किसी प्रकार की हानि न हो, उनका किसी प्रकार का उत्पीड़न न हो अथवा उनसे किसी प्रकार का पक्षपात–पूर्ण व्यवहार न हो।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं मुख्य रूप से नागर विमानन मंत्रालय को कुछ बातें कहना चाहूंगा। पहला प्रस्ताव मणिपुर राज्य में इम्फाल हवाई अड्डे का विकास करना है। इस समय इस हवाई अड्डे पर रात्रि को विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं सरकार से विशेष तौर पर मंत्री महोदय से, निवेदन करूंगा कि इम्फाल हवाई अड्डे का विकास किया जाये ताकि वहां पर रात्रि को विमान उतारने की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

महोदय, जैसा कि आप जानते हैं कि मणिपुर राज्य में रेल सेवा नहीं है। मणिपुर के लोग यदि किसी काम से राज्य से बाहर जाना चाहते है तो उन्हें एक दिन की यात्रा बस से करनी पड़ती है तथा फिर वे दीमापुर अथवा गुवाहाटी से रेल पकड़ सकते हैं। बस द्वारा यात्रा बड़ी कठिन है क्योंकि इस के दौरान जंगलों तथा पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है तथा वर्तमान कानून व्यवस्था को देखते हुए अनेक आरक्षित स्थानों से होकर गुजरना पड़ता है। इसलिए यह आवश्यक

है कि लोग इम्फाल से वायुसेवा द्वारा यात्रा कर सकें।

अगर लोगों को राज्य से बाहर जाने के लिए हवाई यात्रा करनी पड़े, तो गरीब लोगों को अपनी भूमि, संपत्ति तथा सब कुछ तक बेचना पड़ता है। यदि उन्हें इलाज के लिए किसी बडे तथा अच्छे अस्पताल में जाना पड़े तो उन्हें वायु यात्रा के उच्च्य किरायें भाड़े के कारण अपना अंतिम साधन अर्थात् सम्पति बेचनी पड़ती है। परंतु वर्तमान में इम्फाल हवाई अडडे पर रात्रि को जहाज उतरने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मैं सरकार से पुनः निवेदन करता हूं कि इम्फाल हवाई अडडे का विकास किया जाना चाहिए ताकि वहां पर रात्रि के समय भी हवाई जहाज उतर सके।

दूसरे, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि इम्फाल हवाई अडडे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडे का दर्जा दिया जाना चाहिए। इस समय, यह आवश्यक न हो परंतु एक दशक के पश्चात आपको इसकी आवश्यकता महसूस होगी। दूसरे विश्व युद्ध में हमने यह महसूस किया है कि भारत की सुरक्षा के लिये मणिपुर के हवाई अडडे कितने महत्वपूर्ण है।

महोदय, यह एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ राज्य है। सुरक्षा तथा अन्य दृष्टिकोणों से भी इसे एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा बनाने की आवश्यकता है। उत्तर–पूर्व के देशों से भी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए इम्फाल में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा होना चाहिए। मैं यह प्रस्ताव इस समय कर रहा हूं, हो सकता हूं इस समय यह आवश्यक न लगे परंतु एक दशक के बाद आपको इस की आवश्यकता महसूस होगी। मैं अग्रिम रूप से ही यह प्रस्ताव कर रहा हूं।

मणिपुर राज्य के लोगों के लिए बेहतर हवाई सेवायें उपलब्ध करवाने के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय को यह प्रस्ताव करना चाहता हूं कि हमें दिल्ली से इंफाल एक दिन में पहुंचने के लिए दिल्ली और इम्फाल के बीच हवाई सेवा उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। इस समय हमें दिल्ली से यात्रा आरंभ करके एक रात कलकत्ता में गुजारनी पड़ती है तथा उसके अगले दिन हम इम्फाल पहुंचते है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें इम्फाल पहुंचने में दो दिन लगते हैं। इस समय हम कितना कष्ट उठा रहे है। अगर हम दिल्ली से इम्फाल जाना चाहें तो इसमें हमें दो दिन लगते हैं। पहले दिल्ली से इम्फाल एक दिन में पहुंचने के लिए हवाई सेवा उपलब्ध थी जो सप्ताह में तीन दिन उपलब्ध थी। पहले हम गुवाहाटी हो कर एक दिन में इम्फाल पहुंच जाते थे। परंतु जैसे ही श्री गुलाम नबी आजाद नागरिक विमानन मंत्री बने यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई। क्षेत्र के लोगों ने यह पूछना आरंभ कर दिया कि श्री गुलाम नबी आजाद मणिपुर के प्रति इतने कठोर क्यों है। इसका उत्तर मुझे देना पड़ा तथा मैंने यह कहा कि श्री आजाद एक बहुत अच्छे मंत्री हैं तथा वे हमारी सहायता करेंगे? आप की ओर से हम कार्यवाही की आशा करते हैं। हमें उसी दिन दिल्ली से इम्फाल पहुंचना होता है। आप कृपया सप्ताह में तीन बार ऐसी यात्रा के लिए व्यवस्था करें जिससे हम दिल्ली से इम्फाल एक ही दिन में पहुंच सके। अन्यथा हमें कलकत्ता में एक रात ठहर कर समय बिताना पड़ता है।

मैं एक बार फिर कहता हूं और माननीय मंत्री से विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि इस

बारे में गौर करे। कृपया एक उड़ान दिल्ली से इम्फाल वाया गुवाहाटी अथवा कलकत्ता चलाएं ताकि उसी दिन पहुंचा जा सके। यह मणिपुर के लोगों की पुनजोर मांग है तथा मैं मणिपुर के लोगों की ओर से माननीय मंत्री से आग्रह कर रहा हूं।

अगर दिल्ली से वाया कलकत्ता वायु सेवा की व्यवस्था हो जाए और आगे सम्पर्क उड़ान हो तो हम एक दिन में इम्फाल पहुंच सकते हैं, इससे भी काम चल सकता है। मैं पुरजोर यह प्रस्ताव कर रहा हूं।

मैं यह प्रस्ताव कर रहा हूं और इसका समर्थन करने वाले सदस्यों के साथ हूं कि हमें प्रत्येक हवाई अड्डे के लिए स्थानीय लोगों की एक सलाहकार समिति गठित करनी चाहिए। इससे समस्याओं के समाधान में मदद मिलेगी। आप उन्हें यह अनुमति दे सकते हैं कि वे समिति में अपने ज्ञापन पेश करें। लोगों के प्रतिनिधियों, स्थानीय सांसदों, विधायकों को इस समिति का सदस्य बनाया जा सकता है। वे अनेक प्रकार से हवाई अड्डे के विकास हेतु प्रस्ताव करेंगे।

महोदय, इस समय मैं अपने राज्य के हवाई अड्डे के मुद्दे पर ही बोलूगां। इस समय, इम्फाल में व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। हम मौजूदा व्यवस्था से बहुत खुश नहीं हैं। हवाई अड्डे पर मंत्रियों के लिए उपलब्ध सुविधाएं बहुत घटिया तरह से संचालित की जा रही हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इस पर गौर करें।

अन्त में मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदय ऐसे लोगों को कुछ राजसहायता देने पर विचार करें जो अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति और अन्य कारणों से मणिपुर से अन्य स्थानों पर वायुमार्ग द्वारा यात्रा करते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री के. मुरली धरन (कालीकट) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस वाद–विवाद में भाग लेने का अवसर प्रदान किया ।

मैं माननीय नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद द्वारा पुरःस्थापित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1993 का समर्थन करता हूं। हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडे की आय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अधिक है। जब अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का विलय करके एक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बना दिया जाएगा तब हम इनकी आय का बराबर वितरण कर सकते हैं।

इस चर्चा में भाग लेने वाले हर सदस्य ने अपने राज्य तथा वहां के हवाई अड्डों का उल्लेख किया है। मैं भी कालीकट हवाई अड्डों के विकास की बात कर रहा हूं। अगर मुझे सही याद है तो हमारे माननीय नागर विमानन मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने सितम्बर 1993 में केरल के मुख्यमंत्री सहित सांसदों तथा विधायकों की एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में हमने निर्णय लिया था कि कालीकट हवाई अड्डे की हवाई पट्टी वर्तमान 6,000 फुट से बढ़ाकर 9,000

फुट कर दी जाए पर कार्य पर व्यय का अनुमान 60 करोड़ रूपये लगाया गया। उस समय केरल सरकार राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण हेतु 60 करोड़ रूपये जुटाने के लिए सहमत हो गई और केन्द्र सरकार भी इससे सहमत थी। यह राशि ब्याज रहित ऋण के रूप में दी जानी थी। मंत्रालय इसे पांच वर्ष में वापस अदा करने के लिए सहमत हो गया। स्वयं मैं और राज्य के उद्योग मंत्री बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात जैसे खाड़ी के देशों में गए और पहली बार में 10 करोड़ रूपये जुटाए। हम यह राशि देने के लिए तैयार है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नागर विमानन मंत्रालय ने इस परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन नहीं किया है। मेरा माननीय मंत्री से सविनय अनुरोध है कि कृपया इस परियोजना रिपोर्ट को मंजूरी प्रदान करके यथाशीघ्र कार्य शुरू कर दिया जाना चाहिए। अन्यथा, केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी।

अब हमारे लोग विशेषकर खाड़ी के देशों से हमारे मित्र हवाई अड्डे के विस्तार के बारे में पूछ रहे हैं जबकि अभी तक इस पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। मंत्री महोदय ने वायदा किया था कि इस पर कार्य दिसम्बर, 1993 में शुरू हो जाएगा लेकिन अभी तक यह कार्य शुरू नहीं हुआ है। इससे वहां की बहुत सी गंभीर समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है।

दूसरी बात सरकार द्वारा घोषित वायु यातायात की खुली नीति के बारे में है। यहां तक कि अब भी कालीकट में, बहुत सी अन्य विदेशी विमान कंपनियां खाड़ी देशों से कालीकट तक सेवाएं प्रदान करने की इच्छुक है। लेकिन नागरिक उडडयन मंत्रालय ने कालीकट नहीं बल्कि सिर्फ त्रिवेन्द्रम तक के लिए निजी एयरलाइनों को स्वीकृति दी है। आप विशेष तौर पर खाड़ी यात्रियों के प्रति एयर इंडिया के व्यवहार को जानते है। वे पैसा सबसे अधिक वसूल करते हैं और उनका व्यवहार बहुत बुरा होता है। विशेष रूप से मालाबार क्षेत्र में हम इस दयनीय स्थिति का सामना कर रहे हैं। कालीकट से खाड़ी देशों की यात्रा करने वाले अधिकांश यात्री अनपढ़ होते हैं। वे निर्धन भी होते हैं। उन्हें भद्र व्यवहार के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से विमानपत्तन प्राधिकारियों और विशेष रूप से एयर इंडिया का व्यववहार बहुत बुरा होता है। उनका व्यवहार इस प्रकार का होता है, जैसा एक मालिक का अपने नौकरों से। मेरा अनुरोध यह है कि आप कालीकट से खाड़ी देशों के लिए सेवाएं शुरू करने के लिए अन्य विदेशी एयरलाइनों को अनुमति दें।

कालीकट में रात के समय विमानों के उतरने की सुविधा प्रदान करने का काम अभी भी जारी है। अब केरल में बरसात का मौसम है। अधिकांश रूप से विमान कालीकट में नहीं उतरते। खाड़ी की दुबई से अबू धाबी की उड़ाने कालीकट में आ रही है लेकिन वहां जमीन पर्याप्त नहीं है और उन उड़ानों को उतरने की सुविधा की कमी के कारण बंगलौर की और मोड़ा जाता है। इससे खाड़ी देशों से कालीकट आने वाले यात्रियों को बहुत अधिक मुश्किल होती है। अतः, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे यथाशीघ्र यांत्रिक अवतरण प्रणाली (इन्स्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम) के कार्य को तुरंत पूरा करवाये।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक, 1993 के संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि विमानपत्तन के स्टाफ की बहुत सी शिकायतें है। नागरिक उडडयन तथा पर्यटन पर परामर्शदात्री समिति और स्थायी समिति के सदस्य के रूप में मुझे कर्मचारियों से बहुत बड़ी संख्या में ज्ञापन मिले हैं। उन्होंने मांग की थी कि उनकी समस्याओं को यथाशीघ्र निपटाया जाये। उन्होंने वेतन और वरिष्ठता संबंधी अपनी समस्याओं का उल्लेख किया था अतः, मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि वे उनकी मांगों को पूरा करें।

एक बार पुनः इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं पुनः माननीय नागरिक उडडयन मंत्री को धन्यवाद देता हूं और कालीकट के संबंध में उनके द्वारा किये गये वायदे को पूरा करने का अनुरोध करता हूं।

श्री राजगोपाल नायडु रामासामी (पेरियाकुलम) : उपाध्यक्ष महोदय, अन्ना द्रमुक भुनेत्र कडगम की ओर से विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

यह विधेयक दो प्राधिकरणों अर्थात् राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को समाप्त करके इनके स्थान पर एक विमानपत्तन प्राधिकरण स्थापना की करने के लिए लाया गया है।

अनेक प्राधिकरणों के स्थान पर एक समरूप ढांचा बनाया जाना, एक स्वागत योग्य कदम है। वास्तव में प्राधिकरणों का बहुतायत में होना सरकारी संस्थानों में अकर्मण्यता, विलम्ब और यहां तक कि बुराइयों को भी जन्म देता है। किसी काम के लिए दोहरा खर्च, जिसे एक संस्थान द्वारा भी किया जा सकता है, से भी इस विधेयक द्वारा बचा जा सकता है।

कोड्डाईकनाल, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है, से भारत तथा विश्व के लोग भली भांति परिचित है। यह एक पहाड़ी क्षेत्र है और गर्मियों में ठहरने का स्थान है। वहां उग्रवाद अथवा उग्रवादियों की घुसपैठ को कोई खतरा नहीं है। यह पूरे भारतवर्ष को मालूम है कि तमिलनाडु में कोड्डाईकनाल एक शांतिपूर्ण क्षेत्र है। कश्मीर, शिमला और अन्य स्थानों के मुकाबले वहां रहन–सहन का खर्चा भी कम है। गर्मियों के मौसम में पूरे भारत से आये हुए लोग कोडडाईकनाल में रहना पसंद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी कोड्डाईकनाल को पसंद करते है। अतः, कोडडाईकनाल में एक हवाई अड्डा स्थापित किया जाना चाहिए। वहां 200 एकड़ भूमि उपलब्ध है। यह कोडडाईकनाल में बिना किसी प्रयोग के बेकार पड़ी हुई है। यह मन्नामनूर के पास है।

3.00 म. प.

यह चूंकि केरल से भी जुड़ा हुआ है, इसलिए यह केरल के लोगों के लिए मददगार होगा और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक भी पर्यटन स्थल देखना चाहेंगे। इस प्रकार, भारत में विदेशी मुद्रा बढ़ेगी। अतः, मेरा माननीय मंत्री से विनम्र अनुरोध है कि वे इन सुझावों पर विचार करें।

लगभग एक वर्ष पहले तमिलनाडु में तूतीकोरिन हवाई अड्डा शुरू किया गया था। लेकिन एयर इंडिया एयरलाइंस के एंकीकरण के बाद वहां के लिए कोई उड़ान नहीं भरी जायेगी।

3.01 म.प.

(श्री पी. सी. चाक्को **पीठासीन हुए**)

अगर हवाई अड्डे पर कोई विमान सेवा उपलब्ध नहीं हो तो यह पैसे की बरबादी है। तूतीकोरिन एक औद्योगिक क्षेत्र है। यह बन्दरगाह और अंतिम छोर पर बसा हुआ शहर है। अतः, तूतीकोरिन हवाई अडडे पर वायु सेवा प्रदान करने के लिए तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

मदुरई तमिलनाडु का ऐतिहासिक शहर है और यह मंदिरों का शहर भी है। वर्ष 1987 में सप्ताह में लगभग छह दिनों के लिए मद्रास से मदुरई के लिए विमान सेवा शुरू की गई थी। उसके बाद इसे पांच दिनों के लिए कर दिया गया था। अब यह सेवा वहां केवल तीन दिनों के लिए है। मेरा आपसे अनुरोध है कि मद्रास और मदुरई के बीच विमान सेवा पूरे सप्ताह के लिए दी जाये।

इस विधेयक में इस स्वागत योग्य कदम के अलावा और भी कई क्षेत्र हैं जिनमें सुधार करने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कार्गो के भडारण को सुव्यवस्थित किये जाने की आवश्यकता है। मैं मंत्री महोदय से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर भंडारण संबंधी कार्यों के निजीकरण पर विचार करने का अनुरोध करता हूं। विमानपत्तन प्राधिकरण को सभी ऐसे माल पर जिसका बीमा नहीं कराया गया है, बीमा कवर प्रदान करने के लिए भी सांकेतिक धनराशि वसूल करनी चाहिये। अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर कार्गो की मिकासी भी एक दुरूह काम है। किसी व्यक्ति को अपने माल की निकासी के लिए बहुत से स्थानों पर पंक्तिबद्ध होकर इंतजार करना पड़ता है और अनेक जगह से हस्ताक्षर करवाने पड़ते हैं। अतः, मेरा सुझाव है कि यात्रियों के सामान की निकासी के लिए सभी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर एक काउंटर प्रणाली होनी चाहिये। सभी हवाई अड्डों पर कार्गो निकासी प्रणाली को कंप्यूटरीकृत भी किया जाना चाहिये। जब हम कम्प्यूटरीकरण के अलावा, हवाई अड्डों पर सुविधाओं के आधुनिकीकरण के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं स्टाफ को व्यवहारिक बनाये जाने के बारे में भी जोर देना चाहूंगा। ऐसे बहुत से हवाई अड्डे हैं, जिनके आधुनिकीकरण किये जाने की जरूरत है। कुछ हवाई अड्डों पर रात के समय विमानों को उतारने संबंधी उपकरण भी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पहलू का भी अध्ययन करें।

मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री द्वारा दिये गये सुझावों पर निश्चित रूप से विचार करेंगे।

श्री रमेश चेन्नीतल्ला (कोट्टायम) : मैं भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक का समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

इस विधेयक का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय, दोनों हवाई अड्डों की व्यवस्था के लिए

एक एकल प्राधिकरण की स्थापना करना है। यह पहले की, इन दो प्रकार के विमानपत्तनों के लिए अलग एजेंसियां होने की नीति के विपरीत है। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि अगर आप कुप्रबन्ध तथा अन्य पहलुओं पर, जो हमारे देश में अब वायु सेवाओं पर प्रभाव डाल रहे हैं, ध्यान नहीं देगे तब तक इन दो विमानपत्तन प्राधिकरणों के एकीकरण से कोई फायदा नहीं होगा। उद्देश्यों तथा कारणों संबंधी वक्तव्य कहता है कि बहुत से हवाई अड्डों पर कोई वाणिज्यिक सेवा नहीं है और वहां से उड़ानें भी कम होती है। अतः, राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण पर्याप्त संसाधनों का सृजन नहीं कर सका। यह वक्तव्य आंशिक रूप से सत्य है जिसके ये निम्नलिखित दो कारण हैं। प्रथम, इंडियन एयरलाइन्स की सेवाओं का स्तर असंतोष जनक है; दूसरे सेवाओं को सक्षम बनाने के सम्बन्ध में प्रबन्ध के पास उचित नीति नहीं है। अगर हम इन दो पहलुओं पर ध्यान नहीं देते, तब तक इन दो प्राधिकरणों के एकीकरण के पश्चात् भी हमें कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहले, चूंकि सेवाओं का स्तर असंतोषजनक है, हमें उसमें सुधार करना होगा। दूसरे, हमें सेवाओं को सक्षम बनाना होगा। अतः, मुझे आशा है कि नया प्राधिकरण गंभीर रूप से प्रयास करेगा तथा इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करेगा तथा इसे अधिक फायदेमंद बनाने के लिए और अधिक प्रयास करेगा।

हमारे देश में किसी अन्य सरकारी उद्यम के मुकाबले इंडियन एयरलाइन्स में प्रबन्ध और कर्मचारियों के सम्बन्ध बहुत खराब हैं। इसके कर्मचारियों, विमान चालकों तथा ग्राउन्ड स्टाफ इत्यादि द्वारा अक्सर और जल्दी–जल्दी की जाने वाली हड़तालों ने इन सरकारी उद्यमों की साख को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया है। उसके बाद मूल समस्या यह है कि कर्मचारी–नियोजक सबंधों के लिए इंडियन एयरलाइन्स के पास उचित नीति नहीं है। जब हम हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं तो हमें अचानक पता चलता है कि या तो काम धीरे करो वाली हड़ताल की गई है अथवा अन्य कोई बात नही है। इसीलिए, इस सरकारी उद्यम की साख बिल्कुल समाप्त हो गई है। नियोजक–कर्मचारियों के संबंधों के लिए एक उचित नीति की तत्काल आवश्यकता है ताकि हम नुकसानों की भरपाई कर सकें।

स्टाफ द्वारा अक्सर की जाने वाली हड़तालों से इन सरकारी उद्यमों की साख कम होती है। मेरा माननीय मंत्री से यह अनुरोध है कि इन दो प्राधिकरणों के एकीकरण के बाद हमें इस सरकारी उद्यम के मौजूदा कमंचारी तथा नियोजक संबंधो को नये सिरे से देखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रबंध पूरी तरह से कर्मचारियों के सामने आत्मसमर्पण कर देता है और कई बार वे बड़ा अड़ियल रवैया अपनाते हैं। प्रबन्ध और कर्मचारियों के इस प्रकार के रवैये से इन संगठनों की साख बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। अतः मेरा माननीय मंत्री से अनुरोध है कि इस सरकारी उद्यम का पुनर्गठन करते हुए तथा इन संगठनों को एक नया रूप प्रदान करते हुए हमें इन पहलुओं पर अत्यधिक गंभीरता से विचार करना होगा।

वायु यातायात की खुली नीति पर बोलते हुए मेरे माननीय सहयोगी ने इस नीति की भी चर्चा की है। हम सभी उसका स्वागत करते हैं। नई निजी एयरलाइनों की वजह से यात्रियों को बहुत

अधिक सुविधाएं मिल गई हैं। मैं उसे स्वीकार करता हूं। निश्चित रूप से यह सरकार तथा जनता द्वारा व्यापक रूप से अपनाई गई निजीकरण की नीति के अनुरूप है। शुरू की गई निजी एयरलाइनें कुल मिलाकर अच्छी सेवाऐं दे रही हैं। उसमें कोई शक नहीं है। लोग उसके बारे में खुश हैं। तथापि, हमें वायु सुरक्षा के बारें में सावधान अवश्य रहना चाहिये। हमारे अधिकांश माननीय सदस्यों ने वायु सुरक्षा पहलू के बारे में हुई चर्चा में भाग लिया है। जब प्रतियोगिता बढ़ जाती हैं तो सुरक्षा विनियमों की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति उत्पन हो सकती है। अतः, इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती हैं और इसीलिए वायु सुरक्षा विनियमों को सख्ती से लागू किया जाना चाहिये।

अब हमारे देश मैं बहुत सी निजी एयरलाइनें काम कर रही हैं। लेकिन उनका रखरखाव उचित नहीं है और कुछ हवाई अड्डों पर उनकी मरम्मत के लिए भी किसी प्रकार की सुविधा नहीं है। उन्हें सुरक्षा उपायों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा जाना चाहिए ताकि हम इन गंभीर दुर्घटनाओं को टाला जा सकें।

देश में कई हवाई अड्डों पर आधुनिक सुविधाएं नहीं है। महोदय, जब आपने चर्चाओं में भाग लिया था, तब आपने भी उन आधुनिक सुविधाओं का उल्लेख किया था जो विदेशों में अन्तर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं के अभाव में दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। भारत में हवाई मार्गो पर भीड़--भाड़ बढ़ती जा रही है। अतः दुर्घटनाओं के अवसर भी बढ़ते जा रहे हैं। कई हवाई अड्डों पर केवल पुरानी प्रणालियां ही काम कर रही हैं, हमें उनकों बदलना होगा।

एक कर्मचारी ने काफी वर्ष पहले संसद की प्राकलन समिति को सूचित किया था कि विमान--संचालन का स्तर घटिया होने और विमान संचालन सुविधाओं के अभाव में एक विमान के दूसरे विमान की हवाई पट्टी में आ जाने की संभावना बनी रहती है जिससे आसमान में भंयकर दुर्घटना हो सकती है। अतः जबकि हम हवाई अड्डों के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि सरकार को हमारे सभी हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण का ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए गंभीर प्रयास करने चाहिए।

दूसरा प्रश्न हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण के लिए अपेक्षित धन के बारे में है। यह मुख्य अड़चन है। हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और विकास के लिए केन्द्र सरकार की मुख्य समस्या वित्तीय दबाव रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या उनकी जनता से धन जुटाने की कोई योजना है। वह संसाधन कैसे जुटाएंगे? मैं जानना चाहता हूं कि उनके मंत्रालय के पास इस संबंध में कोई निश्चित योजना है? अनेक सदस्यों ने यहां पर बताया कि नए हवाई अड्डों की स्थापना के लिए बहुत सी ऐजेंसियां आगे आ रही हैं। बहुत से लोग इसमें अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं और अनिवासी भारतीय भी इसमें योगदान करने के लिए तैयार हैं। मैं जानना चाहता हूं कि विद्यमान हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण और उनके और विकास के लिए संसाधन जुटाने के लिए क्या सरकार की जनता के पास जाने की कोई विशेष योजनाएं हैं।

ऐसा विवाद है कि इण्डियन एअरलाइन्स के अनुभवी और प्रशिक्षित कर्मचारी निजी विमान कंपनियों में जा रहे हैं। यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मुझे ठीक–ठीक संख्या मालूम नहीं है। लेकिन इण्डियन एअरलाइन्स के बहुत से अनुभवी और प्रशिक्षित विमान चालक इण्डियन एअरलाइन्स से त्याग–पत्र दे रहे हैं और निजी विमान कंपनियों में जा रहे हैं। प्रबंधन को इस समस्या पर. गंभीरता से ध्यान देना होगा। प्रशिक्षित कर्मचारियों के निर्गमन.को निरूत्साहित किया जाना चाहिए। इस निर्गमन का निश्चित रूप से इण्डियन एअरलाइन्स की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। इसका प्रचालन बुरी तरह से प्रभावित होता है। मुझे बताया गया था कि सरकार ने हाल ही में इस निगर्मन को रोकने के लिए भूतपूर्व कर्मचारियों के लिए कतिपय लाभों में कमी करने का निर्णय लिया है। यह पर्याप्त नहीं है। प्रशिक्षित और अनुभवी विमान चालकों का इंडियन एयरलाइंस से निजी विमान कंपनियों में निर्गमन को रोकने के लिए समुचित योजना होनी चाहिए और इस संबंध में कतिपय न्यूनतम और आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए।

विधेयक के खंड 3 उपखंड (5) में चैयरमेन और सदस्यों की शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। इसमें कहा गया है "हवाई परिवहन में विशेष ज्ञान और अनुभव या किसी अन्य परिवहन सेवा में" वास्तव में हवाई अडडा प्राधिकरण के चैयरमेन या सदस्य को हवाई परिवहन का विशेष ज्ञान या अनुभव होना चाहिए। लेकिन जब इसमें यह कहा गया है कि "हवाई परिवहन या किसी अन्य परिवहन सेवा में" तो इससे थोड़ी सी भ्रांति हो जाती है। मैं माननीय मंत्री महोदय श्री आजाद जी से इस भ्रांति को दूर करने का अनुरोध करता हूं। नियमों में यह विनिर्दिष्ट होना चाहिए कि हवाई परिवहन क्षेत्र से कितने सदस्य होने चाहिए और अन्य क्षेत्रों से कितने सदस्य होने चाहिए। इस भ्रांति को टाला जा सकता है। अन्यथा इससे सदस्यों के चयन में और अधिक भ्रांति पैदा होगी और आप व्यक्तिगत रूप से उलझन भी महसूस करेंगे। मैं समझता हूं कि इस भ्रांति को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण आवश्यक है।

अंत में त्रिवेन्द्रम में हाल ही में घोषित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडे के संबंध में, मैं समझता हूं कि आपने व्यक्तिगत रूप से उस हवाई अडडे का दौरा किया है। आपने कहा कि आपने अन्यत्र कही भी ऐसा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा नहीं देखा है। यह स्थिति अत्यधिक दयनीय है। आपने यह भी पूछा था कि कोई भी व्यक्ति कैसे कह सकता है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा है। माननीय मंत्री महोदय ने इस हवाई अडडे के लिए आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए कुछ राशि निर्धारित करने की कृपा की है।

मैं समझता हूं कि इस कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। कुछ पहल और कार्य पहले ही शुरू हो गया हैं। मैं समझता हूं कि हवाई अडडे के भवन को निर्माण कार्य पूरा होने के लिए समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए। साथ ही, दूसरे टर्मिनल पर कार्य शुरू नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि एक युवा और कर्मठ मंत्री होने के नाते आप देश के दक्षिणी भाग और केरल राज्य की सहायता करेंगे और मैं समझता हूं कि यह देश में घोषित नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा है।

वहां पर नेडुम्बाचेरी और कालीकट हवाई अडडे है। महोदय केरल के बहुत से लोग विदेशों में काम कर रहे हैं। केरल के लोगों को और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी चाहिए, वहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने उपलब्ध करवाई जानी चाहिए ताकि लोग विदेशों में जा सके। चूंकि हम लोगों को यहां पर कोई रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए यहां के लोगों को इन सुविधाओं को उपयोग करते हुए बाहर जाने दिया जाए। यद्यपि हमारे युवा पढ़े लिखे और प्रशिक्षित हैं फिर भी उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है। हमें और अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि हमारे यहां के लोग विदेशों में जा सके, वहां काम कर सके और अपनी रोजी रोटी कमा सकें।

श्री पी. सी. थामस (मुवतुपुजा) : महोदय, इस विधेयक का समर्थन करने के लिए मुझे बोलने का अवसर देने हेतु मैं आपको अनेकानेक धन्यवाद देता हूं।

वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा प्राधिकरण अधिनियम 1971 और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडा प्राधिकरण विधेयक 1985 के द्वारा 1971 और 1985 में बनाई गई नीतियों में परिवर्तन हो गया है। अब इस विधेयक के माध्यम से विलय का प्रस्ताव है और मैं समझता हूं कि इसका उद्देश्य सुविचारित है। मैं समझता हूं कि हवाई अडडा प्राधिकरणों के विलय के समय कर्मचारी और अन्य संबंधित लोग यह महसूस कर सकते हैं कि उनके लाभों और स्थितियों को किसी भी तरह से बदला जा सकता है उनके सामने कठिन स्थिति हो सकती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि उन्हें उपलब्ध सुविधाओं के साथ–साथ अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। अतः मैं समझता हूं कि इन पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाएगा।

अब इस विधेयक के संबंध में अन्य सदस्य जो नागर विमान मंत्रालय से होंगे के अलावा एक सभापति और आठ से चौदह सदस्य होंगे। मैं महसूस करता हूं, जैसा कि पहले बताया जा चुका है, कि इसमें जनता के लोगों के लिए प्रावधान होने चाहिए और इस प्रावधान का विशेष उल्लेख होना चाहिए।

इस विधेयक में मैंने जो दूसरा पहलू देखा है, मैं उसके बारे में भी जिक्र करना चाहूंगा। इस विधेयक का उद्देश्य इस ढांचे को और मजबूत बनाना है और हवाई अडडों के भवनों में बेहतर सुविधाओं के साथ–साथ और अधिक सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। मैं समझता हूं कि एक प्रावधान ऐसा है जिसमें कहा गया है कि जनता या कोई भी संबंधित व्यक्ति प्राधिकरण के विरुद्ध न्यायालय में नहीं जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम है कि क्या खंड 33 को विधेयक में केवल बहुत से अन्य विधेयकों की तरह सम्मिलित किया गया है। बहुत से अन्य विधेयक है जिसमें कहा गया है कि प्राधिकरण के विरुद्ध अभियोजन या मुकदमों का अनुरक्षण नहीं किया जाएगा। लेकिन मैं महससू करता हूं कि यदि खंड 33 की भांति प्रावधान किया जाता है कि जिसमें यह कहा गया हो कि प्राधिकरण के विरुद्ध या विश्वास में काम कर रहे प्राधिकरण के किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई मुकदमा, कोई अभियोजन या कोई अन्य कार्यवाही अनुरक्षित नहीं की जाएगी यद्यपि उसमें "विश्वास में" शब्द लिखा गया है फिर भी जनता द्वारा हवाई यातायात से संबंधित व्यक्तियों द्वारा

जिन्हें इस खंड द्वारा वास्तव में प्रतिबंधित किया गया है बहुत से मुकदमें दायर किए जा सकते हैं।

मुझे नहीं मालूम कि कोई अन्य खंड भी है। निस्संदेह, मैं विधेयक में ऐसा कोई अन्य खंड नहीं पाता जो ऐसे न्यायाधिकरण अथक अन्य मंचों में की जाने वाली ऐसी शिकायतों के लिए उचित स्थान प्रदान करता हो। इसका एक उदाहरण, अन्यायपूर्ण उत्तरदायित्व है। उदाहरण के तौर पर यदि एक वाहन जो यात्रियों को विमान की ओर ले जाता हुआ हवाई पटटी से गुजर रहा है अथवा हवाई पटटी पार करते समय एक छोटा सा खडडा हो जाता है तो संबंधित व्यक्तियों की लापरवाही के कारण हुआ हो, तब उस व्यक्ति के लिए प्रावधान कहां है जो बस में अथवा ट्रक में सफर कर रहा हो जो विमान की ओर जा रहा हो? अतः, इस सामान्य उपबंध को जो किन्ही अन्य अधिनियम विद्यमान है, इस अधिनियम में शामिल नहीं होने चाहिए। लेकिन, कुछ अन्य उपबंध होने चाहिए ताकि अधिकारियों से उत्तर मांगा जा सके जब अन्यायपूर्ण उत्तरदायित्व आदि विद्यमान हो, अथवा मुकदमा तक चलाया जा सकता हो।

खंड 39 विधेयक की पृष्ठ संख्या 16 पर एक अन्य खंड है जो प्राधिकरण के स्थान पर केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को लागू करने के बारे में है। मैं नहीं जानता कि क्या वास्तव में किसी भी स्तर पर प्रतिस्थापना की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि उपबंध अच्छी प्रकार से प्रस्तुत किया जाना चाहिए और प्रतिस्थापना के संबंध में कुछ सुरक्षा होनी चाहिए। यदि यह नहीं किया गया, मैं समझता हूं, अनेक पहलूओं में परिवर्तन करना जैसे राजनैतिक अथवा अन्यथा, आवश्यक होगा और जहां तक प्राधिकरण के कार्यकरण का संबंध है यह किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न करेगा। खंड 39 इस प्रकार है :

"यदि, किसी भी समय, केन्द्रीय सरकार का यह मत हो (क) कि विकट आपातस्थिति के कारण प्राधिकरण इस अधिनियम के उपबंधों के अथवा इसके द्वारा निश्चित किए गए कार्य और दायित्व का निर्वाह करने में असमर्थ है; अथवा"

यह ठीक है

"(ख) कि इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी भी दिशानिर्देश का पालन करने में प्राधिकरण लगातार दोषी रहे हैं ....

कुछ सीमा तक यह भी सही है। लेकिन उपखंड (ग) में कहा गया है :

"(ग) कि ऐसी परिस्थितियों मौजूद है जो ऐसा लोकहित में करने के लिए आवश्यक बनाती है।"

यहां, निस्संदेह, 'लोकहित' अभिव्यक्ति कहा गया है। लेकिन, यह एक ऐसा खंड है जो राजनैतिक लाभ अथवा अन्यथा कारणों से अवसर आने पर दुरूपयोग किया जा सकता है। अतः प्राधिकरण के कार्यकरण में सरकार के हस्तक्षेप के बारे में कुछ प्रकार की रक्षा उपाय किए जाने चाहिए।

अन्य उपबंध है, जिसमें उल्लेख है कि अवसर पड़ने पर सरकार प्राधिकरण के दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप कर सकती है। यहां भी, सरकार की शक्तियों के संबंध में कुछ रक्षा उपाय किए जाने चाहिए। निस्संदेह, सरकार के पास शक्तियां होनी चाहिए, लेकिन ये सीमित होनी चाहिए।

अब, मैं कुछ अन्य पहलुओं के बारे में जो विधेयक से संबंधित है लेकिन विधेयक में स्पष्ट तौर पर अर्पित नहीं है के बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं। अनेक माननीय सदस्यों ने 'सुरक्षा' के बारे में उल्लेख किया है। जब नई विमानपत्तन प्राधिकरण की स्थापना की जाती है तो हवाई सुरक्षा उपायों के बारे में इसे अवश्य ही अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। मुझे एक विमानपत्तन पर जो वाणिज्यिक विमानपत्तन नहीं है, कुछ व्यक्तियों से बातचीत करने का अवसर मिला था। यह भारत में एक ऐसा हवाई अड्डा है जहां से विमान आते-जाते नहीं है। लेकिन कर्मचारीगण हवाई सुरक्षा उपायों के संबंध में काम करने के लिए तैनात रहते हैं। उन्हें अपनी सीटो पर बैठे रहना होता है और यह सुनिश्चित करना होता है कि हवाई पट्टी की निगरानी सही प्रकार से हो। वे इसकी निगरानी करते हैं और उन्हें संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक सूचना देनी होती है। यहां काम करने वाले कुछ व्यक्तियों से मुझे जानकारी मिली कि जो ऐसे हवाई अड्डों पर कार्यरत है कि उनकी वहां काम करने में बिल्कुल भी रूचि नहीं है क्योंकि वहां कोई प्रोत्साहन नहीं है और वास्तव में, अपेक्षित सीमा तक वहां कोई निरीक्षण नहीं होता। वहां ऐसे मामले भी है जैसाकि मेरे से पूर्व वक्ता एक पूर्वाधिकारी ने कहा है, जहां अन्य विमानों द्वारा हवाई सकरे मार्ग पर कब्जा कर लिया था, जिसका पता नहीं लगा था। इसकी अवश्य जांच की जानी चाहिए और जब ऐसा कोई नया अधिनियम लागू किया जाता है तो ऐसे अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कार्य सहित हवाई सुरक्षा उपायों पर निगरानी की जानी चाहिए। इसे अधिनियम के उपबंधों से संबंधित उपबंधों के बारे में उचित प्रकार से रखा जाना चाहिए।

दूसरा मुद्दा जिसे मैं श्री गुलाम नबी आजाद, नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री के ध्यान में लाना चाहता हूं, यह है कि पर्यटन और नागर विमानन एक दूसरे से जुड़े हुए है। अनेक माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही उल्लेख किया गया है कि हमारे यहां अनेक पर्यटन केन्द्र ऐसे हैं जहां हवाई पट्टी नहीं है और जहां हेलीकाप्टर उतरने के लिए हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है।

'ओपन स्काई' नीति लागू किए जाने के बाद अनेक विमान और अनेक गैर-सरकारी एजेन्सियां कार्य कर रही है। यदि हम कतिपय जिला केन्द्रों और पर्यटन केन्द्रों पर लघु विमानपत्तन बनाने में समर्थ होते हैं तो मुझे विश्वास है कि विमानों के लिए काफी व्यक्ति आगे आएंगे। यदि ऐसा हो जाए तो हम भारत में एक अति महत्वपूर्ण उद्योग, पर्यटन को समृद्ध कर सकता है। लोग केरल घूमने आते हैं। वे कहते है कि संपूर्ण केरल राज्य ही एक पर्यटन केन्द्र है। यह वहां की प्राकृतिक सौन्दर्यता के कारण है। लेकिन केरल के आंतरिक सौन्दर्यपूर्ण भागों में जाने हेतु विदेशी पर्यटकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। मैं सोचता हूं कि यही बात अन्य अनेक राज्यों पर भी लागू होती है। अतः, मेरी राय है कि मंत्री महोदय कृपया अनेक पर्यटन केन्द्रों और जिला केन्द्रों में लघु विमानपत्तन बनाने की संभावना की जांच कराये यदि जिला केन्द्रों को वायु सेवा से जोड़ा जाता

है तो मुझे विश्वास है, कि पर्यटन उद्योग के अलावा अन्य उद्योग अत्यंत लाभान्वित होगें।

केरल के बारे में अनेक बातें पहले ही कही जा चुकी है। त्रिवेन्द्रम हवाई अडडा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यह देश का पांचवां अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन है जिसकी इस प्रकार की घोषणा गत सरकार द्वारा की गई थी लेकिन यहां एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन की किसी प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं की गई। मुझे प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने पाया है कि यद्यपि त्रिवेन्द्रम को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन का दर्जा दिया गया है, केवल एक दर्जा ही प्रदान किया गया और कोई अन्य सुविधा जैसे हवाईपट्टी और विमानपत्तन के निर्माण हेतु धन संबंधित अन्य सुविधाएं प्रदान की गई। मैं मंत्री महोदय से भी आग्रह करूंगा कि वह त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन को उसके दर्जे के अनुकूल सुविधाएं प्रदान करें।

अन्त में, मैं कोचीन विमान पत्तन के संबंध में, मैं उन विचारों का भी समर्थन करता हूं जो मेरे राज्य के अनेक माननीय सदस्यों द्वाा अभिव्यक्त किए गए हैं। इस समय कोचीन विमानपत्तन में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन आस्तित्व में आ रहा है। लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। लेकिन कोचीन विमानपत्तन, जहां कुछ सुविधाएं है, का उचित रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय ने इस बात पर भी ध्यान दिया होगा। मैं समझता हूं कि एयरलाइनों द्वारा और अधिक केन्द्र जोड़े जा सकते हैं। हमारे यहां दिल्ली से कोचीन दैनिक उड़ाने थी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इनकी संख्या कम करके एक सप्ताह में छह उड़ाने कम कर दी गई हैं। इसे पुनः चालू किया जाए और सभी दिनों के लिए उड़ाने की जाएं। दिल्ली 11 बजे पहुंचने के लिए एक उड़ान शुरू करने पर भी विचार किया जाए।

[हिन्दी]

श्री अयूब खां (झुंझुनू) : मोहतरम चेयरमैन साहब, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। एक इतने डायनमिक मिनिस्टर साहब के होते हुए राजस्थान का इलाका एयर सर्विस से वंचित है। जब कि राजस्थान हिन्दुस्तान का वह इलाका है जहां 60 परसैंट टूरिस्ट जाते हैं। उसके बावजूद राजस्थान में सिर्फ तीन जगह एयर सर्विस है – जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। कितने ताज्जुब की बात है। राजस्थान में बहुत बड़ी तादाद में टूरिस्ट वहां पहुंचते है और क्यों टूरिस्ट वहां जाते हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी बड़ी आलीशान हवेलियां है,

वहां पर किले हैं, बावड़िया हैं, इतना बड़ा डेजर्ट है, जिसको देखने के लिए विदेशों से बड़ी संख्या में लोग वहां आते हैं। मेरे जिले झुंझुनू में एयर स्ट्रिप बना हुआ है, वहां पर बहुत पहले एयर सर्विस थी, परंतु मैं अपने डायनमिक मिनिस्टर साहब से कई दफा निवेदन कर चुका हूं, पहली टर्म में भी और अब यह मेरी दूसरी टर्म है, परंतु मेरे सुझाव की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। झुंझुनू में रानी सती का एक मंदिर है, जहां पर हजारो लोग प्रतिदिन दिल्ली से झुंझुनू जाते हैं, इतना वहां पर ट्रेफिक है, लेकिन फिर भी इसको हवाई मार्ग से नहीं जोड़ा गया है। टूरिजम की दृष्टि से राजस्थान सरकार ने झुंझुनू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, दिल्ली का एक

सर्किट मुकर्रर किया था, परंतु इस पर भी अभी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मेरी मंत्री महोदय से प्रार्थना है कि झुंझुनू को हवाई मार्ग से जोड़ जाए, तभी उस इलाके का विकास हो सकेगा। इसमे हम सब लोग सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार है, इससे जिला मुख्यालय में खुशहाली पैदा होगी।

मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि राजस्थान को नजर–अंदाज न किया जाए और जयपुर जो कि पिंक सिटी के नाम से मशहूर है और राजस्थान की राजधानी है, यहां के एयर पोर्ट को इंटरनेशनल एयर पोर्ट बनाने की मांग काफी दिनों से चली आ रही है। इसमे कुछ कमियां बताई गई थी कि एयर स्ट्रिप की लंबाई–चौड़ाई कम है। इसके लिए राजस्थान सरकार जमीन देने के लिए तैयार है, इसके लिए काम भी चल रहा है, लेकिन अभी तक जयपुर को इंटरनेशनल एयर पोर्ट घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से टूरिस्ट्स को यहां आने में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस और शीघ्र ध्यान दिया जाए तथा झुंझुनू को एयर सर्विस से जोड़ा जाए, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट मिल सकें।

[हिन्दी]

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : सभापति महोदय, हमारा देश बहुत बड़ा है और यहां पर बहुत से हवाई अडडे बनाने की आवश्यकता है। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री बहुत सक्रिय है और साथ–साथ इनके पास विभाग का सचिव भी नहीं है और न ही डायरेक्टर जनरल आफ सिविल एविएशन है। पता नहीं कितने घंटे मंत्री महोदय को काम करना होता होगा। मेरा कहना है कि इन पदों पर जल्दी ही लोगों को रखा जाए।

सभापति महोदय, जैसे–जैसे पर्यटन बढ़ेगा, वैसे वैसे हवाई अड्डों की संख्या में वृद्धि होगी। आज विश्व में सबसे अधिक पर्यटक स्कीइंग (बर्फ में फिसलन के खेल) के लिए जाता है, 300 मिलियन टूरिस्ट में से 170 मिलियन टूरिस्ट स्कीइंग में जाता है। हमारे देश में भी अच्छे स्कीइंग सेंटर हैं, पर उनको विकसित नहीं किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में बहुत अच्छे स्कीइंग सेंटर्स डेवलप किए जा सकते हैं। इसी तरह से डेजर्ट टूरिस्ट है तथा वाटर स्कीइंग टूरिस्ट है। केरल, राजस्थान तथा हिमाचल प्रदेश में इन सेंटर्स को डेवलप करने की आवश्यकता है।

जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, इतना बड़ा प्रदेश है, जिसको भारत का हृदय कहते हैं, वहां पर रायपुर हवाई अड्डे की हालत बहुत खराब है। वहां पर लेडिंग इंस्ट्रूमेंटस नहीं है, जिसकी वजह से हर महीने 3-4 हवाई जहाज वहां पर नहीं उतर पाते। इसी तरह से एक के बाद दूसरा जहाज खड़ा करने की जगह भी वहां पर नहीं है, इसलिए वहां पर एप्रेन को भी बढ़ाने की आवश्यकता है, लांच (बैठक कक्ष को) बढ़ाने की आवश्यकता है। लेडिंग इंस्ट्रूमेट की भी वहां पर व्यवस्था की जाए।

हिन्दुस्तान को सबसे बड़ा जिला बस्तर है, लेकिन न तो वहां पर रेल है और न ही उसको

हवाई मार्ग से जोड़ा गया है। बस तक वहां पर जा नहीं सकती, क्योंकि सारे पुल टूटे हुए हैं। अंग्रेजों के जमाने में वहां पर सबसे बड़ा हवाई अड्डा था और जब बर्मा पर बम फेंकने के लिए ब्रिटिश हवाई जहाज जाते थे तो कहा जाता था कि ब्रिटिश बांबर्स गोइंग फ्राम बस्तर (बर्मा पर बम गिराने वाले ब्रिटेन के विमान बस्तर से आते हैं) बस्तर इतना बड़ा हवाई अडडा है। मैं मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि बस्तर और बिलासपुर के हवाई अड्डों को चालू करें। साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंटस की व्यवस्था हो।

[अनुवाद]

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, मैं दो मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा। कृपया मुझे केवल दो मुद्दों का उल्लेख करने की अनुमति दें।

सभापति महोदय : आपका नाम पुकारा गया था फिर भी आप कृपया बहुत संक्षेप में बोले।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझ से पूर्व बोलने वाले विद्वान सदस्यों ने इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों की खूबियों पर काफी कुछ कहा है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता।

राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनो विमानपत्तन प्राधिकरणों का एकीकरण अथवा विलय जन तथा सामग्री दोनों के बेहतर प्रबंधन की दृष्टि से अनेक प्रकार से फायदेमंद रहेगा। यहां, मैं केवल दो टिप्पणियां करना चाहूंगा। पहला, विमान टैक्सी संचालन का बहुत तेजी से विकास हुआ है। मैं तो कहता हूं कि यह असाधारण है वर्ष 1990 में मात्र चार आपरेशनों तथा छः विमानों से 1993 में ये बढ़कर 17 आपेरशन तथा 45 विमान हो गए और विमान टैक्सी यातायात में वृद्धि एक प्रतिशत से 21 प्रतिशत तक हो गई।

सभापति महोदय : अन्य सदस्य यह सब उल्लेख कर चुके हैं। आपको दोहराना नहीं चाहिए।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : लेकिन दूसरी और, इंडियन एयरलाइंस में वायुमार्ग यातायात में वृद्धि बहुत कम हुई है। मुझे यहां पर यह कहते हुए अफसोस होता है कि विकास को समुचित प्रोत्साहन नहीं मिलता। मैं आवश्यक आकड़ों से इस धारणा को साबित कर सकता हूं। लेकिन समय न होने के कारण मैं सभी मुद्दे नहीं उठाना चाहता। मेरा यही अनुरोध है कि माननीय मंत्री विदेशों में इससे संबंधित होने वाले कार्य और हमारे पड़ौसी देशों के कार्य निष्पादन से संबंधित तुलनात्मक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए इस पहलू पर गौर करे।

मैं अब अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को लेता हूं। मैं माननीय मंत्री का ध्यान झरसीगुडा हवाई पट्टी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। झरसीगुडा एक बहुत अच्छी हवाई पट्टी जो कि द्वितीय विश्व युद्ध के दिनों से विद्यमान है। रखरखाव के अभाव के कारण अब इसे छोड़ दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय इसे बंद करने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि झरसीगुडा पश्चिम उड़ीसा का प्रदेश द्वार है जिसके तहत दस राजस्व जिले आते हैं। यह एक औद्योगिक परिसर का केन्द्र भी है। कोयला क्षेत्र, कागज की मिलें तथा राउरकेला

इस्पात संयंत्र भी बहुत ही नजदीक स्थित है और अगर इस हवाई पट्टी का उचित विकास तथा रखरखाव किया जाए तो यह सब के काम आ सकती है।

कुछ महीने पूर्व मैंने महानदी कोयला क्षेत्र प्राधिकरण से अनुरोध किया था कि इस हवाई पटटी का कुछ मरम्मत कार्य करे। वे इस प्रस्ताव से सहमत हो गये हैं। उनके मुख्य अभियंता मेरे साथ आए और हवाई पटटी का निरीक्षण किया। वे 40 लाख रूपये इस हवाई पटटी पर व्यय करने के लिए तैयार है, यह हवाई पटटी उनके कोयला क्षेत्रों से बहुत ही निकट है। इसके अतिरिक्त अन्य औद्योगिक घराने जैसे टाटा, बिरला, और कई कार्य अन्य है। ब्रजराजनगर की ऑरिएंट पेपर मिलस् तथा राउरकेला इस्पात संयंत्र भी बहुत नजदीक है। अगर इस हवाई पटटी को समुचित रूप से कार्य करने लायक बना दिया जाए तो इन सभी औद्योगिक इकाईयों को लाभ होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस पर पुनः विचार करें और मामले पर पुनर्विचार करें। यह हवाई पटटी पश्चिम उड़ीसा के पिछडे क्षेत्र में स्थित है जहां पर अब धीरे–धीरे उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं। यहां पर काफी क्षमता है और यहां तक कि वित्तीय सहायता भी औद्यागिक घरानों से मिल जाएगी। अतः मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार करे और उनसे आग्रह करता हूं कि इस हवाई पट्टी को बंद न करें। इसकी बजाय वे इसकी आवश्यक मरम्मत करें ताकि इसे चालू किया जा सके। इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली–भुवनेश्वर उड़ान को झरसीगुडा में भी रूकने की व्यवस्था करें।

मेरा अंतिम अनुरोध दिल्ली से भुवनेश्वर के लिए दैनिक उड़ान की अत्यधिक आवश्यकता से संबंधित है। मेरे मित्र डा. पात्र ने उड़ीसा में हमारे द्वारा महसूस की जा रही कठिनाइयों का उल्लेख किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भुवनेश्वर उड़ीसा की राजधानी होने के नाते तथा पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यहां के लिए सप्ताह में केवल छः दिन के लिए उड़ान है मुझे यह बताते हुए अत्यंत खेद है जबकि संसद सदस्यों ने भी एक उड़ान की अत्यधिक मांग की है ताकि वे अगले दिन अपना कार्य करने के लिए दिल्ली जा सके। मैं अनुरोध करता हूं कि यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं कि दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच उड़ान नियमित रूप से सप्ताह के सभी सातों दिन हो।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं पुनः माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह खुले दिमाग से झरसीगुडा हवाई पट्टी पर पुनः विचार करें। मैं अपना भाषण समाप्त करते हुए माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह दिल्ली और भुवनेश्वर के बीच प्रतिदिन उड़ानों की व्यवस्था करें।

सभापति महोदय : अब चर्चा समाप्त होती है।।

श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार) : मैं मंत्री महोदय से एक सामान्य अनुरोध करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट में अपनी बात कह कर समाप्त करें।

श्री के. एच. मुनियप्पा : सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका ध्यान करता हूं। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कर्नाटक में मेरे जिले कोलार में बहुत बड़ा हवाई अड्डा है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के समय निर्मित किया गया था। यह हवाई अडडा पांच सौ एकड़ भूमि पर बना हुआ है। यह बहुत बड़ा हवाई अड्डा है और यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अडडे के रूप में कार्य कर सकता है। यह दक्षिण राज्यों कें मध्य में स्थित है। मैं अब तक पहले ही माननीय मंत्री से अनुरोध कर चुका हूं और उन्हें एक ज्ञापन भी दे चुका हूं कि कम से कम इसे सामान लाने ले जाने वाले (कारगो) हवाई अड्डे में परिवर्तन करे दें और मैं इस बारे में रक्षा मंत्री से भी पहले ही अनुरोध कर चुका हूं। यह हवाई अड्डा रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है और मैंने माननीय मंत्री से अनुरोध किया था कि वह इसका दौरा करें ताकि इसे यथा शीघ्र कारगो हवाई अड्डे में परिवर्तित किया जा सके।

नागर विमानन तथा पर्यटन मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : सर्वप्रथम मैं यहां पर अनुपस्थित विपक्षी सदस्यों सहित माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिनमें से कुछ सदस्य इस विशेष विषय पर बोले। महोदय, इस विषय में गहन रूचि लेने के लिए मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं इस विषय पर मैं अपने भाषण के अन्त में बोलूगा। मैंने पूरे आदर और ध्यानपूर्वक माननीय सदस्यों की टिप्पणियों तथा विचारों को सुना है। मेरे विचार से इस विधेयक के बारे में विपक्षी सदस्यों ने कहा था कि इसने बहुत समय लिया है, अगर वे यहां होते तो मैं आज उन्हें बताता कि हां, इसने केबीनेट से पुरःस्थापना चरण, पुरःस्थापना से समिति को प्रेषित करने और वापस संसद में पेश करने के दौरान कुछ समय लिया है। लेकिन संसद के प्रंति उनके रवैये के कारण भी इसे आठ दिन लग गए जब हम संसद की कार्यवाही नहीं चला सके और अब आठ दिन के बाद हम इस विधेयक को पारित कर रहे हैं।

महोदय, जैसा कि मैने कहा पिछले सात–आठ दिन से हम तथा माननीय सदस्य विभिन्न अवसरों पर इस विधेयक पर चर्चा करते रहे हैं और मैनें माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए मुद्दों को नोट कर लिया है लेकिन इसके साथ ही मुझे भय है कि मेरे लिए यह संभव न हो कि मैं माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रत्येक मुद्दे का उत्तर दूं। फिर भी मैं उन सभी महत्वपूर्ण हवाई अड्डों की बात करूंगा जिनका जिक्र किया गया है और माननीय सदस्यों ने जिन बाकी हवाई अड्डों का उल्लेख किया है उनके बारे में मैं निश्चित रूप से उन्हें लिखूंगा।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में हवाई अड्डे का निर्माण करना कठिन है। अगर यह कार्य खेल का मैदान तैयार करने जैसा होता तो मैं निश्चित रूप से इसे कर देता। वास्तव में यह खेल का मैदान नहीं है। यह हवाई अड्डा के निर्माण का कार्य जिसकी लागत कुछ करोड़ रूपये नहीं बल्कि सैंकड़ों करोड़ रूपये है और प्रत्येक जिले या निर्वाचन क्षेत्र मे इसका निर्माण करना बहुत मुश्किल है। हमें दूरी की अहर्ता के अनुसार चलना होगा तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास उपलब्ध धनराशि को भी ध्यान में रखना होगा।

हवाई अड्डो, विमान–संचालन तथा वायु यातायात प्रबन्ध सेवाओं के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किये गये हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे कि आठवीं योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय विभानपत्तन प्राधिकरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लिए 1566 करोड़ रूपये के संयुक्त निवेश का प्रावधान किया गया है। जो पिछले 40 वर्षो के मुकाबले चार या पांच गुणा अधिक है।

मुम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों पर वायु यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 352 करोड़ रूपये की लागत से एक व्यापक 'टर्न की' परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना के अन्तर्गत स्टेट–आफ–आर्ट राडारों, विमान–संचालन में सहायक यंत्र, यांत्रिक अवतरण प्रणालियों को स्थापित किया जायेगा और वायु यातायात नियंत्रण प्रणालियों में स्वचालन की शुरूआत की जायेगी। सभापति महोदय, यह प्रश्न अन्य कुछ माननीय सदस्यों के साथ–साथ आपने भी उठाया था। अतः, पहली बार हम इस पर अच्छी प्रकार से ध्यान दे रहे हैं। यह परियोजना अक्तूबर, 1995 तक पूरी की जानी है। इससे यातायात को संभालने में इन दो हवाई अड्डों की क्षमता काफी बढ़ जायेगी और इसके परिणामस्वरूप एयरलाइनों के ईंधन और समय की काफी बचत होगी।

जहां तक अन्य हवाई अड्डों का सम्बन्ध है कलकत्ता और मद्रास में वायु यातायात सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए सम्भाव्यता अध्ययन पूरे हो चुके हैं। जबकि विस्तृत योजना का काम प्रगति पर है, आधुनिक विमानपत्तन–निगरानी–राडारों और मोनोफल्स गौण निगरानी राडारों की आपूर्ति के लिए आशय–पत्र जारी किये जा चुके हैं।

कलकत्ता और मद्रास में राडार टावरों पर निर्माण कार्य जारी है। लगभग 19 करोड़ रूपये की लागत पर एक नये तकनीकी ब्लॉक और नियंत्रण टार्वर के निर्माण का अनुमोदन किया गया है।

104 करोड़ रूपये की लागत पर त्रिवेन्द्रम, हैदराबाद, गुवाहाटी, तथा अहमदाबाद में हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा निगरानी–राडारों तथा मोनोपल्स–गौण–निगरानी राडारों की आपूर्ति तथा उन्हें लगाने के लिए एक अन्य परियोजना शुरू की गई है। इन राडारों की स्थापना से इन हवाई अड्डों पर हवाई सुरक्षा बढ़ जायेगी।

बहुत से हवाई अड्डों पर 28 अत्यधिक हाई फ्रीक्वेंसी औमनि रेंज उपकरणों की प्राप्ति के लिए आदेश जारी किये गये हैं। इसके अलावा 21 दूरी मापने वाले क्षमता वाले उपकरणों के लिए भी आदेश दिये गये हैं। विभिन्न हवाई अड्डों पर 13 यांत्रिक अवतरण प्रणालियों की आपूर्ति और स्थापना के लिए आदेश दे दिया गया है। इन उपकरणों की कुल लागत लगभग 60 करोड़ रूपये है। इन उपकरणों की स्थापना से वायु संचालन क्षमतायें बढ़ जायेंगी, जैसा कि महानिदेशक नागरिक उड्डयन पंचाट के अन्तर्गत सिफारिश की गई है।

महोदय, इसके अलावा, विमानों के संचालन तथा यात्रियों को संभालने के लिए 12 हवाई अड्डों को आधुनिक सुविधाओं सहित मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह हवाई

अड्डे भुवनेश्वर, कालीकट, कोयम्बटूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंफाल, इंदौर, जयपुर, लखनऊ, नागपुर, पटना तथा बडौदरा में हैं।

इन हवाई अड्डों पर सुरक्षा–जांच क्षेत्र को वातानुकूलित किया जायेगा और भविष्य में संपूर्ण टर्मिनल इमारत को वातानुकूलित करने की व्यवस्था होगी।

इन मॉडल हवाई अड्डों पर आप्रवास तथा सीमा शुल्क संबंधी सुविधायें और कर मुक्त दुकानें शुरू करने की भी व्यवस्था होगी। अगर इन हवाई अड्डों पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो जायें तो इन सुविधाओं का उपयोग हो सकता है। अभी हाल ही में – पिछले 3-4 वर्षों में हमने इस देश में पर्यटक हवाई चार्टर सेवा शुरू की थी और मुझे यह अवश्य कहना चाहिये कि वे हमारे देश में बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही हैं। यह विशेष सेवा वर्ष 1991 में मुश्किल से एक विमान जो हमें मिला था, के साथ शुरू की गई थी। अगले वर्ष यह संख्या बढ़कर लगभग 220 हो गयी और पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 600 तक पहुंच गई। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस वर्ष पहले छह महीनों में विभिन्न हवाई अड्डों पर लगभग छह सौ के लगभग हवाई चार्टर की बुकिंग हुई और मुझे विश्वास है कि इस वर्ष के अन्त तक यह संख्या बढ़ कर 1000 हो जायेगी। अतः मूल उद्देश्य यह है कि अगर ये एयर चार्टर विमान अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अलावा किसी अन्य हवाई अड्डे पर उतरना चाहें तो वहां हमारे पास आप्रवास औरा सीमाशुल्क संबंधी सुविधायें होनी चाहिये। अतः, मुझे विश्वास है कि जैसा कि श्री अयूब खान और अन्य साथियों ने कहा है, इससे पर्यटन के विकास में मदद मिलेगी। मेरी उनसे केवल एक विषय पर सहमति नहीं है। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि पर्यटकों के लिए राजस्थान अभी भी चुनिदां स्थान है। लेकिन जहां तक राजस्थान का सम्बन्ध है, अस्सी प्रतिशत विदेशी पर्यटक हवाई यात्रा के बजाय सड़क यात्रा को प्राथमिकता देते हैं। अतः, मेरा विचार है कि हमें हवाई सेवाओं के बजाय और अधिक सड़कों, अच्छी सड़कों के लिए कहना चाहिये क्योंकि रेगिस्तान तथा अन्य ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा करते समय यात्री हवाई यात्रा नहीं बल्कि सड़क यात्रा करना ज्यादा पंसद करते हैं।

मार्डेल विमानपत्तन परियोजनायें वर्ष 1995-96 तक पूरी कर ली जायेंगी। मुम्बई हवाई अड्डे पर अनुमानित 80 करोड़ रूपये की लागत से अंतर्राष्ट्रीय यात्री टर्मिनल कॉम्पलेक्स फेज–3 पर निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। यह काम अक्तूबर, 1996 तक पूरा हो जाने की आशा है। इससे वार्षिक 2.5 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के आवागमन की अतिरिक्त क्षमता बढ़ जायेगी। सभी अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अतिरिक्त यात्री सुविधायें भी प्रदान की गई हैं।

जहां तक तिरूपति का संबंध है, वहां बोइंग 737 जैसे विमानों के संचालन के लिए हवाई पट्टी को उपर्युक्त बनाने के लिए उसके विस्तार का काम शुरू किया जा चुका है। 5 करोड़ रूपये की लागत वाला यह काम चालू वर्ष के अन्त तक पूरा कर लिया जायेगा। नई टर्मिनल इमारत, हवाई पट्टी का विस्तार और वायु संचालन सहायता की व्यवस्था सहित तिरूपति हवाई अड्डे के संपूर्ण विकास पर लगभग 12 करोड़ रूपये की लागत को राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

और तिरूमाला तिरूपति देवस्थानम् वहन करेंगे।

जहां तक बंगलौर हवाई अड्डे का संबंध है, सामान्य रूप से कर्नाटक के और विशेष रूप से बंगलौर में मेरे मित्रों के फायदें के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अन्य हवाई अड्डा विकसित करने के लिए कर्नाटक सरकार को अभी हाल ही में अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिया है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहूंगा, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा क्योंकि जब तक वहां कुछ नहीं होता हम किसी हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित नहीं कर सकते। इस पर केवल बाद में ही, जब वह इस योग्य हो जायेगा, विचार किया जा सकता है और तभी इस बात पर विचार किया जा सकता है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया जाये अथवा नहीं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि हमने सरकारी और निजी सहभागिता के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हवाई अड्डे के लिए ही अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया है। यह विमान पत्तन या तो राज्य सरकार के स्वामित्व में होगा, अथवा संयुक्त स्वामित्व में होगा यह निर्णय राज्य सरकार को लेना होगा कि वे सरकारी क्षेत्र अथवा निजी क्षेत्र की भागेदारी के सम्बन्ध में किस तरह का समझौता करना चाहते हैं। तथापि, हवाई यातायात नियन्त्रण तथा संचार सुविधायें जैसी व्यवस्थापन सुविधायें विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध करवाई जायेंगी।

जहां तक बैंगलोर के वर्तमान विमानपत्तन का प्रश्न है, यहां पर टर्मिनल ईमारत का विस्तार तथा इसमें परिवर्तन करने तथा यात्रियों को और सुविधाएं प्रदान करने का कार्य आरम्भ हो चुका है। जिस पर 100 लाख रूपए की लागत आयेगी। इस कार्य के मार्च, 1995 तक पूरा होने की संभावना है।

बैंगलोर में वर्तमान टर्मिनल ईमारत के साथ नए समेकित ब्लाक के डिजाइन बनाने का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है। इस कार्य पर 14 करोड़ रूपये की लागत आने की आशा है तथा इसके लिए किसी भी समय निविदायें आमंत्रित की जा सकती है। स्थान की कमी के कारण यह हो गया है कि दो मंजिली ईमारत का निर्माण किया जाये जहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने पहली मंजिल से हो। इसके लिए वायुयान पुलों के निर्माण की आवश्यकता होगी। इसलिए, दो वायुयान पुलो के लिए प्रावधान किया गया है। वायुयानों को खड़ा करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध करवाने के लिए ऐप्रन का विस्तार करने की योजना है। इस काम का ठेके देने के पश्चात इसे पूरा होने में कम से कम दो वर्ष का समय लगेगा।

जहां तक मैंगलोर विमान पत्तन का संबंध है नागर विमानन मंत्रालय के साथ हाल ही में हुई बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री महोदय तथा राज्य सरकार के प्राधिकारियों ने समुद्र के तट पर निजी क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की भागेदारी से हवाई अडडा बनवाने के पक्ष में विचार प्रकट किया है। इस पर नागर विमानन मंत्रालय ने सहमति दे दी है तथा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' भी जारी कर दिया है।

जहां तक मैंगलोर विमान पत्तन की वर्तमान स्थिति का प्रश्न है। मैंगलोर को 'टेबल टाक एयरफील्ड' कहा जा सकता है। इस विमान पत्तन के और विस्तार की संभावना नहीं रहेगी। तथापि अत्याधुनिक लैंडिग प्रणाली उपकरण यहां लगाये जा रहे है तथा इस प्रणाली के मई, 1995 तक चालू हो जाने की आशा है।

जहां तक सामान्य रूप से केरल तथा कोचीन कालीकट तथा त्रिवेन्द्रम का संबंध है मैं केरल के माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जो कि इस संबंध में सदन के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी चर्चाओं में गहरी रूचि लेते है।

जहां तक विमान पत्तनों के विस्तार का संबंध है, मैं उन कुछ विमान पत्तनों का उल्लेख करना चाहूंगा जिन पर विचार हो रहा है। जहां तक कालीकट विमान पत्तन का संबंध है। हवाई पटटी का विस्तार 9000 फीट तक करने की योजना है। हवाई पटटी में विस्तार होने से साथ ए-320 तथा ए-300 हवाई जहाज लोड पैनल्टी के बिना चल सकेंगे। इस समय हम ए-320 हवाई जहाज चला रहे हैं परंतु यह केवल लोड पैनल्टी के साथ ही संभव हो पाता है। लोड पैनल्टी के बिना हम हवाई सेवायें नहीं चला सकते। इसलिए, इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

हवाई सुरक्षा में बढ़ोतरी होगी। हवाई पट्टी के पास एक पहाडी है जिसमें ग्रेनाइट बहुत अधिक है जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने अपने भाषण के दौरान किया है। पहले यह आशा की जा रही थी कि इसे हटाया जा सकता है परंतु अब यह बात सामने आई है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। मैं माननीय सदस्य की इन भावनाओं से सहमत हूं कि हमारे इंजीनियरों को राज्य सरकार के साथ चर्चा करने से पहले इस बात का अन्दाजा होना चाहिए था। परंतु, दुर्भाग्यवश वे इस ओर पहले ध्यान नहीं दे पाये। परंतु मैंने पहले ही इस बात की जांच करने के आदेश दे दिए हैं कि इस पहलू पर पहले विचार क्यों नहीं किया गया तथा इसका अंदाजा पहले क्यों नहीं लगाया जा सका। विस्तार के पश्चात महत्वपूर्ण पहलू यह होगा कि जैसे कि मैंने कहा है, लोड पैनल्टी .... **(व्यवधान)**

श्री ई. अहमद (मंजेरी) : तो अब क्या किया जायेगा?

श्री गुलाम नबी आजाद : इस समय कार्य जारी रखना संभव नहीं। हमें भी चट्टान वाली दिशा की बजाय दूसरी दिशा में विमान पत्तन का विस्तार करना पड़ेगा। हमने यह चर्चा भी की थी कि क्या चटटान का उड़ाया जा सकता है। अन्यथा भी हमें पहाड़ी को उड़ाना पड़ेगा। परंतु क्योंकि यह ग्रेनाइट की पहाड़ी है, इसलिए इसे तोड़ना कठिन होगा, विस्फोट से केवल पहाडी ही नहीं टूटेगी बल्कि विस्फोट के पश्चात् जो पत्थरों के टुकड़े उड़ेगे वे वर्तमान टर्मिनल ईमारत हवाई पट्टी तथा नजदीक के घरों को भी नष्ट कर देंगे। इसलिए, सरकार के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना कठिन है। इस स्थिति में मैं केवल इतना कह सकता हूं कि हम हवाई पट्टी के पहाडी की दिशा में विस्तार की बजाय दूसरी दिशा में विस्तार के लिए काम करने पर विचार कर रहे है। मैं इस पहलू पर बिना विचार किए इस समय अधिक नहीं कह सकता क्योंकि कल आप मुझ पर आरोप लगा सकते है। परंतु मुझे यह बताया गया है कि अनुमान इससे भी कम हो सकता

है।

जहां तक वर्तमान स्थिति का प्रश्न है। इस 6000 फीट की हवाई पट्टी से ए-320 वायुयानों उड़ानें भरते हैं। लौड पैनल्टी भी है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, अत्याधुनिक लैंडिंग प्रणाली उपकरण वहां लगाये जा रहे है तथा दो महीने पश्चात् अर्थात् अक्तूबर महीने के अंत तक यह प्रणाली संभवतः कार्य करना शुरू कर देगी।

4.00 म.प.

इस प्रकार से कालीकट से मेरे दो मित्रों के लिए सांत्वना की बात है। इसके अतिरिक्त वी. ओ. आर. भी लगाये जा रहे हैं तथा संभव है कि वे जून, 1995 तक कार्य करना आरंभ कर देंगे? खैर, जहां तक कालीकट का प्रश्न है, हमने इस ओर ध्यान दिया है। त्रिवेन्द्रम तथा कोचीन के लोगों की शिकायत को मैं समझ सकता हूं परंतु मेरे विचार में बातचीत से मेरे मित्रों को संताप करने का कोई कारण नहीं हैं। पिछले वर्ष हमने कालीकट से खाड़ी देशों के लिए 12 उड़ानें आरंभ की है। इसलिए, इस समय प्रति सप्ताह कुल 19 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चल रही हैं तथा 12 उड़ानें संयुक्त उद्यम के अंतर्गत चलाई जा रही है। तथा ये 12 उड़ानें कालीकट से खाड़ी देश के विभिन्न भागों को चलती है।

कुछ माननीय सदस्यों ने यह बात भी कही थी कि उन्हें आशा है कि अंतर्राष्ट्रीय हवाई कंपनियों भी कालीकट से तथा कालीकट के लिए उड़ानें चलायेगी। महोदय, वर्तमान नीति यह है कि हम किसी विदेशी एयरलाइन को घरेलू हवाई अड्डे से उड़ानों की अनुमति नहीं दे रहे हैं। हमने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक सीमित रखा है। इसलिए, जिस तरह की हमारी हवाई पट्टियों तथा लैंडिंग की समस्याएं हैं, उन्हें देखते हुए ऐसा करना संभव नहीं। मेरे विचार में इस समय हम किसी विदेशी एयर लाइन को उड़ानों की अनुमति नहीं दे सकते। जब आवश्यकता होगी हम कालीकट से इंडियन एयरलाइन्स की उड़ानों की संख्या में वृद्धि करने पर विचार कर सकते हैं। जहां तक कोचीन का प्रश्न है, महोदय, राज्य सरकार ने एक नई हवाई पटटी बनाने की योजना बनाई है। केरल के मुख्य मंत्री श्री के. करूणाकरण को मैं बधाई देना चाहूंगा जिन्होनें कोचीन, कालीकट तथा दम–दम हवाई अड्डों के विकास में गहरी रूचि ली तथा हम स्वयं हवाई जहाज द्वारा केरल से इस स्थान पर गये। एक वरिष्ठ व्यक्ति होते हुए यह उनकी कृपा रही तथा इस हवाई अड्डे को विकसित करने के लिए हमने कई बैठकें की। राज्य सरकार ने समुद्र तट के नजदीक एक हवाई पट्टी के निर्माणा की योजना बनाई है जहां से 747 जुम्बो एयर उड़ान भर सकेंगे। भूमि अधिगृहीत की जा चुकी है, इसके लिए समस्त राशि सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की भागेदारी से जुटाई जायेगी। मैं केरल राज्य सरकार, आयोजकों, संसद सदस्यों तथा खाड़ी देशों के निजी भागीदारों को बधाई देता हूं जो इस में योगदान दे रहे हैं। अन्तिम चरण पर आ कर निविदायें रोक ली गई थी क्योंकि अभी भी जल सेना के साथ हमारी कुछ बातचीत चल रही है क्योंकि वास्तव में यह हवाई पट्टी जल सेना की है। इसलिए राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार दोनों ही जल सेना से विचार–विमर्श कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि वे जल सेना को राजी कर

लेंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो हम कार्य आरम्भ कर सकेंगे। जहां तक कोचीन की वर्तमान स्थिति का प्रश्न है, हवाई पट्टी का कोई भी विस्तार संभव नहीं है। यह केवल बाईगं 737 की उड़ानों के अनुकूल है। हमने अत्याधुनिक वी.ओ.आर लैंडिंग प्रणाली उपकरण लगाने की योजना बनाई है तथा अगले वर्ष अप्रैल महीने तक इस प्रणाली के चालू हो जाने की संभावना है।

मैंने पहले ही कहा है कि मैं बड़े हवाई जहाजों की बात कर रहा हूं। परन्तु माननीय सदस्य विमान पत्तनों की चर्चा कर रहे हैं।

श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरूनेलवेली) : विमानपत्तन कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री गुलाम नबी आजाद : विमान पत्तन भिन्न है। विमान पत्तन तैयार होते ही राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कार्य समाप्त हो जाता है। तत्पश्चात् यह इण्डियन एयरलाईन्स अथवा निजी एयरलाइन्स का कार्य है कि वहां से वे कोई भी हवाई जहाज चलाये। ये एक बिल्कुल अलग विषय है।

जहां तक त्रिवेन्द्रम की स्थिति का प्रश्न है। इस परियोजना को चरण बद्ध तरीके से लिया जा रहा है। वर्तमान टर्मिनल में आन्तरिक परिवर्तन तथा इसे वातानुकूलित करने का कार्य प्रगति पर है।

इस पर लगभग 170 लाख रूपए लागत आयेगी। विद्युत की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 175 लाख रूपए की लागत से एक बिजली घर के निर्माण पर भी कार्य चल रहा है। यह कार्य 18 महीने में पूरा हो जायेगा।

एयरसाइड विस्तार की 2000 लाख रू० लागत की एक महत्वपूर्ण परियोजना पर भी विचार हो रहा है। ऐप्रन तथा टर्मिनल ईमारत का विस्तार इसमें शामिल है। एअरों पुल बनाने की भी योजना बनाई जा रही है। विमान कंपनियां जब भी इसकी आवश्यकता अनुभव करेंगी उन्हें यह उपलब्ध कराया जाएगा। यह परियोजना 1997 तक पूरी हो जाएगी। 150 लाख रूपये की लागत से शहर के बाहर विस्तार की छोटी परियोजना की भी योजना बनाई जा रही है।

केरल सरकार ने रनवे के विस्तार के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली है और यह सितम्बर, 1994 तक हमें सौंप दिया जाएगा। जबकि इस समय संचलानात्मक अर्थक्षमता रनवे के विस्तार के पक्ष में नहीं है क्योंकि एयर इंडिया के अतिरिक्त अन्य किसी भी विमान कंपनी ने बोईगं 77 विमान चलाने में रूचि नहीं दिखाई है। रनवे विस्तार संबंधी इस परियोजना के क्रियान्वयन की अर्थक्षमता का अध्ययन किया जाएगा और यदि यह अर्थक्षम पाया गया तो इसे 1997 तक पूरा कर लिया जाएगा।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने आधुनिकतम आर्ट प्रौद्योगिकी राडार लगाया है जिसे शीघ्र ही प्रारंभ किया जा रहा है। इस उपस्कर की लागत लगभग 28 करोड़ रूपये है।

नागर विमानपत्तन के बारे में मैंने पहले ही कहा है कि यह एक माडल विमानपत्तन है। हमने इसकी नींव रख दी है। टर्मिनल भवन बनाया जा रहा है।

इस समय जबलपुर का हवाई अड्डा एवरो क़िस्म के विमानों के संचालन के लिए उपयुक्त है।

राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने इस विमानपत्तन को जेट विमान के संचालन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए विकास की योजना बनाई है। इसमें प्रमुख कार्य 4500 फुट से 7000 फुट तक के रनवे का विस्तार करना है जिसके लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को 4 करोड़ रूपये दिए गए हैं।

नागर विमानन मंत्रालय के अनुरोध पर मध्य प्रदेश सरकार ने फरवरी, 1993 में 37 एकड़ भूमि निशुल्क प्रदान की है। उस भूमि का सर्वेक्षण करने के बाद पता चला कि लगभग 5.6 लाख क्यूसिक मीटर की भूमि को भरना आवश्यक था। अग्रेतर पता चला कि इस उद्देश्य के लिए 12 कि.मी. दूरी से मिटटी लानी पड़ेगी क्योंकि स्थानीय भूमि कपास के लिए काली भूमि है जो इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं है।

इस भूमि पर कार्य करने की लागत 5.56 करोड़ रूपये आंकी गई थी जो राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की योजना में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। चूंकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास इस परियोजना को पूरा करने के लिए अतिरिक्त संसाधन नहीं है इसलिए उसने मध्य प्रदेश सरकार से यह अनुरोध किया कि वह इस अतिरिक्त लागत को वहन करे ताकि यह कार्य किया जा सके। तथापि मध्य प्रदेश सरकार इसकी लागत का वहन नहीं कर पाई थी और इसलिए अभी कुछ समय के लिए राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को इस परियोजना को लंबित रखना पड़ा। इसलिए मैं माननीय सदस्यों की उनके निर्वाचन क्षेत्र के प्रति चिंता को महसूस करता हूं। इसमें काफी संभावनाएं हैं। निर्वाचन क्षेत्रों तथा एक स्थान विशेष होने के अतिरिक्त मध्य प्रदेश हमारे देश में सबसे बड़ा प्रदेश है मेरे विचार से राज्य तथा केन्द्र सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विमानपत्तन के पूर्ण विकास के लिए 17.5 करोड़ रूपये की आवश्यकता है और आठवीं योजना में इसके लिए केवल 4 करोड़ रूपये दिए गए हैं। इसलिए मेरे विचार से हमें राज्य सरकार के साथ इस संबंध में और चर्चा करनी चाहिए ताकि हम 4 करोड़ रूपये से यह कार्य शुरू कर सकें और फिर हम इसे बीच में रोक देगें ताकि अगली योजना में इसके लिए अग्रेतर प्रावधान किया जा सके। जहां तक बंबई और दिल्ली विमानपत्तनों का संबंध है मैंने पहले ही कहा है कि इसके आधुनिकीकरण के लिए 352 करोड़ रूपये का निर्धारण किया गया है और कार्य चल रहा है। इसे आगामी दो वर्षों में पूरा कर लिया जाएगा।

महोदय, जहां तक उड़ानों की सुरक्षा के बारे में सभापति तथा माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त चिंता का संबंध है मैं उससे सहमत हूं। मेरे विचार से इस सुरक्षा का अत्यंत महत्व है। सुरक्षा की ओर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए और बेड़े के आकार के बारे में बाद में ध्यान देना चाहिए। मैं हजारो असुरक्षित विमानों के स्थान पर कम सुरक्षित विमानों को पसंद करता हूं।

अतः सभी संसद सदस्यों को विश्वास में लेते हुए तथा उनके द्वारा व्यक्त चिंता को देखते हुए मैं यह बताना चाहता हूं कि इस समय 17 संचालकों के पास एयर टैक्सी सर्विस चलाने का परमिट है। उन 17 संचालकों में से 10 संचालकों ने शेडयूल्ड वायु परिवहन सेवाएं शुरू करने के परमिट के लिए आवेदन किया था। इन 17 संचालकों के अतिरिक्त 22 एंजेसियों ने एयर टैक्सी आपरेटर बनने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है और इन 22 के अतिरिक्त 15 और एजेंसियों ने आवेदन पत्र भेजे हैं। इसका अर्थ है कि 17 जमा 22 जमा 15 संचालक है और यदि

मैं संख्या को देखू तो सैकड़ों विमान होंगे।

देश में वायु परिवहन सेवाएं बढ़ने से अनेक विमानपत्तनों जैस बंबई हवाई अडडे पर क्षमता का अभाव प्रतीत हो रहा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि घरेलू टर्मिनलों का संपूर्ण पार्किंग स्थान रात को भरा रहता है और कोई भी अतिरिक्त विमान खड़ा नहीं किया जा सकता है। बंबई और दिल्ली हवाई अडडों पर सुबह और शाम के सबसे व्यस्तम घंटों के दौरान भूमि पर कम जगह के अतिरिक्त वायु परिवहन नियंत्रण अतिरिक्त उड़ानों का संचालन नहीं कर पाता है। सीमित पार्किंग स्थान या टर्मिनल भवन में सीमित क्षमता, कनवेयर बेल्ट तथा अन्य सुविधाओं के उपलब्ध न होने के कारण कतिपय समय पर बंबई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, जयपुर, जोधपुर, कूल्लू, लुधियाना तथा अन्य विमानपत्तनों पर अतिरिक्त उड़ानों का संचालन नहीं किया जा सकता है।

जैसा कि मैंने कहा है कि माननीय सदस्यों को यह जानकारी है कि दिल्ली हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है और इसे 1996 में पूरा कर लिया जाएगा। विमानपत्तन प्राधिकरण ने मॉडल विमानपत्तन बनाने तथा कुछ विमानपत्तनों पर अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए 1500 करोड़ रूपये व्यय किए है।

मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार की उदारीकरण की नीति चालू रहेगी तथापि सुरक्षा तथा वायु परिवहन संचालन के सुचारू विकास को ध्यान में रखा जाएगा। इस समय उन एयर टैक्सी संचालकों तथा अन्य आवेदकों को अतिरिक्त विमान आयात करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जो वायु परिवहन सेवाएं शुरू करना चाहते हैं। विमान बेड़े को बढ़ाने तथा नई एजेंसियों द्वारा एयर टैक्सी सेवा शुरू करने पर विचार तभी किया जा सकता है जब इन विमानपत्तनों पर अतिरिक्त मूलभूत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। तथापि जिन एयर टैक्सी संचालकों ने अपनी सीमित क्षमता को बढ़ाने का अनुरोध किया है ताकि वे शेडयूल्ड वायु परिवहन संचालक बन सके, और यातायात के विकास की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, उन के मामलों पर मामलें--दर--मामलें आधार पर विचार किया जाएगा। अग्रेतर पर्यटन को बढावा देने तथा जिला मुख्यालयों या छोटे शहरो को जोड़ने के लिए 30 सीटों वाले छोटे विमानों के आयात पर भी विचार किया जा सकता है।

मुझे यहां यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी महान विमानक थे और वे पहले विमानचालक थे जो देश के प्रधानमंत्री बने। 20 तारीख को हम उनका पचासवां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में इस माह की 19 तारीख से हम पूरे देश में वायु सुरक्षा पखवाड़ा मना रहे हैं और इस पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्थानों पर सेमिनार आयोजित किए जाएंगे, पोस्टर छपवाए जाएंगे, विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा, सुरक्षा निगरानी की ओर ध्यान दिया जाएगा और नागर विमानन महानिदेशालय में विभिन्न स्तरों पर लंबित पड़े सुरक्षा संबंधी कार्यो का निपटान किया जाएगा।

जहां तक जांलधर हवाई अड्डे का संबंध है मेरे मित्र जांलधर के बारे में बहुत उत्सुक है मैं यह कहना चाहता हूं कि लगभग 30-40 मील की दूरी पर दो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बनाना अत्यंत कठिन है। मेरे विचार से अमरीका और जापान जैसे अमीर देश भी इस प्रकार की सुविधा प्रदान नहीं कर सके है। ऐसा केवल हमारे देश में ही है कि शहरों के अंदर हवाई अड्डे

है। इसी कारण आए दिन हम पक्षी टकराने तथा अन्य कठिनाइयों का सामना करते रहते हैं। अधिकांश अन्य देशों की भांति हवाई अड्डे शहर से 50 या 60 मील की दूरी पर होने चाहिए। जहां तक जालंधर का संबंध है दो–तीन महीने पहले अमृतसर से होते हुए दिल्ली, न्यूयार्क, लंदन टोरोंटो, बैकांक, हांगकांग और सिंगापुर के लिए उड़ान शुरू की गई है। अतः जो भी व्यक्ति इन सात देशों में जाना चाहता है वह अमृतसर से ही अपना सामान आरक्षित करा सकता है। उसे केवल विमान बदलना होगा। यदि कोई हांग–कांग जाना चाहता है तो अमृतसर से ही हांग–कांग के लिए सामान आरक्षित हो जाएगा, इसी प्रकार टोरोंटो, लंदन, बैकांक, सिंगापुर के लिए भी अमृतसर से ही सामान आरक्षित हो जाएगा इन देशों से आते समय यदि कोई व्यक्ति अमृतसर जाना चाहता है तो वह अपना सामान आरक्षित करवा सकता है और उसे केवल दिल्ली से विमान बदलना होगा। अतः जालंधर में दूसरा हवाई अड्डा बनाना संभव नहीं है जो कि अमृतसर से केवल 35 मील दूर है। मुझे सिर्फ 35 मील की दूरी पर दूसरा हवाई बनाने का कोई कारण नजर नहीं आता है।

मैं अन्य हवाई अड्डो की मांग के संबंध में पहले ही कह चुका हूं। माननीय सदस्यों ने उड़ानों के संबंध में कुछ मांगे की थी। ये बिल्कुल भिन्न बातें है। मैं उन्हें पृथक रूप से इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों के साथ उठाऊंगा।

अब मैं विधेयक के मुख्य भाग पर आता हूं मैं समझता हूं कि इसकी बहुत अधिक उपेक्षा हुई है। मेरे अधिकांश मित्र उड़ानों आदि के बारे में कुछ चिन्तित थे। लेकिन हम जिस मूल उद्देश्य पर चर्चा कर रहे हैं वह राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरणों का विलय से संबंधित है।

महोदय, मैनें शुरू में कहा था कि मूल उद्देश्य प्रबंधन को सशक्त बनाना है। इस बारे में मुझे बहुत प्रसन्नता है। इससे पहले कि मैं इस बात पर आऊं मैं यह बता दूं कि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पिछले तीन या चार वर्षो में बहुत अच्छा काम किया है। राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 1990-91 में 119 करोड़ रूपए का राजस्व अर्जित किया और 1991-92 में यह 119 करोड़ रूपए से बढ़कर 164 करोड़ रूपए हो गया, 1992-93 में यह 190 करोड़ रूपए और 1993-94 में 260 करोड़ रूपए हो गया। यदि हम संचित हानियों पर ध्यान न दें और यदि हम वर्ष–दर–वर्ष चलें तो जहां तक राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण का संबंध है, हम मुनाफा कमा रहे हैं।

जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया था कि इस विधेयक का उद्देश्य हवाई अड्डों के प्रबंधन में द्वयात्मकता को समाप्त करना है और हवाई अड्डों के लिए बेहतर प्रशासन और सशक्त प्रबंधन की व्यवस्था करना है तथा एक ही प्राधिकरण के अन्तर्गत वैमानिक हवाई संचार सुविधाएं सेवाओं की व्यवस्था करना है। दो प्राधिकरणों की मौजूदा प्रणाली के कारण जिम्मेदारियों और समन्वय की परिहार्य समस्याएं विभाजित हो जाती हैं।

मैं उन कुछ समस्याओं को उल्लेख करना चाहता हूं जिनके कारण मंत्रालय को इन दो विमानपत्तन प्राधिकरणों को एक करना पड़ा है।

एक समस्या यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रनवे का प्रचालनात्मक नियंत्रण राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास है जबकि रनवे का रख–रखाव अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण

करता है।

दूसरी समस्या यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर रनवे लाइटों का प्रचालन अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के पास है लेकिन जहां तक इन्सट्रमेंट लेण्डिंग सिस्टम का संबंध है, यह राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जिम्मेदारी है। एक ही रनवे दो इन्सट्रमेंट और एक रनवे का संचालन दो भिन्न एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

तीसरी समस्या यह है कि हवाई यातायात की व्यवस्था राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारी करते है लेकिन सुरक्षा सेवाएं अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पास है। यह बात पालम हवाई अड्डे पर टी यू०–154 हवाई जहाज की दुर्घटना में जांच न्यायालय की गहन जांच के अन्तर्गत आई।

चौथी समस्या यह है कि रनवे पर पक्षियों के होने की स्थिति में विमान चालक राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के हवाई यातायात नियंत्रण कक्ष को सूचित करता है जो अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के प्रबंधक को सतर्क करता है जो इसके जवाब में एप्रोन नियंत्रण को कार्रवाई करने के लिए कहता है। अतः इस तरह काम करना होता है न कि इस वक्तव्य की तरह।

पांचवीं समस्या यह है कि प्रस्तावित एकीकृत प्राधिकरण के अन्तर्गत, हवाई यातायात नियंत्रण सीधे ही एप्रोन नियंत्रक को हिदायत देगा तो अधिक तेजी से काम करेगा और परिणामोन्मुखी होगा।

बिजली की आपूर्ति बहाल करने जैसी खराबियों को ठीक करने में फिलहाल बहुत समय लग जाता है क्योंकि राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की जिम्मेदारियां बंटी हुई हैं। इसका हवाई यातायात नियंत्रण सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। विलय से पूरा नियंत्रण एक ही प्राधिकरण का होगा। अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अग्नि शमन सेवाएं अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नियंत्रण में है लेकिन हवाई जहाज के उड़ने और उतरने की व्यवस्था हवाई यातायात नियंत्रण द्वारा की जाती है तो राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अधीन है। विभाजित जिम्मेदारी का सुरक्षा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यह बात दिल्ली में टी.यू. 154 हवाई दुर्घटना जांच न्यायालय की गहन जांच में भी आई थी जिसमें वाहनों का दुर्घटना स्थल पर पहुंचने में बहुत समय नष्ट हो गया था। एकल एजेंसी सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने में अधिक कारगर होगी और एकीकृत प्राधिकरण कम दृश्यता प्रक्रियाओं को सक्रिय करने की बेहतर स्थिति में होगा जिससे हवाई सुरक्षा में वृद्धि होगी। महोदय, हवाई अड्डों और वैमानिक संचार सेवाओं के प्रबंधन की द्वयत्मकता के साक्ष्य की जरूरत पर बल देने के कई और उदाहरण हो सकते हैं।

संसदीय स्थाई समिति ने राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रस्तावित विलय पर काफी विस्तार से विचार किया और वह इन दो प्राधिकरणों के एकीकरण की आवश्यकता से सहमत थी। समिति ने विचार–विमर्श के दौरान कई बातों की जांच की और मुझे विश्वास है कि विलय में समिति के माननीय सदस्यों द्वारा उठाई गई इन बातों का ध्यान रखा जाएगा।

महोदय, मैं समझता हूं कि मैं पहले ही काफी समय ले चुका हूं और मैं अपनी बात को संक्षिप्त करना चाहता हूं क्योंकि साढ़े चार बजे आपको दूसरे विषय पर चर्चा शुरू करनी है। हवाई अड्डों के बेहतर प्रशासन और सशक्त प्रबंधन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय और घरेलू हवाई अड्डों को और देश में वैमानिक संचार सेवाओं का एक ही प्राधिकरण के अन्तर्गत लाने के लिए मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए माननीय सदस्यों का समर्थन चाहता हूं। मेरे माननीय मित्र श्री ई० अहमद ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वह अपने संशोधन वापस ले लें ताकि हम इस विधेयक को पारित कर सकें।

श्री श्रवण कुमार पटेल (जबलपुर) : मैं केवल एक मिनट का समय चाहता हूं।

सभापति महोदय : आप मंत्री जी से बात कर सकते हैं। हमारे पास अब केवल पांच मिनट का समय बचा है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : मैं एक मिनट भी पूरा नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : हमारे पास एक मिनट का भी समय नहीं है।

श्री श्रवण कुमार पटेल : महोदय केवल एक मिनट जिस समय 33 एकड़ भूमि के मामले का निर्णय होना था, उस समय तत्कालीन नागर विमानन मंत्री की ओर से एक पत्र लिखा गया था और उनके उल्लेख करने और आश्वासन देने से मध्य प्रदेश सरकार ने वह भूमि निशुल्क अन्तरित कर दी थी। अतः मैं कहना चाहता हूं कि पांच करोड़ रूपए खर्च करने का मामला विमान पत्तन प्राधिकरण ने बाद में उठाया था। मेरा निवेदन है कि नागर विमानन मंत्रालय की बचनबद्धता पूर्ण थी और मामले पर बाद में चर्चा की गई थी। मैं मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि कम से कम काम तो शुरू करें और बजट में आवश्यक प्रावधान करें। हमें केवल 17 करोड़ की जरूरत है और वह करोड़ों रूपये खर्च कर रहे है।

सभापति महोदय : ठीक है। मंत्री जी इस मामले पर आपसे बाद में चर्चा करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विमानपत्तनों और सिविल अंतः क्षेत्रों के जिन पर वायु परिवहन सेवाएं चलाई जाती हैं या चलाई जाने के लिए आशयित हैं, बेहतर प्रशासन और सुगन्ति प्रबंध के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के गठन का और इस प्रकार गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को और इसमें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उपक्रमों के अंतरण और निहित हो जाने और सभी वैमानिक संचार केन्द्रों तथा उनसे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय : अब सभा इस विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है कि :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बना"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

खण्ड 3 और 4 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिए गए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"खण्ड 5 से 11 तक विधेयक के अंग बनें"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 5 से 11 तक विधेयक में जोड़ दिए गए।

[अनुवाद]

खंड 12 - प्राधिकरण के कृत्य

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 31,–

"वायुयानों" **के पश्चात्** "अथवा हेलीकाप्टरों" **अंतः स्थापित** किया जाये, (4)

पृष्ठ 7, पंक्ति 37,–

"स्थोरा की उठाई–धराई" का **लोप** किया जाये। (5)

मेरे संशोधन–प्रस्ताव इस संविधि को परिपूर्ण के बनाने के लिये हैं। मैं यह चाहता हूं कि "हेलीकाप्टरों" शब्द को "वायुयानों" शब्द के साथ जोड़ दिया जाये, क्योंकि इस विधेयक में एक हेलीकाप्टर की परिभाषा दी गई है। "हेलीपोर्ट" का अर्थ भूमि–स्तर अथवा किसी ढांचे पर कुछ ऊपर उठाये गये ऐसे क्षेत्र से है, जोकि किसी हेलीकाप्टर के प्रयोग के लिए हो। सच तो यह है कि "वायुयान" शब्द के लिए कोई परिभाषा विद्यमान नहीं हैं।

संशोधन संख्या 5 महत्वपूर्ण है। मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं।

सभापति महोदय : आपको यह स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। आपने पहले ही संशोधन–प्रस्ताव पेश कर दिया है।

श्री ई० अहमद : इसे प्रस्तुत करते हुए मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। सिविल इनक्लेव में विमानपत्तन, पर कोई अन्य गतिविधि अथवा वाणिज्यिक हित भी सम्मिलित है।

सभापति महोदय : अब आपको भाषण देने की अनुमति नहीं है।

मैं अब श्री ई० अहमद द्वारा खंड 12 में प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 4 और 5 मतदान के लिए रखे गये और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :–

"कि खंड 12 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 12 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:–

"कि खंड 13 से 17 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 13 से 17 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : खंड 18 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 से 21 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 से 21 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 22

शुल्क किराया आदि वसूल करने हेतु प्राधिकरण की शक्तियां

श्री ई० अहमद (मंजेरी) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 27, –

"वायुयानों" **के पश्चात** "अथवा हेलीकाप्टरों" **अंतः स्थापित** किया जाये। (6)

पृष्ठ 11, पंक्ति 28, –

"वायुयान के" **के स्थान पर** "किसी" **प्रतिस्थापित** किया जाये। (7)

पृष्ठ 11, पंक्ति 30,–

"वायुयान" **के पश्चात्** "अथवा हेलीकॉटर" **अंतः स्थापित** किया जाये। (8)

पृष्ठ 11 पंक्ति 31,–

"वायुयान" **के पश्चात्** "अथवा हेलीकॉप्टर" **अंतः स्थापित** किया जाये। (9)

पृष्ठ 11, पंक्ति 32,–

"किसी वायुयान" **के पश्चात्** "अथवा हेलीकॉप्टर" **अंतः स्थापित** किया जाये। (10)

सभापति महोदय : मैं अब श्री ई० अहमद द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 6 से 10 तक सभा

के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन संख्या 6 से 10 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 22 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 23 से 37 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 23 से 37 विधेयक में जोड़ दिये गये।

सभापति महोदय : खंड 38 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 38 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : खंड 39 में कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 39 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 40 से 44 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 40 से 44 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड-45

1934 के अधिनियम संख्या 22 में संशोधन

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 20, पंक्ति 34,–

"1993" **के स्थान पर** "1994" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (3)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 45, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 45, यथा-संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 46 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 46 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1-विधेयक का संक्षिप्त नाम, प्रारूप और प्रवर्तन

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6,–

"1993" **के स्थान पर** "1994" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (2)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

किया गया संशोधन :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,–

"चवालीसवें" **के स्थान पर** "पैतांलीवें" **प्रतिस्थापित किया जाए।** (3)

(श्री गुलाम नबी आजाद)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियम सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र, यथा संशोधित, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय अब यह प्रस्ताव करें कि यथा संशोधित विधेयक पारित किया जाये।

श्री गुलाम नबी आजाद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, यथा संशोधित, पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

4.37 म.प.

नियम 193 के अंतर्गत चर्चा

देश के विभिन्न भागों में बाढ़ के कारण हुई जान-माल की भारी हानि--जारी

सभापति महोदय : अब हम अगले विषय–नियम 193 के अंतर्गत चर्चा को लेंगे। श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री।

[हिन्दी]

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : माननीय सभापति जी, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हमारा देश प्रायः हरेक वर्ष बाढ़ और सूखे की चपेट में आता रहता है जिससे हमारे देश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। इससे जन–धन की हानि तो होती ही है लेकिन जहां हानि नहीं भी होती, वहां पर भी तमाम परेशानियां बढ़ जाती है। यदि हम बाढ़ और सूखे को राष्ट्रीय त्रासदी की संज्ञा दे तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी। सन् 1952 से लेकर आज तक सूखे और बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए बेशुमार पैसा बहाया गया है। बड़ी–बड़ी योजनायें बनायी गयी और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के बावजूद हम इस पर नियंत्रण नहीं पा सकें हैं।

सभापति महोदय, आज हमारे पास पूर्वानुमान लगाने की तकनीक का विकास हुआ है जिसमें हम जान लेते हैं कि कहां क्या होने वाला है लेकिन फिर भी हम बाढ़ और सूखे पर नियंत्रण नहीं पा सके हैं। यह विनाश लीला जारी है। 1953 से लेकर 1989 तक 37 वर्षों में 35 हजार 918 करोड़ रूपये की क्षति हुई और पिछले पांच वर्षों में 17 हजार 413 करोड़ रूपये की हुई है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि 37 वर्षो मे इतना नुकसान नहीं हुआ है जो पिछले पांच वर्षों में हुआ है। यों तो विश्व के अनेक देशों में बाढ़ आती हैं, लेकिन उनकी तुलना में भारत में बाढ़ की विभीषिका कुछ ज्यादा ही है। अकेले भारतवर्ष में प्रतिवर्ष 3 करोड़ 26 लाख 60 हजार लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं, प्रतिवर्ष इसकी विभीषिका में आते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 1,523 लोगों की मृत्यु प्रति वर्ष होती है। नौ अरब सत्रह करोड़ रूपए की संपति प्रति वर्ष बरबाद हो

जाती है। बाढ़ का प्रबंधन और नियंत्रण हमारे देश में दो स्तरों पर होता है। संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक। इसके अंतर्गत नदियों पर बांध बनाए जाने की स्कीमें तैयार की जाती हैं, तटबंध बांधे जाते हैं, जलाशयों का निर्माण किया जाता है। नदी मार्गों को चौड़ा किया जाता है, नदियों को गहरा किया जाता है, ढाल बनाकर पानी निकाला जाता है। बहाव की दिशा में बदलाव लाकर बाढ़ पर नियंत्रण किया जाता है। लेकिन अब तक ये सारे के सारे प्रयोग हमारे देश में बाढ़ का मुकाबला करने में अप्रभावी रहे हैं। हमें अनेक कठिनाइयां उठानी पड़ी है। इसके तहत 1954 में सातवीं योजना की समाप्ति तक 27 हजार करोड़ रूपया खर्च किया गया। 14 हजार किलोमीटर तक तटबंध बनाए गए, 9 हजार किलोमीटर नहर खोदी गई। देश के 546 शहरों पर 47 हजार गांवों में बाढ़ से बचाव के उपाय किये गये, लेकिन आज इन सारी बातों की समीक्षा की जाए तो पता चलेगा कि इसके बावजूद भी बाढ़ की विभीषिका ज्यों की त्यों हैं। मौतें उसी तरह से हो रही हैं, फसलें उसी तरह से बरबाद हो रही हैं, नुकसान वैसे ही हो रहा है। मेरा दृढ़ मत है कि इसका कारण व्यवस्था में गड़बड़ी है। हमारे यहां भ्रष्टाचार है। मैं एक उदाहरण दूं अपने संसदीय क्षेत्र का। हमारे उत्तम भाई पटेल जी बैठे हुए हैं। ये अभी वहां गए थे। वहां पानी का अभाव था। वहां पर एक ओर बाढ़ है और दूसरी और सूखा पड़ा हुआ है। गांव के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। वहां पर हैड पंप की मांग की जा रही थी। उत्तर प्रदेश सरकार को कुछ हैड पंप दिये गए लेकिन वह हैड पंप वहां नहीं लग सके। हमारे संसदीय क्षेत्र में गंगा, गोमती, सई, मगई, उदन्ती, आदि लगभग एक दर्जन नदियां हैं। इन नदियों में हर साल बाढ़ आती है। कुछ गांव आजादी के बाद से अब तक निरंतर हर वर्ष पानी में डुबते हैं जैसे पटना, खरौला, हथौड़ा देवचंदपुर, जलालपुर, देवकली, नियाट बेला, सैदपुर, भितरी, तेतापुर गांवों में प्रत्येक वर्ष पानी घुसता है। हजारों एकड़ फसल इन गांवों की नष्ट हो जाती है। कुछ लोग मर जाते हैं, लेकिन वहां पर बार–बार कहने पर भी अधिकारियों तथा जिम्मेदार लोगों को मालूम है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं हो पाती।

इस बार जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत हम लोगों ने सोचा कि यहां पर कुछ ड्रेन्स बनाई जाएं और इन ड्रेन्स के द्वारा पानी निकाला जाए। शिवदासपुर कौड़िया नाम की ड्रेन 76 हजार रूपया खर्च करके बनाने का निर्णय हुआ। मंगारी ड्रेन के लिए एक लाख रूपया मंजूर किया गया, बड़हरा ड्रेन 92 हजार रूपए और उकरांव ड्रेन 50 हजार रूपए की लागत से बनाने की स्वीकृति दी गई। आश्चर्य की बात है कि यह ड्रेन बनाने के लिए पैसे तो स्वीकृत कर दिये गए लेकिन यह ड्रेन्स केवल कागज पर बन गई। हमने यहां सदन के अंदर कई बार इस मामले को उठाया। हमने कहा कि राज्य सरकार को कहा जाए कि जवाहर रोजगार योजना का पैसा यहां से जाता है। राज्य सरकार इन पैसों को अपने स्तर से देखती है लेकिन इसके काम नहीं हो पाते। वहां जिले में भी आवाज उठाई गई। जिले में इस पर पुलिस की रिपोर्ट हुई। अपराधी लोग पकड़े गए, कुछ इंजीनियर जेल भी गए, लेकिन इसके बाद भी उनको सजा नहीं मिल सकी। बाढ़ कैसे रूकेगी ? वहां पर जितने गांवों का हमने नाम लिया, उनके लिए ड्रेन बनाई गई लेकिन वह कागज पर बन गई। मैं माननीय कृषि मंत्री जी से कहूंगा कि इस पर भी ध्यान दें कि पैसा तो दिया

जाता है लेकिन उन पैसों का सदुपयोग नहीं होता। यदि आप इसका स्थायी हल ढूंढना चाहते हैं तो आपको पैसों पर भी नियंत्रण रखना पड़ेगा। आप यहां से करोड़ो रूपए भेजते हैं। जब बाढ़ आती है तो राज्य सरकारें आपसे मांग करती हैं। आप उनको एकमुश्त राशि देते हैं, लेकिन वह रूपया कहां जाता है इसका पता नहीं लगता है।

मान्यवर, मैं पहले ही कह रहा था कि व्यवस्था में गड़बड़ी है। राज्य सरकारें ज्यादातर लापरवाह हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार के लिए मैं खुले रूप से कहूंगा कि वहां केन्द्र से जो बाढ़ के लिए पैसे गत वर्ष और उसके पहले भी एक बार भेजे गए, उन पैसों का काफी दुरूप्रयोग हुआ। हमें इस पर नियंत्रण करना होगा और इसकी जानकारी लेनी होगी बाढ़ विनाशकारी होती है और इसके परिणाम भी खौफनाक होते हैं फिर भी कुछ लोग उसका स्वागत करने के लिए उत्सुक पाये जाते हैं और बाढ़ आने की खबर से ही उनका मन आल्हादित हो उठता है कि उन्हें राहत के नाम पर पैसा लूटने का मौका मिलेगा। वे लोग अच्छे ख्वाब देखने लग जाते हैं। ऐसे लोगों में ठेकेदार, बी.डी.ओ., राहत अधिकारी, लेखापाल, तहसीलदार और परगना अधिकारी शामिल हैं जो वर्षा के बादल देखते ही खुशियां मनाने लगते हैं और जैसे बादलों को देखकर मोर नाचने लगता है, उसी तरह ये लोग भी आकाश में बादलों को देखकर नाचने लगते हैं कि चलो, अब बाढ़ आयेगी और कुछ मिलेगा।

मेरा कहने का आशय है कि बाढ़ के नाम पर चारों ओर लूटखसोट मची हुई है, भले ही उसका अंजाम चाहे कुछ हो। अधिकांश राज्यों में बाढ़ को रोकने के सार्थक उपाय नहीं हो रहे हैं। अनेकों तटबंध आज टूटे पड़े हैं और वनों की कटाई बदस्तूर जारी है।

वास्तव में बाढ़ को रोकने के सार्थक प्रयास हमारे देश में 1954 में किये गये थे जब कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के नेतृत्व में उस समय की सरकार ने राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग की स्थापना की थी। तीन चरणों की एक योजना बनाई गयी थी जिसमें बांधों का निर्माण, नहरों का सुधार, गांवों को किसी ऊंचे स्थान पर बसाना, कस्बों और शहरों में जन–सुरक्षा आदि शामिल थे। वर्ष 1956 से 1961 तक राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण आयोग का यही मुख्य उद्देश्य था। इस संबंध में 1964 में एक मंत्रिमंडलीय समिति भी बनी थी और उसमें भी बाढ़ पर नियंत्रण पाने के लिए कुछ स्थाई सुझाव प्रस्तुत किये थे लेकिन आगे चलकर वे सारे के सारे उपाय बेकार हो गये।

यदि हम बाढ़ की समस्या का स्थाई हल निकालना चाहते है, मन से इस समस्या का निराकरण चाहते हैं तो हमें कोई स्थाई हल ढूंढना होगा। हम देखते है कि लोकसभा से उस समय बहस होती है जब बाढ़ आ जाती है या जब सूखे की स्थिति आ जाती है तो राहत देने के लिए हम लोग यहां चर्चा करते हैं। यदि हम बाढ़ आने से पहले इस विषय पर चर्चा करें ताकि बाढ़ को रोकने के लिए सार्थक उपाय सोच सकें, कारगर कदम उठाने के बारे में सोच सके तो वह ज्यादा हितकर होगा।

हमारे मंत्री जी काफी अनुभवी है, फिर भी मैं उनके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। हमारे यहां अनेकों छोटी–छोटी नदियां हैं, जिनमें से कुछ नदियों का नाम मैंने अभी यहां लिया है। जैसे ही पानी बरसता हैं, ये छोटी–छोटी नदियां उफन पड़ती हैं और अगल–बगल के गांवों, अगल–बगल की फसलों को तबाह करती हुई आगे बढ़ती हैं। यदि हम बाढ़ की समस्या को सदा के लिए खत्म करना चाहते है तो केन्द्र सरकार की और से सभी राज्य सरकारों को निर्देश जारी किये जायें, बाढ़ आने के 4-6 महीने पहले निर्देश दिये जायें कि हरेक राज्य में जो छोटी छोटी नदियां हैं उनको आपस में पिरो दिया जाये। यदि एक नदी दूसरी नदी से जोड़ दी जाती हैं तो बरसात के समय उनमें पानी का जमाव नहीं होने पायेगा, पानी एक नदी से दूसरी नदी में होते हुये आगे निकल जायेगा और वह बाढ़ की विभीषिका का रूप धारण नहीं कर पायेगा। इससे लाभ भी होगा, वर्षा का पानी इकट्ठा होगा, जल–संचय की क्षमता बढ़ेगी और सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। इससे हमें बाद में सुरक्षा भी मिलेगी।

दूसरी उपाय मैं बताना चाहता हूं कि हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और आसाम तथा विस्तृत उत्तरांचल में, हिमालय से निकलने वाली नदियों पर काबू पाने के लिए आपको एक योजना बनानी होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा बाढ़ आती है, उसके बाद बिहार में बाढ़ आती है, आसाम में तबाही होती है लेकिन मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता क्योंकि आजकल अखबारों में निकल रहा है कि पिछले दिनों आसाम में भारी तबाही हुई, कर्नाटक में भारी तबाही हुई, जम्मू–कश्मीर में भारी तबाही हुई लेकिन ये सब नदियां ज्यादातर पूर्वांचल की ओर बढ़ती है जहां जाकर वे विभीषिका का रूप धारण कर लेती है। उन पर काबू पाने के लिए और बाढ़ की समस्या के स्थाई हल के लिये सरकार को ऐसी योजना बनानी होगी ताकि पूर्व और हिमालय पहाड़ से निकालने वाली नदियों को एक नया मोड़ दिया जा सके।

तीसरा सुझाव में यह देना चाहता हूं कि विकास की इन दिनों बहुत धूम मची हुई है। हमारी केन्द्र सरकार चिन्तित है, हमारे प्रधानमंत्री जी चिन्तित है, हमारे लोग चिन्तित हैं कि इस देश का विकास होना चाहिए। विकास के लिए सड़के बनायी जाती है, रेल–पुल बनाये जाते हैं, शहर बसाये जाते है, तटबंध और बांध बनाये जाते है और जब ये सब बनकर विकास कार्य होता है तो हम वर्षा और बाढ़ का आंकलन करना भूल जाते हैं।

अभी हमारे क्षेत्र में सड़क बना दी गई और नदी की एक धारा इधर थी और दूसरी उधर। लोग कैसे पास हों, क्योंकि पुल नहीं था, ग्रामीणों ने सड़क को तोड़ दिया। सड़क टूटने के बाद जब पानी बहा, तो आगे वाले गांव उस पानी से बह गए और भारी क्षति उठानी पड़ी। तो इस प्रकार जब हम विकास कार्य करते हैं, तो हम अपने इंजीनियरों को निर्देश दें कि हम इन चीजों को देखें और इनका पालन करें।

मान्यवर चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं और सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्रीय जल आयोग वर्षा और बाढ़ की भविष्यवाणी करता है। यह आयोग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। केन्द्रीय जल आयोग जब चेतावनी देता है, तो हम देखते है कि 50 प्रतिशत चेतावनियां और पूर्वानुमान

उससे ठीक नहीं होते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व के पैमाने पर नयी–नयी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। नयी–नयी तकनीक उत्पन्न हुई है। इसलिए हमारे यहां कुछ ऐसी आधुनिक मशीने लाई जाएं या वैज्ञानिकों को बताएं उन्हें इस ढंग से ट्रेंड करें कि उनके द्वारा वर्षा और बाढ़ के द्वारा दिए गए अनुमान सही साबित हो।

मान्यवर, अतिवृष्टि और अनावृष्टि आने से पहले ही सरकारी तंत्र को सक्रिय करना होगा। जब हम देखते हैं बाढ़ आ गई है, तो सरकारी तंत्र सक्रिया होता है और जब सरकारी तंत्र सक्रिय होता है, तब तक विभीषिका बहुत बढ़ जाती है। उनका उस पर कोई वश नहीं चलता है और सेना को सहायता के लिए बुलाना पड़ता है तथा जनता में हा–हा कार मच जाता है। इसलिए मेरा पांचवां सुझाव रहेगा कि अतिवृष्टि और अनावृष्टि, दोनों में सरकारी तंत्र को पहले निर्देश दें ताकि वे इनके आने से पहले सहायता कार्यो एवं बचाव कार्यो में सक्रिय हो सके।

मान्यवर, छठवां सुझाव मैं यह देना चाहता हूं कि आज प्रदूषण के कारण स्थिति बहुत गंभीर होती चली जा रही है। आज तमाम तरह के उद्योग बढ़ते चले जा रहे है। गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर ऋषिकेश से मैदानों में प्रवेश करती है और बंगाल तक जाती है। इसके किनारे–किनारे तमाम शहर बस गए और अनेक उद्योग बन गए है जिनका सारा कूड़ा–करकट इसमें बहा दिया जाता है। गंगा की कोई सफाई नहीं हो रही है। मैं चाहता हूं कि इसकी सफाई की जाए और इस नदी की गहराई बढ़ाई जाए। उसके घुमावों और मोड़ों को सही किया जाए।

सभापति जी, मैं बनारस का रहने वाला हूं। गंगा के किनारे मेरा मकान है। बचपन में जब हम गंगा में नाव से बीच में जाते थे, तो उस समय ऐसा लगता था कि इसकी थाह का कोई नहीं पता है, लेकिन अब बीच में पानी में उतर जाते है और थोड़ा सा पानी ऊपर रहता है लोग तैर कर या पानी में चलकर किनारे आ जाते हैं। इस प्रकार हम देख रहे है कि नदियों की गहराई निरंतर कम होती जा रही है। जब गहराई कम होगी, तो पानी अपने आप किनारों से निकलकर बहेगा और तबाही मचाएगा। आज यही सब कुछ मिर्जापुर, गाजीपुर और बलिया तथा अन्य जगहों पर देखने को मिल जाएगा और बरसात के दिनों में ये सब डूब जाते हैं। वहां पर मालूम होता है कि गंगा का पानी खतरे से कभी दो मीटर और कभी तीन मीटर ऊपर बह रहा है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हम नदियों की गहराई पर ध्यान नहीं देते हैं।

महोदय, बनारस में नदी से प्रदूषण खत्म करने का जो कार्य चल रहा है उस पर अरबों रूपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन सारा का सारा रूपया कागज पर खर्च हो रहा है। इस बारे में लोक सभा में प्रश्न के माध्यम से और कभी अन्य माध्यम से अनेक सवाल पूछे गये। चर्चा हुई। हमारे पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी जब बनारस गए थे, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर मेरा सपना साकार हुआ, तो काशी अपना एक अद्भुत स्थान प्राप्त करेगी। अपनी गरिमा को वापस प्राप्त करेगी। मेरा निवेदन यह है कि अरबों रूपया खर्च करने के बाद भी बाढ़े आ रही है और लोग परेशाम हो रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए।

सभापति जी, सातवीं बात मैं कहना चाहता हूं कि जंगलों और वनों की अंधाधुंद कटाई हो रही है। इसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। आज सवेरे लोक सभा में बहस हो रही है कि बंजर भूमि पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं इससे वर्षा होगी, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर भारी मात्रा में पेड़ कट रहे हैं। हम देखते है कि उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जंगल हैं वहां बड़ी मात्रा में पेड़ कट चुके हैं। मैं इस विषय को बहुत नहीं बढ़ाना चाहता हूं, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ ऐसे भी जंगल है जहां पर निरंतर कटाई हो रही है और लकड़ी की तस्करी हो रही है।

इस पर भी आपको नियंत्रण करना होगा।

हमें खुशी है कि हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनेक ठोस कदम उठाए है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से सहायता लेने का प्रयास किया है और उसमें काफी हद तक सफल भी हुए है। विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों की बैठक भी बुलाई थी। राज्यों को भी निर्देश दिए है लेकिन ये केवल मात्र निर्देश ही रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे कृषि मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री यहां पर बैठे हुए है, आप अनुभवी है, कृषि मंत्री तो बहुत अनुभवी है, उन्होंने एक लम्बी दुनिया देखी है, उन विषयों को ध्यानपूर्वक देखे और बाढ़ पर स्थायी रूप से नियंत्रण करने की योजना बनाएं।

हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। आज 47 वर्ष से ज्यादा गुजर गए है, हम हर साल प्लानिंग बनाते हैं, अरबों रूपये बाढ़ के बचाव में फूंक देते हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं निकलता है। जब तक अच्छी योजनाएं नहीं बनेगी, तब तक बाढ़ में देश का रूपया ऐसे ही बर्बाद होता रहेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री दत्ता मेघे (नागपुर) : सभापति महोदय, यहां पर बाढ़ की चर्चा हो रही है। हमने देखा है कि जहां पर ज्यादा वर्षा आती है वहां पर बाढ़ आ जाती है। अभी हमारे साथी श्री सोनकर ने बताया कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार होता है, प्रदेशों में काम नहीं होता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं महाराष्ट्र में 12 से 14 जुलाई को बहुत वर्षा हुई जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। जहां–जहां नुकसान हुआ, वहां पर मुख्यमंत्री तत्काल गए और उनको राहत दी।

मैं विदर्भ से आता हूं और नागपुर शहर मेरा संसदीय क्षेत्र है। मैंने वहां पर बाढ़ कभी नहीं देखी। यह तो नैसर्गिक विपत्ति है। हमारे यहां 12 की रात को और 13 तारीख को 15 इंच पानी बरसा। 90 साल के बाद पूरे शहर में दो दिन तक इतना पानी बरसा कि पूरा शहर तबाह हो गया। उसमें 25 लाख लोग रहते हैं, खास तौर से जो 4—5 हजार गरीब लोग नाले के किनारे रहते थे, वे बर्बाद हो गए। मुख्यमंत्री वहां पर गए और राहत दी। राहत कार्य में सभी को मदद नही मिल पाई। एक दिन में नागपुर शहर में 11 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने उसके परिवार के लोगों के लिए तत्काल 25 हजार रूपयों का ऐलान किया और उन्हें रूपये मिल भी

गए। पिछले वर्ष हमारे वहां दंगों में मरने वालों को दो लाख रूपये मिले थे लेकिन जो लोग बाढ़ में बह गए है उनको केवल 25 हजार रूपये ही दिए गए। मेरी प्रार्थना है कि जो लोग मर गए है, उनके परिवार को पंत प्रधान निधि से भी सहायता मिलनी चाहिए। मैंने इस संबंध में पंत प्रधान निधि को भी पत्र लिखा है। विदर्भ में 31 लोग मर गए। नागपुर में 4-5 हजार झोपड़ियां पूरी बह गई। पहली बार शहर में बाढ़ आई जिससे वहां पर बहुत नुकसान हुआ है।

5.00 म.प.

हमारे विदर्भ के 542 गांवों में बाढ़ आई है। बाढ़ के आने से 45 लोगों की मृत्यु हो गई और सात हजार लोग विनाशित हुए। इससे 64 हजार हैक्टेयर खेत की फसलें बर्बाद हो गई। बहुत ज्यादा लोग पानी भर जाने से जान-माल की बड़ी तबाही हुई है। पुनर्वास के काम की तरफ आपको अधिक ध्यान देना चाहिये। वैसे तो महाराष्ट्र सरकार उनकी मदद कर रही है लेकिन केन्द्र सरकार को भी उनकी पूरी मदद करनी चाहिए। जाखड़ जी को नागपुर के बारे में बहुत जानकारी है।

नागपुर बहुत बड़ा शहर है और उपराजधानी का शहर है। हमारे यहां खेती का काम नहीं होता है। पहली बार सात हजार लोग विनाशित हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जो लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनकी कुछ भी मदद नहीं की जायेगी। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा है कि जिन लोगों पर भी विपत्ति आई है, उन सब की मदद करना बहुत जरूरी है। किसी भी बड़े शहर में जब बड़े पैमाने पर ऐसी विपत्ति आती है तो उनको मदद पहुंचाने के लिये पंत प्रधान कोष रहता है। आप उस कोष के माध्यम से उनको मदद पहुंचाये।

90 साल के बाद मेरे क्षेत्र में इतनी बड़ी तबाही हुई है। लोगों के पास खाने को कुछ नहीं है और न ही उनके पास कोई काम-धंधा है। लोगों के घर पानी में बह गये हैं। महाराष्ट्र सरकार उनकी मदद तो कर रही है लेकिन उनको और अधिक मदद पहुंचाने की आवश्यकता है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे क्षेत्र के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। महाराष्ट्र में जब भूकंप आया तो सहायता के तौर पर उनकी हर किसी ने मदद की और करोड़ों रूपया सहायता के तौर पर दिया गया लेकिन हमारे क्षेत्र की मदद बहुत कम की जा रही है। केन्द्र सरकार हमारे क्षेत्र की पूरी मदद करे। इतनी ही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

***श्री बी एस. विजयराघवन** (पालघाट) : सभापति महोदय, हमारे देश में बाढ़ आना एक नियमित घटना हो गई है। इस वर्ष भी देश में बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है। यह माननीय सदस्यों के भाषण से स्पष्ट है कि इस समय बाढ़ की अभूतपूर्व विभीषिका व्याप्त है देश के विभिन्न भागों से बाढ़ के बारे में समाचार से पता चल रहा है कि जान-माल, फसल, पशुधन आदि की भारी क्षति हुई है। सरकार ने प्रतिवर्ष बाढ़ से होने वाली विभीषिका के कारगर समाधान ढूंढ निकालने के लिए विभिन्न आयोग गठित किए हैं, कई कार्यक्रम आरंभ किए है। लेकिन इस सब के बावजूद दुःखद

* मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

स्थिति यह है कि हम इस प्रत्यक्ष सतत समस्या का अभी तक स्थायी समाधान नहीं कर पाए हैं। जहां कहीं बाढ़ या सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है, वहां अस्थायी राहत उपाय करने के बजाय हमें स्थायी समाधान के बारे में सोचना चाहिए। महोदय, मैं आपके माध्यम से, सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह बाढ़ से होने वाली क्षति, विभीषिका की रोकथाम करने हेतु कारगर और दीर्घकालिक उपाय तैयार करने व उन्हें कार्यान्वित करने के लिए जो भी अध्ययन व रिपोर्ट उपलब्ध हो उनका प्रयोग करें।

महोदय, मैं समझता हूं कि बाढ़ आने का एक मुख्य कारण वनो.की कटाई है। वनों का विनाश करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करनी होगीं। हम जानते है कि इस वर्ष की बाढ़ से पिछले वर्षो के मुकाबले अधिक नुकसान हुआ है। लेकिन बाढ़ से उत्पन्न संकट का समाधान करने के लिए सरकार ने अभी तक कोई उपयुक्त और कारगर कदम नहीं उठाए हैं। यह बात विभिन्न राज्यों के माननीय सदस्यों के भाषण से एकदम स्पष्ट हो जाती है। इस संबंध में मैं एक बात और कहना चाहूंगा वह यह है कि यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है। जब ऐसी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही है। तो विपक्षी सदस्य सभा से बाहर है। इस समय देश जब संकट के दौर से गुजर रहा है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि विपक्षी सदस्य देश के प्रति अपने कर्तव्य की अनदेखी कर रहे हैं। मैं उनकी इस कार्यवाही को देश की जनता की समस्या के प्रति उदासीनता का प्रतीक मानता हूं।

5.04 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय **पीठासीन** हुए)

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे राज्य केरल के सभी 14 जिले विनाशकारी बाढ़ की चपेट में है 4,82,875 लोग बाढ़ से प्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हैं। सैकड़ो व्यक्ति मर गए हैं और हजारों व्यक्ति अपनी आजीविका खो चुके हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है और सड़क यातायात व्यवस्था पूरी तरह अस्तवस्त हो गई है। मालाबार में लगभग सभी जिले बुरी तरह प्रभावित हुए है। कोझीकोडे, पालाक्कड, मालापुरम, कन्नूर वायनाड और कासरगोड जिले लगभग जलमग्न है। इन जिलों से जन जीवन और संपति की भारी क्षति की खबरें मिल रही है। ऐसा समाचार मिला है कि अब तक 110 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है 3,500 मकान पूरी तरह टूट चुके हैं और लगभग 20,000 घरो को आंशिक क्षति हुई है।

महोदय, उत्तरी जिलों में व्याप्त बाढ़ की विभीषिका अब दक्षिण जिलों में भी फैलने लगी है। सड़क एवं रेल यातायात भी काफी अस्तव्यस्त हो चुका है। अब दक्षिणी जिले भी प्राकृतिक आपदा की चपेट में आने लगे हैं। संक्षेप में पूरा केरल राज्य ही बाढ़ की विभीषिका की चपेट में है।

महोदय, बाढ़ से हुए समूचे नुकसान का अनुमान लगाने और नुकसान के स्वरूप का जायजा लेने में अभी समय लगेगा, क्योंकि अभी कृषि भूमि का बहुत बड़ा भाग जलमग्न है। इसलिए इस विपत्ति की वास्तविक स्थिति का पता लगाना अभी संभव नहीं है। विशेषकर धान की खेती के मामले में न केवल फसल ही नष्ट हुई है बल्कि भूकटाव भी हुआ है। ऐसे भी मामले हैं जिनमें, 'राहत

आवश्यकता' भूमि के मूल्य से भी अधिक हो।

केरल कई मामलों में अन्य राज्यों से भिन्न है। राज्य की अर्थव्यवस्था नकदी फसलों पर आधारित है। नारियल, रबड, कालीमिर्च, लोंग, इलायची, काजू आदि नकदी फसलें केरल की अर्थव्यवस्था का आधार है। इन फसलों की विशेषता है कि इनकी पैदावार लेने में औसतन 10 वर्ष का समय लगता है। इससे उन अभागे लोगों की विपत्ति बढ़ जाती है जो इन्हें पैदा करते हैं। यह अकट सत्य है कि राज्य में नगदी फसलों को हो रही क्षति के केरल की अर्थव्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव होंगे। मैं इसलिए इस तथ्य पर बल दे रहा हूं जिससे यह समझाया जा सके कि केरल की स्थिति अन्य राज्यों की स्थिति से भिन्न है। राहत उपाय करते समय इस तथ्य पर गंभीरता पूर्वक ध्यान किया जाना चाहिए। केरल में नगदी फसलों जिनसे अच्छी मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है, की क्षति को किसी अन्य राज्य में हुई क्षति के समतुल्य नहीं माना जा सकता। उपाध्यक्ष महोदय इन महत्वपूर्ण बातों के आधार पर मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूं कि केरल में बाढ़ विभीषिका के मामले में एक अलग दृष्टिकोण अपनाए। मुझे इस अवसर का प्रयोग इस मुद्दे को माननीय कृषि मंत्री के ध्यान में लाने हेतु करने दें।

महोदय नौवें वित्त आयोग द्वारा किए गए आवंटन के अनुसार केरल को 31 करोड़ रूपये की राशि आवंटित की गई है इस राशि का 25% हिस्सा राज्य सरकार को वहन करना है। इसका आशय है कि केन्द्रीय सहायता 23.25 करोड़ रूपये की होगी। राज्य में बाढ़ से हुई क्षति की तुलना में यह राशि बहुत कम है। राज्य में वास्तविक राहत आवश्यकता को पूरा करने के लिए यह राशि अपर्याप्त है। उपाध्यक्ष महोदय को इस की जानकारी है कि केरल राज्य जो विकंट वित्तीय संकट से गुजर रहा है के लिए राहत कार्यो के लिए इतनी बड़ी राशि जुटा पाना आसान नहीं होगा। मैं, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि क्योंकि राज्य में कुल क्षति 200 करोड़ रूपये से अधिक राशि के मूल्य की हो सकती है इसलिए राज्य को कम से कम 100 करोड़ रूपया तत्काल आवंटित कर दिया जाए।

केरल के मुख्यमंत्री श्री के. करूणाकरन ने माननीय प्रधानमंत्री को तथा माननीयं कृषि मंत्री को यह मांग और बाढ़ स्थिति की व्यापक रिपोर्ट पहले ही भेज दी है। बाढ़ की स्थिति अभी भी वैसी ही बनी हुई है। पिछले दो सप्ताह से लगातार वर्षा हो रही है और यह लगभग तय है कि वास्तविक क्षति के आंकड़े रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़ों से काफी अधिक बढ सकते हैं

मैं दूसरा मुद्दा यह उठाना चाहता हूं कि राज्य में कई क्षेत्र ग्रीष्म सूखे और वर्षा ऋतु में बाढ़ की स्थिति का सामना करते हैं। इस अनन्त समस्या का स्थायी समाधान ढूंढा जाना चाहिए। प्रत्येक मानसून मौसम में काफी मात्रा में पानी बेकार चला जाता है। यह उपयुक्त समय है कि यह अध्ययन कराया जाए कि मानसून मौसम में बरबाद हो रहे पानी का गर्मी में प्रयोग किए जाने के लिए किस प्रकार भंडारण किया जाए।

मैं अपने जिले के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। पलक्कड जिले में अट्टापाडी जैसे स्थानों में और वायनाड तथा इदुक्की जिलों के कई अन्य स्थानों में भूस्खलन होता रहता है, पर्वत टूटकर

गिरते रहते हैं। इन स्थानों में पहले ही बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो चुका है इस घटनाओं से प्रभावित होने वाले अधिकांश जनजाति के लोग है जो संक्रामक बीमारियों एवं कई तरह की विपत्तियों से ग्रस्त रहते है।

पलक्कड जिले में मलमपुझा स्थान को केरल में बाधयुक्त स्थान होने का गौरव प्राप्त है। यह वह बांध है जिससे पलक्कड जिले की सिंचाई होती है जिसकी केरल के ''खाद्यान्न भंडार'' के रूप में पहचान है अभी हाल में बांध के किनारे पर दरार देखी गई है। यदि इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, भली भांति गौर नहीं किया गया तो इसके बड़े घातक परिणाम हो सकते है। बांध के संभावित विध्वंस से उत्पन्न होने वाली त्रासदियों की श्रृंखला के परिणाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। इस मामले पर ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

महोदय मैं एक ऐसा उदाहरण देना चाहता हूं जो केरल में बाढ़ की स्थिति के गंभीरता को एकदम स्पष्ट कर देगा। मनुष्यों, मकानों, कृषि भूमि और फसलों आदि के अलावा पशुओं की भी हानि हुई है। कुन्तीपुझा नदी जो कि प्रसिद्ध मूक घाटी से निकलती है, मैं बाढ़ आई हुई थी। उसमें एक हाथी बह गया। मैंने यह उदाहरण केरल में आए बाढ़ की भंयकरता बताने के लिए दिया है।

महोदय, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं माननीय कृषि मंत्री का ध्यान केरल की गंभीर स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैं उनसे यह भी अनुरोध करता हूं कि वह केरल राज्य में राहत कार्यो के लिए अधिक धनराशि आवंटित करें। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह पालघाट की विशेष समस्या पर गौर करें जो पश्चिमी घाट के बहुत कम वर्षा वाले क्षेत्र में पड़ता है जिसमें ग्रीष्मकाल में भयंकर सूखा पड़ता है और मानसून में भारी बाढ़ें आती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री बालिन कुली (लखिमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष मानसून जल्दी आने के कारण हमारे देश के कुछ राज्यों में विध्वंसकारी बाढ़ आ गई है। इन राज्यों में विशेषकर कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश और असम बहुत बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। हजारों करोड़ों रूपये की संपत्ति नष्ट हो गई है और रहने के हजारों मकान वहां पानी में बह गए हैं। इन राज्यों में लाखों रूपये की खड़ी फसल क्षतिग्रस्त हो गई है। केन्द्रीय सरकार ने पीड़ित लोगों की सहायतार्थ उपयुक्त तात्कालिक कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री ने तुरंत अपने कोष से बाढ़ सहायता कार्यो के लिए 15 करोड़ रूपये जारी किए है। माननीय प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया अत्यधिक प्रशंसनीय है।

महोदय, मेरे अपने असम की ओर दृष्टिपात करने से पता चलता है कि यह प्रतिवर्ष बाढ़ की भीषण चपेट में नियमित रूप से आता रहा है। इस बार इस राज्य के दो जिलों में भारी बाढ़ के कारण अत्यधिक नुकसान हुआ है। ये हैं घमागी और शिवसागर। घमागी जिला जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत आता है लगातार तीन भारी बाढ़ों से प्रभावित रहा है। इस जिले में रहने वाले अधिकांश लोग अन्य पिछड़े वर्ग, आदिवासी और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। वहां पर करोड़ो रूपए मूल्य की खड़ी फसल नष्ट हो गई है। कृषि योग्य हजारो एकड़ भूमि

बाढ़ के कारण व्यर्थ हो गई है। लाखों व्यक्ति बेघर हो गए हैं क्योंकि उनके घर पानी में बह गए है। दस व्यक्तियों भी जाने गयी। सैंकड़ो जानवर मर गए। मुर्गीपालन और शूकर पालन फार्म पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। लगभग एक सौ किलोमीटर लम्बा तटबंध पानी में बह गया है। हाल की बाढ़ से लगभग दस लाख व्यक्ति प्रभावित हुए है। सैकड़ों व्यक्ति अभी तक कैंपों में है।

असम की राज्य सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से राहत और पुनर्वास उपाय प्रांरभ किए है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है विशेषकर प्रभावित लोगों के पुनर्वास के मामले में राज्य में वित्तीय संकट आया हुआ है। इसलिए केन्द्रीय सरकार को मेरी विनम्र प्रार्थना है कि राज्य सरकार की ओर सहायता का हाथ बढ़ाए जिससे दुर्भाग्यशाली व्यक्तियों का तुरंत पुनर्वास हो सकें। असम आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ राज्य है। यहां भारी वित्तीय संकट रहा है। यह बाढ़ जैसी प्राकृतिक विपदाओं के पीड़ितों को राहत देने का अतिरिक्त बोझ वहन नहीं कर सकता।

राज्यों को दिए जाने वाला केन्द्रीय राहत अथवा सहायता संबंधी फार्मूले में परिवर्तन होना चाहिए। नवें वित्त आयोग ने इस समय एक फार्मूला दिया है जिसमें 75 प्रतिशत राहत सहायता केन्द्रीय सरकार से और 25 प्रतिशत राहत सहायता राज्य सरकार की ओर से प्रबंध करने की व्यवस्था है। वित्त आयोग का यह फार्मूला संभव नहीं है। वित्त आयोग को राज्य सरकार, विशेषकर असम सरकार की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए संभव रूख अपनाना चाहिए। यह अच्छी बात है कि केन्द्रीय सरकार ने केन्द्रीय प्रयोजित समेकित जलबंध प्रबन्ध योजना प्रारम्भ की है। इस योजना से केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकार के लिए बाढ़ और अन्य विपदाओं से उत्पन्न आपात स्थिति से निपटने के लिए अधिक धनराशि आबंटित करनी चाहिए। असम की बाढ़ समस्या का हल ढूंढने के लिए केन्द्रीय सरकार के द्वारा तुरन्त ध्यान देने की आवश्यकता है। असम के लोग अभी तक यह महसूस करते हैं कि यह समस्या केन्द्रीय सरकार द्वारा नजरअंदाज की गई है। इस अवसर पर, मैं पुनः सुबनसिरी बांध परियोजना का मुद्दा उठाना चाहता हूं जिसे काफी समय तक निरस्त रखा गया है। यह काफी समय से लम्बित और असम के लोगों की जबरदस्त मांग रही है। इस परियोजना को जल संसाधन मंत्रालय की कार्यसूची में प्राथमिकता मिलनी चाहिए और इसे पूरी ईमानदारी के साथ प्रारम्भ किया जाना चाहिए। यह असम के उत्तरी तट की बाढ़ समस्या का समाधान पाने में सहायक सिद्ध होगा। मुझे आशा है कि जल संसाधन मंत्रालय सुबनसिरी परियोजना प्रारम्भ करने में और बिलम्ब नहीं करेगी।

महोदय, भूकटाव भी असम की एक बहुत बड़ी समस्या है। मानसून के दौरान और इसके बाद शक्तिशाली ब्रहमपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियां कृषि योग्य हजारों एकड़ भूमि हड़प रही हैं और प्रत्येक वर्ष गांवों को जलमग्न कर रही हैं। 900 किलोमीटर लम्बी ब्रहमपुत्र के दोनों तट पहले ही सदिया, डिब्रुगढ़, परागबाड़ी, प्रसिद्ध नदी द्वीप माजुले का आधा भाग, मनकहार जैसे कस्बों का क्षरण कर चुकी है और डिब्रुगढ़, धूब्री, घेमागी, डडिया, मंगलडोई, सुआलकुची आदि जैसे कस्बों के लिए आगे खतरा बन रही है। यदि यह अनवरत भूकटाव नहीं रोका गया तो लगभग पूरी कृषि योग्य भूमि भूकटाव के कारण समाप्त हो जाएगी और इसके कारण खेतीहर मजदूर

बेरोजगार हो जाएंगे और यह असम राज्य की मूलभूत अर्थ व्यवस्था को आघात पहुंचाएगी।

इसलिए, केन्द्रीय सरकार विशेषकर जल संसाधन मंत्रालय को ईमानदारी के साथ भूकटाव रोकने के लिए एक अर्थक्षम परियोजना प्रस्तुत करनी चाहिए। भूकटाव और बाढ़ रोकने के लिए शक्तिशाली ब्रहमपुत्र नदी को नियन्त्रित करना चाहिए। इस प्रयोजनार्थ, सुबनसिरी और देहंग परियोजनाओं जिन्हें लम्बित रखा गया है, को पूरी तरह कार्यान्वित किया जाना चाहिए। यह असम के लोगों की काफी समय से चली आ रही मांग है।

मैं इन शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्रीमती तारादेवी सिद्वार्थ ने एक पत्र भेजा है जिसमें लिखा है कि वह कहीं जाना चाहती है। यदि आप सभी सहमत हैं तो मैं बोलने के लिए उनका नाम पुकार सकता हूं।

एक माननीय सदस्य : महोदय, आप पीठासीन हैं, आप निर्णय कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं हमेशा सभा की राय मांगता हूं। अतः मैं अब श्रीमती तारादेवी सिद्धार्थ का नाम बोलने हेतु पुकारता हूं।

श्रीमती डी. के. तारादेवी सिद्धार्थ (चिकमंगलूर) : महोदय, दक्षिण–पश्चिम मानसून के कारण लगातार भीषण वर्षा के कारण बर्बादी हुई है; और कर्नाटक, असम, गुजरात, केरल सहित सात राज्यों में दयनीय स्थिति भी व्याप्त है। बाढ़ की विभीषिका से 600 जानें गई हैं; हजारों लोग विस्थापित और बेघर हो गए हैं। उन्होनें अपनी सम्पत्ति गंवा दी है, उन्हें करोडों रूपए के लागत की खड़ी फसल की हानि हुई है। मेरा राज्य कर्नाटक अनवरत वर्षा और भारी बाढ़ की विभीषिका से बुरी तरह प्रभावित है। पर्वतीय क्षेत्रों में भारी वर्षा और विद्यमान बाढ़ के कारण चिकमंगलूर, कुर्ग और तटवर्ती भाग और उत्तर कर्नाटक बुरी तरह प्रभावित रहे हैं। बाढ़ ने लोगों की स्थिति दयनीय बना दी है। गत डेढ़ महीनों के दौरान बाढ़ इतनी अधिक हो रही है कि विशाल क्षेत्र जलमग्न हो गए। आठ जिलों में अत्याधिक वर्षा और बाढ़ के कारण 100 करोड़ रूपए से अधिक और गैर–सरकारी सम्पत्ति की हानि हुई है। नदी जल का जल प्रवाह बढ़ जाने से हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि गाद वाली भूमि बन गई है।

मेरा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, चिकमंगलूर, कर्नाटक राज्य में सबसे अधिक प्रभावित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। जिले में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के मेरे दौरे के दौरान मैंने लोगों की स्थिति देखी थी। हर स्थान पर भूस्खलनों से सड़के अवरूद्ध हो गई और यातायात में बाधा पड़ी। अनेक गांव जिले के शेष भाग से कट गए। पुलों के बह जाने और बिजली के फेल होने और लगातार कई दिनों तक आवश्यक वस्तुओं की अनुलब्धता के कारण स्थिति और अधिक खराब हो गई।

हजारो लोग, जिनके गांव और घर जल के कारण वीरान छोड़ गए थे, को अन्य स्थानो में स्थानांतरित किया गया। अनिश्चितता उन्हें तंग कर रही है। उन्हें नहीं मालूम उन्हें कब तक बेघर रहना पड़ेगा।

सबसे अधिक प्रभावित लोग किसान है। हमारे क्षेत्र में प्रत्यारोपण की ऋतु है। धान पौधशालाएं जिन्हें प्रत्यारोपण के लिए विकसित किया गया था पानी में बह गई हैं। धान भूमि पर जल प्रवाह के कारण उपजाऊ भूमि क्षार भूमि बन गयी है। इनमें से अधिकांश लोग छोटे किसान हैं जिनके पास आधी एकड़ से दो एकड़ तक भूमि है। इस वर्ष की फसल बर्बाद हो गई हैं। उनके पास अपनी भूमि पर जमा गाद को हटाने के लिए धन नहीं है। उनके पास अपनी भूमि को अगली फसल हेतु कृषि योग्य बनाने तथा विकसित करने के लिए भी धन नहीं है। उन्होंने जो भी बचत की थी अथवा ऋण लिया था, सब इस वर्ष की फसल उगाने में खर्च हो चुका है। वे पूर्णतया बर्बाद हो चुके है। उनके पास जीविका हेतु कोई वैकल्पिक साधन नहीं हैं।

कर्नाटक राज्य और चिकमंगलूर जिला प्रशासन अत्यधिक कठिन परिस्थिति में प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। लेकिन धन की कमी और बाढ़ के कारण हुई भारी क्षति के कारण, स्थिति से निपटने के लिए केवल राज्य सरकार से मिलने वाली सहायता ही पर्याप्त नहीं है। उदारतापूर्वक उतनी ही सहायता केन्द्रीय सरकार द्वारा भी दी जानी चाहिए। मैं प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री से राज्य सरकार को वित्तीय सहायता देने और प्रभावित किसानों को कम कीमत पर बीज तथा आदान जैसे उर्वरक और कीटनाशक प्रदान करने के लिए अनुरोध करता हूं। केन्द्रीय सरकार को उनकी भूमि पर जमा गाद हटाने और उनकी भूमि विकसित करने के लिए किसानों को सहायता देने हेतु अवश्य आगे आना चाहिए।

मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि उन किसानों को, जिनकी भूमि पर गाद जमा हो गया है और जिनकी आलू, गोभी जैसी फसलें तथा अन्य वस्तुएं पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गई हैं, बाढ़ ऋण दिया जाना चाहिए। बाढ़ ऋण ब्याज मुक्त होना चाहिए। इससे उन्हें निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। वे इस धन का इस्तेमाल अन्य आदान प्राप्त करने और अगली फसल की जुलाई के लिए तैयारी में लगा सकते हैं।

बाढ़ ऋण छोटे किसानों को बिना ब्याज देना चाहिए। वे किसान जो आय सीमा से ऊपर उठ चुके हैं उन्हें भी बहुत अधिक कठिनाई हुई है। उन्हें भी सीमान्त ब्याज पर ऋण दिया जाना चाहिए। यही सुविधाएं लघु और कुटीर उद्योगों को दी जानी चाहिए। जिन लोगों की दुकानें आदि पूरी तरह से बह गई हैं उन्हें भी सरकार द्वारा सहायता दी जानी चाहिए।

इस दशक के प्रारम्भ से ही कर्नाटक प्रति वर्ष किसी न किसी तरह की प्राकृतिक आपदा का शिकार बनता रहा है। पिछले चार वर्षो से निरन्तर सूखा पड़ने और बाढ़ की तबाही के साथ—साथ 1993 में भूकम्प और साम्प्रदायिक हिंसा से राजकोष को बहुत अधिक हानि हुई है। कर्नाटक को बहुत सारा धन राहत कार्यो पर खर्च करना होता है। इस बार भारी वर्षा और बाढ़ से बहुत गम्भीर तबाही हुई है। राज्य सरकार अकेले ही इस स्थिति को बहुत कारगर ढंग से नहीं निपट सकती। हमारी राज्य सरकार ने पहले ही केन्द्र सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर दिया हैं जिसमें राज्य को राहत कार्य करने के लिए 100 करोड़ रूपए आन्तरिक सहायता के रूप में मांगे गए हैं।

मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह कर्नाटक के लोगों विशेष रूप से उन लोगों जिनका सब कुछ इस बाढ़ में नष्ट हो गया है या जिन्हें राहत की बहुत अधिक जरूरत है, की सहायता के लिए वित्तीय सहायता तत्काल जारी करें।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने रक्षा राज्य मंत्री श्री मल्लिकार्जुन जी को कर्नाटक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नुकसान का जायजा लेने के लिए भेजा। उनकी यात्रा से लोगों के मन में यह आशा जागृत हुई है कि प्रधानमंत्री जी राज्य को पर्याप्त धन उपलब्ध करांएगे।

मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने प्रत्येक मृतक के आश्रित को प्रधानमंत्री राहत कोष से 50 हजार रूपए का मुआवजा देने की घोषणा की है।

महोदय, हमारे देश का विकास अत्याधिक असमान है। हमने आम तौर पर उस भूमि पर मकान, दुकानें, कॉलोनियों, उद्योग और कस्बों का विकास कर लिया है जिसे आमतौर पर बाढ़–प्रवण समझा जाता है। दूसरे देशों में विकास का कोई मानदण्ड होता है। यहां पर ऐसा कोई मानदण्ड मौजूद नहीं है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के एक प्राक्कलन के अनुसार देश में कुल 329.3 मिलियन हेक्टेयर भौगोलिक क्षेत्र में से लगभग 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र को बाढ़–प्रवण क्षेत्र घोषित किया गया है। लेकिन आज जैसी स्थिति है सरकार उस भूमि में से केवल 14 मिलियन हेक्टेयर भूमि को बचा पाने की स्थिति में है। इसमें से बाकी भूमि वर्ष दर वर्ष बाढ़ से बहती जा रही। कोई भी इस स्थिति में नहीं है कि यह अनुमान लगाए कि कितना नुकसान हुआ है और न ही हम इस स्थिति में है कि इसे रोकने के लिए कुछ कर सकें।

इस संबंध में मैं यह अनुरोध करता हूं कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं को राष्ट्रीय समस्या माने कुछ राज्यों तक ही सीमित समस्या न माने। इस समस्या से समुचित धनकोष से पूर्व और नियोजित केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के माध्यम से निपटा जाए। अन्यथा, हर वर्ष नए तटबन्धों, निकास के नालों और अन्य नियन्त्रण निर्माण पर लाखों रूपये व्यय करने के बावजूद इस समस्या का समाधान नहीं होगा।

मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : 20 से अधिक माननीय सदस्य इस वाद–विवाद में भाग लेने के लिए बहुत इच्छुक हैं। इसके लिए निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की भावनाएं समझ सकता हूं। यदि आप बहुत संक्षेप में तथा हर सदस्य केवल दो मिनट में अपनी बात कहने का वायदा करें तो मैं अनुमति दूंगा। सभा की कार्यवाही का टेलीविजन पर प्रसारण किया जा रहा है और पूरे देश भर में लोग टेलीविजन देखते हैं, इस दृष्टिकोण से आपका भाग लेना भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृपया मेरे साथ सहयोग करें और संक्षेप में बोले। मैं सूची के अनुसार सदस्यों के नाम पुकारूगां। श्री शरद पटनायक बोलेंगे।

श्री शरद चन्द पटनायक (बोलंगीर) : महोदय, देश के कुछ भाग प्रति वर्ष बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं। इसके फलस्वरूप सम्पत्ति, मानव जीवन और पशुधन की हानि होती है। हर वर्ष, ऐसी हानि पर काबू पाने के लिए राज्य सरकारों को राष्ट्रीय आपदा कोष से सहायता उपलब्ध कराई जाती है। मैं कहूंगा कि एक निश्चित बाढ़ नियंत्रण नीति नहीं है। अगर जल संसाधन, कृषि, पर्यावरण और वन, ग्रामीण विकास तथा जल भूतल परिवहन मंत्रालयों से परामर्श करके एक समन्वित कार्यवाही की जाए तो संभवतः इन प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है।

मेरा यह सुझाव है कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर तीन स्तरीय कार्यवाही की जानी चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य नदियों को जोड़कर एक राष्ट्रीय स्तर की जल नीति तैयार की जानी चाहिए। राज्य स्तर पर बांध, बहाव बदलने के लिए दीवारों को मानसून से पूर्व मजबूत किया जाना चाहिए। जिन नदियों और सहायक नदियों को परस्पर जोड़ा जाना है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्थानीय स्तर पर जल ग्रहण क्षेत्र में किए जाने वाले कार्य को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। नदी के तल का उचित रखरखाव किया जाए। बाढ़ मुख्य रूप से वनों के कटने के कारण आती है अतः व्यापक वनरोपण कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए।

महोदय, अब उड़ीसा में बाढ़ के कारण हुई तबाही के मुद्दे को लें इस बारे में हम माननीय प्रधान मंत्री के बड़े आभारी है कि उन्होंने नुकसान का जायजा लेने के लिए हमारे राज्य में एक केन्द्रीय मंत्री को भेजा। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सहायता की मांग की है लेकिन राज्य सरकार के रवैये के कारण उड़ीसा के लोग अनेक कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। अभी तक किए गए राहत उपाय अपर्याप्त हैं। बाढ़ के पानी की निकासी का समुचित प्रबन्ध नहीं है। पूरे उड़ीसा राज्य में इस प्राकृतिक आपत के कारण अनुमानित नुकसान लगभग 200 करोड़ रूपये हुआ है। अकेले बोलंगीर में, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, बाढ़ के कारण लगभग 10 करोड़ रूपये की क्षति होने का अनुमान है।

राज्य सरकार के पक्षपातपूर्ण रवैये के कारण लोग अनेक कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। राज्य तन्त्र समय पर कार्यवाही करने में विफल रहा है और लोगों को प्रकृति की दया पर छोड़ दिया गया है। अगर तत्काल केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई तो राज्य की अर्थव्यवस्था नष्ट हो जाएगी। बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में साफ पेयजल के अभाव के कारण महामारी उत्पन्न होने की संभावना है। अतः मैं अनुरोध करता हूं कि हमारे उड़ीसा राज्य को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएं। छात्र समुदाय के लिए टयुशन शुल्क माफ कर देना चाहिए। किसानों के लिए, कृषि ऋण की वसूली स्थगित कर दी जाए।

केन्द्र सरकार द्वारा बाढ़ नियंन्त्रण संबंधी एक प्रौद्योगिकी मिशन स्थापित किया जाए। उड़ीसा के कुछ भागों विशेषकर घेनकनाल जिले के विभिन्न खंड़ों— भूबन, कामाक्षया नगर, हिन्डोल, बांबडा, डम्फा टिकरापाड़ा और अटमालिक में 22 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है और राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई सहायता प्रदान नहीं की है। 4-5 दिन पूर्व, माननीय मंत्री श्री के. पी. सिंह

देव के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित क्षत्रों में राहत कार्य शुरू किए हैं।

बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले हर व्यक्ति को प्रभावित करती है लेकिन दुर्भाग्य से, सत्ताधारी जनता दल बाढ़ द्वारा प्रभावित लोगों के साथ सोतैला व्यवहार कर रहा है। इन लोगों की मदद करने के लिए हमारे सभी प्रयास और अनुरोधों को राज्य सरकार अनसुना कर रही है।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि बाढ़ से प्रभावित लोगों की स्थिति सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जायें।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : उपाध्यक्ष महोदय, इस अत्यंत महत्वपूर्ण वाद–विवाद में मुझे बोलने का जो अवसर प्रदान किया गया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष बाढ़ के कारण केरल और विशेष रूप से मेरा निर्वाचन क्षेत्र त्रिवेन्द्रम प्रभावित हुए हैं।

मुझसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि इस देश के अनेक भाग असामान्य बाढ़ से अत्यधिक प्रभावित हुए हैं। बाढ़ के कारण देश में तबाही आई है और इससे विशेषकर पिछले डेढ़ महीने के दौरान हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, और उड़ीसा तथा कश्मीर के अनेक भागों में नुकसान हुआ है। जानें गई हैं तथा सारे देश से प्राप्त आंकड़ो के अनुसार 600 लोगों की जान गई है। मिले समाचारों के अनुसार केरल जैसे छोटे से राज्य में 60 लोगों की जान गई तथा कुछ लोग अभी भी लापता हैं। अब जो अद्यतन आंकड़ा हमें उपलब्ध करवाया गया है, उनके अनुसार यह संख्या 192 तक पहुंच गई है।

त्रिवेन्द्रम से अभी–अभी प्राप्त सूचना के अनुसार त्रिवेन्द्रम में लगभग सारा क्षेत्र जलमग्न है। महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 30 कि. मी. क्षेत्र समुद्र तट पर है। प्रत्येक वर्ष मानसून के दौरान तटीय क्षेत्र बह जाते हैं तथा हमारे क्षेत्र के हजारों मछुआरें मछली पकड़ने नहीं जा सकते। उनकी झौपड़ियां बह जाती हैं तथा उन्हें राहत कैम्पों में रहना पड़ता है। लगभग 1100 गांव बाढ़ से प्रभावित होते हैं। केरल से मेरे मित्रों ने पहले ही बाढ़ से हुए नुकसान का उल्लेख किया है। 160 करोड़ रूपए से भी अधिक की हानि होती है। किन्तु वास्तविकता यह है कि अभी भी अधिकतर क्षेत्र पानी में डूबे हुए हैं। अनाज की फसलों तथा अन्य फसलों को हुए नुकसान का अभी आंकलन नहीं किया जा सकता। सड़कों को हुए नुकसान का भी अभी हम आंकलन नहीं कर सकते। त्रिवेन्द्रमं में दो नदियां हैं जिनमें बाढ़ आई हुई है। इसके कारण त्रिवेन्द्रम के लोगों को भी काफी कठिनाई हो रही है। इन परिस्थितियों में मैं यह महसूस करता हूं कि हमारा यह उत्तरदायित्व बनता है कि हम यह देखें कि जो लोग इस बाढ़ से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, उन्हें पर्याप्त सहायता मिलनी चाहिए। ऐसा हर वर्ष होता है। बाढ़ के कारण हजारों परिवार बेघर हो जाते हैं। महोदय, एक स्कूल की ईमारत मे 150 परिवारों को रखा गया है। यह एक अत्यंत दयनीय दृश्य है। इसलिए मेरा यह सुझाव है कि इस सम्बन्ध में हमारी एक स्थायी योजना अथवा नीति होनी चाहिए ताकि जो क्षेत्र हर वर्ष बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनकी स्थायी तौर पर सुरक्षा की जा सके। तटीय क्षेत्रों में समुद्र तट के साथ एक दीवार बनाने का प्रयास किया गया था।

सातवीं योजना के दौरान इस दिशा में कुछ कार्य किया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश एक योजना को त्याग दिया गया। अब इस योजना को राज्य सरकार पर छोड़ दिया गया है। केरल जैसा राज्य जिसका समुद्र तट क्षेत्र सबसे लम्बा है, इतना बड़ा कार्य जिस पर करोड़ों रूपए खर्च आयेगा, कैसे पूरा कर सकता है। अगर एक योजना को पुनः आरम्भ किया जाता है तो केरल जैसे राज्य जहां कि भूमि की कीमत बहुत अधिक है, अत्यधिक लाभन्वित होंगे।

वर्तमान चर्चा से पहले हमने विमानपत्तन प्राधिकरण विधेयक पर एक अच्छी चर्चा की थी। हमारे यहां एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा समुद्र तट से मात्र 200 फीट की दूरी पर है। अगर बाढ़ आती है तो यह हवाई अड्डा भी बह सकता हैं इसलिए कुछ विशेष सहायता अवश्य ही दी जानी चाहिए।

नवें वित्त आयोग की सिफारिश पर हमारे राज्य के लिए 31 करोड़ की राशि आबंटित की गई है। जोकि बहुत ही कम है। मेरी समझ में नहीं आता कि केरल जैसे राज्य के लिए यह सीमा किस प्रकार निर्धारित की गई जहां कि कई करोड़ रूपए की हानि हुई है। केन्द्र सरकार से मिलने वाली यह थोड़ी सी सहायता कदापि पर्याप्त नहीं होगी। हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने 100 करोड़ रूपए की एक मुश्त सहायता प्राप्त करने के लिए पत्र लिखा था परन्तु आज तक केन्द्रीय सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

मुझे ऐसे कहते हुए खेद है कि हमारे कृषि मंत्री महोदय जिन्हें यहां उपस्थित होना चाहिए था यहां नहीं हैं। हम उन पर आरोप नहीं लगाते। वे अन्य कामों में भी व्यस्त हो सकतें हैं।

इसके अतिरिक्त वे अनेक बार हमारे राज्य की यात्रा कर चुके हैं। इसलिए वे हमारे राज्य के भूगोल को जानते हैं। वे जानते हैं कि बाढ़ हमारे राज्य को कितना प्रभावित करती है। इसलिए सदैव यह जरूरी नहीं कि बाढ़ की स्थिति का हवाई जायजा लिया जाये। वे जानते हैं कि वहां स्थिति कैसी है। तात्पर्य यह है कि यहां सारी स्थिति की जानकारी है। इसलिए उन राज्यों को सभी प्रकार की संभव सहायता देने का प्रयास किया जाना चाहिए तो निरंतर बाढ़ से प्रभावित होते रहते हैं।

हमें बाढ़ तथा प्राकृतिक आपदाओं पर एक साथ चर्चा करनी चाहिए। आज बाढ़ आई हुई है। अब कुछ महीनें बाद सूखा पड़ेगा। केरल में ऐसा ही होता है। कभी वहां बाढ़ आयेगी; कुछ महीने बाद सूखा पड़ेगा। जब तक वहां पर बांध बनाने जैसी कोई स्थायी योजना नहीं बनाई जाती, यह राज्य सदा ही इन प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित रहेगा।

मानसून का सारा पानी समुद्र मे बह जाता है तथा बेकार हो जाता है। हमें इस पानी को इक्ट्ठा करना चाहिए ताकि इससे आगे आने वाले सूखे से राज्य की रक्षा की जा सके। यह भी नहीं किया जा रहा है। जब सूखा पड़ता है तो हम सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लिए कुछ राहत राशि जारी कर देते हैं; फिर जब बाढ़ आती है तो फिर हम कुछ अस्थायी राहत देने पर विचार करते हैं। इस प्रकार इस अस्थायी राहत से कोई लाभ नहीं होगा। अब केन्द्र द्वारा तुरंत कुछ राशि जारी

करने की आवश्यकता है। जब तक यह राशि वहां नहीं पहुंचती, जन–प्रतिनिधि मुश्किल में रहेंगे। हर रोज टेलिफोन आते हैं और हमें बताना पड़ता है कि सरकार कौन–कौन से राहत उपाय कर रही है। शनिवार तथा रविवार को हम वहां जाते हैं। जब प्रभावित लोग राहत शिविरों मे होते हैं, उनके लिए कोई राशन, बिजली, तथा कपड़े नहीं होते। प्रभावित लोगों को जानवरों की तरह इन राहत शिविरों में भर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में हम जाकर उन्हें कैसे देख सकते हैं?

इसलिए भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि इस पर गंभीरता से विचार करते हुए तुरंत ही हमारे राज्य को कुछ राहत पहुंचाई जानी चाहिए। 100 करोड़ रूपए की तुरंत राहत प्रदान करने का हमारे मुख्य मंत्री के अनुरोध को विशेष मामला स[illegible] जाना चाहिए।

इसी प्रकार देश के सभी भागों को सहायता दी जानी चाहिए। मैं स्वयं को केवल अपने राज्य तक ही सीमित नहीं रख रहा आखिरकार यह एक बहुत बड़ा देश है तथा देश के अनेक भाग बाढ़ तथा सूखे से प्रभावित हैं तथा हमें उन लोगों की सहायता के लिए कुछ कदम उठाने चाहियें जोकि इनसे गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। मवेशियों के लिए भी मुआवजा दिया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि त्रिवेन्द्रम तथा केरल को तुरंत राहत उपलब्ध करवाई जानी चाहिए तथा देश के अन्य भागों की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं। यह कहा जाता है कि भारतीय कृषि मानसून के साथ जुआ है। प्रत्येक वर्ष भारत के अनेक भाग बाढ़, तूफान और सूखे जैसी सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित होते हैं अथवा हो रहे हैं।

यह वर्ष एक असाधारण वर्ष है जब देश के अनेक भाग बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए है। माननीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सारे देश में 539 लोगों की जान गई परंन्तु यह संख्या इससे भी अधिक है। यह कहा गया है कि मेरे राज्य में केवल 10 लोगों की जान गई परन्तु बाद में यह पता चला कि 18 से भी अधिक लोगों की जान गई।

मेरा राज्य बाढ़ से इसलिए बुरी तरह प्रभावित हो रहा है क्योंकि सुवर्ण रेखा वैतरणी, महानदी तथा ब्राह्मणी नदियों में बाढ़ आई हुई है। मेरे राज्य के 15 जिले प्रभावित हुए है। प्रभावित होने वाले ब्लाकों की संख्या 22 हैं 7 यू. एल. बी. प्रभावित हुए हैं। 596 जी. पी. प्रभावित हुई हैं। 2606 गांव प्रभावित हुए हैं तथा हाल ही आई बाढ़ से प्रभावित होने वाली जनसंख्या की गिनती 90,14,872 है। 18 लोगों से भी अधिक की जान गई। 2,25,256 हैक्टेयर कृषि क्षेत्र को नुकसान पहुंचा। 154 बांधों में दरारें आई। 295 छोटी सिंचाई परियोजनायें प्रभावित हुई। 1065 लिफ्ट सिंचाई परियोजनायें प्रभावित हुई। कटक, नाजपुर, भद्रक, पुरी, साम्बलपुर, नयागढ़, बालासोर, बौध, सुरंदगढ़, कोरापुट, सोनपुर, अंगुल केन्द्रपाड़ा, तथा खुर्दा जिले प्रभावित हुए।

यहां मैं माननीय प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री तथा कृषि मंत्रालय के राज्य मंत्री महोदय को बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने देश के इन विभिन्न बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आवश्यक

प्रबन्ध किए। माननीय श्री ए. के. एन्टनी ने भी हमारे राज्य का दौरा करने की कृपा की।

महोदय, यह देखा गया है कि राहत सहायता प्रदान करने, बाढ़ से पूर्व एहतियाती उपाय करने तथा हमारे राज्य में बाढ़ से प्रभावित लोगों की शिकायतों का निवारण करने के लिए कोई कदम उठाने के कर्तव्य को पूरा करने में राज्य सरकार असफल रही है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार ने बांधों की मरम्मत कराने, रास्तों का निर्माण आदि करने संबंधी पर्याप्त एहतियाती उपाय नहीं किए है।

सुवर्णरेखा नदी में भीषण बाढ़ आने से कुछ गांव बह गए, सैकड़ों घर पूर्णतः बह गए और उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया था। लेकिन वर्तमान राज्य सरकार ने बांधों की मरम्मत नहीं की हैं। इसीलिए अनेक दरारें आ गई हैं। वर्तमान राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण धनराशि का दुरूप्रयोग किया गया है। यह राज्य सरकार का दायित्व था।

केन्द्र सरकार ने उदार नीति अपनाई है और घोषणा की है कि राज्य सरकार को जितने धन की आवश्यकता है उतना व्यय कर सकती है और केन्द्र सरकार वह पैसा देगा। इसके लिए केन्द्र सरकार ने 3:1 का अनुपात निर्धारित किया है लेकिन राज्य सरकार एहतिया उपाय नहीं कर रही है। जबकि खाद्यान्नों की बहुत कम मात्रा इस कार्य के लिए रखी गई थी। फिर भी खाद्यान्न आबंटित नहीं किये गए। हम वहां थे और बी० डी० ओ० तथा कलक्टरों के समक्ष मामला 4-5 दिन तक रखने के बाद भी कुछ नहीं कर सके थे। उनका कहना था कि वहां कोई खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुए है। उन्होंने कुछ चूरा तथा चावल लिए और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में उन्हें बांट दिया। बाढ़ ग्रस्त गांवों में लोग काफी परेशान थे क्योंकि उनके साथ संपर्क रखने वाले सभी संचार माध्यम कट चुके थे। वे अपने घरों में थे। वे वहां फंसे हुए थे। वे अभी भी फंसे हुए है। उनको राहत सहायता नहीं मिली क्योंकि राज्य सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। महोदय, राज्य में कुछ स्थानों पर कांग्रेस सरकार के समय पहले ही बांध बनाए जा चुके थे। लेकिन वे बांध पूर्णतः नष्ट हो गए थे और उनसे बाढ़ में कोई बचाव नहीं हुआ।

महोदय, आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि यह मानव द्वारा लाई गई बाढ़ है क्योंकि अनेक व्यक्तियों ने राज्य सरकार के ध्यान में यह बात लाई थी कि यह भाग कमजोर हो गया है और बांध के इस हिस्से को मजबूत किया जाना चाहिए। इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती। कुछ स्थानों पर लोगों ने इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया था कि यह बांध बह जाएगा। किसी व्यक्ति ने कहा था कि बंगनबाड़ी में एक बहुत बड़ी दरार थी और बाढ़ में घर पूर्णतः बह जाएंगे। हमें यह बताया गया है कि किसी ने उस बांध में नदी की तरफ से पोलीथाइलीन पाइप लगा दी है और इसे बदला नहीं जा सकता है तथा इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है। वह उस सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं। इसी प्रकार, राहत कार्य भी पक्षपातपूर्ण ढंग से किया गया था। जहां भी कांग्रेस के लोग हैं उन्हें सहायता नहीं मिली थी। कुछ जनता सरपंचों और कुछ सभापतियों ने समस्त राहत भंडार बेच दिया था। हमने अपने दल की निधियों से राहत की व्यवस्था की। हमने और हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और हमारे दल की निधि से

राहत सहायता प्रदान की। लेकिन राज्य सरकार ऐसा करने में हिचकिचा रही है। हम अपने बी. डी.ओ. उप–कलक्टर तथा कलक्टर को कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वे कदम उठा रहे हैं। हमारे एकीकृत कार्य के बावजूद भी सरकार कुछ नहीं कर सकी थी।

मैं केन्द्र सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार को उन क्षेत्रों का सर्वेक्षण करना चाहिए जहां प्राकृतिक आपदाएं बार–बार आती है और बिहार में सुवर्णरेखा नदी पर चांदिल बांध के पूरा न होने के कारण यह स्थायी समस्या है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में बार–बार बाढ़ आती है और यह हर वर्ष बुरी तरह से प्रभावित होती है। महोदय, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस वर्ष मोगरी ब्लॉक में 16 पंचायतें और 60,000 जनसंख्या के 83 गांव तथा 9344 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसी प्रकार बलियापाल ब्लॉक में 14 पंचायतें, 55,000 जनसंख्या वाले 81 गांव तथा 6,000 हेक्टेयर फसल क्षेत्र और जालेश्वर ब्लॉक में 12 पंचायतें, 35,000 जनसंख्या वाले 67 गांव तथा 5,500 हेक्टेयर का फसल क्षेत्र प्रभावित हुआ था। बास्ता ब्लॉक में भी चार या पांच जिले प्रभावित हुए थे।

महोदय, चांदिल बांध परियोजना एक अंतर्राष्ट्रीय परियोजना है। इसे सातवीं पंचवर्षीय येाजना में पूरा कर लिया जाना चाहिए था लेकिन इसे पूरा नहीं किया जा सका। क्योंकि पिछले चार वर्षों में जहां भी गैर–कांग्रेस सरकारें रही हैं उन्हें उनका हिस्सा नहीं दिया गया है, ऐसा बिहार, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा के साथ किया गया है और इस कारण जल निकासी योजनाएं पूरी नहीं की जा सकी थी। बांध में ठीक प्रकार से दरवाजे भी नहीं लगाए गए थे। इस पर अभी भी दरवाजा नहीं लगा है। चूंकि इसमें दरवाजा नहीं लगा है इसलिए बाढ़ आ जाती है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का काफी बड़ा क्षेत्र प्रभावित होता है।

मैं कृषि मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि चांदिल बांध पूरा करने तथा देवगढ़ में सिंचाई परियोजना बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।

महोदय, यदि हम समय–बद्ध कार्यक्रम के अंर्तगत इन सभी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कदम उठाएं तो लोगों पर इस प्रकार की विपदाएं न आएं। ऐसी विपदाएं तभी आती हैं क्योंकि हम इन परियोजनाओं को पूरा करने संबंधी अपने कर्त्तव्य की उपेक्षा करते हैं। इसलिए इन परियोजनाओं को समय–बद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत पूरा किया जाना चाहिए।

मैं उन कदमों के बारे में बताना चाहता हूं जो राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा उठाये जाने चाहिए। राज्य सरकार को केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहिए कि वह तत्काल आवास राहत अनुदान दे ताकि जो लोग बेघर हो गए है उनका पुनर्वास किया जा सके, जिनके घर बाढ़ में बह गए है उन्हें फिर से बसाया जा सके। घरों के निर्माण के लिए इंदिरा आवास योजना या ऐसी किसी अन्य योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उन्हें स्थायी रूप से बसाया जा सके।

इसी प्रकार दूसरी फसल के लिए ऋण सहायता भी दी जानी चाहिए उर्वरक, बीज और

कीटनाशक दवाईयां भी कम दामों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए। या तो ऋण माफ कर दिए जाने चाहिए अथवा उनकी वसूली अगले वर्ष तक रोक देनी चाहिए। राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे उपाय किए जाने चाहिए।

मेरा निवेदन है कि केन्द्र सरकार को उन राज्य सरकारों के साथ सावधानीपूर्वक व्यवहार करना चाहिए जहां कांग्रेस की सरकार नहीं है और इस बात को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केन्द्र के साथ पूर्णतः सहयोग करें और देश की बाढ़ प्रभावित जनता की समस्याओं के प्रति पूर्णतः सतर्क हों।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितला (कोट्टायम) : उपाध्यक्ष महोदय, केरल में बाढ़ के आने से जो स्थिति पैदा हुई है, उसके बारे में मैं यहां कुछ बताना चाहता हूं। वर्षा के कारण केरल में जो स्थिति पैदा हुई है, वह बहुत ही चिन्ताजनक है। पहले केरल के उत्तरी क्षेत्रों में भंयकर बाढ़ आई। अब दक्षिणी क्षेत्र की तरफ बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है अभी चार्ल्स जी ने केरल की बाढ़ के बारे में विस्तार से बताया। मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाना चाहता हूं। मेरे संसदीय क्षेत्र में और अन्य प्रदेशों के पहाड़ी इलाकों में जो भूस्खंलन आ रहे हैं।

6.00 म. प.

उसके बारे में सरकार को और ध्यान देना है। आज बहुत सारे लोग अपने घर–परिवार छोड़कर कैम्पों में और अन्य सुरक्षित स्थलों में निवास करने के लिए बाध्य हैं, ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। इसके लिए हमें बहुत सारे काम करने है। हमारे प्रदेश की सरकार और मंत्री रिलीफ कैम्पों में आवश्यक सामग्री पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप जानते है कि केरल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हैं, भयानक है। सरकारी आफिसरों को सैलरी देने के लिए भी हमारे प्रदेश के खजाने में पैसा नहीं है इस स्थिति में केन्द्र सरकार की सहायता बहुत जरूरी है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह सभा की इच्छा है कि हम आधे घण्टा देर तक बैठें।

कुछ माननीय सदस्य : उन्हें अपना भाषण पूरा करने दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। हम उन्हें उनका भाषण पूरा करने की अनुमति देते हैं।

[हिन्दी]

श्री रमेश चेन्नितला : फाइनेंस कमीशन ने जो नोर्म तय किया है, उसको बदलना बहुत जरूरी है। उन नोर्म के अनुसार 32 करोड़ रूपये हमें मिलते हैं। जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें इस धनराशि से कुछ नहीं हो सकता है इसलिए इसको बदलना चाहिए। आप भी जानते है कि कर्नाटक में बाढ़ की क्या स्थिति है। उधर हर स्टेट के लिए जो तय किया है, उससे रिलीफ का कोई काम नहीं हो सकता है इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करना

बहुत जरूरी है। जो स्थिति जहां पैदा होती है, नैचुरल कैलेमिटी जहां पैदा होती है, उसके बारे में जांच करके रिलीफ देने का इन्तजाम होना चाहिए और फाइनेंस कमीशन के नोर्म्स तय करने के पहले जो स्थिति थी, उसके अनुसार आर्थिक सहायता देने के लिए सरकार को सोचना चाहिए, तब उससे कुछ काम किया जा सकता है, लोगों की पीड़ा को दूर किया जा सकता है और लोगों को हम मदद पहुंचा सकते हैं। जो रोड्स टूट गई हैं उनका पुनःनिर्माण कर सकते हैं, लोगों के घरों का जो नुकसान हुआ है, उनके घरों को बना सकते हैं और उनको सहायता दे सकते हैं।

केरल के मुख्य मंत्री ने 100 करोड़ रूपये की ग्राण्ट की मांग की है। कृषि मंत्री जी, हमको यह मैसेज मिला है, संदेश मिला है कि कृषि मंत्री जी लोगों के दुख को देखने के लिए केरल आ रहे हैं। यह सच है कि जाखड़ जी केरल में बहुत बार आये हैं लेकिन इस बार जरूर आयें।

आज मुझे मेरे संसदीय क्षेत्र से यह सूचना मिली है, यह संदेश मिला है कि दक्षिण और केरल की ओर से जो ट्रेंस चल रही हैं, वह सारी ट्रेंस रूकी हुई हैं और रेलगाड़ी नहीं चल सकती हैं। वहां कम्यूनिकेशन बिल्कुल ठप्प हो गया है और यह स्थिति जारी है। आने वाले एक दो–दिन के अन्दर स्थिति और गम्भीर हो जायेगी इसीलिए मेरा सरकार से यह निवेदन है और मेरी यह विनती है कि सरकार इस पर ध्यान दे और केरल की आर्थिक स्थिति को देखते हुए ज्यादा से ज्यादा सहायता, 100 करोड़ रूपए की सहायता देने के लिए निर्णय करें। लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए, पहाड़ी इलाकों में और लो लांइग एरिया में, जहां लोग मुसीबत में पड़े हुए हैं, उनके लिए सहायता पहुंचाने के लिए केन्द्र सरकार जल्दी से जल्दी कदम उठाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं केन्द्रीय सरकार से पुनः आग्रह करता हूं कि कृषि मंत्री जी केरल आयें और वहां की स्थिति को देखकर ज्यादा से ज्यादा आर्थिक सहायता केरल को पहुंचायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा कल 11.00 म.पू. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

6.03 म.प.

तत्पश्चात् लोक सभा गुरूवार, 4 अगस्त, 1994/श्रावण 13, 1916 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।